राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 3] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का 18वां दिवस [संख्या 14

बृहस्पतिवार

दिनांक 12-9-1968

विधान सभा की बैठक म० पर्व 11-3 अज विधान सभा भवन जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(**श्री निरंजननाथ आचार्य,** अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[विद्युत, गृह, सार्वजनिक निर्माण, सामान्य प्रशासन, जन स्वास्थ्य, पर्यटन, स्वायत्त शासन, पशुपालन, कृषि व आयुर्वेद विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री मनोहरसिंह मेहता !

भीलवाड़ा बिजौलिया बिजली लाइन

354. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भीलवाड़ा से बिजौलिया तक बिजली लाइन खींचे कितने वर्ष हुए?

(2) भीलवाड़ा से बिजौलिया तक लाइन खींचने में कितने लाख रुपये खर्च हुए?

(3) वर्ष भर में उक्त रकम का ब्याज कितना होता है?

(4) भीलवाड़ा से बिजौलिया तक किस किस गांव में किस किस कुवें को बिजली दी गई है?

(5) कितने उद्योगों को बिजली दी गई है?

(6) कितने गांवों में स्ट्रीट लाइट तथा व्यक्तिगत रूप से लोगों को बिजली दी गई है?

(7) सरकार को प्रति वर्ष कितना रिटर्न मिल रहा है?

(8) यदि रिटर्न नहीं मिल रहा है तो व्यर्थ ही इतने लाख रुपये क्यों व्यय किये?

(9) कितनी रकम और खर्च करने पर सरकार को आय हो सकती है और उत्पादन बढ़ सकता है?

(10) खेती उद्योग तथा घरों पर कब तक लाइट दे दी जायगी?

श्री उप-मन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह):

(1) करीब डेढ़ वर्ष हुआ।

(2) 11,61,893 रुपये।

(3) 5.5 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष 63,904 रुपय का ब्याज होता है।

(श्री खेतसिंह)

(4) दो कुओं को बिजोलिया में।

(5) तीन उद्योगों को।

(6) स्ट्रीट लाइट का एक कनेक्शन और मकानों और दुकानों पर 87 कनेक्शन दिये गये हैं।

(7) मण्डल को प्रति वर्ष औसतन 7200 रुपये की आय होती है।

(8) बीच में पड़ने वाले ग्रामों के विद्युतिकरण होने पर रिटर्न मिलने की उम्मीद है।

(9) इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार होने पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

(10) ज्यों ज्यों मांग की जाती है यथा सम्भव कनेक्शन दिये जा रहे हैं और आगे भी दिये जावेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय उनको 63904 रुपये व्याज के लगते हैं और 7200 रुपये की इन्कम होती है तो इस तरह से चलने वाली दुकान कब तक उठेगी ?

दूसरी बात यह है कि उन्होंने दो कुओं को बिजली दी है कुल मिलाकर दो सालों में और दो साल से बिजली की लाइन इधर पड़ चुकी है, गांव वाले मांग रहे हैं। पता नहीं उनका खून क्यों नहीं खोल रहा है। 63 हजार का हर साल व्याज लग रहा है लोगों के मन में बिजली लेने की बड़ी भारी लालसा है फिर भी बिजली लगाने में जल्दी क्यों नहीं की जाती ?

श्री खेतसिंह : बिजोलिया लाइन 33 के० वी० की है। इसके लिये ज्यों ज्यों हमारे पास फण्ड उपलब्ध होंगे उसके अनुसार ट्रांसफोर्मर लगाकर बीच में आने वाले गांवों में जिन्होंने मांग की है और प्रर्थना-पत्र दे दिये हैं उनको कनेक्शन दिया जावेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मांग तो बराबर आ रही है। दो सालों से चल रही है। यह तो आप ही नहीं दे रहे हैं। आपने आगे कहा तीन उद्योग को बिजली दी। तो क्या वे उद्योग आटे की तीन चक्कियां हैं क्या ? यह भी फरमा दीजिये।

श्री खेतसिंह : तीन छोटे उद्योग ही हैं। इसमें से 11 के० वी० की लाइन और ट्रांसफोर्मर लगाकर लोगों को बिजली दी जावेगी।

श्री मनोहर सिंह मेहता : आज कल वहां अकाल की छाया है, हालांकि उस इलाके में दस नदियां बहती हैं तो अगर उन नदियों के किनारे आये कुओं को आप बिजली दे दें तो भयंकर अकाल के वक्त में राहत मिल सकती है, उन कुओं में सेजा भी बहुत है। तो क्या आप युद्धस्तर पर काम करके लोगों को कुओं पर बिजली देंगे ?

श्री खेतसिंह : खुद ही सोचें कि जहां हमको 63904) रुपया व्याज का देना पड़ रहा है जहां अनइकोनामिक प्रोपोजिशन चल रहा है तो निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम वहां लोगों को बिजली दें।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अकाल का साल निकल जाने के बाद तो दे देंगे यही बता दें ?

श्री खेतसिंह यह तो निश्चित नहीं कह सकता कि सारे गांवों को मिल ही

(श्री खेतसिंह)
जावेगी जिन को आप चाहते हैं पर वर्क जरूर होगा ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : आपने बताया प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है तो दो वर्ष के बाद अब तैयार कर रहे हैं तो पहले लाइन डालते वक्त या उससे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार नहीं की ?

श्री खेतसिंह : आपका सही कहना है । यह जो लम्बी लाइन खींची गई है उसमें जो गांव पड़ते हैं उनमें कइयों की तो तैयार हैं, कइयों की अभी की जा रही है ।

श्री दौलतराम सारण : जहां जहां लाइन डाली जाती है वहां उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार डाली जाती है, पर केवल किसी प्रेशर के कारण जब कहीं लाइन डाली जाती है तो उसका परिणाम बुरा होता है, और बोर्ड को घाटा उठाना पड़ता है ।

श्री खेतसिंह : यह सही नहीं है ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जहां कांग्रेसी लोग होते हैं वहां करन्ट तेजी से पहुंचा जाता है, पर जहां से विरोधी पक्ष के विधायक आते हैं वहां बिजली का करन्ट तेजी से क्यों नहीं आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट । श्री सारण ।

राजभाषा हिन्दी के समर्थन में जुलस

355. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रतनगढ़ में 8 दिसम्बर, 1967 को राजभाषा विधेयक के विरोध में और राजभाषा हिन्दी के समर्थन में कोई जुलूस निकला था ? यदि हां, तो यह जुलूस कहां होकर निकला और कहां समाप्त हुआ ?

(2) इस जुलूस में भाग लेने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ? कौन कौन किस किस स्थान पर ? और किस किस जुर्म में तथा किस समय ?

(3) क्या यह सही है कि मुलजिम 24 घंटे से अधिक पुलिस की हिरासत में रखे गये ? यदि नहीं, तो उन्हें कब गिरफ्तार किया और कब न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि आरोपों की प्रथम सूचना न्यायालय को 24 घंटे के अन्दर नहीं दी गई बल्कि तीन दिन बाद दी गई ?

(5) क्या राज्य सरकार को यह शिकायत मिली है कि श्री शंकरलाल सारस्वत के मुंह पर श्री अर्जुनसिंह ने थाने में एस०डी०एम० के सामने दो थप्पड़ मारे और फोश गालियां दीं और उन्हें बाजार में पकड़ा तब भी गालियां दी गईं ।

(6) क्या यह भी शिकायत मिली है कि श्री अभिमन्यु संसोपा मन्त्री और श्री रामसिंह डीमवाल प्रसोपा जिला मन्त्री का गला पकड़ कर धक्के दिये और गालियां निकालीं और उन्हें थाने में ले जाकर खड़ा कर दिया और पीने के लिये पानी तक नहीं दिया और न पेशाब करने के लिए कोठड़ी से बाहर निकलने दिया ?

(7) क्या यह भी सही है कि छोटे छोटे बच्चों पर लाठी चार्ज किया ?

(श्री दौलतराम सारण)

(8) क्या यह भी सही है कि दुर्गादत्त केड़िया कोषाध्यक्ष स्थानीय कांग्रेस जिनके विरुद्ध एस० डी० एम० कोर्ट में फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पहले से ही मुकद्दमा चल रहा है, गवाह हैं ?

(9) क्या दैनिक अखबार और चन्दा मामा जैसे पत्रों की चोरी का इलजाम भी लगाया गया है ?

(10) क्या एफ०आई०आर० में भी नाम नहीं है ऐसे लोगों को भी इन्हीं जुर्मों में जुलूस के पन्द्रह दिन बाद भी गिरफ्तार किये हैं ?

(11) पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जो दुर्व्यवहार व गैर कानूनी कार्यवाही करने की शिकायतें राज्य सरकार को मिलीं उन पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या कोई जांच करवाई गई ? यदि नहीं तो क्यों नहीं? क्या अब भी राज्य सरकार जांच करवाने का विचार रखती है ?

राज मन्त्री गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां। यह सत्य है। यह जुलूस श्री रघुनाथ विद्यालय स्टेशन रोड रतनगढ़ के सामने से प्रारम्भ होकर रेलवे स्टेशन से शहर रतनगढ़ को जाने वाली सड़क पर से होकर निकला और राजकीय मिडिल स्कूल रतनगढ़ घण्टाघर होता हुआ उत्तराना बाजार रतनगढ़ पहुंचा था।

(2) इस जुलस में भाग लेने वाले 7 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। दूसरे दिन 9-12-67 को 1 बजे अपरान्ह को एस०डी०एम० के सामने पेश किये गये।

(4) जी नहीं।

(5) शिकायत प्राप्त हुई थी जो जिलाधीश चूरू को जांच हेतु भेजी गई थी। जिलाधीश ने सूचित किया कि उन्हीं आरोपों पर एक इस्तगासा भी अदालत में पेश किया है जो सबजूडिस है। अतः इस शिकायत पर इस्तगासे के फैसला होने तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

(6) जी नहीं, श्री अभिमन्यु व श्री रामसिंह को गिरफ्तार अवश्य किया गया किन्तु उनके सम्बंध में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

(7) जी नहीं।

(8) जी नहीं।

(9) जी हां।

(10) जी हां।

(11) इस प्रश्न का उत्तर भाग 5 के उत्तर में दिया जा चुका है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दौलतराम सारण : आपने कहा कि उनके साथ मारपीट नहीं हुई दुर्व्यवहार नहीं किया गया और शिकायत भी नहीं आई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी शिकायतें की गई हैं। आप खुद स्वीकार करते हैं कि इस प्रकार का इस्तगासा कोर्ट में विचाराधीन है। इस्तगासा चल रहा है तो इस्तगासा इस कारण से चल रहा है कि मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। नहीं तो इस्तगासे की नौबत क्यों आती ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके लिये तो हमने कहा है न कि शिकायतें प्राप्त हुईं।

(श्री हीरालाल देवपुरा)
आपको कन्फ्यूजन है। श्री शंकरलालजी की शिकायत प्राप्त हुई। इसी नाम पर इस्तगासा है। अभिमन्यु और रामसिंह के बारे में कोई शिकायत नहीं आई।

श्री दौलतराम सारण : इनके साथ भी थाने में दुर्व्यवहार किया गया। पीने के लिये पानी तक नहीं दिया गया। पेशाब तक नहीं करने दिया गया और थप्पड़ मुक्के मारे। ये सब शिकायतें की गई हैं। उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, यह अलग बात है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह शिकायत श्री शंकरलाल जी के सम्बंध में थी और इस पर कार्यवाही चल रही है। रामसिंहजी और अभिमन्यु के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : जिलाधीश से जांच करा ली है। जांच रिपोर्ट का क्या नतीजा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने यह नहीं कहा कि जांच कराई है। मैंने यह कहा कि इस्तगासा पेंडिंग है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने बताया कि यह मामला कोर्ट के अन्दर चल रहा है, तो क्या ऐसा नियम नहीं है कि यदि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो साइमलटेनियसली उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्यवाही भी करनी चाहिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : सब्जेक्ट मैटर एक ही है, इसलिये यह उचित होगा कि कोर्ट क्या फैसला देती है उसके बाद ही कोई कार्यवाही की जावे। कोर्ट एक फैसला करे और डिपार्टमेंटल फैसला दूसरा हो तो यह अच्छा नहीं लगता।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो यह पूछ रहा हूं कि गवर्नमेंट की ऐसी पालिसी है क्या या डिपार्टमेंट के ऐसे कोई आदेश हैं क्या कि यदि किसी राज्य कर्मचारी के खिलाफ जनता की शिकायत पर किसी कोर्ट में केस चल रहा हो तो डिपार्टमेंटल कार्यवाही साइमलटेनियसली नहीं चल सकती ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : म समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय को पूरी जानकारी नहीं है। वे जानकारी कर लें, कई ऐसे केसेज हैं जहां कोर्ट की कार्यवाही के साथ साथ डिपार्टमेंटल ऐक्शन भी लिया जा रहा है। इसमें कोई रुकावट नहीं है।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अगर अदालत में इस्तगासा चल रहा है और सब्जेक्ट मैटर एक ही है तो फिर डिपार्टमेंटल एनक्वायरी नहीं होती है और न होनी ही चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस्तगासे के अलावा भी शिकायतें की गई हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों की जांच करने के लिये डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट चूरू के पास भेजी गई। लेकिन क्यों कि इस्तगासा कोर्ट में पेंडिंग था इसलिए कलेक्टर ने यह लिख कर भेजा कि इस्तगासा का फैसला होने के बाद ही जांच ली जाये तो उचित होगा।

Page No. 6

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप देखगे कि इनके खिलाफ पत्रों की चोरी करने, चंदा मामा, बच्चों का मैगजीन चोरी करने का आरोप हैं, और उनमें वकील हैं चोरी करने वालों में, दैनिक अखबार की चोरी करने वालों में, इस तरह के आरोप लगाकर उन लोगों के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज किया गया है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि अर्जुन सिंह जिनका नाम है वे भरतपुर में भी इसी प्रकार के झूंठे आरोप लगाते थे, मेरे खिलाफ आरोप लगाया कि साइकिल चोरी करके ले गये। यही तो दिक्कत है इस मामले में।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्लीज !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, 15 दिन बाद लोगों के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर राजनैतिक द्वेष के कारण गिरफ्तारियां की गई हैं और आपने जी हां कहा है इसके उत्तर में।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री गोकुल चन्द।

अलवर जिले में सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों पर व्यय

356. **श्री गोकुलचन्द** (खैरथल-सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1967-68 में अलवर जिले के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सड़क निर्माण व मरम्मत आदि कार्यों में कितनी रकम खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चालू वर्ष में कौन कौन से क्षेत्रों में कितनी रकम मन्जूर की गई है और कहां कहां क्या क्या कार्य चालू हैं ?

(3) जिले में रामगढ़-गोविन्दगढ़ सड़क का निर्माण कार्य कब आरम्भ हुआ था, तथा इसकी अब क्या प्रगति है ?

उप-मंत्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) विधान सभा क्षेत्र अनुसार स्वीकृति नहीं दी जाती है। इन क्षेत्रों में जो धनराशि खर्च हुई है उसकी सूची (अ) में दर्ज है।

(2) क्षेत्रवार बंटवारा नहीं किया गया है।

(3) गोविन्दगढ़–रामगढ़ सड़क का कार्य दिनांक 25-2-65 को शुरू कराया गया था, 5 मील सड़क बन चुकी है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री गोकुलचन्द : क्षेत्रवाइज जो रकम के बारे में आपने कहा है कि नहीं बता सकते तो मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि जहां जहां सब डिवीजनल हैडक्वार्टर्स को जोड़ने की सड़क है उन पर आपने कितना खर्च किया ?

श्री अध्यक्ष : सब डिवीजनल हैडक्वार्टर्स को कनेक्ट करने वाली सड़कों पर कितना खर्च किया है। अलग से प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इस रकम में से अधिकांश रुपये तिजारा निर्वाचन क्षेत्र में ही खर्च किये गये हैं ?

श्री माधोसिंह : जी हां, जो सूची आपके पास है उससे आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर पहले भी सड़कें कम थीं, इसलिये किया गया।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने तिजारा निर्वाचन क्षेत्र में खर्च किया है क्या यह सही है कि उसमें से अधिकांश खर्च ऐसा है जो बिना सेंक्शन के ही पहले खर्च किया गया और बाद में उसकी स्वीकृति ली गई ?

श्री माधोसिंह : सेंक्शन के लिये लिख दिया जाता है और काम चालू हो जाता है।

श्री भैरोंसिंह : आप तो यह बताइये कि क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में जो काम हुआ है उसमें से अधिकांश काम है वह सेंक्शन के पहले ही चालू कर दिया गया और सेंक्शन बाद में मांगी गई। क्या यह सही है ?

श्री माधोसिंह : जी हां, सेंक्शन बाद में दी गई ?

श्री भैरोंसिंह : यह क्या पी०डब्ल्यू०डी० के मेन्यूअल के खिलाफ नहीं है ? और स्वयं माननीय निर्माण मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में यह किया जाय यह क्या रूल्स के खिलाफ नहीं है ?

जब खुद के विभाग से ही इस तरह नियमों का पालन नहीं होता है तो फिर बाकी के विभागों का क्या होगा ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : अगर महकमें ने गलत कार्यवाही की है तो उनसे जवाब तलब किया जायेगा, और जो मुनासिब ऐक्शन होगा वह लिया जायेगा। जो भी काम हुआ है वह इस ख्याल से नहीं हुआ है कि मंत्री का कोई जाती काम है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट ने खुद ने स्वीकार किया है कि प्रापर अथारिटीज की सेंक्शन नहीं थी और काम चालू कर दिया गया। क्या मंत्री महोदय इसको अनियमितता नहीं मानते ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने कहा है कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो.....

श्री भैरोंसिंह : अन्दाजे से मत चलिये। डिप्टी मिनिस्टर ने कैटेगरीकली स्वीकार किया है कि प्रापर अथारिटी की सेंक्शन के सिवा ही काम चालू कर दिया गया, तो यह पी० डब्ल्यू० डी० के मैन्यूअल के हिसाब से अनियमितता नहीं है ?

श्री अमीनुद्दीन : मैंने कहा न कि अगर कोई गलत काम हुआ है.....

श्री भैरोंसिंह : अगर मगर का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, इन ऐन्टीसीपेशन आफ सेंक्शन अगर कोई काम चालू कर दिया गया तो यह अनियमितता है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, जहां जहां जरूरत होती है वहां काम भी चालू करा दिया जाता है और साथ साथ सेंक्शन भी मांगी जाती है। ऐसा कई जगहों पर हुआ है, केवल तिजारा में ही नहीं हुआ है। ऐसा आम तौर से किया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : आम तौर से और खास तौर से का सवाल नहीं है। आम तौर से या खास तौर से आप रेग्युलराइज कराते होंगे बाद में, लेकिन आप ने जो मैन्युअल बना रखा है तो आप क्या आम तौर से उसका पालन नहीं करते ? क्या इस तरह पहले काम शुरू कर देना और बाद में सेंक्शन के लिये लिखना, यह आपके मैन्युअल में कवर होता है ?

श्री अमीनुद्दीन : उसके लिये तो कहा कि कोई अगर.....

श्री भैरोंसिंह : अगर मगर का सवाल नहीं है। आपकी भाषा में जो यह अगर मगर है वह तो लखनवी नजाकत है, पर यहां तो तथ्यों का सवाल है। जब स्वयं निर्माण मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अनियमितता से काम होता है तो क्या यह समझा जाये कि यह वाजिब था ?

श्री अमीनुद्दीन : अगर वह वाजिब होता तो मैं यह नहीं कहता कि जांच करेंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने खर्च किया है.....

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सरकार की परम्परा के अनुसार ही सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी अपने यहां कार्य करवा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि तिजारा में जो खर्च हुआ है वह नान प्लान खर्च हुआ है ? या वह प्लान का खर्च है ?

श्री अध्यक्ष : (मंत्री महोदय के आफिश्यल गैलरी की तरफ देखने पर) मेरी ओर देखिये माननीय मंत्री जी।

श्री अमीनुद्दीन : काम जो जरूरी होता है तो कर दिया जाता है और मन्जूरी बाद म होती है।

श्री भैरोंसिंह : मैं मन्जूरी की बात नहीं करता यह खर्च प्लान म था या नान प्लान था ?

श्री माधोसिंह : प्लान में भी कर दिया जाता है और नान प्लान में भी कर दिया जाता है।

श्री भैरोंसिंह : तिजारा में जो किया गया वह प्लान में था या नान प्लान में ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जैसा जबाव है वैसा ही काम है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब आना चाहिये।

श्री माधोसिंह : इसकी जानकारी करके माननीय सदस्य को बता देंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अक्ल बड़ी या भैंस ?

श्री भैरोंसिंह : आपके पास जानकारी है या नहीं ?

श्री माधोसिंह : मेरे पास इस वक्त जानकारी नहीं है, जानकारी करके माननीय सदस्य को बता देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वहां पर प्लान एक्सपेंडीचर के लिये कोई प्रोवीजन नहीं था ?

श्री माधोसिंह : इसकी भी जानकारी नहीं है, हासिल करके दे दी जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : आपने जो सेंक्शन दी है या जिस आफिसर ने सेंक्शन दी है उसने सारा एक्सपेंडीचर प्लान में लिया या नान प्लान में ?

श्री माधोसिंह : इसकी भी जानकारी करके आपको बता दिया जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको पोस्टपोन कर दीजिये।

इतना अवश्य है कि माननीय मंत्री महोदय ने अलवर जिले के जो दूसरे क्षेत्र हैं

(श्री भैरोंसिंह)
उनकी उपेक्षा करके और प्लान एक्सपेंडीचर और नान प्लान एक्सपेंडीचर, जिसके लिये माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि जानकारी नहीं है, तो अध्यक्ष महोदय इसको स्थगित कर दिया जाये और कल इसको लिया जाये ताकि वे मैन्यूअल को भी पढ कर आवें और प्लान और नान प्लान एक्सपेंडीचर के बारे में भी जानकारी कर लें ।

श्री माधोसिंह : यह मेन्युअल प्लान में है माननीय सदस्य की जानकारी के लिये कह दूं ।

श्री भैरोंसिंह : सालाना प्लान में रिपेयर्स है क्या ?

श्री माधोसिंह : डिटेल्स भी होगी उसमें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर ।

श्री भैरोंसिंह : रिपेयर्स भी है क्या उसमें ?

श्री अध्यक्ष : आप (श्री भैरोंसिंह) रिपेयर्स कह रहे हैं और वे (श्री माधोसिंह) डिटेल्स की बात कह रहे हैं ।

श्री माधोसिंह : सालाना जो वर्क है उसमें से है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत ।

प्रश्न सं० 357 ।

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में पूरी सूचना नहीं आई है । इसलिये इसको स्थगित किया जाये ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : ऐसी कौनसी सूचना है, इसमें अध्यक्ष महोदय ।

श्री नत्थीसिंह : (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की बात पूछें तो सूचना नहीं, राजा-महाराजाओं की बात पूछें तो कहें सूचना नहीं और अफसरों की बात पूछें तो कहें सूचना नहीं । फिर आपके पास किस बात की सूचना है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : क्या यह सही है कि यह प्रश्न मैंने पिछले फरवरी महीने में भेजा था और फिर भी उस पर अभी पूरी जानकारी नहीं । आखिर जानकारी कितनी लम्बी-चौड़ी मंगानी थी आपकी जो जानकारी है वह बता दीजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं आपसे निवेदन करूं कि पानी के बारे में जानकारी है, बिजली के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है । अगर आप चाहें तो मैं पानी के बारे में जानकारी दे सकता हूं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : जो सन्धी हुई थी, वह किस प्रकार की है यह बता दें ।

श्री अध्यक्ष : अधूरा प्रश्न है । स्थगित करने का प्रश्न है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो नीति सम्बन्धी या एग्रीमेंट सम्बन्धी है, उसको छोड़ दीजिये दूसरे तो बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर । आर्डर ।

प्रश्न सं० 357 ।

भूतपूर्व राजाओं को बिजली एवं पानी की सुविधा

357. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा में की गई घोषणा के अनुसार भूतपूर्व राजाओं को जो बिजली और पानी की सप्लाई मुफ्त होती थी वह बन्द कर दी गई है ?

(2) यदि हां, तो क्या इस साल बिजली व पानी की रकम वसूल की गई है ?

(3) यदि हां, तो कितनी रकम किससे?

(4) बिजली व पानी निःशुल्क दिया गया जब राजाओं के साथ कोई समझौता या लिखा पढ़ी किसी प्रकार की हुई थी ?

(5) यदि हां, तो राज्य सरकार की किन राजाओं के साथ हुई और केन्द्र सरकार की किन राजाओं के साथ ?.

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) :

(1) जी हां।

(2) जी हां ।

(3) पानी की वसूली निम्न प्रकार है:–

	1967-68	1968–69
महाराजा जोधपुर	38300·00	4773·73 (माह जुलाई तक)
महाराजा जयपुर	52594·85	3279·77 (माह जून तक)
„ बीकानेर	4624·89	1187·40 (माह जून तक)

बिजली की रकम कितनी वसूल हुई, इसकी पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

(4) जी हां ।

(5) केन्द्र सरकार की महाराजा जयपुर, जोधपुर व बीकानेर के साथ वार्ता हुई थी–तथा केन्द्र के निर्देश के अनुसार राज्य सरकार ने पिछले वर्ष तक कार्यवाही की।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती मदन कौर !

पचपदरा तहसील के गावों में पीने के पानी की व्यवस्था

358. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृप करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पीने के पानी की उपलब्धि हेतु समस्त राजस्थान के लिये एक मास्टर प्लान बना था? यदि हां, तो पचपदरा तहसील (जिला बाड़मेर के विभिन्न गांवों में कहां से किस प्रकार पीने का पानी उपलब्ध कराया जावेगा ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में इस मास्टर प्लान के अनुसार पचपदरा तहसील के किन किन गांवों को पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) आगामी वर्ष (1969-70) में उक्त तहसील की कौन कौन सी जल प्रदाय योजनायें प्रारम्भ करने का राज्य सरकार का विचार है?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा) :

(1) जी हां । पचपदरा तहसील के गांवों में पीने योग्य पानी रीजनल जल वितरण योजनाओं द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। पचपदरा तहसील के कुल 159 ग्रामों में से 12 ग्रामों में पीने योग्य पानी उपलब्ध है एवं 141 ग्रामों में जहां पीने योग्य पानी का अभाव है, अन्य मीठे पानी वाले स्थानों से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

(2) मास्टर प्लान सन् 66 में तैयार किया गया था इस अवधि में पचपदरा जसोल व बालोतरा जिनकी कि अनुमानित लागत क्रमश : 5 लाख 1.23 लाख व 2.41 लाख रु० है पूर्ण की जा चुकी है एवं जल संधारण चालू है।

(3) यह धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

श्रीमती मदन कौर : क्या मंत्री महोदया यह बतायेंगी कि पचपदरा-बालोतरा जल प्रदाय योजना पूरी की गई है और क्या यह मास्टर प्लान के तहत पूरी की गई है ।

श्रीमती सुमित्रा : मास्टर प्लान बाद में बना है। पूर्ण होने के बाद बना है।

श्री वृद्धिचन्द्र जन : मास्टर प्लान की स्वीकृति हुई है या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : यह भारत सरकार के विचाराधीन है।

श्री रावत राम (छापर-सु०) : मास्टर प्लान बनने के बाद में सरकार ने पांच फी सदी जो जन सहयोग हांसिल किया है क्या उन गांवों मे जल प्रदाय योजना लागू कर दी है।

श्रीमती सुमित्रा : प्रश्न कर्ता का प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, क्या परेशानी है ?

श्रीमती सुमित्रा : आपका प्रश्न समझ में नहीं आया।

श्री रावत राम : मास्टर प्लान बनने के बाद जन सहयोग 5 प्रतिशत जिन गांवों से हांसिल हो गया है, क्या उन गांवों में यह सुविधा लागू कर दी गई है या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : अभी यह मास्टर प्लान भारत सरकार के विचाराधीन है। 5 पर्सेन्ट सहयोग जब स्वीकृति आयेगी तब ही तो लिया जायगा।

श्रीमती मदन कौर : क्या यह सही है कि फोर्थ फाईव ईयर प्लान में नया मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं । स्वीकृति की सूचना नहीं आती है तब तक दूसरा मास्टर प्लान के बारे में विचार नहीं किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : यह मास्टर प्लान कब से विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री पृथ्वी सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता : प्रश्न सं० 359।

श्री अध्यक्ष : अधिकार पत्र है, माननीय सदस्य। गृह मंत्रीजी ।

ठेकेदार द्वारा बलि

359. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : [श्री मनोहरसिंह मेहता (मंडलगढ) द्वारा पूछा गया] क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) क्या यह सही है कि गत 31 मई को उदयपुर जिले की कोटडा पंचायत समिति के अधीन बनने वाले मदड़ा तालाब के ठेकेदार ने एक 12 वर्षीय बालक की बलि देकर उसके रक्त से स्वास्तिक बना कर तालाब का निर्माण कार्य चालू किया ?

(2) यदि हां, तो क्या मुकदमा दर्ज किया गया है ? तफतीश कौन कर रहा है और अभी तक इस मामले में कितने व्यक्ति दोषी पाये गये हैं और मुकदमा किस स्टेज पर है ?

(3) क्या भविष्य में इस प्रकार के मामलों की रोकथाम करने हेतु सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है और विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) :

(1) जी हां।

(2) अभियोग संख्या 13/68 धारा 302/109/120 आरक्षी केन्द्र आगना जिला उदयपुर में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया अभियुक्त चूनिया, हीरालाल, श्यामलाल व उदयलाल, महावीर व पूनिया को गिरफ्तार कर अभियोग का चालान न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है जो जेरे तजवीज अदालत है।

(3) वर्तमान समय में ऐसी घटनायें प्रायः नहीं होती हैं और हों भी तो कानूनी कार्यवाही की जाती है कानून भी पर्याप्त है। विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने यह कदम नहीं उठाया कि ऐसे ठेकेदार को ठेकेदार की सूची से खारिज कर दिया जाय।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस प्रश्न का इससे संबंध नहीं है।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है.....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान राज्य के लिए बड़े ही कलंक की बात है। जिस राज्य में मनुष्य की बलि दी जाती है तालाब का निर्माण करने के लिये इसके उपरान्त भी मंत्री महोदय यह जवाब देते हैं कि....

श्री अध्यक्ष : क्या यह कलंक की बात है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : नर बलि दी जाय और राज्य सरकार के मंत्री चुप रहें अध्यक्ष महोदय, आपके आसन पर रहते हुए अगर मनुष्यों की बलि दी जाय यह कितनी अशोभनीय घटना है। अध्यक्ष महोदय, आप मानकर चलिये कि सुखाड़िया साहब के मंत्रिमण्डल में ऊने मंत्री रखे हैं सुने नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह लड़का कौन था और इस ठेकेदार के पास यह लड़का किस प्रकार आया। इस लड़के की मृत्यु के बाद क्या सरकार ने सहानुभूति प्रकट करने के लिये इसके परिवार के लोगों की सहायता की बात भी कही ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह लड़का भादड़ा गांव का रहने वाला है। यह लड़का

(श्री हीरालाल देवपुरा)

तारीख फलां से गायव है । पता नहीं यह सूचना 27 को दी गई । पता नहीं लग रहा है । चूनिया पर सन्देह प्रकट किया है । एक एफ०आई०आर०चूनियां पर दर्ज की गई है । चूनियां को गिरफ्तार किया गया है और उसकी तफतीश की कार्यवाही चालू है । इस प्रकार की सहायता राज्य सरकार की ओर से नहीं दी ।

श्री भैरोंसिंह : इस लड़के का गुमने का मामला पुलिस में कब दर्ज कराया गया और क्या इस रिपोर्ट के अन्दर किन्हीं व्यक्तियों का सन्देह है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 27-5 को की गई थी । किसी प्रकार का सन्देह प्रकट नहीं किया गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जब इस तालाब का निर्माण शुरू किया गया और यह बलि दी गई उस दिन पंचायत समिति के आदमी या ईरीगेशन विभाग के कोई अधिकारी वहां मौजूद थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आवश्यकता नहीं है, मौजूद होने की ।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : क्या उस लड़के का नाम खुमानसिंह उम्र 12 साल और राजपूत जाति का था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लड़के का नाम खुमान सिंह था....

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या यह पढ़ता था और उम्र 12 साल की थी ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसिन्द) : यह इत्तिला किस व्यक्ति ने सबसे पहले थाने में दर्ज कराई और ठेकेदार के साथ साथ किन व्यक्तियों के ऊपर सन्देह प्रकट किया गया जिसको आपने गिरफ्तार किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 27 मई को पहले इत्तिला मिली थी । लड़के के गुमने की इत्तला थी उसमें किसी के प्रति कोई सन्देह प्रकट नहीं किया गया । उसके बाद में दूसरी इत्तिला दी उसमें केवल चूनिया के प्रति सन्देह प्रकट किया गया और तफतीश की गई तो सारा गुल खिला ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने जानकारी चाही है कि किस व्यक्ति ने सबसे पहले एफ० आई० आर० दर्ज कराई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : लड़के के पिता ने कराई थी ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : 27-5 को एफ० आई० आर० दर्ज होने के पश्चात 31-5 को जब बलि ठेकेदार ने दी इस बीच में 5 दिन के दौरान में पुलिस ने गुमशुदा की तलाश के लिए क्या कार्यवाही की ? क्या आप यह सदन को बता सकते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 27 और 21 मई के बीच में गुमशुदा की तलाश की गई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज हो गई उस तारीख से लेकर जिस तारीख को इस लड़के की बलि दी गई इस दौरान में पुलिस ने लड़के को तलाश करने के लिए क्या कार्यवाही की यह बता सकते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 27-5 के पहले ही बलि दी जा चुकी थी ।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उसके बाद में बलि दी सके बीच में क्या कार्यवाही की इसका प्रश्न पैदा नहीं होता। बाद में जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसमें चूनिया पर शक किया गया और फिर उसको उस बिना पर गिरफ्तार किया गया। इस बीच में लड़के के लिए आसपास तलाश की और उसके वालिदान को भी कहा गया कि तुम्हें भी कहीं इत्तिला लगे तो बतायें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल असेम्बली में उठाया गया इससे पहले गृह मंत्री जी को इस वाकये का पता था या जानकारी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जानकारी थी और उसके पहले तफतीश भी हो चुकी है और केस भी चालान दे दिया गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता : जब आपको मालूम था तो क्या गृह मंत्री जी उसके बाप से मिलने के लिये गये ? उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए गये ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री आईदानसिंह : कातिलों को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : तारीखों का तो पता नहीं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(घोर शोरगुल–व्यवधान)

ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी दें कि कत्ल के बाद कितने दिनों के बाद उसकी लाश बरामद की गई और किस तारीख को कत्ल हुआ ? लाश बरामद के बाद कितन दिनों के बाद कातिलों की गिरफ्तारी हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 3 जुलाई को एफ०आई०आर० दर्ज कराई गई और 4 जुलाई को याने दूसरे दिन ही कातिल गिरफ्तार कर लिए गए। और दो कातिल बाद में गिरफ्तार किये गये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब ?

श्री अध्यक्ष : लाश कब बरामद हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं पूरी जानकारी करके माननीय सदस्य को बाद में दे सकता हूं कि कब बरामद हुई। लेकिन यह ठीक है कि चूनिया को पकड़ा और उसी दिन लाश बरामद हुई।

श्री भैरोंसिंह : पुलिस की इन्वेस्टीगेशन से किस तारीख को उसका कत्ल हुआ था और किस तारीख को लाश बरामद की गई और किस तारीख को मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 3 तारीख को केस रजिस्टर हुआ....

श्री भैरोंसिंह : डैड बाडी कब रिकवर हुई ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस लड़के की बलि कब हुई, किस तारीख को लाश बरामद हुई और किस तारीख को गिरफ्तारी हुई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 21 तारीख को बलि दी गई और 27 तारीख को उसके गुम

(श्री हीरालाल देवपुरा)
होने की इत्तला आई और उसके बाद में जुलाई के महीने में उसके बाप ने फिर इत्तिला दी कि मुझे चूनिया पर सन्देह है और फिर उसको पकड़कर सारी तफतीश की गई ।

श्री भैरोंसिंह : 31 तारीख कौन से महीने की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 21 मई को यह हुआ और 27 मई को पहले इत्तला मिली ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर मुलजिम कब गिरफ्तार किये गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जुलाई में हुई ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 3 जुलाई को ?

श्री हीरालाल देवपुरा : 4 जुलाई को ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 31 मई को बलि दी गई और 4 जुलाई को जाकर मुलजिम गिरफ्तार किये गये ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं आपको निवेदन करूं 31 मई को इसकी बलि दी गई और 3 जुलाई को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई....

(शोरगुल, व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, जसवंत सिंह राजपूत पिता खुमानसिंह रेसीडेन्ट विलेज मदड़ा, पंचायत समिति कोटड़ा जिला उदयपुर ने एक रिपोर्ट 27 मई को इस मजमून से पेश की कि खुमानसिंह उम्र 12 साल 21 मई से गायब है। वह मदड़ा तालाब जहां बतौर लेबर के काम कर रहा था वहां से वह गायब है । इस पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी और मुस्तगीस को भी कहा कि वह भी तलाश करे। फिर 3-7-68 को उसने दूसरी रिपोर्ट दर्ज कराई और उसमें बताया कि खुमानसिंह के कतल के सिलसिले में वह चूनिया दरोगा मदड़ा का रहने वाला को शक करता है उसके ऊपर एक मुकदमा दफा 302, 109 और 120 ता० हि० के तहत दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करके जो अभी बताया गया है उसकी गिरफ्तारी की गई और लाश बरामद की गई और चालान अदालत में कर दिया गया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लाश कब बरामद की ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अभी अर्ज करता हूं । 4 जुलाई को लाश बरामद की । 3 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज की गई और 4 जुलाई को लाश बरामद की गई और इनवेस्टीगेशन के अन्दर 4 मुलजिम श्री चूनिया, रूपा, हीरालाल ठेकेदार और उदयलाल मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया । डैड बाडी आफ मिसिंग बाय और स्केल्टन और कपडे जो लड़के ने पहन रखे थे वह मुलजिम चूनिया की निशानदेही से कानून शहादत बरामद किये गये और चूनिया और रूपा ने अपने इस जुर्म को इकबाल किया और उनके बयान दफा 164 जा ता फौजदारी में कलम बन्द कराये गये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि 27 तारीख को जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई और 21 मई को बलि दी जा चुकी है तो बलि दिये जाने की पुलिस के पास इत्तिला नहीं थी और यदि इत्तिला थी तो कोई कार्य-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कार्यवाही नहीं की गई । अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ यह बात है कि 27 मई को रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात पुलिस ने तफतीश के सिलसिले में उस लड़के के बारे में जानकारी हासिल नहीं की । मई का महीना निकल गया, जून का महीना निकल गया और तीन जुलाई को फिर दुबारा रिपोर्ट कराता है कि मुझे शक है कि फलां आदमी ने लड़के को मारा है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया गया और 4 जुलाई को मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है । तो 27 मई से 3 जुलाई के समय के बीच में किन से इस लड़के के बारे में पूछा, इस लड़के के कत्ल के सिलसिले में कोई भी कार्यवाही किसी तरह की नहीं की गई और सारे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई । मैं समझता कि इससे ज्यादा गम्भीर मसला, हीनियस मामला और नृशंस और घृणा का कार्य नहीं हो सकता है । चूनिया और ठेकेदार को गिरफ्तार नहीं करके इस प्रकार की नरबलि को बढावा देती है । राजस्थान सरकार और राजस्थान की पुलिस डेढ़ महीने तक लाश बरामद नहीं कर सकी और मुकदमा कायम नहीं कर सकी.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पुलिस लाश का पोस्टमार्टम नहीं करा सकी, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्म और लज्जा की बात कोई नहीं हो सकती है । राजस्थान पुलिस के लिए जिस पर कि हम नौ करोड़ रुपया सालाना खर्च करते हैं । गृह मंत्री को ऐसे मसलों पर जहां पर इस प्रकार की गम्भीर घटनाएं होती हैं इस्तीफा दे देना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो लाश बरामद की गई है वह किस कंडीशन में की गई है ? कहां से लाश बरामद हुई है ? इसका पोस्ट मार्टम कब हुआ, और पोस्ट मार्टम में उसको कितना पुराना बताया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर चुका हूं कि 27 तारीख को जो रिपोर्ट दर्ज हुई वह कत्ल की रिपोर्ट नहीं थी केवल यह रिपोर्ट थी कि वह मजदूरी पर जाता था वह गायब हो गया है और मिल नहीं रहा है । पुलिस ने उसको तलाश करने का कहा और उसके वारिसान से भी कहा कि वे भी तलाश शुरू कर दें । तीन तारीख को जब मर्डर की रिपोर्ट की गई और पुलिस को नाम बताया गया कि फलां पर शक है तो पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की और 4 तारीख को मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और लाश बरामद की गई और तब उसका पोस्ट मार्टम भी कराया गया । अब आप पूछना चाहते हैं कि लाश किस हालत में बरामद हुई तो वह स्केलेटन बरामद हुआ है । इतने रोज की लाश थी 21 तारीख से 3 तारीख तक की तो जिस प्रकार का स्केलेटन बरामद हुआ उसका पोस्ट मार्टम किया गया । इसमें यह कहना कि पुलिस को कत्ल का मालूम होते हुए भी तलाश नहीं की, मैं अर्ज करूंगा कि ठीक नहीं है । पुलिस में गुमशुदा की रिपोर्ट हुई थी कि वह लापता है और लापता आदमी का मर्डर दर्ज नहीं किया जाता है । उस मामले में उसकी तलाश की जाती है वह कार्यवाही पुलिस ने जरूर की । उसके बाद जब यह रिपोर्ट की गई कि उसको शक है कि उसका मर्डर कर दिया गया है तो पुलिस ने फौरन जुर्म रजिस्टर करके मुल्जिमान को गिरफ्तार करने में कोई देरी नहीं की । उसको इन्टेरोगेट करके लाश को

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बरामद किया और उसका पोस्ट मार्टम करवाया। जहां तक पुलिस के काम का सवाल है माननीय सदस्यों का यह कहना कि पुलिस ने कार्यवाही नहीं की उससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री नत्थीसिंह : चूनिया को जो गिरफ्तार किया गया तो उसके कितने दिन के बाद में ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया ? एक बात।

दूसरी बात यह है कि वहां पर जो स्वस्तिक लगाया है वह खून का लगाया है, और पंचायत समिति का यह काम था, तो क्या पंचायत समिति का कोई अधिकारी, ओवरसियर या बी०डी०ओ० जिस वक्त यह काम शुरू हुआ और उसके खून का स्वस्तिक लगाया तो मौजूद थे या नहीं ? उनको कोई शक हुआ या नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात भी साथ में कहें कि वह शव कहां से मिला, लाश कहां से मिली ? और जो अब प्रिलिमिनेरी एन्क्वायरी की तो मुल्जिमान ने कोई डेट बताई और एक्चुअली किस नतीजे पर पुलिस पहुंची है ? कौन सी डेट को मर्डर हुआ एक्चुअली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मुकद्दमा अदालत में चालान कर दिया गया और पुलिस के जहां तक नतीजे पर पहुंचने का सवाल है तो पुलिस ने यह नतीजा निकाला है कि लड़के का कत्ल किया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी तारीख को ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कह चुका हूं कि 21 तारीख की शाम को इसका कत्ल किया गया है। कत्ल करने वाले जो थे उनको और कत्ल करने की साजिश में जो थे शरीक उनको गिरफ्तार किया गया। उसके कपड़े बरामद कर लिए गए, लाश बरामद हो गई, मुल्जिमान गिरफ्तार हो गये और अदालत में चालान कर दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लाश कहां से बरामद हुई है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, लाश कहां से बरामद हुई ?

श्री अध्यक्ष : लाश कहां से बरामद हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : थोड़ी दूर के फासले पर से। जहां तालाब बन रहा था उसके थोड़ी दूरी पर।

श्री नत्थीसिंह : ठेकेदार को कब गिरफ्तार किया गया ? ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे अतएव अश्रव्य)

श्री भरोसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी दे दें। जो पोस्ट मार्टम उसका हुआ है तो उस पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से या पुलिस के इन्वेस्टीगेशन के हिसाब से इस लड़के का मर्डर किस प्रकार से किया गया—तलवार से किया गया, बन्दूक से किया गया या हथौड़े से किया गया ?

(श्री भैरोंसिह)

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगा कि जब उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस के यहां दर्ज हुई उस दिन से लेकर जिस तारीख को केस रजिस्टर हुआ उस दिन तक पुलिस के अधिकारियों ने ठेकेदारों से, मजदूरों को जो लोग ले जाते थे उनसे किसी से भी जानकारी की है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक कत्ल करने का सवाल है पुलिस की तफतीश से यह पाया गया है कि लड़के का थोड़ा गला चाकू से काटा गया है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज...

श्री रोशन लाल (सलूम्बर) : ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया या नहीं उसका जवाब दें ।

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आर्डर, माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज !

श्री नत्थी सिंह : ठेकेदार को कितने दिन के बाद गिरफतार किया गया ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ! मेरे पास कई प्रश्न हैं । (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) आप स्थान ग्रहण करिये । ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसकी शिकायत की जाती है सदन में....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने का समय है, माननीय सदस्य ।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : क्या यह ठेकेदार अब भी वहां पर ठेकेदार है ?

श्री अध्यक्ष : वह पूछ लिया गया है ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : इस प्रकार के कत्ल हो जाये तो वह शर्म की बात है । इस तरह से नरबलि चढाई जाय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य : तो मंत्री लोगों को कोई अधिकार नहीं है इन कुर्सियों पर बैठने का ।

श्री लादूराम मुलानियां (फागी सु०): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है । माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि राजस्थान में और हिन्दुस्तान में आज भी ऐसे लोग हैं जो मुहुर्त निकालते हैं तो इस तालाब का मुहुर्त निकालने वाला पंडित कौन था ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम मुलानियां : नरबलि की किसने सलाह दी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी दिला दी जाय कि गुमशुदगी की रिपोर्ट जिस दिन दर्ज हुई और जिस दिन केस रजिस्टर हुआ उस दिन तक पुलिस ने ठेकेदार से और मजदूरों को जो ले जाने वाले व्यक्ति थे और मजदूरों से इस बात की जांच की है कि इस तरह से यह लड़का गुम हो गया है और उसके सम्बन्ध में गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह अभी मेरी जानकारी में नहीं है । गुमशुदगी की

(श्री दामोदरलाल व्यास)
रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कहां कहां उसकी तलाश की अगर आप चाहेंगे तो उसकी जानकारी लेकर मैं आपको बता दूंगा और पुलिस की तरफ से गफलत इस बात की हुई होगी तो जिन लोगों से जानकारी करना चाहिए थी उनसे अगर नहीं की है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उस थानेदार का कचूमर निकाल दिया जाना चाहिए, पुलिस का कचूमर निकाल दिया जाना चाहिए...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री लालूराम सुलानियां: ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री लालूराम सुलानियां :×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करिये । ऑर्डर प्लीज ।

श्री लालूराम सुलानियां : ×××

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य । एक्सपन्ज किया जाय इस सारे को । मेरी समझ में नहीं आता है कि बारबार कहने पर भी आप बोलते चले जा रहे हैं । स्थान ग्रहण करिये ।

श्री देवेन्द्र कुमार (गोगुन्दा–सु०) : क्या पुलिस की जानकारी में यह है कि उस समय वहां पर ओवरसियर और बी० डी० ओ० मौजूद थे क्या ?

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : बलि जो की गई है और जिस जगह पर की गई है वह तालाब की नींव नहीं है उससे फासले पर की गई है .....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री जयनारायण सालोदिया : यह गलत है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस तरह से 10-10 आदमी एक साथ पूछेंगे तो मेरे लिए सुन सकना मुश्किल हो जायगा । एक एक पूछेंगे तो जवाब मिल सकेगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस दिन यह काम हुआ उस दिन सरकार के अधिकारी, बी० डी० ओ०, विलेज लेवल वर्कर, पंचायत समिति के प्रधान, पटवारी , नेता, एम० एल० ए० वहां पर मौजूद थे पुलिस की तफतीश से क्या पता लगेगा !

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग से प्रश्न है ।

कई माननीय सदस्य : अलग से प्रश्न नहीं है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो सदन उसको बरदाश्त नहीं करेगा...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करिये । मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं एक जानकारी चाहता हूं, श्रीमान् मंत्री महोदय एक जानकारी दे दें । आखिर में मंत्री जी ने....

श्री अध्यक्ष : मैंने प्रश्न को स्थगित किया है। आर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : मंत्री महोदय से जानकारी लेना चाहते हैं। वह जानकारी क्यों नहीं देते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से एक जानकारी करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : स्थगित कर दिया है प्रश्न।

(शोरगुल)

आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि 27 मई को जो यह रिपोर्ट हुई है उसके बाद जो इन्वेस्टीगेशन हुई है इसकी सारी फाइल है, उस फाइल को तुरन्त जब्त किया जाय, स्पेशल मैसेंजर भिजवा कर उसको मंगवा कर उस फाइल को आप अपने कब्जे मे लें। जो 27 मई को रिपोर्ट हुई है उस 27 मई से 3 जुलाई तक गुमशुदगी के सिलसिले में क्या कार्यवाही की है उससे साबित होगा कि पुलिस कितनी विजिलेन्ट थी। मेरा निवेदन है कि उस फाइल को मंगवा कर आप जब्त करें और अपनी तहवील में लें।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है कि जो नरबलि की गई है वह की गई है तालाब के लिए और तालाब का शिलान्यास किया गया है, उस समय स्वस्तिक बनाया गया है तो उसकी पूजा किसने की है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न को स्थगित कर दिया है। अब प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री फतेहसिंह : इसका उत्तर कब मिलेगा। इस प्रश्न को स्थगित करना ही इसका इलाज नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री महोदय ने कहा कि पंचायत समिति के अधिकारी स्पोट पर नहीं थे तो यह बतायें कि पंचायत समिति के अधिकारी कौन थे और वह कहां पर थे ? पंचायत समिति के अधिकारी इस काम के लिए अपनी रिपोर्ट दर्ज करके रजिस्टर में, लाग बुक में वहां गये थे, वह चाहे वहां से दस गज की दूरी पर थे या तीस गज की दूरी पर थे। शिलान्यास होने के वक्त वह उसके पास में थे तो यह बात की जानकारी नहीं हो सकी कि शिलान्यास के वक्त नरबलि हुई है ? यह बतायें।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं बतायेंगे। मैंने स्थगित किया है इस प्रश्न को।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक सवाल का उत्तर दिलवा दें...

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न नहीं होंगे। कोई प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। मैंने इसे स्थगित कर दिया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस प्रश्न को कब लिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्न यह पैदा होता है कि कब ले लिया जाय....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : परसों ले लीजिये।

श्री नत्थीसिंह : कल ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मैं सत्र के समाप्त होने के पूर्व इसको लेने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री नत्थीसिंह : कल के लिए तय किया जाय ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक एक करके बोलें तो कुछ समझ में आये ।

श्री नत्थीसिंह : कल लिया जाना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री अध्यक्ष : कल इस प्रश्न को लेने के लिए कहा है तो कल तो आपका नुकसान होगा । आपके कई प्रश्न हैं ।

श्री नत्थीसिंह : इसमें हमारे नुकसान की आप चिन्ता न करें ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! 16 तारीख को मैं नियत करता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : 16 को नहीं लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे पूछ कर और बिजनेस को देख कर तय कर दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 14 तारीख को ले लें ।

श्री अध्यक्ष : आपकी सुविधा को देख लिया है, उसके अनुसार मेरी सुविधा है या नहीं यह बिजनेस देख कर कह सकूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमारी सुविधा आपकी सुविधा है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, फाइल के सम्बन्ध में जो निवेदन किया था उसका क्या हुआ । जो गुमशुदगी की बात है उसमें वाकई इन्वेस्टीगेशन हुई या नहीं–इसकी जांच करने के लिए गृह मंत्री जी उस फाइल को आपके पास रखने के लिए तैयार हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसी ?

श्री भैरोंसिंह : सरकारी इन्वेस्टीगेशन की फाइल ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गुमशुदगी की फाइल ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं राजी हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केस डायरी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां । डायरी रख दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री बालसिंह सोढा !

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रकार की घटना है जिसके लिए राजस्थान को कलंकित होना पड़ेगा । मैं नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि इस व्यक्ति के प्रति इस हाउस के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की जाय और उसके परिवार के पोषण की जिम्मेदारी इस सरकार की हो और जिन कातिलों ने इस प्रकार का काम किया उनकी निन्दा की जाय ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! श्री बालसिंह सोढा !

श्री भैरोंसिंह : इसमें क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर अभी मैं कुछ नहीं कह सकता । आपने कहा कि

(श्री अध्यक्ष)
श्रद्धांजलि अर्पित कर दी जाय और मैं इसको स्वीकार कर लूं–यह मैं बाद में विचार करूंगा कि आपका जो सुझाव है वह कहां तक ठीक है और उसके बाद में मैं आपसे बात कर लूंगा, कुछ माननीय सदस्यों से बात कर लूंगा।

श्री फतेहसिंह : श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए गृह मंत्री जी तैयार है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री फतेहसिंह : इसमें आर्डर का सवाल नहीं है.....

श्री अध्यक्ष : इसे स्थगित कर दिया गया है। श्री बाल सिंह सोढ़ा !

प्रश्न संख्या 360

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रश्न को फोरगो करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

विद्युत् मण्डल की बकाया

361. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत् मण्डल की बकाया रकम दिनांक 31-3-68 को कितनी थी ? इसमें से विभिन्न उद्योगों में बकाया का विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन उद्योगों में यह बकाया निकलती है क्या उनको बिजली बदस्तूर दी जा रही है ?

(3) इस कुल बकाया में से कितनी रकम की इस संबंध में वसूली की कार्यवाही अदालतों में चल रही है ?

(4) 31 मार्च, 1968 तक विद्युत् मण्डल को कुल कितना घाटा रहा ?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (1) (अ) अनुमानतः 2.17 करोड़ रु०।

(ब) वर्गीकृत उपभोक्ताओं की सर्किल वाइज सूचना संलग्न है जो आपको दे दी गई है। जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) परिस्थिति पर निर्भर है।

(3) अनुमानतः 25 पर्सेन्ट किसी न किसी रूप में अदालतों में विचाराधीन है।

(4) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की स्थापना से 31-3-68 तक 974.48 लाख रु० का शुद्ध घाटा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल की अब तक की बकाया राशि है वह है 2,17,47,234। इस धन-राशि को वसूल करने की दृष्टि से विद्युत् मण्डल या राज्य सरकार ने केवल 25 पर्सेन्ट मामलों में अदालती कार्यवाही क्यों की ? और सारी बकाया को वसूल करने के लिये क्यों कदम नहीं उठाया है ?

श्री खेतसिंह : जो लिस्ट है उसमें आपने देखा होगा कि इसमें रूरल है, रेल्वे है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, म्यूनिसिपैलिटी आदि है। इनके अन्दर भी एक करोड़ से अधिक धन-राशि बकाया है। इन सारे विभागों से विद्युत् मण्डल बातचीत कर रहा है, किसी के लिए

(श्री खेतसिंह)
कमेटी बनी हुई है, किसी में हाई लेवल पर बात हो रही है, रेल्वे के सिलसिले में भारत सरकार से बातचीत कर रहे हैं। यह बहुत सारे मामले तय होने पर वसूली की जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूलर्स की तरफ कितना बकाया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 8 लाख 50 हजार।

श्री खेतसिंह : 8 लाख 50 हजार !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनको जो जानकारी देनी थी वह मैंने दे दी। उनको बता दिया 8 लाख 50 हजार !

श्री खेतसिंह : वह पूछ रहे थे इसलिये मैंने बता दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप देर लगायेंगे सोचने म।

मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइवेट कन्ज्यूमर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट्स में जो विद्युत मण्डल की 1 करोड़ 37 हजार की बकाया है, लगभग 1 करोड़ की उस बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार या विद्युत मण्डल ने क्या कदम उठाया है ?

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट पार्टीज और इंड्स्ट्रियल कन्सर्न्स में बकाया है उसके सिलसिले में कई पार्टीज स्टे आर्डर्स हाई कोर्ट से ले आई हैं, कई डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज और मुन्सिफ कोर्ट से स्टे आर्डर्स प्राप्त कर लिए। कई प्राइवेट पार्टीज से बातचीत और परामर्श हो रहा है। वह कहते हैं कि इतना बकाया है और विद्युत् मण्डल कहता है कि ज्यादा बकाया है। इस कारण से यह सारा मामला उलझा हुआ है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जो रूलर्स में बकाया है 8 लाख.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाई कोर्ट से जितने मामलों में स्टे हो गया है उनको छोड़ कर इंडस्ट्रियलिस्ट्स में जितना बकाया है, उनके बारे में क्या विद्युत् मण्डल यह फैसला करने को तैयार है कि जब तक इंडस्ट्रियलिस्ट्स या फैक्ट्री के मालिक, या पूंजीपति और यह सारे लोग बकाया का भुगतान नहीं करेंगे तब तक उनको बिजली नहीं दी जायगी और उनके कनेक्शन डिस्कनेक्ट किये जायेंगे।

श्री खेतसिंह : प्रश्नकर्त्ता स्वयं वकील हैं, वह जानते हैं कि हाई कोर्ट से स्टे हासिल..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका नहीं कह रहा हूं, इसके अलावा।

श्री खेतसिंह : हो जाता है उसके बाद...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं वकील हूं और आप भी पुराने हैं, भले ही भूल गये हों। मैं पूछना चाहता हूं कि हाई कोर्ट से जिनमें स्टे हो गया है उनको छोड़ कर एक करोड़ से कम जिनमें बाकी है, साठ, सत्तर या अस्सी लाख उसकी वसूली के लिये सरकार या विद्युत मण्डल ने उन इंडस्ट्रियलिस्ट और उद्योगपतियों के कनेक्शन क्यों नहीं काटे और उनको बिजली बदस्तूर क्यों दी जा रही है ?

श्री खेतसिंह : मैं प्रश्नकर्त्ता की जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो एक करोड़ रुपया बाकी बतलाते हैं इसमें हाई कोर्ट के सम्मुख पेंडिंग मामलों का अमाउन्ट भी है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितना है ?

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह ऐसे केसेज हैं जो हाई कोर्ट में नहीं गये उनके बारे में पार्टीज और विद्युत् मण्डल में इस बात का फर्क है कि वह कहते हैं कि आपका हममें सिर्फ 13 हजार बाकी है और हम कहते हैं कि 36 हजार बाकी है। इस परामर्श के दरम्यान उनका कनेक्शन काटने से विद्युत् मण्डल का नुकसान होता है और उनका भी नुकसान होता है, और राजस्थान का भी नुकसान होता है।

(12 मध्यान्ह)

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन लोगों में यह रकम बकाया है, क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने उनको डिफाल्टर माना है ?

श्री खेतसिंह : मैंने निवेदन किया कि हाई कोर्ट से जिन्होंने स्टे प्राप्त किया है, उनको डिफाल्टर नहीं माना है।

श्री भैरोंसिंह : सीधा जवाब दें कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने उनको डिफाल्टर माना है या नहीं ?

श्री खेतसिंह : डिफाल्टर मानने का प्रश्न तब तक नहीं आता जब तक कि नेगोशियशन्स चलते रहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इलेक्ट्रिसिटी कानून के अन्तर्गत जिन लोगों में बकाया है उनको डिफाल्टर्स माना गया है?

श्री खेतसिंह : जब तक नेगोशियेशन्स चलें तब तक उनको डिफाल्टर नहीं माना जाता। नेगोशियेशन्स की बातचीत बन्द हो जाय तब उनको डिफाल्टर माना जाता है और डिफाल्टर मानने के बाद उनके कनेक्शन्स काट जाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में नेगोशियेशन्स का कोई प्रावधान नहीं है, जिसमें रकम बकाया है, वह एक बार रकम जमा करा दें और उसके बाद में यदि किसी प्रकार का झगड़ा हो तो उसका क्लेम करे, क्या एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है ?

श्री अध्यक्ष : कानून का प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : कानून का प्रश्न नहीं है अध्यक्ष महोदय, जो गरीब कन्ज्यूमर्स हैं उनके कनेक्शन्स काटे जा रहे हैं और जो बड़े बड़े सेठ हैं उनमें बड़ी बड़ी रकम बकाया है तो भी नेगोशियेशन्स का नाम ले कर बचाया जा रहा है इस प्रकार का एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: That is a question of legal opinion.

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रजातन्त्र का युग है, हर आदमी को अपना हिसाब समझने का अधिकार है। उनके हिसाब को नहीं समझें और कनेक्शन काट दें तो विरोधी दल वाले कहते हैं कि उनको मौका नहीं दिया और कनेक्शन्स काट दिये। और अब इस तरह का प्रश्न उठाते हैं कि उनके कनेक्शन्स क्यों नहीं काटे।

श्री भैरोंसिंह : इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस प्रकार का डिसिजन ले रखा है कि जिसमें रकम बकाया है वह डिफाल्टर माना जाय, अगर उस रकम के बाबत किसी प्रकार का डिस्प्यूट है तो पहले रकम जमा कराये

(श्री भैरोंसिह)
और बाद में डिस्प्यूट का फैसला करायें। क्या यह सही है कि इस प्रकार की सूचना गत विधान सभा में दी गई थी ?

श्री खेतसिंह : यह सही है।

श्री भैरोंसिंह : यह सही है तो क्यों नहीं कनेक्शन्स काटे ?

श्री खेतसिंह : यह सही है, डिस्प्यूटेड मामला है तो उनको कहते हैं कि इन प्रोटेस्ट रकम जमा करानी पड़ेगी। जिनमें ज्यादा रकम बकाया है, उनसे हम जल्दी से जल्दी फैसला करा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि राजा लोगों में 8 लाख से ऊपर बकाया है, क्या आप की उनसे मन्त्रणा चल रही है, यदि नेगोशियेन्स, मंत्रणा नहीं चल रही है तो क्यों नहीं उनके कनेक्शन्स काट रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनसे मन्त्रणा चल रही है उनके लिये ही जवाब दिया है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सेटिस्फाई हो जाता है कि इतनी इतनी रकम इन इनमें बकाया है तो उनके कनेक्शन्स काटने की कार्यवाही वह कर रहा है। इस तरह के केसेज में जिनके खिलाफ कनेक्शन्स काटने की कार्यवाही नहीं हो रही है, मैं उन मामलों को देखूंगा और निश्चित तौर पर वे अगर डिफाल्टर्स हैं तो उनके कनेक्शन्स काटने की कार्यवाही की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब बिलकुल नहीं आया....

श्री दौलतराम सारण : कई नगरपालिकाओं के कनेक्शन्स काट दिये क्या यह सही है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया, मेरा प्रश्न यह था कि राजाओं में 8 लाख से अधिक रुपया बकाया है, उसके सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या वे आपसे मंत्रणा कर रहे हैं, या क्या उन्होंने स्टे आर्डर प्राप्त किया है ? अगर किसी प्रकार की उनकी मंत्रणा आपके साथ नहीं हो रही है और उन्होंने स्टे आर्डर प्राप्त किया है तो क्यों नहीं उनके कनेक्शन्स काटे जा रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : यह प्रश्न पोलिटिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। जिस समय रियासतें मर्ज हुईं राजाओं के साथ कोवोनेन्ट हुए, इसके साथ ही व्हाइट पेपर में क्या क्या इनके साथ एग्रीमेंट थे, क्या क्या सहूलियतें उनके अनुसार उनको मिलनी चाहियें, कितने वर्षों तक उनको बिजली और पानी मुफ्त दिया जायगा, राजाओं के परिवार के कितने मेम्बर्स को मुफ्त बिजली पानी दिया जायगा, यह सब पोलिटिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है व राजाओं, महाराजाओं में 8 लाख 50 हजार बकाया जरूर है, पर यह सारा मामला पोलिटिकल डिपार्टमेंट ही तय करेगा, जब इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर पोलिटिकल डिपार्टमेंट द्वारा निर्णय लिया जाकर हमें सूचित किया जायगा, यदि वसूली के लिये कहा जायगा तो वसूली की जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस सदन में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी उसके बावजूद भी कैसे यह रकम वसूल नहीं हो रही

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हैं। पोलिटिकल डिपार्टमेंट की बात आपने कही, उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य सरकार ने सदन में घोषणा कर दी कि राजाओं महाराजाओं को कोई मुफ्त पानी, बिजली नहीं दिया जायगा, तो उनसे बकाया क्यों नहीं वसूल की जा रही है ?

श्री खेतसिंह : यह फैसला करने के पूर्व की बात है। जबसे यह घोषणा हुई है तबसे बराबर राजाओं, महाराजाओं से सबसे वसूल किया जा रहा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि राजाओं से वसूली के स्टे के बाद वसूल नहीं किया है.....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। उनसे सम्बन्धित नहीं हैं माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजाओं में 8 लाख 50 हजार बकाया है.........

श्री अध्यक्ष : यह इनसे सम्बन्धित नहीं है, बिजली विभाग का है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मंत्री महोदय ने बताया कि साढ़े आठ लाख रुपया बकाया है तो क्या साढ़े आठ लाख रुपयों की राजाओं से वसूली की कोई कार्यवाही विद्युत् बोर्ड की तरफ से की गई है और पोलिटिकल विभाग ने उस वसूली को रोक दिया है ?

श्री खेतसिंह : जी हां यह सही है। विद्युत् बोर्ड ने इतना रुपया राजाओं में बकाया है, ऐसा निकाल दिया। पोलिटिकल डिपार्टमेंट में उन्होंने कार्यवाही की और पोलिटिकल डिपार्टमेंट ने स्टे किया और कहा कि सारी टर्म्स को देखने के बाद इसमें निर्णय लिया जायगा।

श्री नत्थीसिंह : मंत्रि मण्डल की घोषणा के बाद पोलिटिकल डिपार्टमेंट को क्या विद्युत विभाग ने लिखा है कि यहां यह घोषणा की गई है ?

श्री खेतसिंह : जब से यहां यह घोषणा की गई सारे राजाओं महाराजाओं से बिजली और पानी का पैसा लिया जायगा, उसके बाद से सारे राजाओं महाराजाओं से सारा पैसा लिया जा रहा है। यह जो बकाया है, वह इस घोषणा से पूर्व की है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजाओं, महाराजाओं के सम्बन्ध में पोलिटिकल डिपार्टमेंट से राय ली जा रही है और सेठों के बारे में आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी से यह पूछा जा रहा है कि किस किस सेठ से चन्दा लिया, किस किस से वसूली नहीं की जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है, 31-3-68 तक 9 करोड़ 74 लाख का घाटा राजस्थान विद्युत मण्डल को हुआ है। लोगों में 2 करोड़ 17 लाख की बकाया है, उस बकाया के सिलसिले में राजस्थान सरकार कितनी उदासीन है, कितनी सक्रिय है, वह सब स्थिति सदन के सामने स्पष्ट है। पर 9 करोड़ 74 लाख के घाटे की भूमिका में क्या राजस्थान सरकार, जिन उद्योगपतियों को रियायती दर से बिजली दी जा रही है, उनकी उस रियायत को समाप्त कर के समान दर से बिजली देने का प्रयत्न करेगी ?

श्री खेतसिंह : 9 करोड़ 74 लाख तो डेप्रिशियेशन चार्जेज बगेरा सब मिलाकर है..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने लिखा है 9 करोड़ 74 लाख का शुद्ध घाटा रहा, 9 करोड़ 74 लाख 48 हजार का शुद्ध घाटा रहा, अशुद्ध घाटा तो कितना है, आप ही जानें।

श्री खेतसिंह : कोई भी नया काम शुरु किया जाता है तो उस पर काफी एक्स्पेन्डीचर आता है, काफी पैसा लगाना पड़ता है। दूसरे प्रान्तो में इस तरह के काम पर बहुत थोडा खर्चा आता है, हमारे यहां यह एक्स्पेन्डीचर ज्यादा आता है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : विभाग चेंज करने में कितना घाटा हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जिन उद्योगों को रियायती दर पर बिजली दी जा रही है उनमें से बहुत से उद्योग अच्छे मुनाफे में चल रहे हैं, तो जो उद्योग मुनाफे में चल रहे हैं, जम चुके हैं, काफी पैसा कमा रहे हैं, उनको भी रियायती दर पर बिजली दी जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या मंत्री महोदय इस प्रकार का आश्वासन दे सकते हैं, कि जब तक बड़े उद्योगपतियों का झगड़ा समाप्त नहीं हो जाता तब तक घरेलू काम के लिये दी जाने वाली बिजली के कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष: आर्डर, स्थगित प्रश्न !

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या 362 को ले लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है। पहले इसे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सब स्थगित कर दिये।

श्री भैरोंसिंह : यह बड़ा इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: इसको स्थगित करने की प्रार्थना की गई है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले दो साल से यह प्रश्न आ रहा है, और सरकार लगातार इसके उत्तर को टालने की कोशिश कर रही है। जब भी यह प्रश्न सदन में पेश होता है तो स्थगन के लिये सरकार कह देती है। तो अध्यक्ष महोदय, सरकार या तो यह स्पष्ट बता दे कि जिन आदमियों की लिस्ट इस प्रश्न में मांगी गई है, उनकी लिस्ट न तो सरकार जनता को, न हाउस को और न जिन सदस्यों ने पूछा है, उनको बताना चाहती है।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, 16 तारीख को इस सम्बन्ध में एक मोशन है, काल अटेन्शन मोशन है, उस रोज सारी सूचना जो माननीय सदस्य चाहते हैं, वह सारी देदी जायगी।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(29-8-68)

पाकिस्तानी सेना व मुजाहिदों का साथ देने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

86. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर), **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सन् 1965 के भारत-पाक संघर्ष के समय किन किन व्यक्तियों ने पाकिस्तानी सेना व मुजाहिदों का साथ दिया और हमारे क्षेत्र की जनता की लटमार में शामिल हुए ?

(2) इन व्यक्तियों में किन किन के विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) बाड़मेर जिले में 101 व्यक्तियों द्वारा वर्णित अपराध पाया गया। दूसरे जिलों में इस प्रकार की घटनायें होना नहीं पाया गया। 101 व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(2) इन 101 व्यक्तियों के विरुद्ध 9 मुकदमें दर्ज किए गए और 80 व्यक्तियों के खिलाफ 7 मुकदमें चालान किय गये। 3 व्यक्तियों के निस्बत एक केस में अदम वकुए में फाइनल रिपोर्ट लगाई। 18 मफरूर व्यक्तियों के खिलाफ धारा 512 जाब्ता फौजदारी की कार्यवाही की गई।

चालान शुदा 7 मुकदमों में से दो में 10 व्यक्ति सजायाब हुए। एक में 33 व्यक्ति बरी हुए और 4 में 36 आदमी सेशन सुपुर्द किए गए।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : इसके साथ में जो विवरण दिया है, उसमें कितनों को सजा हुई कितनों का चालान हुआ, यह उल्लेख नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : पेज तीन पर आप देखें, मुकद्दमा सेशन्स कोर्ट बालोतरा में चला, सजा हुई।

श्री भैरोंसिंह : कितने मुकद्दमें विथड्रा किये गए?

श्री हीरालाल देवपुरा : विथड्रा का तो आपने प्रश्न ही नहीं पूछा।

प्रश्न संख्या 213

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल

(अनुपस्थित- कृपया आगे देखिये)

श्री लाभचन्द वैद।

स्थगित प्रश्न

(5-9-68)

मनोरंजन क्लब, चूरू

216. **श्री लाभचन्द वैद** (सुजानगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू नगर में मनोरंजन क्लब नाम की एक नाट्य परिषद् की स्थापना सन् 1931 में हुई थी?

(2) क्या मनोरंजन क्लब का उद्देश्य नाटक द्वारा जो आय हो वह आय पब्लिक हित में लगाया जाना था?

(3) क्या यह सही है कि उस क्लब पर सरकारी अफसरों ने नाजायज कब्जा कर लिया है? और क्लब के पुराने आजीवन सदस्यों को हटा कर नई बोडी कायम कर दी व उस क्लब का नाम भी बदल दिया? क्या यह कार्यवाही करने का उनके विधान के अनुसार उनको अधिकार था?

(4) क्या यह सही है कि उस क्लब का सामान भी गायब कर दिया गया है।

(5) क्या यह सही है कि बिहार अकाल सहायता के लिये इस क्लब के पुराने आजीवन सदस्य जो उस क्लब के मंत्री हैं नाटक खेलने के लिए क्लब के स्टेज का उपयोग करना चाहा था? अगर हां तो उनको स्टेज क्यों नहीं दिया गया?

उप-मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(2) राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(3) जी नहीं। मनोरंजन क्लब और डिस्ट्रिक्ट क्लब चूरू को मिलाकर एक

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

नई संस्था डिस्ट्रिक्ट मनोरंजन क्लब 12-13 साल पहले दोनों पक्षों के अधिकृत व्यक्तियों की सहमति से बनी थी।

(4) कोई सामान गायब नहीं किया गया।

(5) सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

श्री लाभचन्द वद : इस क्लब का अध्यक्ष कौन है ? मुझे जो सूचना मिली है, इसका अध्यक्ष जिलाधीश है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिलाधीश हैं।

श्री लाभचन्द वैद : क्या यह सही है कि इसका अध्यक्ष क्लेक्टर है ?

श्री अध्यक्ष : हां है।

श्री लाभचन्द वैद : जिला मनोरंजन क्लब की ओर से कौन से व्यक्ति अधिकृत थे ? क्या कोई जनता की मीटिंग हुई थी, अगर हां, कब हुई थी, किस स्थान पर हुई और इसके द्वारा क्या निर्णय लिया गया। क्या उस क्लब में जुआ खेलना वाजिब था ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सार्वजनिक क्लब नहीं है। अधिकारियों ने मिलकर वहां क्लब चलाई, मुझे अधिक जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्लब रजिस्टर्ड है या अन रजिस्टर्ड है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह भी जानकारी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिना रजिस्टर्ड हुए ऐसी संस्था कायम नहीं हो सकती।

श्री लाभचन्द वैद : क्या क्या सामान था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 74।

श्री लाभचन्द वैद : मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को इस क्लब के संबंध में शिकायत मिली है, कि सरकारी अधिकारी यहां जुआ खेलते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं। कोई शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के पास इस संबंध में शिकायत आई है कि सरकारी अधिकारियों ने इस क्लब के माध्यम से सार्वजनिक क्लब पर अपना अधिकार कर लिया और इसकी संपत्ति को भी अपने कब्जे में कर लिया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं।

श्री लाभचन्द वैद : यह तो पूछा ही था। जो सामान गायब है वह इस समय किसके अधिकार में है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : सामान गायब ही नहीं हुआ।

श्री लाभचन्द वैद : किसके अधिकार में है, कहां है ?

श्री अध्यक्ष : पता नहीं। प्रश्न संख्या 74।

श्री लाभचन्द वैद : थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उस क्लब के अंदर मन्दिर है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : है।

श्री लाभचन्द वैद : क्या उसकी पूजा होती है ?

श्री अध्यक्ष : पता नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें आपत्ति केवल यह है कि क्लब 1931 में बना। सार्वजनिक कामों में आता था। मंदिर की पूजा होती थी, नाटक होता था। मेरे पास शिकायत आई और दूसरों के पास भी आई कि क्लब के सामान पर जिलाधीश चूरू और सरकारी अधिकारियों ने मिलकर कब्जा कर लिया, सामान गायब कर दिया। सरकार जानकारी करे और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करे।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : धार्मिक स्थान पर जुआ हो...

श्री लाभचन्द वैद : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय लाभचन्द।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंदिर पर अधिकारी कब्जा कर लें...

श्री अध्यक्ष : आप मुझे आगे नहीं बढ़ने देते। स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : धार्मिक स्थान है, मंदिर है और जहां पूजा होती हो...

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने कह दिया कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। इतना लाइटली इस मैटर को लिया है। चूरू के अंदर साढ़े आठ बजे इस संबंध में मीटिंग्स हुई, पोस्टर्स लगाए, पैम्फलेट्स बांटे हैं सरकार की नादिरशाही के खिलाफ, जुलूस निकले, उसके बाद भी पता नहीं सरकार को कि जनता की शिकायत आई या नहीं। मैं समझता हूं, यह संगीन चीज है। यहां पोस्टर में लिखा है :

"अघर्राहि अन्त न होही निबाहू
कालनेमी जिमी रावण राहू"।

ऑफिसरों व स्वार्थी तत्वों की लाल फीताशाही बेनकाब: जनता का धन हजम न हो सकेगा।

दिनांक 20 अप्रेल मनोरंजन क्लब बचाओ दिवस।

रात्रि में 8।। बजे घंटाघर पर आम सभा

तानाशाही सावधान, जाग उठा है वीर जवान।

मनोरंजन क्लब चूरू को ऑफिसरों व स्वार्थी तत्वों के पंजे से निकलवाने के लिये जनता पूरा सहयोग दें...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त हो गया, सारा संकेत मिल गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई फिर भी इस बात की जानकारी कर लेंगे...

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री लाभचन्द वैद : अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : जवाब तो देन दें। उत्तर आ रहा है। स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सरकार जांच कर लेगी। इस क्लब की बिल्डिंग और सम्पत्ति के बारे

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

में चूरू की सिविल जजी में मुकदमा चल रहा है और उस मुकदमें के अन्दर कलेक्टर को पार्टी नहीं बनाया गया है, क्लब के सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया है, जो भी जानकारी होगी मैं सदन को दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जहां भगवान की पूजा होती हो, धार्मिक स्थान हो, वहां जुआ हो, तो मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि जिलाधीश चूरू की नादिरशाही...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जनता की तरफ से तार, पत्र या रजिस्टर्ड लेटर मुख्य मंत्री और राजस्व मंत्री और चीफ सेक्रेटरी के नाम आए हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुख्य मंत्री को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय कितनी असत्य बात कहते हैं। पेम्फलेट में लिखा है इसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट मनोरंजन क्लब, चूरू (जिलाधीश) को भेजी गई"। सरकार कहती है कि सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री के पास शिकायत नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह : वह तो जिलाधीश के लिए भी इंकार कर रहे हैं।

श्री लाभचन्द वैद : प्रश्न के भाग (2) के जवाब में लिखा है कि सरकार को पता नहीं। जिसका अध्यक्ष कलक्टर हो, सार्वजनिक उपयोग के लिये है या नहीं, कलेक्टर कैसे कह सकता है कि मुझे पता नहीं जिसका वह अध्यक्ष हो ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह।

स्थगित प्रश्न
(21-8-68)

मंत्रियों के दौरे पर व्यय

74. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 अप्रेल, 1968 से अब तक भरतपुर जिले में मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप-मंत्रियों एवं संसद सचिवों के कितने दौरे कब कब, कहां कहां, और किस किस प्रयोजन से हुए? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त दौरों पर कितना कितना व्यय राज्य सरकार का हुआ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उपरोक्त दौरों में से कितने दौरे केवल पंचायत समिति कुम्हेर व नगर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के लिये किये गये और पंचायत समिति कुम्हेर व नगर को उपरोक्त आयजनों पर कितना कितना व्यय करना पड़ा।

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची में अंकित है।

(3) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची-विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नत्थीसिंह : माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 120 दिनों में से भरतपुर में 73 दिन मंत्री महोदय का दौरा हुआ, तो उन के साथ उन 73 दिनों में कौन कौन अधिकारी रहे और उन पर क्या क्या खर्चा हुआ यह भी बतायें ?

श्री प्रद्युम्नसिंह: यह अलग से प्रश्न है ।

श्री नत्थीसिंह : अलग से कैसे है ? इसी में भी है ।

श्री अध्यक्ष : इसका उतर नहीं है । दूसरा प्रश्न ।

श्री नत्थीसिंह : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि 73 दिनों में मंत्रीगण भरतपुर के दौरे पर रहे उनमें जिलाधीश, एस० डी० ओ०, पुलिस के अधिकारी तहसीलदारान मंत्रियों के साथ रहे उसके कारण राजकाज में बाधा नहीं रही ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आयी है । कोई बाधा नहीं पहुंची है । मैं भी उसी जिले से आता हूं । जब मैं वहां जाता हूं तो न मेरे साथ जिलाधीश रहते हैं, न पुलिस के अधिकारी रहते हैं और न कोई रहता है, मैं अकेला ही वहां घूमता हूं । जनता की शिकायतें सुनता हूं ।

श्री नत्थीसिंह : 73 दिन की जानकारी नहीं है । आप भी वहां बहुत रहे हैं । 31 दिन दौरा किया है । आपने कहा है कि जनता की शिकायत साक्षात सुनने के लिये दौरा किया तो किन किन की शिकायतें सुनी और क्या समाधान किया ?

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है । इसमें वह नहीं आता है ।

श्री रामकिशन (वैर) : उन्होंने खुद ने कहा है ।

श्री अध्यक्ष : उत्तर देने की स्थिति में नहीं है मंत्री महोदय ।

श्री रामकिशन : मंत्री लोग जाते है तो जांय लेकिन सरकारी अधिकारियों के उनके साथ रहने के कारण तारीखें आगे बढती हैं जिससे भरतपुर में इतना नुकसान हुआ है कि जिसका अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । जनता की तकलीफें सुनी हैं तो क्या क्या सुनी है थोड़ी जानकारी तो मिले ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मुझे जनता की जो कुछ भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनको सम्बन्धित विभाग को भेजा है और भरसक प्रयत्न किया है कि उनको दूर किया जाय ।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि कुम्हेर पंचायत समिति के दौरे पर कोई मंत्रीगण गये और नगर को भी चुन लिया है दो आपने छांट लिये हैं रामप्रसादजी लडढा गये किसान सम्मेलन आयोजित करने के लिये, उप-राजस्व मंत्रीजी भी वहां गये । क्या यह सही है कि जब वहां पर गये तो केटल ब्रीडिंग फार्म है उसकी जमीन में से लेकर प्रधान के नाम से रखी गयी उसका उद्घाटन किया जब कि केटल ब्रीडिंग फार्म में से वह जमीन अलॉट नहीं की गई थी ।

श्री अध्यक्ष : अलग से ?

श्री नत्थीसिंह : हमारी तकलीफ यह है और इसी के लिये सवाल है । मंत्रियों की संख्या इतनी बढ गयी है कि इनके पास कोई काम तो है नहीं रोज ये लोग दौरे करते हैं । ओफिसर्स परेशान हैं और जनता को बड़ी

(श्री नत्थीसिंह)

तकलीफ होती है। केटल ब्रीडिंग फार्म है तो उसका वे उद्घाटन करें। उप-मंत्रीजी जाकर उसका उद्घाटन कर आये और कलेक्टर ने जब कहा तो कहा गया कि आप अलॉट कर दीजिये जमीन, ऐसे काम ये लोग करते हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रामकिशन : माननीय भूतपूर्व शिक्षा मंत्रीजी के यह नोटिस में है कि टीचर्स से चन्दा होता है जब मंत्री जाते हैं, और भोजन कराने के लिये यह उनको करना पड़ता है।

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : नहीं।

श्री रामकिशन : शिव चरणजी से पूछ लीजिये।

श्री नत्थीसिंह : जब जब गये हैं दाल बाटी चूरमें और खीर के सिवाय और कोई भोजन हुआ है क्या?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री जयनारायण सालोदिया!

स्थगित प्रश्न (30-8-68 व 9-9-68)

अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड

114. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टोंक जिले में शिक्षा निरीक्षक ने शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहे अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड दिनांक 1-1-60 को और दिनांक 1-7-60 को दे दी जो ट्रेन्ड मैट्रिक थे? यदि हां तो फिर पंचायत समितियों के अधीन ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों को क्यों नहीं दी गई?

(2) क्या यह सच है कि उप-निदेशक, शिक्षा, बीकानेर ने पंचायत समितियों से ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों की लिस्टें 1-9-59 से पूर्व मांगी थीं जो पंचायत समितियों ने भेज दी फिर भी आज तक कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सच है कि वाजिब ग्रेड नहीं दिये जाने से पंचायत समिति के अध्यापकों को हर माह 15 रु० का नुकसान होता है? यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों को भी शिक्षा विभाग के अध्यापकों की भांति दिनांक 1-1-60 से ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री धीरसिंह) : (1) जी हां। पंचायत समितियों के अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(2) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(3) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग के अध्यापकों को 60 से ही ट्रेन्ड मैट्रिक की ग्रेड दे दी गई थी?

श्री धीरसिंह : शिक्षा विभाग के अध्यापकों को दे दी गई थी।

श्री जयनारायण सालोदिया : कब दे दी गयी?

श्री धीरसिंह : जैसा उत्तर में लिखा है कि 1-7-60 से उनको मिल गयी। पंचायत समितियों के 6,553 अध्यापकों का टोटल

(श्री धीरसिंह)
आता है। उनको 31-8-61 के पहले मिल जानी चाहिये थी वह नहीं मिल सकी है। क्योंकि फाइनेन्स ने यह ओब्जेक्शन लगाया कि गवर्नमेंट के अध्यापकों को दी गई है और पंचायत समितियों के अध्यापकों के लिये यह नहीं। यह मामला फाइनेन्स और प्लानिंग कमीशन के बीच चल रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया: क्या यह सही है कि गवर्नमेंट ने पंचायत समितियों से ऐसी लिस्ट मांगी थी जिनको यह ग्रेड देनी थी?

श्री धीरसिंह : जी हां। लिस्ट आ गयी थी। डिपार्टमेंट अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं दे पाया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह भी सच है कि पंचायत समितियों के अध्यापकों को ट्रेन्ड मेट्रिक की ग्रेड न देने के कारण जिन अध्यापकों ने बी० ए०, एम० ए० कर लिया है उनको प्रमोशन नहीं मिले हैं?

श्री धीरसिंह: फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स थे। दूसरे आदेश जारी किये थे लेकिन वे पंचायत समितियों के लिये एप्लीकेबल नहीं थे इसलिये उनको ट्रेन्ड मेट्रिक ग्रेड नहीं मिल सकी। 61 के बाद तो रूल्स लागू कर दिये और उन के अनुसार पंचायत समितियों और गवर्नमेंट के दोनों ही अध्यापकों को मिली है। 60 से जो देने का था उसके लिये पंचायत समितियों के अध्यापकों को भी यह दी जाय या नहीं यह फाइनेन्स में एक्जामिन किया जा रहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने फाइनेन्स के लिये नहीं पूछा है। क्या यह सही है कि आपके द्वारा पंचायत समितियों के अध्यापकों को ट्रेन्ड मेट्रिक की ग्रेड न देने के कारण उनका सीनियरटी लिस्ट में नाम नहीं है और उनका जो प्रमोशन होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है?

श्री धीरसिंह : उनको पहले फिक्स नहीं किया गया था बाद में सब का कर दिया है। एरीयर का ही सवाल है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : एरीयर का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

स्थगित प्रश्न

(5-9-98)

महिला का कत्ल

213. **श्री शंकरलाल** (कपासन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गांव सेमालिया, तहसील बड़ी सादडी, पुलिस स्टेशन बड़ी सादडी, जिला चित्तौडगढ में एक औरत का मरडर करके एक नाले में इसी वर्ष कुछ माह पूर्व डाल दी गई थी? यदि हां, तो कब मरडर हुआ था और अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि कातिल का पता लग गया है? यदि हां, तो वह कातिल कौन है? और कातिल का पता नहीं लगा है तो किसकी लापरवाही है?

Page No. 35

(श्री शंकरलाल)

(3) क्या मरडर शुदा औरत के कोई जायन्दा लड़का है ? यदि हां, तो वह कौन है और उसकी ओर से क्या कार्यवाही हो रही है ?

उत्तर

(1) यह बात इस संशोधन के साथ सही है कि एक स्त्री की कटी हुई लाश व कपड़े श्री घासी व्यास एवं पुरा मोवाल ग्राम वडवल के खेत में पड़े हुए दिनांक 1-5-68 को पाये गये। इस लाश को देखने से दिनांक 1-5-68 से करीब 7 अथवा 8 दिन पहले मृत्यु होना मालूम होता था। इस विषय में जिला पुलिस द्वारा धारा 174 भा० द० सं० के तहत जांच की जा रही थी किन्तु कार्यवाही संतोषप्रद न होने से यह केश सी० आई० डी० को ट्रांसफर किया गया है व एक केश हस्ब दफा 302 ता० हि० दर्ज होकर तफतीश प्रारम्भ की जा रही है।

(2) कातिलों का पता नहीं चला है। तफतीश अभी जारी है। इस मामले में तुरन्त कार्यवाही न करने व कातिल का पता लगाने में ढिलाई बरतने वाले तफतीश कुनिन्दा को सस्पेन्ड किया गया व सर्किल आफिसर को उदयपुर लाइन में भेजा गया है व विभागीय जांच प्रारम्भ की जा रही है।

(3) इस औरत के कोई जायन्दा लड़का नहीं है अतः उसकी ओर से कार्यवाही होने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डिस्क्रिशनरी फण्ड से वितरित राशि

393. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) डिस्क्रिशनरी फण्ड के नाम से किस किस श्रेणी के मंत्री को कितनी कितनी धनराशि प्रति वर्ष मिलती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस फण्ड के संबंध में राज्य सरकार ने अभी तक कोई नियम नहीं बनाये हैं ? यदि नियम हैं, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस फण्ड के अन्तर्गत वितरित धनराशि का आडिट नहीं होता है ? यदि हां, तो क्यों और किस नियम के तहत ?

(4) किस किस जिले व तहसील के लिए सन् 67 से अब तक उक्त फण्ड में से किस किस मंत्री ने किस किस जिले के किस गांव के किस किस जाति के व्यक्ति को किस किस प्रकार से वितरित की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों को क्रमशः रुपये 15,000 एवं 5,000 रु० प्रति वर्ष डिस्क्रिशनरी फंड के मिलते हैं।

(2) जी नहीं। मुख्य मंत्री एवं अन्य मंत्रियों के सम्बन्ध में बनाई गई दो नियमावलियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखदी हैं।

(3) जी नहीं। महालेखाकार द्वारा आडिट किया जाता है।

(4) उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार सन् 1967 से दिनांक 24-8-68 तक प्रत्येक मंत्री (मुख्य मंत्री सहित) द्वारा उक्त फंड में से दी गई राशि के वितरण की सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बढ़ता हुआ रेगिस्तान

394 **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान का रेगिस्तान पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है?

(2) क्या यह सही है कि रेगिस्तान के बढ़ने की गति आधा मील प्रति वर्ष है?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान का रेगिस्तान हर साल 50 वर्ग मील उपजाऊ भूमि को निगलता चला जा रहा है।

उत्तर

(1) इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

(2) रेगिस्तान के बढ़ने की गति का कोई नाप प्रमाण नहीं मिलता है।

(3) इस प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

एस० डी० एम० चूरू के विरुद्ध शिकायतें

395. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या चूरू एस० डी० एम० के विरुद्ध सैकड़ों हस्ताक्षरों से युक्त राज्य सरकार, मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री को लिखित शिकायतें मिली हैं और इन शिकायतों में अधिकारी पर कर्तव्यहीनता, दुर्व्यवहार, अनैतिक आचरण, नागरिकों को व्यर्थ परेशान करने के आरोप हैं?

(2) ये शिकायतें कब मिलीं? कृपया इनकी एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें।

(3) इन शिकायतों पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की?

(4) नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) नियमों के विरुद्ध नगर की भूमि का कर निर्धारित करने, नगरपालिका के चुनाव के लिये मनमाने ढंग से वार्डों की सीमा निर्धारण करने, जनता के कार्यों में विलम्ब करने व विश्राम गृह में आमोद-प्रमोद में व्यस्त रहने संबंधी एक सामूहिक शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) दिनांक 8-4-68 को। प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) शिकायत पर जांच जिलाधीश, चूरू कर रहे हैं। शिकायतकर्ता बार बार बुलाने पर भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। दिनांक 18-9-68 को अगली तारीख रखी है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की नियुक्तियों के लिए प्रार्थना-पत्र

396. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान नियुक्ति विभाग में एक सचिव का पद है जो अनुसूचित जाति व जन जाति के ऐसे उम्मीदवारों के प्रार्थना-पत्र जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं अलग अलग विभागों को सिफारिश करके भजते हैं? यदि हां, तो गत पांच साल में किस किस विभाग को कितने प्रार्थना-पत्र

(श्री जयनारायण सालोदिया)
भेजे? हर साल की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जितने प्रार्थना-पत्र भेजे उनमें से कितनों को किस किस विभाग द्वारा काम दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उपरोक्त विभाग द्वारा इस प्रकार के आंकड़े भी रखे जाते हैं कि कितने प्रार्थना-पत्र भेजे उनमें से कितनों को काम मिला कितनों को नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्ष में कुल 12,943 प्रार्थना-पत्र संलग्न तालिका में बताये गये विभागों को भेजे गये। तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2 व 3) जितने प्रार्थना-पत्र जिस जिस विभाग में भेजे जाते हैं उनके आंकड़े इस विभाग मे रखे जाते हैं किन्तु उसमे से कितनों को नौकरी मिली इसके विभागवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। भेजे गये प्रार्थना-पत्रों में से सबको नौकरी मिलना सम्भव नहीं है। नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी कुल रिक्त पदों के केवल 12½ प्रतिशत पदों पर ही नियुक्ति के आदेश जारी कर सकता है, जबकि 12½ प्रतिशत के कोटा वाले पदों के लिये अनुसूचित जाति, जन जाति के व्यक्तियों के कहीं कहीं तो पदों से दस गुने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इस विभाग में उक्त जातियों के लिए निर्धारित आरक्षित कोटा के पदों पर प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष म कितनी कितनी नियुक्तियां की गई इसके आंकड़े रखे जाते है और उसके आधार पर मंत्रिमंडल को प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट भी स्तुत की जाती है। अतः भेजे गये प्रार्थना पत्रों में से मिली नियुक्तियों के विभागवार आंकड़ों को पृथक से रखने का कोई औचित्य नहीं है। गत पांच वर्षों में ऐसे प्रार्थियों में से 693 को नियुक्ति के आदेश दिये गये।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

डूंगरगढ़ तहसील के ग्रामों में बिजली

397. **श्री सहदेव** (आमेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरगढ़ तहसील के ग्राम सूडसर, टेऊ, देराजसर, गोपालसर, शेरुणा में तीन वर्ष पूर्व ही विद्युत लाइन पहुंच चुकी है? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा हुआ है? इस तहसील में अन्य कहां विद्युत दी हुई है? उसका भी खर्चा बतलाया जाय?

(2) इन ग्रामों में कितने लाइट कितने पावर कनेक्शन अब तक दिये गये हैं और कब कब? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखे। कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं?

(3) सहायक अभिशासी अभियन्ता बीकानेर के कार्यालय में निजी कनेक्शनों और पावर कनेक्शनों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र मय 5 रु० फीस और कितने बिना फीस के कब कब प्राप्त हुए? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई व कब कब? नहीं, तो क्यों नहीं?

(श्री सहदेव)

(5) इन ग्रामों में मुख्य लाइन कब खींची गई? एल० टी० लाइन कब खींची गई व ट्रांसफोरमर कब कब लगाये गये?

(6) क्या यह सही है कि विद्युत विभाग का कार्य व्यापारिक स्तर पर होता है? यदि हां, तो क्या इन ग्रामों में विद्युत देने का कार्य व्यापारिक तौर पर हुआ है? नहीं तो क्यों नहीं?

(7) क्या यह सही है कि विद्युत देने की योजना म उपयोग, उपार्जन और लागत तथा रिटर्न में समन्वय के अभाव के कारण विभाग को भारी हानि होती है?

उत्तर

(1) जी हां। टेऊ के अलावा।

टेऊ ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा इस तहसील में गुंसाईसर ग्राम का और विद्युतीकरण दिनांक 31-12-65 को किया गया है। इन ग्रामों में विद्युत लाइन पहुंचाने का खर्च इस प्रकार है:––

1. सूडसर व दूलवासर	इसका विद्युतीकरण सन् 1960 से पहले हुआ है। खर्चा उपलब्ध नहीं है।
2. गोपालसर पर	30,932.00 रुपये
3. देराउसर	19,694.41 रुपये
4. शेरणा	69,945.00 रुपये
5. गुंसाईसर	80,183.00 रुपये

(2) प्रत्येक ग्राम में कितने कितने कनेक्शन कब कब दिए हैं एवं कनेक्शन देने का क्या कारण है, यह सूचना (सूची 'क' में) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सभी प्रार्थना-पत्र 5.00 रु० सहित लिये गये हैं कोई भी प्रार्थना-पत्र बिना 5.00 रु० शुल्क के नहीं लिया गया। प्रार्थना-पत्रों के प्राप्त होने की तारीख का विवरण सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) प्रार्थना-पत्रों पर की गई कार्यवाही का विवरण सूची 'ग' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) इन ग्रामों में मुख्य लाइन खींची जाने व ट्रांसफारमर रखे जाने का विवरण इस प्रकार है:––

1. सूडसर। दूलवासर	सन् 1960 से पहले काम हो गया।
2. देराजसर	2-3-64
3. गोपालसर	1965-66
4. शेरणा	15-12-1965
5. गुंसाईसर	31-12-1965

एल० टी० लाइनों का कार्य इस समय में हुआ:––

1. सूडसर। दूलवासर	सन् 1960 से पहले हो गया।
2. देराजसर	सितम्बर, 1967 और 10-11-66
3. गोपालसर	1965-66
4. शेरणा	जनवरी, 1968
5. गुंसाईसर	31-12-1965

(6) विद्युत विभाग का कार्य व्यापारिक स्तर पर नियमानुसार होता है। जी हां। प्रश्न ही नहीं उठता।

(7) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कर्मचारियों का वर्गीकरण

398. **श्री दुर्गालाल बाढदार** (हवामहल, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विद्युत विभाग में कर्मचारियों का वर्गीकरण हो रहा है ? यदि हां, तो यह वर्गीकरण क्या क्या हैं ।

(2) क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है और क्या प्रत्येक कर्मचारी का इस प्रकार फिक्सेशन करने से पूर्व डाक्टरी मुआयना कराया गया है ?

(3) क्या यह सच है कि इस विभाग में बहुत से कर्मचारियों की आयु बिना जांच गलत दर्ज की हुई है और विभाग कर्मचारियों की सुनवाई नहीं कर रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां । राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, एम्पलाइज सर्विस रेगूलेशन्स 1964 के अनुसार विद्युत मण्डल में वेतन के अनुपात से कर्मचारियों का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया हुआ है :—

1. वे सभी अधिकारी जिनकी वेतन श्रृंखला का न्यूनतम 500) रु० प्रति मास हो या इससे अधिक हो या जिन्हें मण्डल ने विशेष रूप से माना हो प्रथम श्रेणी के अधिकारी होंगे ।

2. वे सभी अधिकारी जिनकी वेतन श्रृंखला का न्यूनतम 200) रु० प्रति माह या 500) रु० से कम हो या जिन्हें विद्युत मण्डल ने विशेष रूप से माना हो, क्लास द्वितीय के अधिकारी होंगे ।

3. ऐसे सभी कर्मचारी जो प्रथम श्रेणी, द्वितीय या चतुर्थ श्रेणी में सम्मिलित न हों तो तृतीय श्रेणी कर्मचारी होंगे ।

4. वे सभी कर्मचारी जो कि संलग्न तालिका में वर्णित हैं और ऐसे ही समकक्ष कर्मचारी और दूसरे कर्मचारी जिन्हें विद्युत् मण्डल, समय समय पर इस श्रेणी में गिने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होंगे ।

(2) जी हां । फिक्सेशन से पूर्व डाक्टरी मुआइने की नियमानुसार आवश्यकता नहीं हैं । अस्तु प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बारां के कारखानों को बिजली

399. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने बारां के कारखानों को बिजली के कनेक्शन देने का निर्णय किया है ?

(2) यदि हां, तो बारां के किस किस कारखाने को कितने कितने पावर का कनेक्शन दिये जाने का निर्णय किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या सरकार ने बारां तहसील क्षेत्र के प्रमुख गांव बटावदा, बमुलिया, कोयला, बायला, फतेहपुर, माथना आदि गांवों में अन्न उत्पादन हेतु बिजली की लाइन ले जाने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो यह बिजली लाइन कब तक चालू हो जायेगी ?

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां 50.0 के० वी० तक के कनेक्शन देने पर अब कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(2) प्राथमिकता को दृष्टि में रखते हुए धन उपलब्धि एवं प्राविधिक साध्यता के अनुसार कनेक्शन दिये जायेंगे। पावर कनेक्शन के जो प्रार्थना-पत्र आये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

ग्राम चांदोली-तेलियावास में मस्जिद का निर्माण

400. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु०): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम चांदोली-तेलियावास, जिला अलवर में एक नई मस्जिद का नर्माण हुआ है? यदि हां, तो क्या इसके निर्माण की स्वीकृति सरकार ने दे दी है?

उत्तर

जी नहीं, ग्राम तेलियावास ग्राम चांदोली के क्षेत्र में नहीं है यह वास ग्राम नांगला सेडू में है जहां हाल में कोई मस्जिद तामीर नहीं हुई है। करीब 2, 3 वर्ष पूर्व एक मस्जिद अवश्य तैयार की गई थी। ग्राम चांदोली रोजियावास में एक कच्ची पुरानी मस्जिद के स्थान पर इस वर्ष पक्की मस्जिद अवश्य बनाई गई है। दोनों मस्जिदों की तामीर संबंधी स्वीकृति सरकार द्वारा नहीं दी गई है।

पौधों के संरक्षण की दवाईयों पर बिक्री-कर

401. **श्री फूलचन्द बाफणा** (सुमेरपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 65-66 (वित्तीय वर्ष) में पौधों के संरक्षण की दवाइयों (पेस्टीसाइड्स) पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान (सबसिडी) दी जाती थी? क्या वह सबसिडी बाद में साढ़े सैंतीस प्रतिशत कर दी गई थी? और मई, 67 से वह सबसिडी कतई बन्द कर दी गई है?

(2) क्या यह सही है कि पहले पौध संरक्षण की दवाइयों (पेस्टीसाइड्स) पर कोई बिक्री कर नहीं था परन्तु अब 7 (सात) प्रतिशत बिक्री कर लगाया गया है?

(3) क्या यह सही है कि सुपरफास्फेट को 25 प्रतिशत सबसिडी सरकार द्वारा दी जाती थी वह ता० 1-4-66 से बन्द कर दी गई है?

(4) क्या यह सही है कि खरीफ फसल के बीज पर 1 प्रतिशत सेल्स टैक्स और रबी फसल के बीज पर 2 प्रतिशत सेल्स टैक्स नये सिरे से लगाया गया है?

(5) यदि उपर्युक्त चारों बातें सही हैं तो क्या इस सब प्रक्रिया से उत्पादन कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, 1-4-67 से पहले कोई बिक्री कर नहीं था। 1-4-67 से 7 प्रतिशत कर लगाया गया था वह इस वर्ष घटाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

(कृषि मन्त्री)

(3) जी हां।

(4) जी हां।

(5) पौध-संरक्षण की दवाओं को किसानों में लोकप्रिय बनाने के लिये पहले 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था जो बाद में कम कर दिया गया और फिर बन्द कर दिया गया। इसी तरह सुपरफास्फेट में भी सबसिडी बन्द कर दी गई। यह सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती थी जो बन्द कर दी गई। इससे उत्पादन में कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि दवाइयों तथा सुपरफास्फेट की मांग बराबर बढ़ रही है।

जैसलमेर जिले में पशुपालन की योजना

402. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने जैसलमेर जिले को पशुपालन जिला घोषित कर पशुपालन के लिये विशेष योजना की राय दी थी ? अगर हां तो आज तक राज्य सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं की, तो भविष्य के लिये सरकार क्या विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि 1967 में पशुपालन पशु चिकित्सालय भवन के लिये 80 हजार रुपये की स्वीकृति राज्य सरकार ने की थी और वह राशि बांसवाड़ा में खर्च की गई ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या बांसवाड़ा, जैसलमेर से पशुपालन के लिये ज्यादा उपयुक्त है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

मुर्गी पालन केन्द्र

403. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में मुर्गी पालन केन्द्र कितने हैं ? उनमें कितनी मुर्गी व मुर्गे हैं ? इनमें सरकारी केन्द्र कितने व प्राइवेट कितने तथा सहकारी समितियों के कितने हैं ? और प्रति वर्ष प्रति केन्द्र पर कितना खर्च होता है और आमदनी कितनी होती है ?

(2) क्या यह सही है कि मुर्गी पालन केन्द्र अधिकतर सरकारी कागजों तक ही सीमित हैं, यदि हां तो क्यों ? यदि नहीं, तो उनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं ? तहसील व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में 6 राजकीय कुक्कुट शालायें है उन पर रखे जाने वाले मुर्गे-मुर्गियों का विवरण संलग्न है। पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 कुक्कुट केन्द्र पंचायत समितियों के अधीन चल रहे हैं, 450 कुक्कुट पालकों का पंजीकरण किया गया है, तथा सहकारी समितियों का एक भी केन्द्र नहीं है। इनका आय-व्यय का विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं, कर्मचारियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

तिलवाड़ा पशु मेला

404. **श्री बिरधीचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में जो तिलवाड़ा पशु मेला लगता है वह भारत का प्रख्यात मेला है ?

(2) उक्त पशु मेले से राज्य सरकार को कितनी आय सालाना होती है ? विवरण गत दस सालों का सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त पशु मेले में राज्य सरकार ने जनता की सुविधा के लिये गत दस सालों में स्वच्छ जल, रोशनी एवं अन्य सुविधाओं के लिये कितना खर्चा किया है ? सालाना विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रबन्ध अपर्याप्त है ?

(5) क्या राज्य सरकार उपरोक्त सुविधाओं को विकसित करने के लिये अधिक राशि का प्रबन्ध करेगी ?

(6) यदि हां, तो वह किस प्रकार व्यय की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) विगत दस सालों की आय का विवरण संलग्न है ।

(3) जी, नहीं ।

(5) सामान्यतया यात्रियों की सुविधार्थ जल एवं रोशनी, इनाम, प्रचार, सफाई तथा मनोरंजनार्थ खेल-कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक पशु मेले में किया जाता है, एवं वे सभी सुविधायें इस मेले में भी प्रदान की जाती है । अत: आर्थिक राशि की व्यवस्था करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(6) प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट देखिये)

उष्ट्र प्रजनन केन्द्र बीकानेर में मोठ चारे का ठेका

405. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा-सु०) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सन् 1965 के नवम्बर माह में बीकानेर के उष्ट्र प्रजनन में कोई मोठ चारे का ठेका दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि ठेकेदार दानाराम के नाम से यह ठेका दिया गया था ? क्या उक्त ठेकेदार ने सरकार को माल सन्तोष रूप से नियमानुसार सप्लाई किया जिसका प्रमाण-पत्र उप-निदेशक, पशुपालन विभाग बीकानेर द्वारा दिया गया ?

(3) क्या यह सही है, कि उप-निदेशक, पशुपालन, बीकानेर और निदेशक, जयपुर का आदेश जारी होने पर भी अभी तक रकम का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? इस राशि का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । फिक्स्ड डिपोजिट रिसीप्ट को खजाने में जमा कराने हेतु चालान दिनांक 20-8-68 को स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, जयपुर सेक्रेटेरियट ब्रांच में भेजी गई है । और वहां से एफ० डी० रिसीप्ट बीकानेर कलेक्शन के लिए भेजी हुई है । बैंक से सूचना प्राप्त होते ही टी० आर० 120 में बिल बनाकर खजाने भेजकर बैंक ड्राफ्ट शीघ्र ही भेज दिया जावेगा ।

भेड़ ऊन पालन प्रशिक्षण केन्द्र

406. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(1) सरकार ने सन् 65-66 एवं 66-67 में भेड़ ऊन पालन प्रशिक्षण केन्द्र में कितने व्यक्तियों को कितने कितने समय की ट्रेनिंग दी ?

(2) क्या यह सही है कि इन प्रशिक्षित व्यक्तियों से सरकार की ओर से कोई बोण्ड लिखवाया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उस बोण्ड की शर्तों के अन्तर्गत उन व्यक्तियों पर किसी प्रकार के बन्धन लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ?

(4) क्या यह सही है कि उन प्रशिक्षित व्यक्तियों में से कई व्यक्तियों को अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भेड़ व ऊन पालन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर पर वर्ष 1965-66 में 113 व्यक्तियों व 1966-67 में 86 व्यक्तियों को छः छः माह की ट्रेनिंग दी गई।

(2) जी हां।

(3) बोण्ड की शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इन प्रशिक्षणार्थियों में से 112 व्यक्तियों को वर्ष 1967-68 की बजट कटौती के कारणवश इन पदों के लिए ट्रेनिंग दी गई उन पदों पर नियुक्त नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

पंचायत समिति बाली की सहकारी समितियों के चुनाव

407. **श्री पृथ्वीसिंह** (बाली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति बाली में कुल कितनी सहकारी समितियां हैं ?

(2) इन समितियों के चुनाव कब कब करवाये गये थे और किस किस समिति की टर्म खत्म हो गई है ?

(3) चुनाव कितने समय में हो जाने चाहियें ?

(4) जिनकी टर्म लम्बे अर्से से खत्म हो गई है उनके चुनाव क्यों नहीं करवाये जाते ?

(सरकार द्वारा स्थगित करने की प्रार्थना की गई)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति रतनगढ़

408. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा-सु.) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रतनगढ़ क्रय-विक्रय सहकारी समिति अवसायन में है ? यदि हाँ, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या इस समिति के किसी पदाधिकारी अथवा मैनेजर पर गबन के आरोप हैं ? यदि हां, तो किस पर और कितने रुपयों के गबन के आरोप हैं ? इस सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि इस समिति में माल की घटौती हजारों रुपयों में बतलाई गई है ? यदि हां, तो कितनी घटौती किस किस वस्तु की बतलाई गई है ?

(4) अवसायन के बाद क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(5) इस समिति के कुल कितने हिस्सेदार थे और कुल कितनी हिस्सा पूंजी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

थी ? क्या सरकार के भी हिस्से थे ? यदि हां, तो कितने व अब कितनी हिस्सा पूंजी शेष है ? अवसायन के समय कितनी हिस्सा पूंजी थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां । समिति के भूतपूर्व व्यवस्थापक श्री तोलाराम जोशी ने 3,269.91 का गबन किया है । इस संबंध में बाद विभागीय जांच के मामला पुलिस में दे दिया गया है तथा मामला सी० आई० डी० विभाग के अन्तर्गत चल रहा है ।

(3) कोई माल की घटौती नहीं पाई गई लेकिन माल की घटौती व खोया हुआ बताकर भूतपूर्व व्यवस्थापक ने 3,269.91 पैसे का गबन किया । इसकी सूची संलग्न है ।

(4) समिति अवसायन में नहीं है ।

(5) समिति में कुल हिस्सेदार 61 हैं एवं कुल हिस्सा पूंजी 11,520.00 है राज्य सरकार द्वारा हिस्से क्रय नहीं किए गए हैं। समिति अवसायन में नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

टोंक मार्केटिंग सहकारी समिति के चुनाव

409. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 21-10-67 को टोंक मार्केटिंग सहकारी समिति लि० के चुनाव कराने के लिए चुनाव अधिकारी कौन था और चुनाव का समय क्या था ?

(2) क्या यह सच है कि चुनाव के बीच में ही कुछ लोगों ने चुनाव की जगह जाकर भारी शोरगुल किया जिससे चुनाव की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाने में निर्वाचन अधिकारी को काफी परेशानी हुई ?

(3) निर्वाचन अधिकारी ने उस चुनाव की बाबत क्या रिपोर्ट पेश की है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रक्खें ।

(स्थगित किया गया)

सहकारी उप-भोक्ता भण्डार, अलवर के मैनेजर से रकम की वसूली

410. **श्री गंगासहाय** (कठूमर-सु.) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर के सहकारी उपभोक्ता भण्डार नम्बर 9 के मैनेजर ने 1800 रु० भण्डार के खाते में होलसेल भण्डार अलवर के नाम डाल दिये परन्तु वास्तविक रूप में होलसेल भण्डार के खाते में जमा नहीं कराये व स्वयं के घरेलू कार्य में यह रकम काम में ले ली गई थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि आज तक उक्त भण्डार के मैनेजर से न तो यह रकम वसूल की गई है और न इस रकम के केस को पुलिस को दिया गया है ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि अलवर सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि० नं० 9 के व्यवस्थापक श्री ललिताप्रसाद आलोक ने 1800 रु० होलसेल भण्डार के नाम लिखकर रोक में डाले परन्तु वास्तव में यह राशि जमा न कराकर स्वयं ने रख ली ।

(सहकारी मंत्री)

(2) यह सही नहीं है। व्यवस्थापक से यह राशि राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दिनांक 7-8-68 को वसूल कर होलसेल भण्डार के खाते में जमा कराई जा चुकी है। रकम वसूली की विभागीय कार्यवाही होने के कारण मामला पुलिस में नहीं दिया गया था।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति अचरोल में गबन का मामला

411. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति के भूतपूर्व कैशियर श्री कल्याण सहाय के विरुद्ध करीब 8,900 रु० के गबन व गोलमाल करने के सम्बंध में विभाग के किसी अधिकारी द्वारा कोई जांच की गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां : श्री कल्याण सहाय, भूतपूर्व कैशियर अचरोल क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि०, द्वारा 4,168.59 का गबन व गोलमाल करने के सम्बंध में श्री मदनलाल शर्मा, तकनीकी सहायक, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा जांच की गई। जांच रिपोर्ट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। जांच रिपोर्ट के आधार पर 4,168.59 के वसूल करने हेतु राजस्थान सहकारी समितियां, अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, अजमेर खण्ड, जयपुर द्वारा दिनांक 11-11-67 को आदेश जारी किये जा चुके हैं। इन आदेशों के उपरान्त वसूली न होने के कारण धारा 118 के अन्तर्गत कुर्की की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सतर्कता आयोग को प्राप्त मामले

412. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सतर्कता आयोग स्थापित होने के बाद से अब तक इस आयोग को कितने मामले प्राप्त हुए और उनमें से कितने निपटाये गए? कृपया सालवार सूचना दें।

(2) इस आयोग द्वारा राज्य सरकार को कितने राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये लिखा और सरकार द्वारा कितने मामलों में कार्यवाही की गई? कृपया यह बतावें कि इन मामलों में अन्तग्रस्त आर०ए०एस० व आई०ए०एस० के कितने अधिकारी हैं और अन्य कितने हैं?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चूरू जिले में हत्याओं के मामले

413. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू जिले मे गत चार वर्षों में कितने व्यक्तियों की हत्या हुई? उनकी सूची हत्या के दिनांक और हत्यारे के नाम सहित सदन की मेज पर रखी जाये और यह भी बतलाया जाये कि हत्या के कितने समब

(श्री दौलतराम सारण)

बाद हत्यारे का चालान किया गया ? चालान का क्या परिणाम और भिन्न प्रकार के परिणामों की अलग अलग प्रतिशतता क्या रही ?

(2) यह भी बतलाया जाय कि कितने हत्या के मामलों में एफ० आई० आर० में अंकित मुलजिमों को पुलिस की ओर सी० आई० डी० की जांच में निर्दोष समझ कर छोड़ दिया गया ? और कितने मामलों में नाम अंकित न होते हुए भी जांच में दोष पाने पर चालान किये गये और किन किन के, किस किस मामले में ?

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले में गत चार वर्षों में हुई हत्याओं से भी अधिक हत्यायें केवल इस एक वर्ष में ही हुई हैं ? यदि हां, तो इस वर्ष में कितनी हत्यायें हो चुकी हैं ?

(4) आज से दस वर्ष पूर्व की अपेक्षा इस जिले में हत्याओं की कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है और किस कारण से राज्य सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) वांछनीय सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(2) दो हत्याओं के मामलों में एफ० आई० आर० में नाम अंकित होते हुए भी मुलजिमों को स्थानीय पुलिस अथवा सी० आई० डी० ने जांच में निर्दोष समझ कर छोड़ दिया और तीन मामलों में नाम अंकित होते हुए भी जांच में दोषी पाये जाने पर चालान किया गया। यह नाम व मुकदमें का उनवान संलग्न उपरोक्त सूचि में दिये गये हैं । जो सूचि के कालम नं० 5 एवं 17 में दिये गये हैं ।

(3) यह सत्य पाया जाता है । चूंकि 1964 में 11, 1965 में 9, 1966 में 10, 1967 में 17 एवं 1968 में अब तक 13 कत्ल हुए हैं । इस प्रकार 1968 में अधिक हत्या के अपराध हुए हैं ।

(4) सन् 1958 में 10 हत्यायें हुई थीं जबकि 1967 में 17 हत्यायें हुई इस प्रकार 1967 में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई और इसका कारण आपसी वैमनस्य एवं जमीन का महत्व बढ़ने से उस पर झगड़े होना है । इनको रोकने हेतु प्रतिरोधक कार्यवाही की जा रही है । इस किस्म की कार्यवाही धारा 107/117 भा० द० प्र० स० की 1967 में 93 एवं 1968 में अब तक 64 की जा चुकी हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चूरू जिले में चोरियों के मामले

414. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चालू वर्ष में चूरू जिले में कितनी चोरियां व घर फोड़ी हुई हैं । तहसीलवार संख्या बतलाई जावे ।

(2) कितने मामलों में माल बरामद हुआ ? कितने मामलों में चोर नहीं पकड़े जा सके और न माल ही बरामद हो सका और क्यों ? कितने मामलों में चोरों का चालान ही नहीं हो सका है ? कितने मामलों में चोरों का पता ही नहीं चला ?

(श्री दौलतराम सारण)

(3) ऐसे कितने वाके हुए जिनमें चोरों ने नागरिकों को पीटा और कहां कहां ? क्या वे चोर पकड़ लिए गए ?

(4) गत वर्ष की अपेक्षा क्या इस वर्ष वारदातें अधिक हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि ऊंटों की चोरियां भारी तादाद में हुई हैं परन्तु पुलिस में चोरियों की रिपोर्ट नहीं करवाई गई हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार के यह ध्यान में है कि चोरी गये हुए ऊंट कीमत का आधा या पौन हिस्सा बीच के दलालों की मार्फत देकर मालिक वापिस ले आते हैं ?

(7) क्या चूरू जिले के अखबारों में इस प्रकार बीच में पड़कर पैसा दिलाने (पहुंची दिलाकर ऊंट मालिक को वापिस दिलाने) का धंधा करने वालों का एक बड़ा अडडा चूरू में किन्हीं पुलिस अधिकारियों के सहयोग से चलाने का समाचार निकला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(8) क्या कुछ गांवों में ऐसा धंधा करने वालों के अड्डे हैं ?

(9) क्या चोरी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर इसलिये नहीं दर्ज करवाई जाती कि पुलिस पर जनता का विश्वास नहीं है ? पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाने वालों को बहुत परेशान करती है उनसे जीप, खाना आदि का खर्चा मांगती है और रिपोर्ट दर्ज करने वालों को यह भी कहा जाता है कि प्राईवेट चेष्टा करो दे लेकर ? चोर का पता बतलाने के लिये भी रिपोर्ट करने वालों को तंग किया जाता है ?

उत्तर

(1) चालू वर्ष में चूरू जिले में 77 पशु चोरियां हुई जिनमें से 7 अदम बकुवा, 4 अदम पता, 3 अदम सबूत, 40 जेर तफतीश, 23 चालान किये गये तथा 69 मुकदमात नकबजनी के दर्ज हुए जिनमें से 5 अदम वकुवा, 10 अदम पता, 3 अदम सबूत, 30 जेर तफतीश, 13 चालान किये गये। 51 चोरियां, 12 अदम वकुवा, 15 अदम पता, 1 अदम सबूत 8 जेर तफतीश, 15 चालान किये गये। तहसीलवार तालिका संलग्न है ।

(2) तालिका संलग्न है ।

(3) ऐसा कोई अपराध पंजिबद्ध नहीं हुआ जिसमें चोरों ने पब्लिक को पीटा हो।

(4) गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चोरी के व नकबजनी के 34 अपराध अधिक पंजिबद्ध हुए, सन् 1967 में 163 मुकदमात सन् 1968 में आज तक 197 मुकदमात दर्ज हुए । गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष चोरी व नकबजनी के मुकदमात में बरामदगी भी अधिक की गई। शुरू में ही नहीं, सभी नगरों में अपराध वृद्धि हो रही है । उसके विभिन्न कारण हैं-जैसे औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि, Free registration की नीति आदि ।

(5) जी नहीं । ऊंटों के चोरी जाने के जिन जिन मामलात की रिपोर्ट या इत्तिला पुलिस को दी गई उनमें मुकदमात दर्ज करके नियमानुसार अनुसंधान किया गया ।

(गृह मंत्री)

(6) चोरी गये ऊंटों की कीमत का आधा या पौन हिस्सा लेकर ऊंट वापस देने के बारे में जो जो सूचना पुलिस को मिली है उनमें ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

(7) जी नहीं ऐसा कोई अड्डा पुलिस के अधिकारियों के सहयोग से चूरू में नहीं चलाया जा रहा है। इस बारे में कोई समाचार भी चूरू जिले के अखबारों में विशेष रूप से नहीं प्रकाशित हुए। ऊंटों को ज्यादा चोरी होने के बारे में समाचार प्रकाशित हुए थे। उसके छपने के बाद भी पुलिस द्वारा चोरी गये ऊंटों की काफी कोशिश की जा रही है जिसके कारण चोरी गये ऊंट बरामद भी कर लिये गये ह।

(8) जी नहीं ऐसा धंधा करने वालों के कोई अड्डे किसी गांव में भी नहीं हैं।

(9) जी नहीं। ऐसी बात नहीं है कि रिपोर्ट करने वालों को परेशान किया जाता है। उनसे सवारी आदि का खर्चा वगैरा नहीं मांगा जाता। बल्कि पुलिस में रिपोर्ट होने के बाद नियमानुसार मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया जाता ह। संलग्न नक्शे से यह विदित होगा कि जनता द्वारा पुलिस में रिपोर्ट करने पर ही ये मुकदमा दर्ज किये गये हैं और इनका नियमानुसार अनुसंधान किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस चौकियों की सफाई के लिये मेहतरों की नियुक्ति

415. **श्री सूरजमल** (सुरजगढ-सु.) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या किसी प्रकार के मेहतरों को पुलिस चौकियों की सफाई हेतु रखा जाता है? यदि हां, तो कितने कर्मचारी रखे जाते हैं और उनके काम करने का समय क्या है?

(2) मेहतरों को चौकी पुलिस की ओर से क्या वेतन दिया जाता है?

(3) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि उक्त मेहतरों को मिलने वाला वेतन कम है? यदि हां, तो क्या समयानुसार वेतन बढ़ाकर देने की सरकार के पास कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) आवश्यकतानुसार हरिजनों को पुलिस चौकियों की सफाई के लिये रखा जाता है।

(2) अधीक्षक मण्डल, मेहतरों को जिनको पुलिस चौकी पर सफाई हेतु लगाया जाता है, उनके कार्यानुसार कन्टिन्जेन्सी से वेतन देते हैं।

(3) वेतन बढ़ाने सम्बंधी किसी की मांग राज्य सरकार के पास नहीं आई है। ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पुलिस की हिरासत एवं जिलाधीश कार्यालय में पड़े हथियार

416. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितने समय से कितनी बंदूकें, पिस्तौल व रिवाल्वर्स आदि लाइसेंस सम्बंधित मामलों में हथियार पुलिस हिरासत में एवं जिलाधीश कार्यालय में पड़े हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No. 49

(श्री देवीदत्त गड़िया)

(2) क्या यह सही है कि कई जिलों में जिन व्यक्तियों के नाम से लाइसेंस शुदा ऐसे हथियार थे वे उनके मर जाने के कारण उनके लड़के या भाई या अन्य परिवार वालों से पुलिस ने जब्त करा लिया और उन बंदूकों आदि हथियारों का लाइसेंस उनके लड़के व अन्य रिश्तेदार के नाम नहीं किया और न ही उनकी कीमत अभी तक उनके परिवार को दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने ऐसे हथियारों के बारे में उनके परिवार के व्यक्ति के नाम लाइसेंस देकर उन बंदूकों आदि को वापिस लौटाने के बारे में निर्णय किया है ?

(स्थगित किया गया)

राज्यों में अपराध की स्थिति

417. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी, 1955 से अब तक राज्य में कब कब किन किन स्थानों पर कितनी बार नागरिकों पर गोलियां चलाई गई और अश्रुगैस का प्रयोग किया गया ? इसमें कितने नागरिक मारे गये व कितने घायल हुए इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) 1 जनवरी, 1955 से लेकर अब तक राज्य में अपराधों की क्या स्थिति रही ? इसकी एक तालिका पूर्ण विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उक्त अवधि में चोरी अथवा डकैतियों में कुल कितने का माल गया और उसमें से कितना बरामद हुआ ? इसका एक विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत आलनपुर के भूतपूर्व सरपंच के विरुद्ध गबन का मामला

418. **श्री हरि वल्लभ शर्मा** : (सवाई माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत आलनपुर जिला सवाई माधोपुर के भूतपूर्व सरपंच श्री बजरंग लाल के विरुद्ध ऑडिट पार्टी द्वारा पंचायत राशि का गबन किया जाना पाया गया जिस पर जिलाधीश महोदय सवाई माधोपुर द्वारा एस०पी० सवाई माधोपुर के पास 409 ता० हि० का मुकदमा दर्ज किए जाने हेतु रिपोर्ट भेजी गई ?

(2) यदि हां, तो यह रिपोर्ट जिलाधीश की किस तारीख की थी तथा कार्यालय एस०पी० में कब प्राप्त हुई और फिर इस पर थाने में मुकदमा किस तारीख को दर्ज किया गया ?

(श्री हरि वल्लभ शर्मा)

(3) क्या यह सही है कि थाने ने अभी तक अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है और यदि की है तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) इस मुकदमे में अभी तक चालान न पेश किए जाने के क्या कारण हैं ?

(5) क्या यह सही है कि इस ही व्यक्ति के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के रुपयों का गबन तथा फर्जी बिल बजरिया में गड्ढे भराए जाने बाबत लगभग 20,000 रुपयों की तादाद के गबन की शिकायतें भी राज्य सरकार एवं जिलाधीश के पास हुई जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच पड़ताल भी की है ?

(6) यदि हां, तो इन आरोपों की जांच का क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) जी हां। यह बात सत्य है।

(2) यह रिपोर्ट जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा तारीख 3/5-8-66 को मुकदमा दर्ज करने के लिये पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर के पास भेजी गई थी। इस पर पुलिस द्वारा तारीख 8-5-67 को अपराध पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि पंचायत एवं विकास विभाग जयपुर द्वारा एक स्टे आर्डर नम्बरी 11,446 जारी किया गया था। जो ता० 3/5-8-66 को ही थाना सवाई माधोपुर में पहुंचा था। इसमें कहा गया था कि सरपंच द्वारा जब तक अपना क्लेरीफिकेशन पेश न कर दिया जावे तब तक मुकदमा दर्ज न किया जावे। इसलिये मुकदमा दर्ज करने में देरी हो गई।

(3) जी नहीं। यह बात सत्य नहीं है कि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने अभियोग पंजीबद्ध करके अनुसंधान पूर्णरूप से किया तथा मुकदमा अदमवकूबा होने के कारण मुलजिम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(4) चूंकि मुकदमा अदमवकूवा पाया गया। अतः चालान पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। इस व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की धनराशि को गबन करने के बारे में कोई शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच के लिए नहीं आई। परन्तु वास्तविकता यह है कि इस सरपंच के खिलाफ सर्व श्री मांगीलाल वैल्डर सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर, अब्दुल गफूर आलनपुर, मोती सिंह स्टेशन रोड सवाई माधोपुर तथा मूलचन्द करोडी लाल, मोतीसिंह आदि निवासी आलनपुर में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जयपुर में उक्त सरपंच द्वारा दुकानात की जमीन को बेचने के बारे में जनता से ज्यादा रुपया लेकर कम कीमत रिकार्ड में दर्ज करके रुपया गबन करने की शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जयपुर को भेजी थी तथा इसी संबंध में अदालत जिलाधीश महोदय सवाई माधोपुर अपने इक फैसले की प्रतिलिपि में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेज कर जांच के लिये लिखा था। इस पर भ्रष्टाचार विभाग द्वारा जांच आरम्भ की गई जो अब करीब करीब पूरी हो चुकी है। थोड़ी कार्यवाही बाकी है जिसे शीघ्र पूरा करके परिणामानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6) यह शिकायतें भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अभी जेर जांच है। जांच पूर्ण होने के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है।

रतनगढ़ में गिरफ्तारियां

419. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज-भाषा संशोधन विधेयक के खिलाफ कस्बा रतनगढ़

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में कोई जुलूस निकाला गया, और सभाएं आदि की गई जिसमें पुलिस ने किन्हीं कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था ? यदि हां तो किन किन कार्यकर्ताओं को किस किस अपराध म कब कब पकड़ा गया और कितने कितन दिन तक पुलिस न अपनी हिरासत में रखा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य हैं कि उपरोक्त कार्यकर्ताओं को जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था उनके साथ पुलिस ने ज्यादती की उनके साथ अभद्र व्यवहार किया तथा मार पीट भी की और उनको जितने समय पुलिस ने अपनी हिरासत में रखा उस समय कोई सुविधाएं नहीं दी गई और इस किस्म की शिकायतें राज्य सरकार को मिली हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या क्या कार्यवाही की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 8-12-67 को रतनगढ़ में राजभाषा विधेयक के विरोध में पूरे राजभाषा हिन्दी के समर्थन में एक जुलूस निकाला गया था। जुलूस में भाग लेने वाले जिन 2 कार्यकर्ताओं को जिस जिस अपराध में गिरफ्तार किया गया यह सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं। एक शिकायत जो डी० वाई० एस०पी० के खिलाफ प्राप्त हुई थी। वह जिलाधीश को आवश्यक जांच हेतु भेजी गई थी। जिलाधीश ने सूचित किया हैं कि उन्हीं आरोपों पर एक इस्तागासा अदालत में विचाराधीन है उसका निर्णय होने तक आगे कोई जांच सम्भव नहीं होगी।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

आफिसर्स मेस

420. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही हैं कि आर० ए० सी० की आफिसर्स मेस राजस्थान के कई स्थानों पर है ? अगर हां, तो कहां कहां पर कौन कौन सी बटालियन की कब कब से स्थापित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि यह मेस केवल राजपत्रित अधिकारियों के लिए ही है।

(3) इस मेस की स्थापना के पीछे क्या उद्देश्य है ?

(4) क्या यह सही हैं कि प्लाटून कमाण्डर्स अराजपत्रित अधिकारी हैं ? अगर हां तो उन्हें मेस में क्यों शामिल किया जाता है ?

(5) क्या यह सही हैं कि उपरोक्त मेस में शराब व नाचगाना प्रतिबन्धित हैं ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न हैं।

(2) जी नहीं।

(3) आफिसर्स मेस के प्रत्येक सदस्य को भोजन व रहने की सही व्यवस्था करना हैं, एवं बटालियन के मुख्यालयों पर चैक पोस्टों से एवं बाहर से आने वाले अधिकारियों के भोजन व रहने की व्यवस्था देना भी हैं।

(4) जी हां 'ड्राफ्ट रूल्स फार दी आफिसर्स मेस, आर० ए० सी०' के अनुसार प्लाटून कमान्डर्स मेस के सदस्य होते हैं।

(5) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

तालाब का निर्माण और नर-बलि का मामला

421. **महारावल श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि ग्राम मादडा, पंचायत समिति कोटडा, जिला उदयपुर में एक तालाब का निर्माण करते हुए ठेकेदार ने एक बारह वर्षीय राजपूत बालक की दिनांक 31 मई, 1968 को नरबलि देने के लिये हत्या कर दी है ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त बालक की हत्या के पूर्व उक्त ठेकेदार ने उससे सात दिन तक मजदूरी करवा कर केवल तीन दिन की मजदूरी चुकाई है ?

(3) क्या यह सच है कि उक्त हत्या की रिपोर्ट श्री ठा० जसवंतसिंह, मादडा ने आगग थाने में दर्ज करवाई लेकिन उक्त थाने के इन्चार्ज थानेदार ने ठकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ? यदि हां, तो सरकार उक्त थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि इस हत्याकांड में ठेकेदार के अतिरिक्त अन्य कुछ व्यक्ति भी दोषी है ? यदि हां, तो वे कौन कौन व्यक्ति हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, उक्त बालक ने सात योम कार्य हत्या से पूर्व ठेकेदार के यहां किया और ठकेदार ने मरहूम बालक को 2 योम का दस आने रोज के हिसाब से एक रुपया पच्चीस पैसे 1·25 पैसे मजदूरी के दिये और बाकी 5 योम की मजदूरी अगले पखवाड़ा पूरा होने पर दी जाती। जैसा कि उसने एक पन्द्रह रोज बाद मजदूरी देना का हिसाब बना रखा बताया ?

(3) जी नहीं, ठाकुर जसवंतसिंह ने रिपोर्ट नहीं की बल्कि जवान सिंह मरहूम लड़के के बाप ने की थी जिस पर एस० एच० ओ० थाना ओगना ने मुकद्दमा दर्ज रजिस्टर किया है, और ठकेदार व दीगर मुलि० को गिरफ्तार कर मुकद्दमा का चालान किया गया है।

(4) जी हां ठेकेदार हीरालाल के अलावा पांच मुलिजिमान श्री उदयलाल, पुनिया, महावीर कुमार, चुनिया व रूपा और हैं जिनको गिरफ्तार कर के मुकद्दमा न० 134 u/s 302, 201, 109, 1?1 व 120 बी आई० पी० सी० में चालान ता० 24-8-68 को अदालत एस० डी० एम० फाडोल में पेश कर दिया गया है जो जेर तजवीज अदालत है।

सब्जी मण्डी लाडनूं

422. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सब्जी मण्डी लाडनू में प्लाट सब्जी बेचने वालों को नगर पालिका की ओर से किराये पर दिये जाते हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से नम्बर के प्लाट किन किन को कब कब कितने कितने किराये से कितने समय तक के लिये दिए हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त प्लाटों में से प्लाट नम्बर 50, 54, 55, 56 57 तथा 53 को दिनांक 14-4-67 की

(श्री हरजीराम बुरड़क)
नगरपालिका द्वारा नीलाम किया गया ? यदि हां, तो उक्त प्लॉटों की नीलाम की आखिरी बोली किन किन व्यक्तियों की कितने कितने रुपयों की कितने कितने समय की थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्लाटों की नीलाम की आखिरी बोली वालों को न दकर दूसरे व्यक्तियों को नीलाम से कम रकम पर किराये पर दिये गए ? यदि हां, तो किन किन को कितने कितने रुपयों में कौन कौन सा प्लॉट दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इस प्रकार की कार्यवाही से नगरपालिका को हानि हुई ? यदि हां, तो इस प्रकार से अनियमित कार्यवाही करके नगरपालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए दोषी अधिकारी के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(5) इस सम्बंध में सरकार के पास लोगों ने कब कब शिकायतें कीं और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) मामला जिलाधीश के पास विचारधीन है।

(5) जिलाधीश द्वारा जांच करवाई गई है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

सेडली मंडी में कठूमर रोड पर पत्थर की टाल की जमीन

423. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सेडली मण्डी में कठूमर रोड पर सेठ नत्थीलाल के पिता सेठ नथूमल कठूमर वाले को नजूल (अब नगरपालिका) से भूमि 5 रु० प्रतिमाह किराये पर पत्थर की टाल लगाने के लिये दी गई थी ? यह कुल भूमि कितनी है ?

(2) क्या उक्त समस्त भूमि पर अब भी पत्थर की टाल लगाई जाती है और क्या इस भूमि का किराया भी उसी पुरानी दर से वसूल किया जाता है।

(3) क्या यह सही है कि जिन लोगों को उक्त रोड़ पर भूमि भवन निर्माण के लिये दी गई है अथवा जिन लोगों ने भवन बना लिये हैं उनसे मासिक किराया 9.60 रु० प्रति 20×12' के प्लॉट की दर से लिया जाता है ?

(4) क्या सेठ नथूमल के पुत्र श्री नत्थी लाल से भी जिसने उक्त किराये की भूमि पर भवन बना लिया है अन्य लोगों की भांति ही किराया लिया जाता है ? यदि नहीं लिया जाता, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री नन्नूमल महाजन कठूमर वाले को भूतपूर्व अलवर राज्य द्वारा पत्थर की टाल लगाने के लिये 40×30 व 50×30 के दो प्लाट 5.00 रुपया प्रति माह पर किराये पर दिये गये थे ?

(2) जी हां, कुछ हिस्से पर भवन निर्माण है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(3) जी हां।

(4) श्री नत्थीलाल के पास 90"×30" भूमि भूतपूर्व अलवर राज्य के समय से किराये पर थी। कुछ भूमि पर मकान बनाने चाहने पर वर्ष 1963 में नगरपालिका ने 30 फुट के बजाय 20 फुट भूमि पर इजाजत तामीर देदी गई व बाकी भूमि से उसका कब्जा हटवा दिया जा चुका है इजाजत 20 फुट जमीन पर देने व भूमि छुड़ाने के कारण किराया नगर पालिका ने पुरानी दर पर ही लेना तय किया था।

सोजती गेट के स्टाल

424. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिण्डोली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर के रेल्वे स्टेशन से सोजती गेट की ओर जाने वाले मार्ग पर जो स्टाल हैं उनको वहां से उठाने के आदेश हो चुके हैं?

(2) यदि हां, तो उनको वहां से उठाकर उनको दूसरी कौन सी जगह दी जावेगी?

(3) आनन्द टाकीज के पास व्यास मार्केट में और दुकानें बनवाकर उनको क्यों नहीं दे दी जाती?

उत्तर

(1) नगर परिषद द्वारा उठाने के आदेश दिये जा चुके हैं परन्तु राज्य सरकार ने स्थगन आदेश दे दिये हैं।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सर्किट हाउस व हवाई अड्डे की सड़क पर बिजली का प्रबन्ध

425. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर के वार्ड न० 31 की सड़क जो सर्किट हाउस व हवाई अड्डे की ओर से आती है उस पर कोई लाईट का प्रबन्ध नहीं है?

(2) एसी महत्वपूर्ण सड़क पर नगर परिषद ने रोशनी का कोई प्रबन्ध क्यों नहीं किया?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका श्रीमाधोपुर के भूतपूर्व सदस्यों पर बकाया रकम

426. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्रीमाधोपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्रीमाधोपुर नगरपालिका के भूतपूर्व सदस्यों में काफी रकम बकाया है? यदि हां, तो किस किस में कितनी कितनी और कब से?

(2) उपरोक्त रकम वसूली क्यों नहीं हुई? सरकार ने इसमें क्या कार्यवाही की?

(3) क्या यह रकम अब भी वसूल की जा सकती है? यदि नहीं, तो इस रकम का जिम्मेदार कौन?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका जैसलमेर को विकास के लिये सहायता

427. **श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर):** क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर शहर एक कलापूर्ण प्राचीन नगर है और जैसलमेर नगरपालिका की राज्य सरकार ने किसी प्रकार की सहायता विकास के लिये नहीं दी? अगर हां, तो इस प्रकार की अवहेलना का क्या कारण है?

(2) क्या यह सच है कि जैसलमेर शहर में जो भूमि बेचने की कीमत तय की है वह बहुत ऊंची तय की है जिसके कारण शहर का विकास नहीं हो सका है? क्या सरकार कीमतों को वापिस रिवाइज कर वहां की जनता को अपने शहर का विकास करने में सहयोग गी?

उत्तर

(1) कोई अवहेलना नहीं की गई। राज्य सरकार ने दिनांक 28-3-61 को 10,000 रु० रुपयों का अनुदान विकास कार्यों के लिये स्वीकार किया था जिसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नगरपालिका से विकास कार्यों के लिये राशि स्वीकृत करने सम्बन्धी मांग प्राप्त नहीं हुई है।

2 जी नहीं। (नियमों के अन्तर्गत यह नजूल कमेटी के अधिकार क्षेत्र में है)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाइप लाइन डालने का विरोध

428. **श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा):** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरदारपुरा 1-ए रोड, जोधपुर में दो इंच की एक पाइप लाइन गत वर्ष 1-ए रोड, 1-बी रोड के बीच में डाली गई है? अगर हां, तो कितने उपभोक्ताओं के आवेदन-पत्रों पर यह लाइन डाली गई? आवेदन-पत्र देने वाले उपभोक्ताओं के नाम आवेदन-पत्र की तारीख व शुल्क जमा होने की तारीख की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पाइप लाइन डालने का स्थानीय नागरिकों ने लिखित विरोध किया था? अगर हां, तो उनके विरोध का क्या कारण था तथा सरकार ने उसके औचित्य पर कोई निर्णय किया है?

उत्तर

(1) जी हां, 8 उपभोक्ता के आवेदन, पत्रों पर लाइन डाली गई है। सूची संलग्न है।

(2) जी हां, इस का विरोध आठ व्यक्तियों ने उनके आवेदन-पत्र दिनांक 10-8-67 द्वारा किया, मुख्य लाइन में उचित प्रेशर को देखते हुये और उपरोक्त लिखित उपभोक्ताओं की कठिनाई को देखते हुये यह लाइन लगाई गई जिससे पानी की कोई असुविधा न हो।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

जल प्रदाय योजना जसवन्तगढ़

429. **श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनुं):** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम जसवन्तगढ जिला नागौर की जल प्रदाय योजना में प्रति माह कितनी आय और कितना व्यय किस किस मद में

(श्री हरजी राम वरडक)
होता है और अब तक कुल आय और व्यय कितना हुआ ?

(2) क्या उक्त योजना को चालू करने के पूर्व सरकार और ग्राम पंचायत या दानदाता के बीच कोई एग्रीमेंट हुआ था ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जो लाइन लाडनूं से जसवन्तगढ़ गई है उसमें से जसवन्तगढ़ और लाडनूं के बीच कितने कनेक्शन किस किस को कैसे कैसे दिये हुए हैं और उनसे कितनी कितनी राशि अब तक वसूल हुई और उसको किस योजना के तहत जमा किया गया है ?

(4) सुजानगढ़ को जो पानी इसी लाइन से दिया जाता है उसकी आमदनी और खर्चा अब तक कितना हो चुका और उस आय को किस खाते में जमा की जाती है ?

(5) उक्त योजना के सम्बन्ध में स्थानीय पंचायत के साथ किये गये एग्रीमेंट का पालन क्यों नहीं किया गया और क्या सरकार अपने आप ही एग्रीमेंट को भंग कर सकती है ?

उत्तर

(1) जसवन्तगढ़ ग्रामीण जल प्रदाय योजना आय-व्यय निम्न प्रकार है:–

आय रुपया 70,837·12 व्यय रु० 1,21,441·47 यह खर्चा टी डिपोजिट जल प्रदाय जसवन्तगढ़ में से होता है। आय–व्यय के व्यौरे की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(2) जी हां। जसवन्तगढ़ जल योजना का कार्य प्रारम्भ होने से पहिले दानदाता व जल विभाग के साथ एग्रीमेंट (इकरारनामा) किया गया था । एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) लाडनूं से जो लाइन जसवन्तगढ़ गई हुई है उससे किये गये कनेक्शन के व्यौरे की प्रतिलिपि साथ में संलग्न है। इस राशि को जसवन्तगढ़ योजना के तहत जमा किया गया है।

(4) सुजानगढ़ को जो पानी दिया जाता है उसका खर्चा लाडनूं के अन्तर्गत सरकार द्वारा किया जाता है चूंकि खर्चा पूरी योजना पर ही होता है इसलिये अलग से सुजानगढ़ पर खर्चा दर्ज नहीं होता । जो आय प्राप्त होती है वह लाडनूं योजना को जमा दी जाती है यह आय जुलाई 68 तक रु० 50, 852·73 है ।

(5) एग्रीमेंट का पालन नहीं हुआ क्योंकि पंचायत ने हुए नुक्सान का पैसा जमा नहीं करवाया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीदासर, छापर एवं चाड़वास की जल प्रदाय योजना

430. **श्री रावतराम** (छापर-सु०): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीदासर छापर-चाडवास की जल प्रदाय योजना के बारे में सरकार ने अब क्या निश्चय किया है ?

(2) बीदासर-छापर-चाडवास जल योजना के लिए पानी कौन से स्थान से उपलब्ध किया जा रहा है और निश्चित तौर से इस

(श्री रावतराम)

योजना का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा तथा उक्त कस्बों के निवासियों को पानी कब तक मिलना शुरू हो जावेगा?

(3) अगली गर्मियों के दिनों में उक्त कस्बों को पानी देने का सरकार क्या इन्तजाम कर रही है?

उत्तर

(1) बीदासर-छापर-चाडावास ग्रामों के लिये कोई उपयुक्त स्त्रोत की खोज के लिये जाकासर में एक ट्रायल बोर करने का निश्चय किया है।

(2) उपर्युक्त स्त्रोत की खोज जारी है। कार्य शुरू करने एवं पानी वितरण करने के विषय म निश्चित रूप से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) जब तक योजना पूर्ण नहीं होती, कस्ब म गर्मियों के मौसम में पानी वितरण करने की कोई योजना नहीं है।

बारां नगर का नल याजना

431. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे:–

(1) सन् 67-68 में राजस्थान में किन किन स्थानों पर पेयजल समस्या निर्वाणार्थ नल योजना लागू की गई थी और उसम कितना कितना रुपया खर्च होने का प्रावधान था? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा लागू की गई नल योजना किन किन स्थानों पर प्रारम्भ कर दी गई और किन किन स्थानों पर प्रारम्भ नहीं की गई?

(3) क्या यह सही है कि बारां नगर में भी नल योजना लागू की गई? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही चल रही है?

उत्तर

(1) 1967-68 के वर्ष में केवल निम्न नगरीय जल प्रदाय योजनायें स्वीकृत हुई थीं।

(1) सूरतगढ़।

(2) शिवगंज (Ex-Post Facto Sanction)

अधिक योजनाएं अर्थाभाव के कारण स्वीकृत नहीं हुई। इन दो योजनाओं के लिये प्रावधान निम्न प्रकार था।

(1) सूरतगढ़ 3,00,000 रु०

(2) शिवगंज 65,000 रु०

(2) उपरोक्त दोनों योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

(3) बारां नगर की जल योजना 1966-67 में ही स्वीकृत हो गई थी किन्तु उसमें शर्त यह थी कि जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त होने पर ही इस योजना पर नर्माण कार्य हाथ में लिया जावे। चूंकि ऋण 67-68 तक प्राप्त नहीं हुआ, अतः इसे लागू नहीं किया गया। इस वर्ष ऋण प्राप्त होने की आशा है। यदि ऋण प्राप्त हो गया तो इस वर्ष इस पर निर्माण कार्य चालू कर दिया जावेगा। इस वर्ष इस योजना के लिए अनुमानत: 1,45,000 रु० का प्रावधान होगा जिसमें 1,10,000 रु० जीवन बीमा निगम का ऋण भी सम्मिलित है।

Page No. 58

तहसील निवाई क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

432. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान की हर तहसील क्षेत्र में कितनी किलोमीटर सड़कें हैं ? तहसीलवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) सड़कों की प्राथमिकता किस आधार पर निर्धारित की जाती है ?

(3) तहसील निवाई क्षेत्र में कितनी किलोमिटर सड़कें कहां से कहां तक गत बीस साल में बनाई गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसीलवार सड़कों के आंकड़े इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं जिलेवार आंकड़ों की सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) योजनाओं के उद्देश्यों के अनुसार प्राथमिकता दी जाती है।

(3) निवाई से झलाय तक 8-8 किलोमीटर सड़क बनाई है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

नागोर जिले में राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

433. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में फैमिन में कौन कौन सी सड़कें बनी हैं एवं किन किन सड़कों को उनमें से सार्वजनिक निर्माण विभाग ने टेक ओवर नहीं किया है और किन किन सड़कों का मेन्टेनेन्स नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने इन फैमिन की सड़कों को टेक ओवर करने के आदेश जारी किए हैं एवं बावजूद आदेश के इन सड़कों का मेन्टेनेन्स नहीं किया जा रहा है ?

(3) नागौर जिले में बनी किस किस सड़क में ली गई कितनी कितनी भूमि का मुआवजा भूमि मालिक को देना बकाया है एवं ऐसे मामलों में से कितने मामले ऐसे हैं जिनमें अभी तक अवाप्ति की कार्यवाही भी सम्पूर्ण संबंधित अदालतों से नहीं हुई है या अभी तक ऐसी कार्यवाही शुरू तक नहीं हुई है ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्य वर्ष 66-67 तथा 67-68 में जो कराये गये हैं उनकी सूची (अ) प्रस्तुत है। जो सड़कें प्लान रोड्स के अन्तर्गत बनाई गई तथा जिन सड़कों पर सा० नि० विभाग की मद से धनराशि खर्च हुई उनका संधारण (देख-रेख) इस विभाग द्वारा की जाती है।

अकाल राहत कार्यों में बनी सड़कों को विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं लिया गया है।

(2) अकाल राहत विभाग ने फैमिन रोड्स को सा० नि० विभाग द्वारा मरम्मत सूची पर लिये जाने को लिखा है फैमिन रोड्स की मरम्मत हेतु धनराशि अकाल विभाग से प्राप्त होने पर फैमिन रोड्स को विभाग की मरम्मत सूची पर लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(3) सूची (ब) प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No. 59

वरिष्ठता सूची

434. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूचियां अलग अलग से दोनों प्रकार के अभियन्ताओं की ता० 1-1-62 को किस क्रम से थी एवं क्या इस वरिष्ठता क्रम में बाद में परिवर्तन किये गये हैं ? यदि हां, तो कब कब व किस व्यक्ति के लिये ?

(2) ता० 1-1-65 से किन अधिशासी एवं सहायक अभियन्ताओं को पदोन्नत किया गया है एवं कब कब ? तारीख 1-1-65, 1-1-66, 1-1-67 व ता० 1-1-68 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी एवं सहायक अभियन्ताओं की वरिष्ठता सूचियां सदन की मेज पर रखी जावें।

(स्थगित किया गया)

नागौर नगर में सरकारी कार्यालय के लिए किराये के भवन

435. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर नगर में विभिन्न विभागों द्वारा कितने प्राईवेट व्यक्तियों के मकानात राजस्थान सरकार के विभागों के कार्यालयों हेतु किराये पर हैं तथा ऐसे मकानात में किस किस डाइमेन्शन के कमरे आदि किराये पर हैं एवं उन मकानात का अलग अलग किराया क्या क्या है ? कब से ये मकानात किराये पर हैं ?

(2) क्या किसी ऐसे मकान का किराया एक तरफ के बाहरी बरामदे में कुछ पट्टियां पत्थरों की लगा कर कमरे का रूप देकर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उसके किराये का असेसमेंट रु० 77 मासिक से बढ़ा कर 125 रु० कर दिया है ? यदि हां, तो यह रिवाइज्ड असेसमेंट किस अधिकारी द्वारा किया गया है ? क्या यह रिवीजन सही तौर से किया गया है ?

(3) ऐसे मकानात जो नागौर नगर में किराये लिये गये ह उन सब मकानों के मालिकों के नामों की सूची उनके डाइमेन्शन, किराये पर लेने की तारीख व किराये में की गई वृद्धि मय की गई वृद्धि की तारीख के तथा असेसमेंट करने वाले अधिकारी के नाम के ब्योरा पत्र सदन की मेज पर ता० 1-4-57 से ता० 31-3-68 की अवधि का सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) नागौर नगर में विभिन्न विभागों के लिये 81 मकानों के फेयर रेन्ट सर्टिफिकेट दिये गये हैं शेष जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

कोटा में प्रधान मंत्री के आगमन पर सड़क कार्यों पर व्यय

436. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 67 के अन्तिम सप्ताह म प्रधान मंत्री के कोटा

Page No. 60

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
आगमन पर विभाग द्वारा सड़कों आदि पर कार्य करवाया गया था? अगर हां, तो कितनी राशि व्यय हुई व किस किस मद पर कहां कहां?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त कार्य के लिये टेन्डर्स आमंत्रित नहीं किये गये? अगर हां, तो किस किस व्यक्ति से कौन कौन कार्य कितनी कितनी राशि का करवाया गया?

(3) उपरोक्त कार्य कब से कब तक करवाए गए व उनका चुकारा ठेकेदारों कोन कब कब कितना कितना किया गया?

उत्तर

(1) जनवरी 67 के अंतिम सप्ताह में भारत के प्रधान मंत्री के आगमन पर सड़कों पर कार्य नहीं कराया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

जिला कचहरियों में पार्क

437. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान की सभी जिला कचहरियों में पार्क (उद्यान) की व्यवस्था सरकार करती है?

(2) क्या अलवर सचिवालय (कचहरी) में भी उद्यान की व्यवस्था सरकार करती है?

(3) यदि हां, तो कितने कर्मचारी इस कार्य हेतु लगा रखे हैं? उन पर कितना खर्च प्रति वर्ष आता है?

(4) इस उद्यान की व्यवस्था पर प्रति वर्ष कितना खर्च किया जाता है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त उद्यान में पानी देने के लिए एक कुए में पानी खींचने के लिए मशीन लगा रखी है?

(सरकार द्वारा स्थगित करने की प्रार्थना की गई)

अलवर (सचिवालय) कचहरी के प्रवेश द्वारों के किवाड़

438. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर सचिवालय (कचहरी) के मुख्य प्रवेश द्वारों के किवाड़ बेकार हो गये हैं?

(2) क्या रिकार्ड आदि की सुरक्षा की दृष्टि से उक्त किवाड़ों को बदलवाना आवश्यक नहीं है?

(3) क्या सचिवालय, अलवर के रिकार्ड आदि की सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय प्रांगण अथवा चारों कोनों के मध्य में रोशनी की समुचित व्यवस्था है?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान देकर समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आवश्यक है।

(3) जी नहीं।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) किवाडों के निर्माण हेतु स्वीकृति देदी गई है।

ग्राम माचाड़ी-रेणी सड़क के लिये स्वीकृत राशि

439. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम माचाडी से पंचायत समिति रेणी को मिलाने वाली सड़क के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत हुई?

(2) इस सड़क निर्माण का ठेका कब हुआ? कितने समय के लिये हुआ? किस ठेकेदार को हुआ?

(3) अब तक कितने मील लम्बी सड़क का निर्माण हो चुका है और कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

(4) यह सड़क कब तक पूर्ण हो जावेगी?

उत्तर

(1) 5,30,000 रु० की धन राशि स्वीकृत हुई है।

(2) मील % से 2 श्री किशनलाल ठेकेदार को तथा 2/05 के ठेके श्री मनोहरलाल को क्रमश: दिनांक 16-12-65 तथा 14-1-66 को 9 मास के लिये दिये गये हैं।

(3) 5 मील सड़क निर्माण हो चुका है। 2,18,201 रु० व्यय हुआ है।

(4) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

पहाड़ी-नगर सड़क पर डामर कार्य

440. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पहाडी से नगर वाली सड़क गत सोलह साल से बन रही है? उसका डामर कितनी लम्बी सड़क पर डाला गया है?

(2) क्या यह सही है कि जिस सड़क पर डामर डाला गया है वह भी स्थान स्थान पर टूटी पड़ी है? क्या गोपालगढ से पहाडी तक की सड़क पर डामर नहीं डाला गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। डामर का कार्य 18 मील 6 फर्लांग में किया गया है।

(2) बाढ़ के कुप्रभाव से सड़क में कुछ पैचेज आ गये हैं। जी हां अर्थाभाव के कारण 4 मील का कार्य शेष है।

अम्बर चर्खों का वितरण

441. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में आज तक कुल कितने अम्बर चर्खे वितरित किये गये?

(2) वितरित चर्खों में से अब कितने चल रहे हैं और कितने बन्द है?

(3) आज जो अम्बर चर्खे चल रहे हैं उनसे प्रति मास कितने सूत का उत्पादन होता है?

(श्री गंगासहाय)

(4) इस समय अम्बर चर्खों से कितने परिवारों को पूरे समय का रोजगार मिल रहा है और कितने परिवारों को आंशिक समय का ?

(5) कुल वितरित किये गये चर्खों की कीमत क्या है ? सब्सीडाइज्ड कीमत क्या है ?

(6) क्या इन वितरित किये गये सभी चर्खों की कीमत वसूल की जा चुकी है ? यदि बकाया है तो कितनी ? और बकाया कीमत को वसूल करने के लिये सरकार (खादी बोर्ड) क्या कदम उठा रही है ? और अब तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 22,485 अम्बर चर्खे वितरित किए गए हैं।

(2) वितरित चर्खों में से 8,084 चर्खे चल रहे हैं तथा 14,401 बन्द हैं।

(3) चल रहे चर्खों से प्रति मास 12,361.300 किलोग्राम सूत कतता है।

(4) चल रहे अम्बर चर्खों से 4,500 व्यक्तियों को पूर्ण व 3,584 व्यक्तियों को आंशिक रोजगार दिया जा रहा है।

(5) वितरित चर्खों की कीमत 22,48,000 रु० है और सबसीडाइज्ड कीमत 10,11,000 रु० है।

(6) बोर्ड का 53,039 रु० वसूली के लिए बाकी है। जिसमें से 32,900 रु० बन्द संस्था व समितियों में है जिनकी वसूली के लिए सहकारी समितियों के सहायक पंजियक द्वारा व संस्थाओं की वसूली हेतु चल व अचल सम्पत्ति बोर्ड अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही कर रहा है।

पाटन-अकलेरा मार्ग पर बसें

442. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर-झालरापाटन बस का जयपुर से चलने एवं झालरापाटन पहुंचने का समय क्या है ?

(2) क्या उक्त बस को पाटन से अकलेरा तक बढ़ाने में कॉरपोरेशन को कोई आपत्ति है ?

(3) उसी प्रकार कोटा-अकलेरा चलने वाली बसेज यदि मनोहरथाना तक बढ़ाई जावें तो कॉरपोरेशन को क्या आपत्ति है ?

(4) क्या यह सही है कि कोटा-अकलेरा चलने वाली बसेज की आम शिकायतें हैं कि यह बसें न समय पर चलती है और न समय पर पहुंचती हैं ? यदि हां, तो इस दुर्व्यवस्था का कब अन्त होने जा रहा है ?

उत्तर

(1) जयपुर से झालरापाटन सीधी निगम द्वारा कोई बस सेवा नहीं चलाई जाती है।

(2) आर्थिक दृष्टि से यह सम्भव नहीं है।

(3) चूंकि मनोहरथाना राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है अतः मनोहरथाना तक बसों को ले जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) जी नहीं।

निगम की गाड़ियां

443. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन की गाड़ियां खराब हालत में बेकार पड़ी हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी गाड़ी कब से खराब है ?

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) उक्त गाड़ियों के खरीदन की तारीख तथा कीमत, खराब होने की तारीख तथा खराब होने तक कितने माइल चली उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कारपोरेशन द्वारा गाड़ियां चलाना शुरू करने की तारीख से लेकर आज तक किस किस माह में कितनी कितनी गाडियां कारपोरेशन के पास कुल रही थी और अभी कितनी चालू हालत में हैं ? तथा बेकार कितनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि कारपोरेशन ने जब जब नई गाड़ियां खरीदी हैं उस समय पहिले वाली गाडियां काफी संख्या में बेकार पड़ी हुई थीं ? यदि हां, तो कब कब कितनी कितनी नई गाड़ियां खरीदी गई और खरीदने की तारीखों में पहिले की गाड़ियों की संख्या क्या थी तथा उनमें चालू हालत में कितनी थी तथा खराब हालत में कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह भी सही है कि कारपोरेशन के पास अपना खुद का वर्कशाप होते हुए भी प्राइवेट वर्कशापों से गाड़ियों की मरम्मत का कार्य करवाया जाता है ? यदि हां, तो कब कब कौन कौन सी गाड़ी किन किन वर्कशापों में ठीक करवाई गई और उन पर कितना कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सही है कि गाड़ियां खराब रहने के कारण सरकार को गाड़ियों के मूल्य के ब्याज के रूप में ही बहुत बड़ी हानि हुई हैं ? यदि हां, तो इसका उत्तरदायित्व किस पर है ?

(7) क्या यह सही है कि जो मार्ग कारपोरेशन के पास गाडियां चलाने के लिए है उन पर चलने वाली गाड़ियों के अलावा और भी गाड़ियां कारपोरेशन के पास हैं ? यदि हां, तो कितनी और कौन कौन सी गाड़ियां हैं तथा वे कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार द्वारा स्थगित करने की प्रार्थना की गई)।

सुजानगढ़-नागौर रूट पर बसों के परमिट

444. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सुजानगढ से नागौर वाया लाडनूं-निम्बी जोधां-कानुता-डेह जाने वाले बस रूट पर कुल कितने परमिट दिये गये ? जिनमें कितनी बसें लगाई गई तथा मौजूदा बसें कितनी चल रही हैं और इनमें कितनी सीटें पास की हुई हैं ? ये बसें किन किन के नाम से हैं और 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में उनमें कितना कितना टैक्स बकाया रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिस व्यक्ति के नाम से परमिट जारी किया था क्या उन्हीं के नाम से गाड़ियां चल रही हैं या किसी दूसरे को कोई परमिट या गाडी बेची गई है ? पूरा विवरण मय कारणों के बताने की कृपा करें।

(3) गाड़ियों की हालत कैसी है ? मॉडल तथा मेक कौन कौन से है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि इन मौजूदा गाड़ियों से लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि

(श्री हरजीराम बुरडक)
गाडियां बहुत छोटी जाती हैं, सवारियां ज्यादा होती हैं, तथा गाडियों की हालत बहुत खराब है जिसमें आये दिन रास्ते में खराब हो जाती हैं व समय पर नहीं पहुंचती हैं ? यदि हां, तो सरकार इसके लिय क्या कदम उठायेगी ?

(5) क्या सरकार ने इन बसों के सम्बंध में कभी कोई जांच की हैं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(2) यह सूचना भी उक्त सूची में दर्ज है ।

(3) गाडियों के खराब होने की सूचना नहीं मिली हैं फिर भी हालात की जांच की जा रही है । गाडियों के मेक व मोडल उक्त सूची में दर्ज कर दिये गये हैं ।

(4) इस विषय में जांच की जा रही हैं ।

(5) परिवहन विभाग के यांत्रिक निरीक्षक परिवहन, निरीक्षक व उप-निरीक्षक परिवहन जांच करते रहते हैं ।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

कोटा रोडवेज डिपो पर यात्रियों को सुविधायें

445. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में यात्रियों के लिए बनाए गए पेशाब घर, शौचालय व स्नानघर बन्द पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कितने समय से व किस कारण से बन्द कर रखे हैं ?

(2) क्या यह सही हैं कि कोटा डिपो पर यात्रियों के लिये पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । पेशावघर, शौचालय एवं स्नानघर बराबर काम में लाये जा रहे हैं ।

(2) जी नहीं पीने के पानी की व्यवस्था हैं ।

बसों में सफाई

446. **श्री देवीदत्त गाडिया** (बारां) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा से जयपुर, कोटा से अजमेर एवं कोटा से झालावाड़-इकलेरा जाने वाली रोडवेज बसों के मार्ग में किस किस स्थान पर रोडवेज का बुकिंग कार्यालय स्थापित हैं और उनमे से किस किस स्थान पर पानी पिलाने एवं बस स्टेण्ड पर रुकने वाली बसों में होने वाली गन्दगी की सफाई कराने की व्यवस्था हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही हैं कि उपरोक्त तीनों मार्गों पर जाने वाली रोडवेज बसों में होने वाली गन्दगी की सफाई कराने के लिये मार्ग में स्थापित बस स्टेण्ड पर हरिजन व पानी आदि की कोई व्यवस्था नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(यातायात मंत्री)

उत्तर

(1) कोटा-जयपुर, कोटा-अजमेर अजमेर व कोटा-इकलेरा मार्गों पर जहां जहं निगम के बकिंग कार्यालय स्थापित हैं, उनकी सूची संलग्न हैं तथा सभी बुकिंग कार्यालयों पर पीने के पानी की व्यवस्था हैं, जहां तक गाड़ियों की सफाई का प्रश्न है जिन स्थानों पर निगम की गाड़ियां रात्रि में रुकती हैं वहां सफाई की स्थाई व्यवस्था हैं अगर रास्ते के छोटे स्थानों पर जहां व्यवस्था नहीं है और एसी गन्दगी हो जाती है कि उसे साफ करना आवश्यक है तो उसे भी साफ कराया जाता हैं।

(2) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

निगम के कमचारियों को अवकाश

447. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करग:--

(1) क्या यह सही ह कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम म काय कर रह सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों को केवल 30 दिन की ही छुट्टियां मिलती ह? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि निगम के कमचारियों को मेडिकल लीव हाफ पे लीव एवं अन्य सरकारी नियमों के अनुसार छुट्टियां नहीं मिलतीं?

(3) क्या यह सही है कि निगम के अध्यक्ष सरकारी आदेशों की अवहलना करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों को रद्द कर सकते हैं जैसे 14 फरवरी, 67 को की गई?

(4) क्या यह सही हैं कि राज्य सरकार द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं कि किसी भी कर्मचारी का 2 वर्ष से पहले स्थानान्तरण नहीं किया जावे? यदि हां, तो निगम इस आदेश को मानने के लिये बाध्य हैं या नहीं?

(5) क्या यह सही हैं कि निगम के अध्यक्ष एवं उप-प्रधान प्रवन्धक द्वारा कई के स्थानान्तरण एक एक या दो दो माह के अन्तर पर भी किये गये हैं?

(6) क्या यह सही हैं कि निगम के बजट में कर्मचारियों को बोनस देन का प्रावधान रखा गया हैं परन्तु अभी तक सन् 1965-66 व 66-67 का बोनस कर्मचारियों को नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(7) निगम के अध्यक्ष एवं उप-प्रधान प्रवन्धक द्वारा 6 माह के अन्दर अन्दर किये गय स्थानान्तरों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सरकारी कर्मचारी जो प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टियां दी जाती हैं। निगम के कर्मचारी जो सर्विस रे लेशन के अन्तर्गत आते हैं उन्ह प्रति वर्ष 30 दिन का अवकाश और जो स्टेंडिग आर्डर के तहत आते हैं उन्हें साल में 18 दिन का अवकाश दिया जाता हैं।

(2) जी हां। निगम के रूल्स में इन छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(यातायात मंत्री)

(3) राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना नहीं की जाती। परन्तु निगम की अनिवार्य सेवा (Essential Service) जैसी स्थिति में कभी किसी छुट्टी को रद्द किया जा सकता है और इस आधार पर 14 फरवरी, 67 की छुट्टी रद्द की गई थी।

(4) निगम भी राज्य सरकार के आदेशों को मानता है, परन्तु कभी किसी प्रशासनिक कारण वश 2 वर्ष पूर्व भी स्थानान्तर किया जा सकता है।

(5) जी नहीं।

(6) बजट में बोनस प्रोविजन था परन्तु उसे खत्म कर दिया गया है निगम का निर्णय हो गया है कि घाटे के वर्षों का बोनस न दिया जाये।

(7) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 18 देखिये)

क्रय-विक्रय सहकारी समिति अचरोल द्वारा गेहूं व चीनी का वितरण

448. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अचरोल क्रय विक्रय सहकारी समिति ने न 2-3 वर्षों में गेहूं व चीनी के वितरण में फर्जी कार्यवाही करने तथा ब्लेक में बेचने से सम्बंधित मामलों की जांच किसी सहकारी विभाग के अधिकारी द्वारा की गई है या किसी आडिटर ने अपनी जांच रिपोर्ट में इस फर्जी कार्यवाही को पकड़ा है ? यदि हां, तो किस अधिकारी ने जांच की और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

जी हां, अचरोल क्रय विक्रय सहकारी समिति में गेहूं व चीनी के वितरण म फर्जी कार्यवाही करने का मामला वर्ष 66-67 की आडिट रिपोर्ट में श्री फूलचन्द जाट, निरीक्षक आडिट द्वारा पकड़ा गया है। इससे पूर्व चीनी में ब्लेक करने व गबन संबंधी मामले श्री मदन लाल तकनिकी सहायक, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में दिया है। इसके पश्चात् उप-रजिस्ट्रार, अजमेर खण्ड, जयपुर द्वारा इस समिति के स्टाक का सत्यापन व लेनदारियों की जांच हेतु श्री पुरुषोत्तम कौशिक, निरीक्षक आडिट को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ राजस्थान सहकारी समितियां, अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत उप-रजिस्ट्रार अजमेर जोन, जयपुर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

स्थगित प्रश्न

(29-8-68) व (5-9-68)

सादडी जिला पाली के निवासियों से बिजली के मीटर के पैसे

78. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सादडी (जिला पाली) के निवासी श्री दानमल नथमल एवं श्री कुन्दनमल बागमल सोनी ने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, राजस्थान विद्युत बोर्ड फालना (जिला पाली) के यहां अपने अपने निवास स्थानों में मीटर लगाने हेतु मीटर के पैसे नियमानुसार बहुत समय पहले जमा करवा दिये थे ? यदि हां, तो इन्होंने

(श्री फूलचन्द बाफना)
किस किस तारीख को कितने कितने रुपये मीटर के जमा करवाये थे ? क्या इन दोनों नागरिकों के कन्ज्यूमर नं० क्रमशः 2-1-240 एवं 2-2-139 हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों निवासियों के नामों पर मीटर इश्यू हुए परन्तु वे ही मीटर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, राजस्थान विद्युत् बोर्ड, फालना (जिला पाली) ने कहीं अन्यत्र लगवा दिये ? यदि हां, तो ये दोनों मीटर कहां कहां लगवाये गये हैं और ऐसा क्यों किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने अपने अपने घरों में बिजली के फिटिंग करवा लिये और सारी नियमित कार्यवाही भी कर दी, फिर भी इन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं दिये गये आज तक भी ?

(4) क्या यह सही है कि मीटर और बिजली नहीं दिये जाने के उपरान्त भी उक्त दोनों व्यक्तियों के नाम बिजली उपयोग के बिल कई महीनों से लगातार आते रहे हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? और क्या इन बिलों का भुगतान करना होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं, दानमल नथमल ने 21-6-65 और श्री कुन्दनलाल छोगमल ने 27-1-66 को केवल एस्टीमेट की रकम जमा करवाई थी। मीटर की नहीं।

(2) जी हां। इस मामले की जांच करवाई जा रही है।

(3) अब कनेक्शन दे दिये गये हैं।

(4) जी हां। इसके लिये कौन दोषी है और बिलों की रकम लौटानी होगी अथवा कोई और कार्यवाही करनी होगी यह आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही निश्चित रूप से की जा सकेगी।

स्थगित प्रश्न

(29-8-68) व (5-9-68)

जयपुर जिले की भवन निर्माण सहकारी समितियां

91. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में कोई भवन निर्माण सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है ? यदि हां, तो कौन कौन सी भवन निर्माण सहकारी समितियों का कब कब निर्माण हुआ और उसमें कौन कौन सदस्य बने तथा सदस्यों ने कितने कितने मूल्य के हिस्से खरीदे ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त भवन निर्माण सहकारी समितियों को कितनी कितनी जमीनें कब कब मिलीं और उन समितियों ने अपने किन किन सदस्यों को कितनी कितनी जमीनें कब कब वितरित कीं तथा सदस्यों ने कब कब उक्त जमीनों में भवन बनाये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त समितियों के पास जो हिस्सा राशि एकत्रित हुई थी उसको किस किस कार्य में लगाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(सरकार द्वारा स्थगित करने की प्रार्थना की गई)

(12.28 म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पैंडिग रखा गया था:—

(1) श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव जिसमें राजस्थान में पिछले तीन वर्ष में टैक्नीकल शिक्षा प्राप्त अधिकांश छात्रों अर्थात् डिप्लोमा होल्डर्स एवं डिग्री होल्डर्स की बेकारी से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख है।

(2) भरतपुर जिले की कुम्हेर पंचायत समिति के प्रधान के खिलाफ समिति के कतिपय सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के सम्बंध में जिला अधिकारियों पर कथित राजनैतिक दबाव के बारे में श्री नत्थीसिंह, श्री मुकुटविहारी लाल व श्री रामकिशन द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) भारत सरकार के उप-वित्त मंत्री महोदय द्वारा कस्बा भूसावर तहसील वैर जिला भरतपुर में कब्रिस्तान की कुछ भूमि नाजायज तौर पर अपने नाम एलाट कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री मुकुट-विहारीलाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) राजस्थान केनाल क्षेत्र में सन् 1955 के बाद के समस्त लाटीज काश्त-कारों को एलाटशुदा रकबे का सालाना नवीनीकरण न किया जाकर उन्हें उस रकबे से बेदखल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री नत्थीसिंह, श्री केदारनाथ, श्री मुकुटविहारीलाल, राजवी श्री रूपसिंह, श्री रामानन्द अग्रवाल, श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री दौलतराम सारण श्री रामकिशन व श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के बारे में मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि सम्बंधित मंत्री महोदय स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल व परसों वक्तव्य देने की कृपा करें।

मैं उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

निम्न स्थगन प्रस्तावों में से कुछ के बारे में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु लिखा गया है या कुछ के सम्बंध में अब जानकारी प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर उन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा:—

(1) हिन्डौन नगर न्यास द्वारा लगभग 50 साल से बसे हुए हिन्डौन नगर के लगभग 1500 परिवारों को हटाने के नोटिस दिये जाने के बारे में श्री मुकुटविहारीलाल व श्री रामकिशन द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) सुबोध कालेज, जयपुर के हड़ताली छात्रों के साथ कालेज के प्रिन्सिपल के व्यवहार के बारे में श्री विजयसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) जयपुर शहर में रामगंज बाजार की चौपड़ के निकट स्थित प्रसूतिगृह को हटाने की संभावना से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री श्रवणलाल व श्री प्रेमसिंह सिंघवी द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) सीकर जिले की फतहपुर व लक्ष्मणगढ़ तहसीलों में हैजे की बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री आलम अली खां, श्री किशनलाल शाह, श्री चुन्नीलाल (खण्डेला) व श्री कन्हैयालाल (बस्सी) द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(श्री अध्यक्ष)

(5) ग्राम पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर के वाटर सप्लाई ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री चुन्नीलाल इंदलिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(6) तहसील नौहर जिला श्री गंगानगर के बारानी क्षेत्र में सावका काश्तकारों को व भूमिहीन काश्तकारों को कई ग्रामों में रकबा अलाट न किये जाने के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री दौलतराम सारण, श्री हीरा भाई व श्री हरजीराम बुरडक द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(7) बजाजनगर, जयपुर में कच्ची झोंपड़ियों को हटाने के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(8) सिरोही से 40 मील की दूरी पर आबूरोड़ तहसील के ग्राम करौली में एक परिवार के व्यक्ति द्वारा दूसरे परिवार के 9 व्यक्तियों की हत्या कर देने के बारे में श्री केशरीसिंह हाडा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(9) जिला भरतपुर के ग्राम कुम्हेर के थानेदार द्वारा दिनांक 11-8-68 को ग्राम सुपावस के कई ग्रामवासियों को पीटने व गिरफ्तार करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री बालसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि निम्न स्थगन प्रस्तावों को जिन्हें राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने हेतु पैन्डिंग रखा गया था, सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

(1) अनावृष्टि से अकाल की स्थिति होने पर भी खाद्यानों का निर्यात बन्द न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री चुन्नीलाल (खण्डार) द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(2) जोधपुर के जाट होस्टल के छात्रों द्वारा अन्य स्कूल पर हमला व 20-25 व्यक्तियों को घायल करने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री ओमदत्त भाटी व श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(3) नगर केकड़ी जिला अजमेर में दिनांक 2-9-68 को थानेदार, केकड़ी द्वारा वहां के एक निवासी के साथ अशोभनीय कार्यवाही करने व उसे अपमानित करने के बारे में श्री देवीलाल बुरासिया द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(4) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों द्वारा भूख हड़ताल के सम्बंध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(5) बूंदी जिले के लाखेरी ग्राम में जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था नहीं होने के कारण आम जनता में जलाऊ लकड़ी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री केशरी सिंह हाडा द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

इनके अतिरिक्त निम्न स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाय । अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं:—

(1) बांसवाड़ा जिले में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से अकाल की स्थिति के बारे में श्री हीराभाई व श्री विट्ठल भाई द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(श्री अध्यक्ष)

(2) हिन्डीन नगर सुधार न्यास द्वारा जनता पर कथित अत्याचार के बारे में श्री श्रवणलाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(3) लोकसभा के सदस्य श्री जमना लाल के विरुद्ध कथित आरोप के बारे में श्री विजयसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(4) उदयपुर वाटी पंचायत समिति के कार्य में दो सदस्यों द्वारा व्यवधान एवं कलेक्टर झुंझुनू द्वारा अनियमित कार्यवाही के बारे में श्री शिवनाथसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(5) कोटा जिले की तहसील पीपल्दा, दीगोद, लाडपुरा के तहसीलदारों द्वारा राज्य सरकार द्वारा बताये गये सरचार्ज की जबरन वसूली के बारे में श्री महेन्द्रसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(6) तहसील फतहपुर (सीकर) में अकाल की स्थिति के बारे में श्री आलमअली खां, श्री किशनलाल शाह, श्री कन्हैयालाल (वस्सी) व श्री चुन्नीलाल (खण्डेला) द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

(7) राजस्थान कृषि विभाग के कृषि अभियान्त्रिक मण्डल जयपुर के अभियन्ता द्वारा पिछली तारीखों में 15 तकनीकी कर्मचारियों के सेवा मुक्ति के आदेश जारी करने के बारे में श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री बालसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव ।

याचिकाओं का उपस्थापन । श्री जुझार सिंह ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, सत्र के आरम्भ होते ही, खाद कारखाने में दिनांक 5 अप्रेल को हुई दुर्घटना के सम्बंध में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसमें अध्यक्ष महोदय ने सरकार से जानकारी चाही थी । मैं निवेदन करूंगा कि वह प्रश्न अपने स्थान पर गंभीर है । अतः इसकी चर्चा होना आवश्यक है इसके सम्बंध में सरकार का उत्तर होना आवश्यक है । अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 अप्रेल, 68 को यह दुर्घटना कोटा के खाद कारखाने में शाम को 4 बजे हुई थी । सरकारी आंकड़ों के अनुसार दुर्घटना के अन्दर आरम्भ में केवल 13 व्यक्ति और बाद में तीन व्यक्ति, कुल 16 व्यक्तियों के मौत की खबर दी गई है । अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक इस खाद के कारखाने का सवाल है, जो टावर टूटा है, उसके टूटने के कारण जो दुर्घटना हुई इस कारखाने में, उस समय उस टावर पर 4 कम्पनियां काम कर रही थी । ये कंपनी......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है । शायद इसकी सूचना सदन के माध्यम से दी जा चुकी है । ऐसी स्थिति में इस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा, जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, उस सम्बंध में आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन खाद के कारखाने में जो लोग दुर्घटनाग्रस्त बताये गये हैं, सरकार ने यह कहा है कि केवल 13 व्यक्ति मरे हैं । यह सरासर झूठ है । इस टावर पर चार कम्पनियां काम कर रही थीं । वहां कम से कम 300 मजदूर काम कर रहे थ । अचानक टावर के टूटने के बाद यह बताना धोखा है । कोई मजदूर नहीं बच पाया । सरकार ने यह कहा है केवल 13 व्यक्ति मरे हैं । यह सरासर गलत है । लगभग 150 मजदूर इस टावर के टूटने से दुर्घटनास्थल पर ही मर गये ।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त होगा । मेरा यह निवेदन है कि मैंने इसको अस्वीकार कर दिया है । ऐसी स्थिति में इस पर कोई वाद-विवाद नहीं खड़ा करें ।

श्री भैरोंसिंह (किशन पोल, जयपुर) : इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही थी कि दुर्घटना में कितने लोग मर गये किन्तु सरकार ने कमीशन नियुक्त करके, और इस कमीशन में उन व्यक्तियों को सदस्य बनाया, जो घटना के प्रत्यक्ष गवाह थे, इस कमीशन के द्वारा पुलिस के इन्वेस्टीगेशन को रुकवाने तथा कारखाने के मालिकों का चालान न हो पाये, इसलिये इसे सरकार ने नियुक्त किया है ।

श्री अध्यक्ष : इसका कोई उत्तर नहीं होगा । मैंने जब स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, उसके बाद उस पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा । न कोई प्रश्न होगा । यदि प्रश्न होगा तो राज्य सरकार की ओर से उसका उत्तर न आ सकेगा ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बड़ा भारी प्रश्न है । क्या यह कमीशन गवाहों के बयान के लिये एक सब-कमीशन नियुक्त कर सकता है? जिसका कि कमीशन को कोई अधिकार नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : जो स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है, माननीय सदस्य, उस पर वाद-विवाद का प्रश्न नहीं उठता न उसका कोई उत्तर दिया जा सकेगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : (अनेक सदस्य एक साथ उठ खड़े हुए शोरगुल अश्रव्य) कल मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसके बारे में आपने यह आश्वासन दिया था, जानकारी करने के लिये कहा था अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रस्ताव इसी प्रकार कृषि विभाग के कृषि अभियान्त्रिक मण्डल के 19 तकनीकी कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने के संबंध में ...

श्री अध्यक्ष : आज, उस पर कोई निर्णय दिया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा निवेदन है कि......

श्री अध्यक्ष : निर्णय आज दे दिया है । प्रश्न समाप्त हो जाता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्रीजी उस समय उपस्थित नहीं थे । सरकार द्वारा इस संबंध में गलत कार्यवाही की गई ह । जो सीनियर थे, उनका रिट्रेन्चमेन्ट कर दिया गया है, जो जूनियर थे उनको रिटेन कर लिया गया है । इस सम्बंध में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया हुआ है । मैं कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में उन्हें आज या कल जब सुविधा हो , जवाब दे दें । जो रिट्रेन्चमेन्ट किया गया है वह गलत तरीके से किया गया है, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से फर्जी कार्यवाही के आधार पर किया गया है । बैक डेट में किया गया है । सीनियर को रिट्रेन्च करके उनके स्थान पर जूनियर को रिटेन किया गया है । इसलिये इस सदन में कृषि मंत्रीजी अपना वक्तव्य देंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कुम्हेर का प्रस्ताव.......... (शोरगुल अश्रव्य) । राजस्थान के विरोधी दलों के नेताओं की हत्या की जा रही है । करौली के जनसंघ के कार्यकर्ताओं की हत्या....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आपने आज प्रस्तुत किया है तो फिर माननीय सदस्य के बोलने का प्रश्न कहां पैदा होता है ?

मैं अलाऊ नहीं करूंगा ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : दो दिन पहले आपने व्यवस्था दी थी । आदर्श नगर, अजमेर में कुछ आदमियों की दाढ़ी, मूंछ, सिर के बाल थानेदार द्वारा कटवा दिये थे । उनको बाजार में निकाला गया था । स्वयं गृह मन्त्री महोदय को उसी रूप में उन आदमियों ने अपने दर्शन दिये हैं कि क्या हाल हुआ है ? इसके लिये वक्तव्य देने का आपने फरमाया था लेकिन आज तक इसकी कोई तिथि निश्चित नहीं हुई है ।

श्री अध्यक्ष: यदि मैंने ऐसा कहा है तो तिथि निश्चित कर देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के लिये मंहगाई के सम्बंध में स्थगन प्रस्ताव दिया था । इस सम्बंध में इस सारे सदन की बैठकों में कोई प्रश्न नहीं आया । गवर्नमेंट ने जो मंहगाई भत्ता डिक्लेयर किया है नवम्बर '67 का वह अभी तक नहीं मिला है । रोडवेज में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनको विकल्प देकर वहां भेजा गया है । उनको सारी चीजें और वेतन की सब सुविधायें जो सरकारी नौकर को मिलती हैं वह सब उनको मिलनी चाहिये यह अन्डरस्टेंडिंग था । जो मंहगाई भत्ता सरकार ने डिक्लेयर किया था वह लेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारियों को तो मिल गया है । लेकिन रोडवेज वालों को नहीं मिला है । इस बारे में श्री टीकमचन्द जैन लेबर कमिश्नर ने समझौता करवाया है......

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उसके बारे में मंत्री महोदय से वक्तव्य दिलादें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां हजारों मजदूर कर्मचारियों का सवाल है उसके बारे में सरकार की क्या नीति है वह बतानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : आप राज्य सरकार के मंत्री से मिलिये वे आपको स्थिति से अवगत करा देंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मंत्री महोदय को आदेश वक्तव्य देने के लिये दें ।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार कर दिया है, मैं इस पर वाद-विवाद नहीं होने दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 16 तारीख तक भी वक्तव्य दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : जिन स्थगन प्रस्तावों के बारे में व्यवस्था दे दी है उनके बारे में जानकारी दिलाने में असमर्थ हूं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो स्थगन प्रस्ताव सचिवालय में प्रेषित किये जाते हैं, उनके बारे में आपकी ओर से व्यवस्था दे दी जाती है.....

Page No. 73

श्री अध्यक्ष : मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं आपका स्थगन प्रस्ताव 10.58 मिनिट पर आया था । आप इस अवसर का लाभ लेकर स्थगन प्रस्ताव को सदन के सामने रखना चाहते हैं । 10.58 पर आपका स्थगन प्रस्ताव आया है उस पर बोलने की इजाजत मैं नहीं दूंगा । मेरा प्रथम निर्णय क्या होग यह आप अच्छी तरह से जानते हैं । आप तो नियमों के ज्ञाता हैं ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत नहीं दे सकता । आर्डर प्लीज ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा नम्र निवेदन है आपके माध्यम से जो राज्य सरकार बहरे कानों की है जिसने आंखें मींच रखी हैं…

श्री अध्यक्ष : इस तरह से मैं माध्यम को उपयोग नहीं करने दूंगा ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आसमान और जमीन फट रही है ऐसी भयंकर समस्या है । सात लाख जयपुर की जनता को पानी जिस श्रोत से मिलता है रामगढ़ का बान्ध वह बह रहा है । व: बांध टूट गया है…

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य । आप अगर चाहते हैं कि मैं व्यवस ा दूं तो आप आग्रह मत करिये ।

श्री रामकिशन (वैर) : शार्दूल टैक्स-टाइल मिल्स के बारे में सूचना चाही है आपने, उसके बारे में आपकी क्या व्यवस्था है ।

दूसरे जगर वान्ध में सुधार करन के सम्बन्ध में आज और कल मन्त्री जी वक्तव्य देने वाले थे वे कब देंगे ?

श्री आलमअली (फतेहपुर) : मूंड मुंडाया ने ओला पड्या जैसी बात है । मैंने आज ही एक प्रस्ताव की सूचना दी है फतहपुर तहसील में अकाल के बारे में सूचना दी है । जानवर भूखों मर रहे हैं और बीमारी से पीड़ित हैं…

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : माननीय सदस्य भावना में हैं कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : भावना में हैं तो थोड़े से शब्दों में कह दीजिये ।

श्री आलमअली : फतेहपुर पंचायत समिति में आज भारी अकाल पड्यो हुयो है । वठे जब काम खोलबा ने केवां हां तो अधिकारी केवे है आप वोट कांग्रेस ने नहीं दियो इण वास्ते कोई भी कार्य नहीं किया जावे ।

(शेम शेम की आवाज)

श्री अध्यक्ष : इसमें शेम कहां से पैदा हो गया ?

श्री आलमअली : मंत्री जी इयां की भावना मत राखो । कांग्रेस की गलतियां सूं ही कांग्रेस मरेला । वठे जानवर मर रया है आदमी मर रहया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें । आर्डर आर्डर ।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : मैंने भी 6/9 को स्थगन प्रस्ताव दिया था ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : मेरा भी अकाल के सिलसिले में बांसवाड़ा जिले के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था उसको आपने अस्वीकार कर दिया । आप जानकारी करके मंत्री महोदय से वक्तव्य तो दिला दें ।

Page No. 74

श्री अध्यक्ष : आपसे मैंने वातचीत कर ली थी और उस समय आप सन्तुष्ट भी होगये थे। इसके वाद भी मैंने आपके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

श्री हीराभाई : तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा। जिला वांसवाड़ा में आज भयंकर अकाल पड़ चुका है। वहां के लोगों की आमदनी नहीं के बराबर है। खेती का धंधा करते थे, तीन चार अकाल पड़ने के कारण वहां के जो वोहरा लोग थे उन्होंने भी पैसा देना वन्द कर दिया है। इससे और भी भयंकर स्थिति वहां पैदा हो गई है। जिला वांसवाड़ा के आसपास इतना भयंकर अकाल है कि उस क्षेत्र को तत्काल अकाल घोषित कर दिया जाकर उसको तत्काल राहत पहुंचाने की व्यवस्था करें।

घास भी वहां पर सूख गया है, मवेशी मरने लगे हैं, राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। यह मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है यहां जो अकाल मंत्री ने फिगर्स पेश किये थे वांसवाड़ा, डूंगरपुर की रिपोर्ट उस समय तक प्राप्त नहीं हुई थी। आज वहां भयंकर अकाल है। अतः आप उस क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित कर राहत कार्य प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान सरकार सामूहिक रूप से सारी अकाल की स्थिति के बारे में एक दो दिन में विचार कर रही है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हमारे क्षेत्र में भी अकाल है.....

श्री श्रवणलाल : मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। श्री जुझार सिंह याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना कस्बे में स्थित मनोहर दुर्ग (किले) की सुरक्षा से सम्बन्धित चार याचिका देने वालों के हस्ताक्षर युक्त याचिका सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मनोहर थाना कस्बे की जल प्रदाय योजना को पूर्ण कराने सम्बंधित चार याचिका प्रस्तुत करने वालों के हस्ताक्षर युक्त याचिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करता हूं।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : बिजनेस दूसरा ले लिया है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण (मंडावा) : मैं झुंझुनूं-राजगढ़ वाया मलसीसर मार्ग को पक्का बनाने के सम्बन्ध में याचिकाकर्त्ताओं के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं। मण्डावा से बिसाऊ तक की सड़क पूर्ण कराने के सम्बन्ध में 3 याचिका देने वालों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं उदयपुरवाटी के वार्ड नम्बर आठ व नौ में बिजली की व्यवस्था कराने के लिये एक याचिका देने वालों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

मैं उदयपुरवाटी पंचायत समिति क्षेत्र में बिजली देने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वालों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

मैं झुंझुनू उदयपुरवाटी सड़क निर्माण में आई भूमि का लगान बन्द कराने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वाले के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका सदन में उपस्थित करता हू

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम मीठड़ी, तहसील लाडनं, जिला नागौर में ट्रान्सफार्मर लगने के बावजूद भी आसपास के कुओं को बजली न दिये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वालों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

मैं ग्राम निम्बी जोधां, तहसील लाडनूं, ज़िला नागौर की जल प्रदाय योजना चालू कराने के सम्बन्ध में एक याचिका देने वाले के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्राक्कलन समिति, 68-69 में हुए रिक्त स्थान के लिये श्री महेन्द्र-कुमार तथा राजकीय उपक्रम समिति, 1968-69 में हुए एक रिक्त स्थान के लिये श्री शीशराम निर्विरोध निर्वाचित सदस्य घोषित किये जाते हैं ।

माननीय मन्त्री द्वारा वक्तव्य । सवाई माधोपुर में किसानों से सुधार कर की वसूली के सम्बन्ध में सिचाई मंत्री वक्तव्य देंगे ।

श्री भैरोंसिह : कितने वक्तव्य होंगे अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : 127 के अन्तर्गत चर्चा श्री हरिवल्लभ शर्मा द्वारा ।

श्री भैरोंसिह : दो ही हैं ।

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री मनफूलसिह (उप-मंत्री, सिचाई) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सुधार कर, राजस्थान भूमि विशेष सिचाई शुल्क अधिनियम, 1953 व नियम 1954 के अन्तर्गत निर्धारण कर वसूल किया जाता है । इन नियमों के अनुसार जिस योजना की वास्तविक सिचाई एक हजार एकड़ या इससे अधिक होती है एवं अनुमानित सिंचाई का 60 प्रतिशत सिचाई होने पर उस पर सुधार कर लगाया जाता है, जग्गर योजना की अनुमानित सिचाई 8,178 एकड़ है और 7,776 एकड़ म सिचाई हो चुकी है । नियमों के अनुसार सुधार कर पाच साल से सिंचित होने वाले क्षेत्र पर अन्तिम तीन साल का औसत लिया जाकर लगाया जाता है व इस अवधि में उक्त क्षेत्र के सिचित नही होने पर अग्रिम 6, 7 व 8 मे वर्ष म औसतन रकबे पर सुधार कर लगाया जाता है । नीति को स्पष्ट करने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि लघु एवं मध्यम सिचाई योजनाओ मे औसत सिंचित रकबे के आधार पर निश्चित किया गया सुधार कर अन्तिम होगा और भविष्य में घटत बढ़त का कोई असर नहीं होगा । इससे सुधार कर की वसूली आसान हो जायगी । इसी कारण जग्गर बान्ध पर सुधार कर 7,000 एकड़ सिचाई के तहत सिर्फ 3,194 एकड़ भूमि पर ही लगाया गया है नियमों के अनुसार सुधार कर खातेदारी भूमि पर ही लगाया जाता है । सुधार कर चाही भूमि से व जो कुए बन्दोबस्त के बाद बने हैं उन पर भी सुधार कर नहीं लगाया जाता है ।

योजनाओं को बनाने में सरकार का काफी खर्चा होता है और इसके बनने से भूमि की कीमत बढ़ जाती है । इसलिये ही यह सुधार कर लगाने का नियम बनाया गया है ।

(श्री मनफूलसिंह)

यह कहना गलत है कि बान्ध की नहरों आदि की ठीक व्यवस्था नहीं की गई है। तथा सीपेज के कारण उस क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। नहरों एवं माइनरों की व्यवस्था बिलकुल ठीक है। सीपेज के बारे में स्थिति यह है कि मेन कैनाल के लगभग डेढ़ सौ क्षेत्र में सीपेज होता है जिससे नहर के साथ साथ करीब 50 एकड़ भूमि प्रभावित होती है। सीपेज को रोकने के लिये अभी लगभग 50 हजार रुपये की लागत से सबसे ज्यादा खराब हिस्सों को पक्का किया गया है। बाकी के हिस्सों को भी पक्का किया जाने का मामला विचाराधीन है। वास्तव में किसानों की स्थिति पैदावार ज्यादा होने के कारण सुधरी है। जो नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट है :

(12.55 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

जग्गर सिंचाई योजना से सिंचाई सन् 1955-56 से प्रारम्भ हुई है।

1955-56	1,837 एकड़
1956-57	855 एकड़
1957-58	2,662 एकड़
1958-59	3,424 एकड़
1959-60	4,395 एकड़
1960-61	4,386 एकड़
1961-62	6,057 एकड़
1962-63	6,886 एकड़
1963-64	5,739 एकड़
1964-65	7,776 एकड़
1965-66	7,305 एकड़
1966-67	6,663 एकड़

जग्गर योजना पर सुधार कर की दरें क साथ जमा कराने पर 60 रु० प्रति एकड़ व 10 किश्तों में जमा कराने पर 72 रु० प्रति एकड़ निर्धारित की गई है। जग्गर योजना से सुधार कर सन् 1965-66 से वसूल किया जाना है। इस योजना के 3,194 एकड़ क्षेत्रफल पर सुधार कर लगाया गया है जिसके लिये रकम एक साथ जमा कराने पर 1,91,651 रु० तथा दस किश्तों में जमा कराने पर 2,29,980 रु० की सरकार को आय होगी तथा इसकी सालाना किश्त 22,998 रु० आती है। आज तक की कुल चार किश्तों की रकम 91,992 रु० आती है जिसके तहत केवल 162 रु० वसूल किये गये हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था उसमें दो मुद्दे उठाये गये थे। एक तो सुधार कर की वजह से किसानों की हालत खराब होती जा रही है और जिस तरह से सुधार कर लगाया है और उसके लिये जो आधार माना है उसको चुनौती दी थी। सरकार ने यह मान्यता बनाई है कि जग्गर बान्ध के क्षेत्र में 20 मन एकड़ की पैदा हो जाती है। पर जिन्होंने जग्गर का इलाका देखा है वे जानते हैं कि यह रेतीली जमीन है। वैसी नहीं है जैसी गंगानगर नहर क्षेत्र में है। तो इसमें औसत पैदावार ही देखनी चाहिये।

और सिंचित क्षेत्र में जग्गर के साथ भरतपुर के चार इलाके लगे हुए हैं। उनमें आज तक भी रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार 20 मन प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार कभी नहीं हुई, हुई बता दें तो मैं इसे चुनौती देता हूं।

यह खुद में अपने आप स्पष्ट है जो सरकार ने जवाब दिया ह कि इसमें उसे

(श्री रामकिशन)

केवल 162 रु० की वसूली हुई है 19,992 रु० के मुकाबले में। प्रश्न यह है कि जितना 3,194 एकड़ पर सुधार कर लगाया है उसकी वसूली आप किसी न किसी दिन तो करेंगे ही, आज नहीं तो कल करेंगे। जब तक नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तबतक तो किसानों को किसी तरह देना ही होगा। यह ठीक है कि सारे सिंचित क्षेत्र 7 हजार एकड़ में यह नहीं होगा, 31 सौ एकड़ में ही होगा पर उनमें भी जो आर्थिक स्थिति आज उनकी है उसका निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ा है। आपने 22 लाख की लागत बताई है।

मैं सुधार कर के सम्बन्ध में निवेदन करता हूं। सरकार जो पैसा लगावे उस का रिटर्न न आवे या आमदनी नहीं हो यह हम भी नहीं चाहते। आमदनी नहीं होगी तो दूसरे विकास के कामों पर असर पड़ेगा। मैं इस सम्बन्ध में सरकार के सिद्धान्त का विरोध करने के पक्ष में नहीं हूं। सुधार कर लगाया जावे तो इसके कुछ सिद्धान्त स्थिर किये जाने चाहियें। अन्दाज आपने लगाया है कि इतनी पैदावार हो जावेगी। वास्तव में जानकारी करें कि ऐसा हुआ है क्या? आपने लेवी वसूल की है। अगर कभी भी पूरे किसी वर्ष में भी लेवी दी हो तो जो सरकार असैस करती है पटवारी, राजस्व विभाग और तहसीलदार के स्टाफ के द्वारा उसको सुधार कर का अगर आधार आप मानते हैं तो यह गलत है।

इसके साथ साथ सीपेज माइनर्स के सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं। मेरे क्षेत्र से लगा हुआ यह इलाका है। उस के बहुत से हिस्से में पानी भरा रहता है आपने कहा कि केवल 50 एकड़ में पानी भरा रहता है, यह सूचना आपकी गलत है। सारे इलाके में पानी भर रहा है और उसमें सील के कारण एक मन प्रति बीघा भी नहीं उपज होती। वह तो कई गुणा ज्यादा है जो आपने बताया है। इसकी दुबारा आपको जांच करनी चाहिये।

इसके अलावा माइनर्स का खेतों में पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में है सिंचाई विभाग की तरफ से केवल कुछ लाइन्स डाल दी गई हैं। आज भी जैसी व्यवस्था होनी चाहिये नहीं है।

(1 म० प०)

और इसके अलावा जग्गर बन्ध की दूसरी प्राबलम आपने जो निरन्तर एरिया बताया है आज जो जग्गर बन्ध है उसमें सिल्ट होती जा रही है, उसकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। उसको दुबारा रेज नहीं किया जाता है और दूसरे क्षेत्र से पानी नहीं लिया जाता है तो उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी हालत खराब होगी। कुओं की संख्या समाप्त होती जा रही है और पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा जितना पैसा लेना चाहते हैं उतना पैसा लें लेकिन स्थाई काम हो। किसान महसूस करें कि हमारे लिये लाभप्रद काम चलाया गया है। उसके मन में जबतक यह बात नहीं होगी तबतक आपको निराशा होगी और अबकी बार·····

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामकिशन : संक्षेप में ही कहूंगा। इसको वसूल करने के लिये हिन्डौन के जो तहसीलदार हैं, उनका ग्राम वासियों के साथ दुर्व्यवहार है। इसमें जो मुद्दा उठाया गय है वह शायद मंत्री जी से इसका सम्बन्ध नहीं है। वहां के काश्तकारों को पीटा गया है इस प्रकार तहसीलदार ने गांव में पिटाई की है—दो हरिजनों

(श्री रामकिशन)

को पीटा गया। तहसील में झगड़ा हुआ है और तहसीलदार ने यह रिपोर्ट कराई है कि मुझे पीटा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में किसी गरीब वर्ग में यह हिम्मत नहीं है कि बिना किसी उत्तेजना के हाथ उठा लें। आप इस धारणा को उठा दें कि गरीब आदमी ऊंचे वर्ग के लोगों को पीट सकते हैं। जो जिक्र किया गया है वह गलत है, वे मारपीट नहीं कर सकते हैं। अभी हरिजन का हाथ सवर्ण की तरफ बढ़ जाय यह सम्भावना नहीं हो सकती है। डांट फटकार हो सकती है, यह बात जरूर हो सकती है उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन पिटाई कभी भी नहीं हो सकती है। सुधार कर की वसूली के लिये जिस तहसीलदार ने गलत काम किया है उस तहसीलदार को एकदम टा दिया जाय वहां सुधार कर की जो हालत है—20 मन की जो औसतन पैदावार लगाई है उसको कम करें। 60 रु० सुधार कर, सिचाई कर फर उपाध्यक्ष महोदय, वचता क्या है? यह आपने सोचा है कभी···

श्री उपाध्यक्ष: संक्षेप में। आप दुबारा भाषण की शुरूआत कर रहे हैं।

श्री रामकिशन : बहुत संक्षेप में कहूंगा। इस सम्बन्ध में सरकार दुबारा विचार करके इन तहसीलदारों के व्यवहार को और माईनर्स वगैरह में कमी है उसमें सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है, मंत्री महोदय जानकारी देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रवणलाल।

श्री श्रवणलाल (हिंडोन): उपाध्यक्ष महोदय, आज जो जग्गर बन्ध के लिये माननीय मंत्री महोदय ने यह मुद्दे बताये हैं, वहां पर उन्होंने 50 एकड़ सीपेज का बताया है। यह उन्होंने नहीं के बराबर बताया है। आम तौर पर अधिकारियों की उस रिपोर्ट को न देखकर वास्तविक तथ्य को देखा जाय, उसका चैकिंग किया जाय यह कई गुणा अधिक मिलेगा। नहरों की यह हालत है। नहर के आसपास के 1-1, 2-2 खेत नहर के पानी से भरे रहते हैं। उन किसानों के पास जिनके पास से नहर गुजर रही है अनाज का उत्पादन नहीं होता है। इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को बताया कि 20 मन पर रखा है वह गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं बहुत ही छोटे रूप में है। पानी का जो वितरण है वह गलत है। जिसके कारण किसान वर्ग में उसका सदुपयोग नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि इन्होंने उस नहरी इलाके का जो रखा है वह करीब 20 हजार एकड़ का रखा है उसके अन्दर पानी सिर्फ 10 हजार एकड़ की पिलाई कर सकते हैं और वास्तव में यह करीब 5 या 6 के बीच पानी देते हैं, समय पर पानी नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा उपाध्यक्ष महोदम, दो बातें हैं···

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री श्रवणलाल : एक तो समय पर पानी नहीं दिया जाता है दूसरे एरिया लम्बा रखा है। एक पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है दूसरे पानी की इच्छा रखते हैं कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। उनकी बहुत सी फसलें इस प्रकार नष्ट हो जाती हैं, बिना

(श्री श्रवणलाल)
पानी के नष्ट हो जाती है, जिस समय पर पानी चाहिये, उस समय पर पानी नहीं मिलता है। वहुत कम मात्रा में जाकर किसान सक्सेसफुल होते हैं। ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, 60 रु० एकड़ के अनुसार इन्होंने जो टैक्स लगाया हे वह उचित नहीं है।

... उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा आकर्षित करना चाहूंगा वहां के किसानों की माली हालत देखी जाय, आर्थिक स्थिति को देखा जाय वहुत खराब है। वहां के किसानों के पास 1-1 वीघा, 2-2 वीघा और अधिक से अधिक 10 वीघा से अधिक जमीनें नहीं हैं। 100 मुरब्बा जहां जमीन हो वहां उन्होंने इस प्रकार किया है तो यहां पर उस प्रकार के किसान तो हैं नहीं। इनके पास 1-2 या 10 वीघा से ज्यादा नहीं है। इन पर यह लागू करके कुठाराघात किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ साथ...

श्री उपाध्यक्ष : आप लम्बा भाषण दे रहे हैं। जो मुद्दे की वात हो आप संक्षेप में कह दीजिये।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में...

श्री उपाध्यक्ष : आप संक्षेप में नहीं कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): दो बात तो आपने कह दी।

श्री श्रवणलाल : जो घटना हमारी तरफ हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : घटना का स्थगन प्रस्ताव से सम्बन्ध नहीं है।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस तहसील का हूं और उस तहसील का होने के नाते मेरा फर्ज हो जाता है....

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको किसी और तरह से उठा सकते थे...

श्री श्रवणलाल : मैंने उपाध्यक्ष महोदय, कल यह व्यवस्था चाही थी जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि इस पर वक्तव्य दे दिया जायगा। उत्तर दिलाया जाय, वह नहीं दिलाया गया इसलिये मेरा फर्ज हो जाता है वहां पर इस प्रकार की घटनायें बढ़ती जा रही है, उनके लिये मेरा यह फर्ज है आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हिन्डौन में जो तहसीलदार हैं...

श्री उपाध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा। आप वही की वही बात...

श्री श्रवणलाल : मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा...

श्री उपाध्यक्ष : ये डिटेल ही तो हैं, आप मेरे द्वारा बहुत लम्बा भाषण देना चाहते हैं जो डिबेट के दायरे के बाहर है।

श्री श्रवणलाल : मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो तहसीलदार है वहां का जो आज से काफी समय पागल रह चुका है, कभी कभी उसके दिमाग में अब भी सनक आ जाती है—जन-जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का हो मुझे उसमें ऐतराज नहीं किन्तु जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहे यह बर्दाश्त नहीं है। डेवलेपमेंट कमेटी की

(श्री श्रवणलाल)

मीटिंग में आते हैं, पीकर के आते हैं, मस्त होकर आते हैं। जैसा मेरे से पहले माननीय सदस्य ने बताया हरिजनों को, किसानों को खुले रूप में लाठी लेकर पीटा है। यह तो माना जा सकता है कि इस प्रकार पिटते हुये देखकर उन्होंने भी पिटाई की हो और इस प्रकार का वातावरण बना हो। हो सकता है किसान ने भी पीटा हो 2-4 हाथ जब किसान पर पड़े हों तो यह भी हो सकता है कि 1-2 हाथ किसान ने भी लगाये हों लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उसका जो वहां पर रहना है इस प्रकार से हर एक व्यक्ति से रिश्वत, अलाटमेंट के मामले में रिश्वत। कलेक्टर से आप एन्क्वायरी करा लीजिये। ऐसे व्यक्ति को इमीजियेटली हटाकर एन्क्वायरी करायें और मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि अतिशीघ्र उसको हटाकर उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो तीन मख्य मुख्य प्रश्न माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। एक तो यह है कि गत बजट सत्र में मैंने सवाई माधोपुर जिले के बारे में यह प्रश्न किया था कि वहां जितने भी मीडियम इरीगेशन वर्क्स बने हैं और नहरें निकली हैं तो आया जो काश्तकारों की जमीन खातेदारी की उसके उपयोग में आई है उसका मुआवजा दिया गया है या नहीं। राज्य सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया था उसमें जग्गर बांध भी शामिल है और सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया था कि अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। यही कारण है कि जो मुआवजा नहीं दिया गया है चाहे नहर हो और उसकी डूब में जमीन आ गई हो उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। और जो खातेदारी की जमीन बांधों की डूब में आ गयी उसका लगान वसूल नहीं कर रहे हैं लेकिन नहर में किसी की आधी, पाव या पूरी जमीन आ गयी तो वह खातेदारी में लिखी हुई है उसकी पिलाई भी वसूल हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सूचित करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न है। सूचित करने से कोई लाभ नहीं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इसी में है।

श्री उपाध्यक्ष : इसी में नहीं है बैटरमेंट लेवी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : बैटरमेंट लेवी पूरी ले रहे हैं। इसी तरह से सिंचाई की दरें वसूल की जाती हैं। नहर के काम में खेत का एरिया आ गया है उसको नहीं काटकर सारे का सारे एरिया का लेते हैं बैटरमेंट लेवी। बैटरमेंट लेवी पूरी एरिया पर लेते हैं। इसलिये यह जरूरी है कि जितना हिस्सा भूमि का नहर के काम में आ गया है उसको काटकर फिर बैटरमेंट लेवी वसूल होनी चाहिए और यह काम ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता।

दूसरा निवेदन यह है कि बारिश नहीं होने से कैतसाली के लक्षण सारे जिले में क्या सारे राजस्थान में नजर आ रहे हैं तो इस समय में वसूली करना बिलकुल अनुचित है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की जो बैटरमेंट लेवी लेने की नीति है वह किसान विरोधी नीति है...

श्री उपाध्यक्ष : कौन से बांध के बारे में कह रहे हैं ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बैटरमेंट लेवी के ऊपर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विषय की जानकारी हो उसी पर कहें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बैटरमेंट लेवी के ऊपर ही कह रहा हूं।

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह) : सवाई माधोपुर की बात है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : जनरल बात कह रहा हूं। बैटरमेंट लेवी किसान विरोधी चीज है और जब सरकार समय पर पानी नहीं दे पाती है तो बैटरमेंट लेवी नहीं लेनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जब काश्तकार से दूसरे टैक्स लिये जाते हैं तो बैटरमेंट लेवी किसान विरोधी चीज है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चार बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आपने कहा कि 12-13 वर्ष पहले बांध बना है और उसके बाद में आरोप यह है कि इस बांध के धोरे और नहरें जितनी हैं वह टूटी फूटी अवस्था में हैं और आपने कहा ऐसी बात नहीं है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि बांध बनने के बाद आज तक इन धोरों और नहरों की मरम्मत पर राज्य सरकार का कितन व्यय किस किस पर और कब कब किया है और दूसरे आपने यह कहा है कि यह जो 20 मन का बीघा के हिसाब से हालांकि आपने कहा कि नहीं है तो आपने 60 रुपये प्रति एकड़ जो यहां से बैटरमेंट लेवी लेते हैं तो दूसरी जगहों से बैटरमेंट लेवी लेते हैं उसमें और इसमें फर्क है या नहीं ? और अगर दोनों जगहों में फर्क है तो उसका आधार क्या है ? और आपने 20 मन प्रति बीघा नहीं फलाया है तो क्या इसकी उत्पादन क्षमता सिंचाई की बात मानी है ? चौथी बात यह है कि 162 रुपया जो वसूल किया है और इस वसूली में आप के तहसीलदारों को कितना जोर आया है उन्होंने ज्यादती की है और इसके ऊपर मेरे दूसरे साथियों ने भी प्रकाश डाला है। मैं कहता हूं कि 162 रुपये वसूल करने में तहसीलदारों को और आपके दूसरे अधिकारियों को कसरत करनी पड़ी और जो अत्याचार हुए उसमें आप क्या यह समझते हैं कि बहुत अच्छे तहसीलदार हैं तब तो आप उनको अपने चौमू में भेज दें वर्ना आपके विभाग की तरफ से वसूली नहीं होनी चाहिए। ऐसी ज्यादती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करना चाहते हैं ? उसका आपने कतई जिक्र नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : 162 रुपये वसूल करने में कितना खर्चा हुआ ?

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बांध से आप प्रति वर्ष फसल के समय में कितना पानी देते हैं ? किसानों की शिकायत यह है कि केवल एक या दो पानी ही लगता है और गेहूं की फसल के लिए कम से कम 4 पानी चाहिए। अब अगर 2 पानी या 1 पानी यह बांध दे पाता है तो एक बार पानी लगने के बाद आपके रेकर्ड में दर्ज हो जाता है कि इतने एकड़ भूमि सिंचित हुई। लेकिन हकीकत में किसान के खेत में फसल पकती ही नहीं है और आपकी बैटरमेंट लेवी

(श्री दौलतराम सारण)

पक्की हो जाती है। कभी आपके 7 हजार एकड़ में सिंचाई होती है, कभी 6 हजार एकड़ में होती है और कभी 3 हजार एकड़ में होती है, इस प्रकार यह बांध पूर्णतया पानी देने में समर्थ नहीं है। जब इस तरह से यह बांध पानी देने की क्षमता नहीं रखता उस सूरत में बैटरमेंट लेवी लगाना किसी तरह से जायज नहीं कहा जा सकता। फिर एक लाख या 2 लाख की छोटी रकम है और 25 गांव परेशान हैं और कितना ज्यादा खर्चा वसूली में करना पड़ रहा है, इन सारी बातों को आप देखेंगे तो बैटरमेन्ट लेवी वसूल करने के मामले में आपको विचार करना चाहिये। बैटरमेंट चार्जेज लेना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर गौर करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह।

कुं० श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो राज्य सरकार सुधार कर लेना चाहती है मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा मंत्री महोदय ने बताया कि इस बांध की नहरों से 12 हजार एकड़ भूमि जल-संसरण के कारण नाकाबिले काश्त हो चुकी है और जब इस प्रकार इतनी बड़ी-बड़ी भूमि जल-संसरण के कारण और नहर के पानी के कारण बेकार हो चुकी है तो क्या राज्य सरकार सारे किसानों को जो कि इस भूमि पर काबिज हैं और जो इसी भूमि से अपना जीवन-निर्वाह करते आ रहे हैं उन सारे किसानों को सरकार कम्पन्सेट करने के लिए तैयार है? यदि तैयार है तो आज तक सरकार ने उन लोगों को कम्पन्सेट करने के लिए क्या कदम उठाया है!?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, अगर बांध की बैटरमेंट लेवी के संबंध में वक्तव्य दिया गया उसमें दो तीन मुद्दे उठाये गये। एक मुद्दा यह है कि इस बांध से जो बैटरमेंट लेवी लागू की है वह 20 मन प्रति बीघा उत्पादन हो जाने या उत्पादन बढ़ जाने के आधार पर लागू की है। मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है। दरअसल बैटरमेंट लेवी दो-तीन आधार पर लगाई जाती है। एक तो यह है कि सरकार का करोड़ों रुपया जो बंध पर खर्च हुआ है उन बंधों से जिस खातेदार की जमीन सिंचित होती है उस जमीन की कीमत बढ़ जाती है, एक बात, और दूसरी बात यह है कि उसके अन्दर प्रति एकड़ प्राडक्शन भी पहले के मुकाबले में बढ़ जाता है। सिद्धान्ततः 20 मन प्रति बीघा बढ़ जाने की बात कही जाती है, और इस बात को किस तरह से आंकी जाय इसके लिए एक्सपर्ट्स ने एक फार्मूला तैयार किया हुआ है उसके आधार पर ड्राई रेन्ट रेट्स क्या हैं और वेट रेन्ट रेट्स क्या हैं, उसका डिफरेन्स क्या है, उसको मल्टीप्लाई करने से जो रकम आती है उसको एक तरह से बैटरमेंट लेवी की रेट होती है, और यह अलग-अलग स्थानों पर अलग अलग इसलिये होती है कि रेन्ट रेटस भी अलग अलग होती है।

इसलिये एक प्रोडक्शन का एक ही आधार हो, यह बात सही नहीं है, बल्कि एक माना हुआ फार्मूला थ्रूआउट दी कन्ट्री लागू किया हुआ है जहां भी बैटरमेंट लेवी का सिद्धान्त लागू हुआ है, तो इस फार्मूले से इसको वर्क आउट किया जाता है, और यह वाजिब भी है कि करोडों रुपया खर्च हो जिससे खातेदार की जमीन की कीमत बढ़े, उत्पादन बढ़े तो करोड़ों रुपये खर्च करने के एवज में कुछ रकम सरकार को आमदनी के रूप में मिले। इसलिये मूवर आफ दी मोशन ने भी इस बात को एप्रिशियेट किया है। वहां पर नहरें ठीक

Page No. 83

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
नहीं हैं, सीपेज से नुकसान होता है, तो जहां तक नहरों और माइनर्स का सवाल है मैंने फिर से वेरीफाई किया है तो नहरां और माइनर्स की स्थिति ठीक है। यह बात दूसरी है कि कहीं हैवी बरसात की वजह से टूट-फूट हो गई हो, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं।

जहां तक सीपेज का प्रश्न है तो सीपेज की समस्या सरकार के ध्यान में है और उसको हल करने में जैसा कि वक्तव्य में बताया गया है 50 हजार रुपया हम खर्च कर चुके हैं जिससे 30 एकड़ सीपेज जिसको हम 50 एकड़ मानकर चलते ह उसमें से 30 एकड़ के सीपेजे पर 50 हजार रुपये लगा दिये हैं और वह ठीक हो गई ह। अब 1,40,000 रु० की एक और योजना है जिसको क्रियान्वित करने पर सीपेज का जहां पर प्राब्लम है इस नहर में वह नहीं रहेगा, और उसमें जहां पर बहुत कमजोर हिस्सा था, और ज्यादा लीकेज होता था, ज्यादा सीपेज होता था, उन हिस्सों को ठीक कर दिया है, और बाकी के हिस्सों को हम शनैः शनैः ठीक कर रहे हैं। थोड़ा सा यह प्राब्लम जो थोड़े से रकबे म है वह दूर हो जायगा मैं इस बात को मेरी सूचना के आधार पर मानने को तैयार नहीं हूं कि हजारों बीघा, सैंकड़ों बीघा जमीन इस सीपेज से प्रभावित होती है, और क्योंकि सीपेज की भूमि है जिससे फसल को नुकसान होता है तो सीपेज से नुकसान होने के बारे में कानून में विधान है कि ऐसे रकबों में बैटरमेंट लेवी नहीं लेना चाहिए। सीपेज से रकबे को नुकसान है तो खती नहीं कर सकेंगे तो बैटरमेंट लेवी लेना तो हम भी पसन्द नहीं करेंगे। ऐसे मामले हैं और इस तरह की बात है तो पुनः विचार कर सकते हैं, और उसको जो भी इमदाद हो वह दी जा सकती है. दूसरा प्रश्न यह उठाया था।

तीसरा प्रश्न यह है कि क्या राजस्थान में और जगह जो बैटरमेंट लेवी लगाई है वह ऊंची है या नीची है। जैसा कि मैंने कहा कि हर जगह की रेट एक समान होना स्वाभाविक तौर पर सही नहीं होगा, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेट अलग-अलग है, वहां की वाटर रेट अलग-अलग है। तो उनका डिफरेन्स भी अलग अलग होगा और इस फार्मूले को वर्क आउट करने से रकम भी अलग-अलग आयेगी, लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने राजस्थान में माइनर और मीडियम इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स जो कि लगभग 28 प्रोजेक्ट्स हैं उनमें बैटरमेंट लेवी लगाई है और वहां पर जो रेट्स हैं उनको देखते हुए यहां पर रेटस ज्यादा नहीं हैं। यहां पर 72 रुपये हैं तो इससे भी आगे हैं रेट्स और दूसरी जगह। कहीं पर 54, कहीं 60, कहीं 62 और कहीं 50 भी हैं। अलग-अलग परिस्थितियों के आधार पर इस फार्मूले के आधार पर अलग-अलग रेट्स ह लेकिन यहां जितने रेट्स हैं उससे अधिक और समानान्तर और प्रोजेक्ट्स में भी रेट्स हैं।

चौथा सवाल यहां पर और उठाया गया है कुछ भूमियों के मुआवजे वगरह के बारे में जो इस प्रश्न से इस समय में सम्बन्धित नहीं है। इसलिये में उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दे सकता।

तो माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बैटरमेंट लेवी का सिद्धान्त है वह उचित है और सही फार्मूले के अनुसार ही यहां पर लगाया है जो कमियां सीपेज की या नहरों की हैं उनको दुरुस्त करना चाहते है।

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कुछ माननीय सदस्यों ने यह शंका प्रकट की कि कोई 1800, 2300 या कोई 3,000 का प्रोवीजन हुआ पानी कम है। दरअसल कोई प्रोजेक्ट बनता है तो इरिगेशन डेवलप नहीं होता है । इरिगेशन का डेवलपमेंट 10-15 वर्षो में होता है तो हमने तो 8-5 वर्ष जो शुरू के हैं उनके अन्दर जो एक्चुअल इरिगेशन तीन वर्ष से लागू जिस भूमि मे हुआ है उसी को एवरेज माना है । 3,154 का पानी पहुंचा था और आज 7 हजार के करीब पानी पहुंचता है, लेकिन हमने उस समय के एवरेज को परमानेन्ट एवरेज मानकर बैटरमेंट लेवी लगाई है जबकि सिंचाई की व्यवस्था उसी काश्तकार को या सब काश्तकारों को 3,154 के बजाय दुगनी या ढाई गुनी व्यवस्था है। इसलिये यह उनके लाभ की चीज है। इससे एरिया कम होने का प्रश्न नहीं होता है। यह भी कहा गया था कि एक दफा वाटर सप्लाई नहीं की जाती है बल्कि 3-4 दफा पानी दिया जाता है इसलिये इरिगेशन का पानी एक ही मिला या नहीं मिला यह शिकायत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। इस साल तो बन्धा एक फुट के करीब खाली रहा है और काफी पानी दिया जा रहा है, तकलीफ नहीं है। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैंने जो कुछ अर्ज किया है उससे सहमत होंगे।

श्री रामकिशन : माननीय उपाध्यक्ष...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकिशन : मैं एक जानकारी चाहूंगा कि आपने उत्पादन का आधार तो माना नहीं और सन् 54 में बन गया बांध और आपके हिसाब से 60 का एकड़ मान लिया तो उसमें उत्पादन का आधार क्या मानते हैं? केवल लगान से काम नहीं चलेगा। पैदावार नहीं होती है उससे ज्यादा बैटरमेंट लेवी लगाई है। उस समय गेहूं का भाव 12 रु० मन था और चने का 8-9 रु० मन था ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया है कि फार्मूले के हिसाब से करते हैं। और फार्मूला अर्ज कर दिया चाही रेट, वेट रेट डिफरेन्स मल्टीप्लाइड बाई फिफटीन, इस तरह से वर्क आउट करते हैं।

श्री रामकिशन : सेविंग का क्या होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डेप्रिसियेशन ऑफ वेल्यू का नहीं मानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री रामकिशन : तहसीलदार का क्या हुआ जिसने मारपीटाई की थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसीलदार का जहां तक प्रश्न है माननीय राजस्व मंत्रीजी कहेंगे।

श्री दौलतराम सारण : 6-6 हजार लोगों का प्रदर्शन हुआ और आज भी आन्दोलन चल रहा है किसानों ने कहा कि एक डेढ पानी भी नहीं मिलता है और आप कह रहे हैं कि खेती अच्छी हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य, चर्चा समाप्त हुई।

श्री दौलतराम सारण : उसका कोई उत्तर नहीं दिया इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 127 के अन्तर्गत चर्चा समाप्त हुई।

श्री नत्थीसिंह : सिंचाई मंत्री जी जाकर देख लें।

श्री रामकिशन : राजस्व मंत्री भी हैं मेरा मुद्दा उसमें तहसीलदार के बारे में था, मैं कोई नया मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। उसके बारे में सरकार का क्या कहना है ? उसकी जांच करायेगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका यहां उत्तर नहीं दिया जायगा और तरीके आप अपनायें।

श्री रामकिशन : व्यक्तिगत तौर से ढाई रुपया रिक्शे का खर्च करके कहां जायं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज । अब इसके आगे जवाब नहीं आ येगा।

श्री श्रवणलाल : माननीय उपाध्यक्ष?

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि उत्तर के उत्तर का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। यह नियमों के प्रतिकूल है। इससे डिबेट बहुत लम्बी हो जाती है और जो विषय कार्यसूची में है वह नहीं लिये जा सकते।

श्री श्रवणलाल : मैं सिर्फ आपसे एक प्रार्थना करूंगा...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : मैं इसी से मिलाजुला प्रश्न है उसके बारे में इन्हें एक बात के लिए आग्रह करना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : काफी विचार हो गया है। नया विषय नहीं लिया जायगा।

श्री श्रवणलाल : वह उसी से सम्बन्धित है। मैंने इस तहसीलदार के खिलाफ एडजोर्नमेंट मोशन दिया है जो कि 23 तारीख को दिया है और उसी...

श्री उपाध्यक्ष : नया विषय है।

श्री श्रवणलाल : नया नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, उसके बारे में मुझे यह उत्तर दिया गया था कि हम इसकी जानकारी करना चाहते हैं और जब जानकारी उपलब्ध होगी तो मंत्री महोदय द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया जायगा। यह इससे सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : मैं इस पर ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहता हूं सिर्फ उत्तर दिलवा दें कि उसके बारें में क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : समय की सीमा कायम करना चाहिये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 127 के अन्तर्गत कुछ चर्चा करना चाहता हूं।

ग्राम खिरनी, तहसील बौंली, बाली के कस्बे के बाद दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा गांव है और यहां पर इतना पशुधन होते हुए भी जिस वक्त बीस साला बन्दोबस्त आ था संवत् 2002 का तो कोई ऐसा रकबा चरागाह का नहीं निकाला गया, मगर डेढ़ हजार बीघा सवाय चक की भूमि का एक कम्पेक्ट ब्लाक था वह बराबर कदीमी से चरागाह के काम में चला आ रहा था। जब सन् 57 में भूमि के आवंटन के नियम बने उसमें अनिवार्य था कि जिन गांवों में चरागाह के लिए जमीन बिलकुल नहीं है उनमें सबसे पहले चरागाह निर्धारित कर दिये जायं और उसमें जैसा कि प्रावधान है पहले चरागाह निर्धारित किये जाते हैं।

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
उसके पश्चात सिवाय चक की भूमि जो बच जाती है उसका आवंटन किया जाता है। उस सम्बन्ध में 1956-57 में ग्राम पंचायत खिरनी ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की और सिवाय चक पर जो 1300 बीघा जमीन पड़ती थी जो चरागाह के काम में आती थी उसके लिए मांग की इस रकवे को चरागाह के लिए निकाल दिया जाय ताकि बाद में इस जमीन का आवंटन नहीं कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्रीजी की जानकारी के लिए कह सकता हूं कि लाल फीताशाही के कारण पूरे पांच वर्ष इस केस को फाइल करने में लगे। 1956-57 में कार्यवाही चली और 1961 में कलेक्टर इस बात की स्वीकृति देता है कि 1300 बीघा के रकवे को चरागाह में परिवर्तित कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों को एतराज नहीं था। उसके पहले एस०डी०ओ० मौके पर प्रपोजल्स को अनाउन्स करने के लिये गये। धारा 5, उप-धारा 28, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत जो नियम बने हुए हैं उनके अनुसार एस० डी० ओ० मौके पर जाकर प्रपोजल्स को अनाउन्स करता है। उसके अनुसार उसने मौके पर जाकर प्रपोजल्स एनाउन्स किये और उसकी रिपोर्ट जिलाधीश को सबमिट की। उसके बाद में जिलाधीश के सामने एतराज नहीं हुए और एतराज न करने के कारण भी थे, क्योंकि 1961 के अन्दर उस रकबे के किसी अंश पर किसी का कब्जा नहीं था। जबकि 1961 के पहले यह सारा मामला पांच साल तक पेंडिंग रहता है और 1961 में पत्रावली गई तो 1961 के अप्रेल में जाकर इसकी स्वीकृति दी जाती है और उसी वर्ष तहसील के द्वारा ग्राम पंचायत को कब्जा दे दिया जाता है, और 1961 में ही कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिन्होंने तीस चालीस बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया जब कि पंचायत समिति को कब्जा दे दिया गया था......

श्री उपाध्यक्ष: आप विषयान्तर हो रहे हैं। आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है उस पर नहीं नहीं बोल रहे हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा: जो आधे घंटे की चर्चा जिस विषय पर है उसी पर बोल रहा हूं।

तो तीस चालीस बीघा पर कब्जा किया कुछ व्यक्तियों ने, यह जो आदमी थे, जो वहां प्रधान थे उनके कुछ साथी थे। उन्होंने करीब चालीस बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। इसकी पंचायत खिरनी ने तहसील में रिपोर्ट की लेकिन 1961 में कार्यवाही नहीं हुई और उनका अब तक कब्जा बना हुआ है।

इतना ही नहीं, इसके बाद और दूर दूर के दूसरे गांव के लोग उस चरागाह पर कब्जा करते चले गये। इसका नतीजा यह हुआ कि 2024 के अन्दर ढाई सौ बीघा के अन्दर कब्जा कर लिया है। यह खेद की बात है कि धारा 91 की कार्यवाही सफल नहीं हुई जबकि यह अवैधानिक कब्जा है। यह जो तहसीलदार है, पटवारी है, गिरदावर है और शेष उनके आदमी हैं उनकी कर्त्तव्य परायणता के और कर्त्तव्य-विमुख होने के कारण ही नहीं हो सका इसलिए सरकार ने चरागाह को रिजर्व करने के लिए विज्ञप्ति निकाल दी, जिसमें यह लिखा गया कि चरागाह पर जिनका कब्जा है उनकी फसल को नष्ट कर दिया जाय ताकि इस तरह का वातावरण तैयार हो और लोगों के अन्दर भय हो कि चरागाह पर खेती की तो खड़ी फसल को नष्ट कर दिया जायगा। गये साल इस विज्ञप्ति के कार्यान्वयन में जो कार्यवाही

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

इस तहसील में की गई तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस प्रकार अलग अलग लिस्ट निकाली गई जिसके आधार पर आधी जमीन पर खड़ी फसल थी और जो पन्द्रह दिन के बाद कटने वाली थी उसको विनष्ट कर दिया गया और कुछ व्यक्तियों के कब्जे में जो आधी जमीन थी वह विनष्ट नहीं की गई। जिनकी स्यालू नष्ट कर दी गई थी उन्होंने तो उनालू की फसल नहीं की और जिनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, जिनकी फसल नष्ट नहीं की उन्होंने उस जमीन पर अपनी स्यालू की फसल काटी और उसके बाद में उनालू की फसल को बो दी। और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उनालू की फसल भी पकने पर काट ली। इस वर्ष बार बार कलेक्टर और एस० डी० ओ० को तहसील में प्रधान और सरपंच ने मिलकर दरख्वास्त दी और लैटर लिखे। जुलाई के महीने से चरागाह पर लोग कब्जा करने लगे तबसे लैटरा लिखना शुरू किया लेकिन उसका कोई कारगर नतीजा नहीं आया। इसका परिणाम यह हुआ कि पचास बीघा जमीन पर जो काश्तकार काश्त करते आ रहे थे उन्होंने फिर काश्त कर ली। जब दूसरे लोगों ने देखा कि यह काश्त कर रहे हैं तो दो सौ बीघा जमीन पर दूसरे काश्तकारों ने उनालू की फसल के लिये जोत लगादी। इसका परिणाम यह हुआ है कि ढ़ाई सौ बीघा जमीन पर बराबर अतिक्रमण होता चला जा रहा है। यह भेदभाव के कारण होता चला जा रहा है, तहसील की उदासीनता के कारण, राजस्व अधिकारियों की उदासीनता के कारण होता चला जा रहा है। वह यह चाहते हैं कि ढाई सौ, तीन सौ बीघा जमीन जो हल के नीचे आ गई है वह किसी न किसी प्रकार काश्त में बदल जाय। इसका प्रयास करके वह कोशिश करते रहते हैं। धारा 91 की कार्यवाही चली तो दो दो वर्ष नोटिस तामील नहीं होते हैं, कोई कार्यवाही किसी प्रकार की नहीं होती है। मैं इस बारे में आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार मान लें, चार सौ, दो सौ, सौ काश्तकारों ने मिलकर कब्जा किया है उसमें से आधे काश्तकारों की फसल नष्ट कर दी जाय वह तो आयन्दा के लिये बाज आ जायं लेकिन जो आधी नष्ट नहीं की गई है और जो उनके पड़ौस में ही दूसरे लोगों के कब्जे में है उस पर वह अतिक्रमण करते हुए चलें जायं और वहा पर तहसीलदार घूम आयें और क्लेक्टर हो आयें लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही न की जाय तो इससे उनको प्रोत्साहन मिलता है। इस कारण से आज यह हालत है कि जिस चरागाह की जमीन पर 1961 में पच्चीस तीस बीघा जमीन पर अतिक्रमण हुआ था, वहां 2024 में में छः साल के बाद में ढाई सौ बीघा पर कब्जा हो गया है और इस वर्ष तीन सौ बीघा पर अतिक्रमण हुआ है। मैं राज्य सरकार से इसबात के लिये मांग कर रहा हूं कि जो साठ अस्सी बीघा जिन्होंने कब्जा कर लिया है और जिनके खिलाफ कोई फैसला नहीं किया गया है या कार्यवाही नहीं की गई है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये धारा 91 इतनी इफेक्टिव है, उसके अन्तर्गत उनको बेदखल करने की कार्यवाही की जाय, ठीक तरह से कार्यवाही की जाय तो धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बाद में और आदमियों की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन सरकारी अधिकारियों की अकर्मण्यता ही इसका कारण है जिसको यह कहना चाहिए कि उनकी उदासीनता के कारण ही अनेक लोग इस प्रकार से बराबर उस पर अतिक्रमण किये हुए है। यह ढ़ाई सौ, तीन सौ बीघा ही चौरस जमीन है जहां पर कि मवेशी चर सकते हैं,

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

वाकी जो रकवा है, वह ऐसा रेतीला रकवा है जिस पर टीवे बने हुए हैं। आज जो असली चरागाह हैं वह तो लोगों के कब्जे में हैं और वहां मवेशियों के लिए कोई चरागाह नहीं है। जो चरागाह रिजर्व किया गया है उसके ऊपर से अनधिकृत कब्जा हटाने की कोई इफेक्टिव कार्यवाही की जानी चाहिए और इफेक्टिव आर्डर पास किया जाना चाहिए। अभी जिस पर सत्तर अस्सी बीघा पर लोगों ने कब्जा कर रखा है उसकी फसल को उन्हें काटने नहीं दें और उस फसल को डेस्ट्राय करवाया जाय। इसके लिए आपने जो सरक्यूलर जारी किया है वह ठीक है लेकिन उसके अन्तर्गत इफेक्टिव कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिये जिन लोगों ने कार्यवाही नहीं की है उनके खिलाफ डिसीप्लेनरी एक्शन लिया जाय। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करूंगा कि इस वारे में इफेक्टिव रिप्लाई दिया जाय।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा–सु०): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : किसके वारे में वोल रहे हैं?

श्री डूंगाराम राजोरिया : इसी विषय पर वोल रहा हूं चरागाह की भूमि के वारे में।

श्री उपाध्यक्ष : चरागाह की भूमि का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : विचाराधीन नहीं है लेकिन दो मिनिट......

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर लम्बी चर्चा नहीं होती।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करूंगा कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा, यह वोली और खिरनी का ही प्रश्न नहीं है यह पूरे राजस्थान का है इसलिये मैं दो वातें निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि दो मिनिट...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसमें एक मुद्दा उठाया है एक गांव का, तो जिस गांव का मुद्दा उठाया है उसके वारे में मंत्री महोदय तैयार होकर आये हैं। आप अपनी बात कभी और कह दें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं दो मिनिट में अपनी वात कह दूं।

श्री उपाध्यक्ष: यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं इस वारे में निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज सदन का समय वहुत कीमती है। आप और किसी अवसर पर वोल लें या प्रश्न पूछ लें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : और कोई तरीका नहीं है इसलिये मुझे....

श्री उपाध्यक्ष: नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जो भूमि भूमिहीनों को देनी चाहिए वह जमीन जिस वक्त····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सिवाय चक में थी उस वक्त शिडयूल्ड कास्टस और शिडयूल्ड ट्राइब्स...

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। विचारार्थ प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस संबंध में ही मैं कहूंगा तब विचारणीय विषय बन जायेगा। इसके लिये ही कहूंगा और के लिये नहीं कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे गांव के लिये कहेंगे ?

श्री डूंगाराम राजोरिया : मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे 5 मिनिट का समय दे देते तो अब तक तो मैं बोल लेता।

श्री उपाध्यक्ष : नियम विरुद्ध नहीं। नियमानुसार आप 5 मिनिट क्या 1 घंटे का समय लीजिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा खिरणी में पहले सिवाय चक भूमि थी, फिर उसको चरागाह घोषित किया, बाद में उसी जमीन पर दूसरे लोगों ने जो कि शक्तिशाली लोग थे, वहां के, उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर के उस जमीन पर काश्त करना चालू कर दिया है। मैं समझता हूं 58-59 में यह जमीन सिवाय चक की थी। अलोटमेंट कमेटी वहां गई तो गांव के प्रभावशाली लोगों ने उस अलोटमेंट कमेटी को कहा कि यह भूमि चरागाह होने काबिल है, इस लिये इसका अलोटमेंट नहीं किया जाय, हमारे गांव के अन्दर मवेशी भी बहुत ज्यादा तादाद में हैं इसलिए इसका अलोटमेंट न कर के सिवाय चक भूमि को चरागाह में परिणत किया जाय। इस तरह का जो सवाल है वह केवल खिरणी का ही नहीं सारे राजस्थान का है। तो मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 58-59 में जो सिवाय चक भूमि थी उसको चरागाह में अलोट किया गया। कलेक्टर के यहां मामला गया, तीन चार साल तक इस तरह से चलता रहा, कोई डिसिजन नहीं लिया। जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने उस भूमि पर कब्जा कर लिया उस चरागाह को सिवाय चक में लेकर अलोटमेंट कराने की कोशिश की। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यह जितनी जमीन थी इसका अलोटमेंट नहीं हुआ, पहले से ही सिवाय चक में चली आ रही थी, उनको अलोटमेंट नहीं करने का एक ही मेन पाइंट था.....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं विषय पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, विषय पर नहीं बोल रहे हैं। विषय पर बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, यह निर्णय आसन करता है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : चरागाह से उसका अलोटमेंट करना चाहते हैं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस जमीन को चरागाह में ही रखा जायगा, ऐसा आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मंत्री !

श्री गंगाराम चौधरी (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम खिरणी, तहसील बोंली में लगभग 1 287 बीघा भूमि गोचर डिक्लेयर की गई थी, उसी समय से कुछ लोगों ने इस पर नाजायज कब्जा करना शुरू कर दिया जो रकबा 280 बीघा के करीब था।

(श्री गंगाराम चौधरी)

पिछले वर्ष तहसीलदार ने राजस्थान राजस्व विभाग के सर्कूलर दिनांक 22-8-67 की तामील में जब बेदखली आरम्भ की तो पाया गया कि 280 बीघा रकवा गौचर भूमि पर नाजायज कब्जा था । तहसीलदार ने मौके पर जैसी कि सर्कूलर में हिदायत थी, ग्रामवासियों को इजाजत दी कि वे उस चरागाह में मवेशी डाल सकते हैं । उस वक्त कुछ लोगों की तरफ से आपत्ति हुई कि 280 बीघा रकबे पर उन लोगों का सम्वत् 2018 से पहले का कब्जा है और राजस्थान सरकार के कुछ ऐसे नियम जिनके अन्तर्गत, नियमन किया जा सकता है, उनकी दर्ख्वास्त हुई कि उनके पुराने कब्जे का नियमन किया जाय । इसलिये तहसीलदार ने 176 बीघा रकबे पर ही नाजायज कब्जे के बेदखली की कार्यवाही धारा 91, लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत की । बाकी लोगों के संबंध में जिलाधीश से राय मांगी कि ये लोग अपना पुराना सम्वत् 2018 से पहले का कब्जा बताते हैं और राज्य सरकार के नियमों के अनुसार पुराने कब्जे का नियमन करवाना चाहते हैं, इसलिये क्या कार्यवाही की जाय । जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने अपनी राय भेजी कि जिन लोगों का नाजायज कब्जा इस गौचर भूमि पर है, उनके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जाय । तब तहसीलदार ने उन अन्य लोगों के विरुद्ध भी इस प्रकार की कार्यवाही शुरू कर दी, नोटिस दिया और वह कार्यवाही अभी चल रही है ।

इस वर्ष भी कुछ लोगों ने 64 बीघा और रकबे पर नाजायज कब्जा किया है, उनके विरुद्ध भी धारा 91 की कार्यवाही आरम्भ है । उन्हें नोटिस दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

तो जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रस्ताव में बताया है और चर्चा के दौरान भी कहा कि तहसीलदार ने कुछ लोगों को जान बूझ कर उन लोगों का पक्ष लेकर बेदखल नहीं किया, यह दरअसल गलत है । तहसीलदार ने पुराने कब्जे के संबंध में आपत्ति होने पर जिलाधीश को मामला रेफर किया और जिलाधीश की राय के बाद उन सबके विरुद्ध धारा 91 के तहत आज भी कार्यवाही विचाराधीन है । यह कार्यवाही एक्ट के तहत जूडिशियल कार्यवाही है, इसलिये मैं इसके संबंध में ज्यादा निवेदन नहीं कर सकूंगा, इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि अगर उन्होंने किसी प्रकार का टाइटिल नहीं बताया तो नाजायज कब्जे का नियमन नहीं किया जायगा, जैसा कि जिलाधीश ने पहले ही निर्णय ले लिया । 1,287 बीघा भूमि गौचर कर दी गई है, गौचर भूमि पर किसी प्रकार का नियमन नहीं होना चाहिये, तो उनकी कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश को यह आदेश दे रहे हैं कि इन प्रावधानों के अन्तर्गत नाजायज कब्जे के बारे में, नियमन के बारे में विचार कर नाजायज कब्जा करने वालों को जल्दी से जल्दी बेदखल किया जाय ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, जैसा कि मैंने बताया और उन्होंने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि कुछ लोगों का कहना था कि सम्वत् 2018 से पहले का उनका उस भूमि पर कब्जा है । मेरा आरोप यह है कि 1961 में पंचायत ने उस भूमि पर नाजायज कब्जे की शिकायत की तो 61 से लेकर 68 तक यह धारा 91 की कार्यवाही क्यों पड़ी रही ? यह इस प्रकार की धारा है जिसके अन्दर ट्वेन्टी फोर आवर्स में निवटारा हो सकता है । सिवाय चक भूमि को पंचायत भी मानती है, वे भी कहते हैं, उनका कहना

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

है कि उस पर उनका 2018 से कब्जा है। सिवाय चक तो हर तरह से यह भूमि प्रमाणित है तो 61 से 68 तक तहसीलदार ने क्या किया, बार बार शिकायतें कीं पंचायत समिति ने पर 7 वर्ष तक उन लोगों को पंचायत समिति द्वारा शिकायतें करने पर भी बेदखल क्यों नहीं किया गया ? गत वर्ष उनको बेदखल करने का आर्डर आ गया तो तहसीलदार मौके पर गया। तहसीलदार कहे कि उन लोगों की आपत्ति थी। मैं इत्तला देता हूं आपको कि वही व्यक्ति था नायब तहसीलदार जिसने आधों को तो बेदखल घोषित कर दिया, डेस्ट्राय कर दिया पर आधे आदमी आज भी बराबर वहां काबिज हैं। यह सब रेवेन्यू अधिकारियों की सांठ गांठ से हुआ है। राजस्व के अधिकारियों के इस प्रकार की अनियमितता सामने आ जाय कि चरागाह की भूमि पर लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया, पंचायत द्वारा लिखित में इस प्रकार के नाजायज कब्जे की शिकायत करने के बाद 7 वर्ष तक उन लोगों को बेदखल नहीं किया, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की तो राजस्थान सरकार अब क्या कार्यवाही कर रही है ? अब भी विचाराधीन है।

मेरे क्षेत्र में चौबीस घंटों में 5,000 किसानों को बेदखल कर दिया पर ये पांच, दस आदमी बेदखल नहीं किये जा सके और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्यवाही जारी है। मैंने यह आरोप लगाया कि 65-70 बीघा किसानों ने काश्त की है, 200 बीघा में उन्हालू की जोट लग चुकी है और वे वहां बीज ओरेंगे।

तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि तहसील के राजस्व अधिकारियों की सांठ गांठ है जिसके कारण उनका अतिक्रमण बराबर चलता आ रहा है। इस कारण आसपास के लोग भी उत्साहित होते हैं। जिस उद्देश्य से विज्ञप्ति आपने निकाली थी उसका मकसद तो समाप्त हो जाता है। धारा 91 की कार्यवाही 6-7 दिन से ज्यादा नहीं चलती। इस केस में इतने वर्ष कैसे लग गए ? राज्य सरकार ने उस तहसीलदार के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं ? इसको जल्द से जल्द बेदखल किया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस एलाटमेंट के जितने भी मैटर्स हैं और जिनकी शिकायतें आपके पास आई हैं, आप यह मानकर चलें कि रेवेन्यू रेकार्ड में उस जमीन की किश्तें दर्ज हैं, नियम कहते हैं कि सिवाय चक भूमि एलाट की जायगी। हमारे स्टेट के जमाने में जो जमीन सिवाय चक....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से परे जा रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह क्यों नहीं हुआ ? इसका मूल कारण यह है कि जितनी सिवाय चक भूमि होती थी, उस पर किसी आदमी का कब्जा होता था तो उसको नौतोड़ के नाम से कहते थे और रिपोर्ट तहसील में की जाती थी। इस केस में रिपोर्ट की गई, 7 साल तक तहसील में केस पड़ा रहा। इसका एक कारण है कि राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, पटवारी अगर मंत्री महोदयों को ओब्लाइज करते हैं दूसरे आदमियों को गलत जमीन एलाट करके तो जो आदमी जबरदस्ती कब्जा करता है उसके खिलाफ दफा 91 में कार्यवाही नहीं होती क्योंकि उनको दबना पड़ता है। तो क्या कारण है कि राज्य सरकार के सामने सारी बात आ जाने के बावजूद भी उन

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

अधिकारियों–पटवारी, सर्कल इन्सपेक्टर और तहसीलदार–को उनकी गफलत और लापरवाही के कारण दोषी करार कर एक्शन नहीं लिया गया। इससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की नीति दूषित है। जब तक इस नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तब यही स्थिति रहेगी। क्या राज्य सरकार इस नीति को बदलने को तैयार है ?

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने गत वर्ष यह विज्ञप्ति निकाली थी कि जिसने भी चरागाह पर कब्जा जबरन कर लिया है उनकी फसलों का नीलाम कर दिया जाय लेकिन इस साल भी सारे राजस्थान में और खास तौर से जयपुर जिले के चारागाहों पर लोगों ने उसी तरह कब्जा किया है और उनकी बाकायदा काश्त बरकरार खड़ी है। इस साल जिन्होंने नाजायज कब्जा कर लिया है और काश्त करली है, आप उन्हीं को दिलवाना चाहते हैं या फसल कटवायेंगे या नहीं ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रस्तावक महोदय ने जिस प्रकार अपनी बात को कहा है कि सन् 1961 के बाद में नाजायज कब्जा होने के उपरांत भी तहसील और राजस्व अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कि राज्य सरकार के सर्क्यूलर में स्पष्ट था कि किसी भी राजस्व पटवारी या गिरदावर ने यदि समय पर नाजायज कब्जे के संबंध में रिपोर्ट नहीं की तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। इसी सिलसिले में याने इसी नाजायज कब्जे के संबंध में संबंधित गिरदावर और संबंधित पटवारी के खिलाफ राजस्व अधिकारियों ने अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी है इसी आरोप में कि इस भूमि पर जैसे कि कुछ लोगों ने बताया कि संवत् 2018 से पहले का कब्जा था। जब यह बात ध्यान में आई कि संबंधित पटवारी और गिरदावर ने रिपोर्ट नहीं की तहसील को, इसलिये उन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। और जैसा मैंने पहले कहा है, नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही जेर तजवीज है और जल्दी से जल्दी निबटारा किया जायगा और नाजायज कब्जे से बेदखली की कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपने तो पटवारी और गिरदावर की बात कही है लेकिन तीन साल तक धारा 91 के तहत कार्यवाही पेंडिंग थी, कोई फाइनल आर्डर्स आज तक नहीं दिए गए उनके खिलाफ। आपने क्या किया ? मारे गए पटवारी और गिरदावर। छोटे मरते हैं और बड़े बचते हैं। छोटों के कंधों पर बंदूक रखकर चलते हैं। लेकिन 3–4 साल तक नायब के यहां केसेज पेंडिंग हैं, वह नहीं करवाना चाहते। आधी फसल बंटवाकर ले ली और रकम खा गए, उस नायब साहब का क्या हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने जो सूचना दी है उसके अनुसार गिरदावर और पटवारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। इसके अतिरिक्त अगर इस मामले में कोई राजस्व अधिकारी दोषी पाया गया तो उस संबंध में भी जांच करा ली जायगी। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस वर्ष कुछ नाजायज कब्जे गोचर भूमि पर किए गए हैं। पिछले वर्ष जो सर्क्यूलर राज्य सरकार ने 22 अगस्त को जारी किया था वह उसी प्रकार लागू है लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस वर्ष भयंकर अकाल अपने

(श्री गंगाराम चौधरी)
यहां पर हैं इसलिये राज्य सरकार विशेषतः इस बात पर जोर नहीं देती है जैसा पिछले वर्ष किया गया। इस बार ऐसे विशेष मामले भी ध्यान में नहीं आए हैं कि गोचर भूमि पर कोई नया कब्जा इस वर्ष किया गया हो। तो माननीय सदस्यों को इस बात पर संतोष होगा कि नाजायज कब्जा करने वालों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही धारा 91 की जुडिशियल कार्यवाही की जा रही है उसका जल्दी निबटारा किया जायगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया····।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य····

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आप उनसे कहें·····

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर पर उत्तर नहीं दिया जाता। चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : लेकिन क्या कार्यवाही····।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : महीने दो महीने में बेदखली की कार्यवाही पूरी कर लें, इस बात के डाइरेक्शन्स दिए जायें। धारा 91 के तहत कार्यवाही में 6–6 साल थोड़े ही लगते हैं? मैं जानता हूं वहां पर वास्तव में जैसा मैंने नोट किया, जबरदस्त राजनैतिक नेता हैं·····

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले ही कह चुके हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : राज्य सरकार की तरफ से डाइरेक्शन्स दे रहे हैं कि 15 दिन के अन्दर कार्यवाही हो जायगी, कोई ऐसा आश्वासन देते तो बात होती। विधान सभा में मामला आया फिर भी मंत्री महोदय का यह कहना कि कार्यवाही की जा रही है, यह कार्यवाही तो 6–6 साल से हो रही है।

श्री गंगाराम चौधरी : धारा 91 में जुडिशियल कार्यवाही है, उसमें जो फार्मेल्टीज हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, नोटिस देकर उस संबंध में निर्णय दिया जायगा, जल्दी ही दिया जायगा, यही निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए जायेंगे। इससे अधिक राज्य सरकार की ओर से मैं कुछ नहीं कह सकता।

(2 म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

विधायी कार्य।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। इस विधेयक को विचारार्थ लिया गया। इसके लिए एक घंटा रखा गया है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं निवेदन करूंगा कि सारी तहसील में····

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा नियमों का ख्याल करें, माननीय सदस्य। आसन अपने पैरों पर है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं तो खड़ा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : आप हमेशा खड़े होते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं कभी खड़ा नहीं होता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। इस चर्चा का कोई अन्त नहीं। इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय नियत किया गया है। विभिन्न दलों के लिये समय का बंटवारा इस प्रकार है :—

कांग्रेस दल	20 मिनिट। इसमें मन्त्री महोदय का जो उत्तर होगा वह भी सम्मिलित है।
स्वतन्त्र पार्टी	15 मिनिट।
जनसंघ पार्टी	10 मिनिट।
पी० एस० पी०	5 मिनिट।
बी० के० डी०	5 मिनिट।
कम्युनिस्ट	3 मिनिट।
इन्डीपेन्डेन्ट्स	2 मिनिट।

विनियोग विधेयक। श्री मेजर फतेहसिंह।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के समक्ष विनियोग विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत है। इस विधेयक के द्वारा राज्य सरकार ने 6 लाख 68 हजार रुपये की राशि के लिये मांग की है। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इस सदन से निवेदन करता हूं कि यह विधेयक मन्जूर नहीं किया जाय। इस राज्य सरकार को यह राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। श्रीमान् क्योंकि समय की कमी है, इसलिये मैं अपने विचार संक्षेप में प्रस्तुत करूंगा। श्रीमान मुझे दौसा संसदीय चुनाव को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं करीब 7 दिन तक उस क्षेत्र में रहा हूं। उसके आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, जो कुछ मैंने देखा, जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, उसके आधार पर कह सकता हूं कि यह चुनाव चुनाव नहीं था बल्कि चुनाव के नाम पर सत्ताधारी दल जनता के साथ मखौल कर रहा था। यह चुनाव निष्पक्ष नहीं था। पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण तरीके से किया जा रहा था। कांग्रेस दल ने सत्ता का दुरुपयोग किया और चुनाव जीतने के लिये सरकारी मशीनरी का खुल कर प्रयोग किया। राज्य कर्मचारियों ने खुल कर के कांग्रेस के उम्मीदवारों का प्रचार किया।

(2.05 म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

राज्य कर्मचारियों ने जनता से कहा, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे इलाके में विकास कार्य नहीं होगा। तुम्हारे इलाके में शफाखाने नहीं खुलेंगे। तुम्हारे इलाके में स्कूल, कालेज नहीं बनेंगे। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जायगी। यहां तक जानकारी मिली है कि एक आर० ए० एस० के उच्च अधिकारी ने अपने नीचे के अधिकारियों, तहसीलदारों, गिरदावरों को एक जगह इकट्ठा किया, पटवारियों को बुलाया और उनसे कहा, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे इलाके में कांग्रेस के उम्मीदवार को अधिक वोट मिलने चाहियें। अगर नहीं मिले तो समझा जायेगा। इस प्रकार की घटना हुई है। यह प्रजातन्त्र के लिये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही नहीं श्रीमान यह देखा गया है कि सरकारी गाड़ियों में जिनके लाल पट्टी लगी हुई थी, मतदाताओं को लाया गया चुनाव के दिन वोट देने के लिये। राज्य कर्मचारी इन रेड प्लेट वाली गाडियों में बैठकर कांग्रेस उम्मीदवार का प्रचार कर रहे थे। मैंने स्वयं अपनी आंखों से इस बात को देखा है। मैं यह कह रहा था कि इस चुनाव के नाम पर यहां जो इस तरह से अन्याय किया जा रहा है, यह कभी सहन नहीं किया जायेगा

(श्री फतेहसिंह)

मैं यह कह सकता हूं कि यह निष्पक्ष चुनाव नहीं था । मैं इसके लिये कुछ उदाहरण देना उचित समझूंगा । श्रीमान्, दौसा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर डेवलपमेंट विभाग की जीप का कांग्रेस के उम्मीदवार श्री नवलकिशोर शर्मा के लिये उसका प्रयोग कर रहे थे । उस गाड़ी का प्रयोग कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन प्राप्त करने के लिये किया जा रहा था । इसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर, दौसा पालियामेण्टरी, हैडक्वार्टर जयपुर को अपने पत्र दिनांक 12 अप्रेल, 68 को दौसा क्षेत्र के उम्मीदवार महाराज कुमार पृथ्वीसिंह ने भेजी । लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई । दूसरा उदाहरण जो देना चाहता हूं वह यह है कि दौसा के श्री देवकीनन्द, तहसीलदार ने कांग्रेस के केन्डीडेट का खुलकर प्रचार किया और इसकी भी शिकायत सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन, नई दिल्ली को दिनांक 12 अप्रेल, 68 को महाराज कुमार पृथ्वीसिंह ने भेजी लेकिन उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई । अपने पत्र दिनांक 19-4-68 के द्वारा महाराज कुमार पृथ्वीसिंह के इलेक्शन एजेन्ट श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने रिटर्निंग आफिसर, दौसा पालियामेन्टरी, जयपुर को इस प्रकार का पत्र भेजा कि सरकारी गाड़ियों का, राज्य कर्मचारियों का, कांग्रेस उम्मीदवार खुल कर के उपयोग कर रहे हैं । इस संबंध में कार्यवाही की जाय लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । श्री दुर्गालाल बाढदार ने जो महाराज कुमार पृथ्वीसिंह के इलेक्शन एजेन्ट थे, ने अपने पत्र दिनांक 26 अप्रेल, 68 के द्वारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एण्ड डाइरेक्टर ऑफ इलेक्शन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने यह साफ साफ लिखा कि बीरबल गुप्ता, डिप्टी एस०पी०, सीताराम एस०पी०, सुन्दरलाल माहेश्वरी, तहसीलदार, जगदीशप्रसाद एस०एच० ओ, नीमकाथाना कांग्रेस के पक्ष में खुलकर प्रचार कर रहे हैं । इसका तत्काल बन्दोबस्त किया जाय और उन्हें रोका जाय । किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस तरह से श्रीमान कांग्रेस दल, ये अधिकारी और आगे बढ़े । श्री दुर्गालाल बाढ़दार ने अपने पत्र दिनांक 26 अप्रेल, 1968 के द्वारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एण्ड डाइरेक्टर ऑफ इलेक्शन, जयपुर को एक पत्र भेजा । कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रभाव से पुलिस अधिकारी टैक्सी ड्राईवर्स के ऊपर दवाव डाल रहे हैं कि महाराज कुमार पृथ्वीसिंह को टैक्सी किराये पर नहीं दें । लेकिन इस शिकायत के बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्रीमान, चुनाव के दिनों में यह आदेश हुआ था कि चुनाव के 24 घंटे पहले शराब की बिक्री बन्द कर दें । यह अच्छा आदेश था लेकिन इस आदेश का कांग्रेस दल ने फायदा उठाया । एक्साइज के ऑफिसर द्वारा और कर्मचारियों को, विभाग की जीप, गाड़ियों जो शराब की जहां बिक्री हो रही है, उसको पकड़ने के लिये थी, में कांग्रेस के उम्मीदवार का प्रचार किया गया । ऐसा उन्होंने बैराठ और कोटपूतली में किया । यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है । कौंसिल ऑफ स्टेट में भी बजट पर चर्चा के दौरान में श्री देवीसिंह मण्डावा ने इसके बारे में भाषण दिया है । वहां पर भी यह बात आयी है । जमुवारामगढ़ में एक्साइज के अधिकारी पहुंचे । कांग्रेस के प्रचार के लिये गये । वहां स्वतन्त्र पार्टी के श्री मिट्ठनलाल एम० पी० बठे थे । उन्हें यह मालूम नहीं था कि यह मिट्ठनलाल एम० पी० हैं । उन्होंने उसे एक साधारण नागरिक समझा और

(श्री तेहसिंह)
कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देना है, इसका ख्याल रखना। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह एम०पी० हैं तो वे क्षमायाचना करके भाग गये।

इन सब बातों को देखते हुए मैं आप लोगों से और विशेषकर सत्ताधारी दल से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी इन बातों से राजस्थान में ही नहीं वरन् हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र कायम रह सकेगा? इस इलेक्शन ने यह बता दिया कि राजस्थान में चुनाव न्यायपूर्ण ढंग से नहीं हो सकते, पक्षपातपूर्ण तरीके से होते हैं, इसी चुनाव ने राजस्थान में प्रजातन्त्र की नींव खोखली की है और उसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनता इस प्रकार के अन्याय को आगे बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के विरुद्ध जनता विद्रोह करेगी। वह समय अब आने वाला है। वह समय आने वाला है जिसकी महात्मा गांधी ने भविष्य-वाणी की थी, इस कांग्रेस के लिये वह सही साबित होने वाली है। महात्मा गांधी ने कहा था मई 1947 में पटना की सभा में कि यदि यह कांग्रेस जनता की अधिनायक और शासक बन कर रही तो जनता सफेद टोपी वालों को चुन चुन कर मारेगी। यह महात्मा गांधी के शब्द थे। इसलिये इन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के हाथ में इस प्रकार से इस प्रदेश की सत्ता बनी रही.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य! आपके दल के चीफ व्हिप ने तीन व्यक्तियों के नाम दिये थे। दस मिनिट आपको हो गये हैं।

श्री फतेहसिंह : I will take only 2 minutes.

श्री शंकरलाल : सफेद टोपी तो आपके दल वाले भी पहने हुए हैं फिर सफेद टोपी वाले क्यों कहना चाहते हो?

श्री फतेहसिंह : जो शब्द गांधीजी ने कहे थे वह मैंने आपको कहे हैं। आपको भी जवाब देने का अवसर मिलेगा। नसीराबाद में चुनाव होने वाले हैं। मैं सत्ताधारी दल को सावधान करना चाहता हूं। विजयसिंहजी की मृत्यु हुई। तो अब सदन में उनके रिक्त स्थान की पूर्ति चुनाव द्वारा की जायगी। लेकिन नसीराबाद के चुनावों में यदि जिस प्रकार से दौसा और चौमूं के चुनावों में पक्षपातपूर्ण तरीके अपनाये उसी प्रकार के तरीके अपना कर इस रिक्त स्थान को भरने की कोशिश करेंगे तो जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। आप इसको धमकी न समझें किन्तु यह चेतावनी है कि यदि राज्य कर्मचारियों ने कांग्रेस का प्रचार किया तो उनके जनता के जूते पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : किसी ने नहीं किया।

श्री फतेहसिंह : अगर ऐसी बात हुई यह कहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसा करने वालों के जूते पड़ने चाहिये।

श्री फतेहसिंह : मैं आपका आभारी हूं कि उधर सज्जन और समझदार आदमी भी बैठे हैं।

अगर सरकारी गाड़ियों को कांग्रेस के प्रचार के लिये चुनाव में लाया गया तो उन पर घासलेट डाल कर जला दिया जावेगा। जब ब्यावर के इलेक्शन में यह बात हो रही थी तो मुझे उस समय घोषणा करनी पड़ी तब जाकर यह बात बन्द हुई। हम यह नहीं

(श्री फतेहसिंह)
चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां पैदा हों। उधर बैठने वाले महानुभावों, साथियों और मंत्रीगणों, कांग्रेस के हाथ में पिन्डोराज बाक्स है उसकी चाबी आपके हाथ में है। उस पिन्डोराज बाक्स के अन्दर हिन्सा, अशान्ति, पक्षपात, भ्रष्टाचार और चुनावों के दिनों में सरकारी मशीनरी को काम में लेने की मनोवृत्ति–ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। इसकी चाबी आपके हाथ में है। मैं निवेदन करूंगा कि पिन्डोराज बाक्स है उसको न खोला जाय वरना राजस्थान और कांग्रेस के लिये घातक होगा।

श्री सभापति : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, आज हम 6¼ करोड़ का बजट जनता की गाढ़ी कमाई से इकट्ठा किया हुआ पैसा, उसको अपने गलत कामों से यह सरकार खर्च करके, अन्धाधुन्ध खर्च करके उस पर विधान सभा की मोहर लगवाने के लिये इस सरकार ने यहां पेश किया है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : 6½ लाख है। करोड़ नहीं है।

श्री हीराभाई : 6½ करोड़ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लाख और करोड़ एक ही बात है हीराभाई के लिये।

श्री हीराभाई : माननीय सभापति महोदय, हम इस बजट का समर्थन तब ही कर सकते थे जब कि राजस्थान में लगातार अकाल पड़ता आ रहा है और सरकार सप्लीमेन्टरी बजट के द्वारा अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करती। आपने सुना होगा बीकानेर की तहसीलों में, बाड़मेर और जैसलमेर में भयंकर अकाल है। बीस पैसे तीस पैसे मजदूरी सरकार दे रही है। कोलायत तहसील में मैं दावे के साथ कहता हूं कि 20 पैसे मजदूरी से ज्यादा नहीं दी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़ा दुख है कि 53 लाख रुपया राजभवन की सजावट के लिये खर्च किया है। प्रजातन्त्र के राज्य में यह क्या तमाशा लगा रखा है। मजदूरों को मजदूरी बीस पैसा, तीस पैसा और राजभवन की सजावट पर, पानी आदि पर इतनी धन राशि खर्च करो।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) On a point of information. Sir· माननीय सदस्य को भ्रम मालूम होता है। यह 53 हजार है।

श्री नत्थीसिंह : 53 हजार के आगे एक बिन्दु बढ़ा दी।

श्री हीराभाई : आपका लिखा हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : हीराभाई तो आंकड़ों में विश्वास नहीं करते।

श्री हीराभाई : सजावट के लिये इसको सही मानते हैं। गांधीजी का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी को जिन्दा रखना चाहते हैं और आप भी जिन्दा रहना चाहते हैं। गाड़ियां खरीदना और पुरानी गाड़ियों को बदलना इस पर खर्चा किया जा रहा है। गाड़ियों का क्या उपयोग किया जा रहा है? उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में गाड़ियां दे रखी हैं, रोज उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। कतई विकास के कामों में वे गाड़ियां काम नहीं आ रही हैं। उदाहरण देना चाहता हूं कि बांसवाड़ा पंचायत समिति की गाड़ी, ऐसा नियम है कि एक पंचायत समिति के

(श्री हीरा भाई)

क्षेत्र को छोड़ कर बिना जिलाधीश की परमीशन के दूसरे पंचायत समिति के क्षेत्र में वह नहीं जा सकती। लेकिन 17 जून को कांग्रेस का प्रधान और प्रमुख गाड़ी में कुशलगढ पंचायत समिति के क्षेत्र में गये सैर सपाटे के लिये और हरिदेव जोशीजी का आगमन था उसकी व्यवस्था करने के लिये। शराब पीकर अन्धाधुन्ध गाड़ी चलायी गयी और कुशलगढ क्षेत्र में जाकर आदिवासी के टक्कर दी वह आदमी बेहोश होकर गिर गया। रिपोर्ट तक पुलिस में नहीं देने दी। सरकारी अस्पताल में उसको नहीं ले गये। दोहद में मिशनरी होस्पिटल है वहां पर उसको ले गये। प्रधान प्रमुख साथ में गये। मेडीकल होस्पिटल में भर्ती नहीं किया। पुलिस वालों ने मना किया तो 300 रु० रिश्वत दी और मिशनरी होस्पिटल में पांच सौ रुपया दिया तब जाकर उसको भर्ती किया। उस व्यक्ति के कई टांके आये। उसी गाड़ी में डाल कर उसको ले गये। इस प्रकार प्रधान, प्रमुख जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को सैर सपाटे में खर्च करते हैं। गाड़ियों में, हवाई जहाजों में, इस प्रकार घूमने के लिये जनता के पैसे को बरबाद किया जाता है।

जो खर्चा कर देते हैं और खर्च करने के बाद विधान सभा से उस पर मुहर लगवाना चाहते हैं।

श्री सभापति : आपका समय समाप्त हो गया। कृपया स्थान ग्रहण करें। एक घंटे का समय है उसमें आपकी पार्टी के पांच मिनिट हैं वे समाप्त हो गये।

श्री नत्थीसिंह : यह एक घंटे में पास नहीं हो सकता। इस मांग में जो मामले हैं वे हमें बताने होंगे। इसमें पांच मिनिट, दस मिनिट देने से काम नहीं चलेगा। केवल चौमू और दौसा का नाम लेकर ही बैठ जायं यह इधर वालों से तो हो नहीं सकता। इस पर समय बढ़ाना होगा।

श्री श्रवणलाल : एक घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री जुझारसिंह : पार्टीवाइज टाइम दिया हुआ है क्या ?

श्री हीराभाई : जो मुझे पीड़ा है वह मैं कहकर ही रहूंगा। विधान सभा से सरकार भ्रष्टाचारी बजट तो पास करवा रही है लेकिन जो गांव आज पानी और अन्न के लिये मोहताज हो रहे हैं उनको किसी प्रकार की राहत नहीं मिल रही है। बांसवाड़ा जिले में अकाल पड़ने से वहां का गरीब आदमी जो उधार लेकर अपना पालन पोषण करता है वह फसल के नष्ट हो जाने से भयंकर अकाल से पीड़ित है उसको आज कोई उधार नहीं देता है। देने वालों ने पैसा देना बन्द कर दिया आज वहां त्राहि त्राहि मची हुई है।

दो चार आदमी तो सुबह ही मेरे पास आये थे जिनको मैंने अपने यहां से एक एक, दो दो किलो अनाज देकर विदा किया। मैं कोई बिजनेसमेन तो नहीं हूं फिर भी मैंने उनको तत्काल राहत दिलायी। आज वहां इतना भयंकर अकाल है कि जानवर मरने लग गये हैं। अकाल के लिये आप सप्लीमेन्टरी बजट लाते तो कोई बात थी यह तो बेईमानी का बजट है आपको अकाल पीड़ित लोगों के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

दौसा के चुनाव के बारे में कहना चाहता हूं वहां सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया और काफी रुपया खर्च किया गया।

(श्री हीरा भाई)
आप प्रजातन्त्र की दुहाई देते हैं। आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि हमने प्रजातन्त्र के अन्दर क्या क्या कार्य किये। हम इस तरह से कारनामे कर प्रजातन्त्र को बरबाद कर डिक्टेटरशिप की ओर जा रहे हैं। ऐसी स्थिति रही तो यहां प्रजातन्त्र शासन न रह कर डिक्टेटरशिप आ जायगी उसमें ऐसे कारनामें करने वालों को जेल की सजा होगी।

सभापति महोदय, मैं हिंसा में विश्वास नहीं करता। आज जिस तरफ हमारे ये कांग्रेसी नेता हमको जिस गड्ढे में ढकेल रहे हैं वह देश को रसातल में पहुंचाने वाले हैं। भरतपुर और अलवर खाद्य सामग्री खरीदने में हजारों रुपयें की रिश्वतें आपके अधिकारियों ने ली नीम-का-थाना में अनाज के खरीदने में घोटाले हुए। आपके कारनामें इसी तरह के रहे तो प्रजातन्त्र का बुरा हाल होने वाला है। एक तरफ तो आप राजभवन के लिये 53 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं दूसरी तरफ सैकड़ों लोग बिना अन्न के अपना गुजारा चला रहे हैं। आज समाजवाद का नारा आप लगाते हैं लेकिन आपके आचरण प्रजातन्त्र के खिलाफ पड़ रहे हैं आज इस समाजवाद में एक व्यक्ति के लिए 53 हजार रुपया खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ सालाना एक व्यक्ति पर 100 रुपया भी खर्च नहीं करते।

मेरा आपसे निवेदन है कि चुनावों पर कन्ट्रोल किया जाय। अगर इसी तरह से चुनाव में गड़बड़ियां हुई तो यहां मार्शल लॉ लागू हो जायगा और जो आज नेता बन रहे हैं उनको पींजड़े में बन्द कर दिया जायगा इसमें गरीबों की हत्या होगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, उधर बैठने वाले माननीय सदस्य ने उप चुनाव के मामले को लेकर सरकार धन के दुरुपयोग के बारे में और सरकारी गाड़ियों का उपयोग चुनाव के दिनों में करने के बारे में आरोप लगाये जो आरोप तथ्यहीन हैं। आप यहां पर आरोप लगाते हैं आप यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास कोंक्रिट प्रूफ हो तो इस तरह के आरोपों को लेकर आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आप यह भी मानते हैं कि महाराज कुमार जो दूसरे पक्ष के उम्मीदवार थे उनका पक्ष भी कोई कमजोर नहीं था। दोनों तरफ से काफी साधन जो उनके पास थे उनका उपयोग किया गया और काफी खर्चा हुआ है। यह तथ्य है।

(2.25 म० प०)
(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर आपके पास कोई गंभीर आरोप हों तो उसके लिये पिटीशन की जा सकती है। अगर आरोप सिद्ध होजाय तो उसको दंड मिल सकता है। कानून इस बारे में साफ है। सदन में एलीगेशन्स लगाने से और वेग एलीगेशन लगाने से उसका निराकरण नहीं हो सकता। जिस खर्चे की मांग की गई है वह कर्मचारियों के टी०ए०,डी०ए०का खर्चा है। बाई-इलेक्शन में जो एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेज हुए उनको लेकर के यह मांग प्रस्तुत की गई है।

इसके अलावा मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि अगर आप के पास पुख्ता प्रूफ हों, आपने एम० पी० की गाड़ी देखी हो तो आपको उसका फोटो लेना चाहिए।

श्री फतेहसिंह : मैं अपन पास कैमरा लेकर चल नहीं सकता।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जब यह आरोप लगाते हैं तो उसके प्रूफ में आपको कुछ न कुछ फैक्टस देने होंगे। नहीं तो आप

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

साबित कैसे कर पाओगे। आपके पास करप्ट मेथड यूज करने के पुख्ता आरोप हों तो दूसरी पार्टी को यह अधिकार है उसको साबित करें।

केवल प्रोपोगेण्डा करने के लिये कहें कि सरकारी वाहनों का चुनाव के दौरान उपयोग किया गया तो इससे काम नहीं चलता। यह तो जनरल बात है जो आपने कह दी। हम आपसे यही निवेदन करते हैं, आपके पास इस सम्बन्धी कोन्क्रीट प्रूफ होते तो आप इलेक्शन पिटीशन करते। आपको यह भी तो सोचना चाहिए दूसरा जो सामने उम्मीदवार था वह कोई कमजोर नहीं था, महाराज कुमार थे जो सब तरह से साधन सम्पन्न थे। और पालीवालजी थे जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री रह चुके थे, महत्वपूर्ण सदस्य थे। इतना होते हुए भी यह तो सब जनता पर निर्भर करता है, कोई सरकारी वाहन के प्रयोग से या इधर उधर कहने मात्र से वोट नहीं देता। जनता जिस व्यक्ति के जिस पार्टी के उसूलों को ज्यादा पसन्द करती है उसी को वोट देती है। यही बात इस उप-चुनाव में हुई जनता ने देख लिया महाराज कुमार कुछ नहीं कर सकते, कांग्रेस को वोट देना चाहिये इसलिये कांग्रेस को वोट दिया और हमारा उम्मीदवार विजयी हुआ। केवल वेग एलीगेशन्स लगाने से काम नहीं चलता उसको प्रूव करना पड़ता है

श्री फतेहसिंह : You can order an enquiry about it

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके पास प्रमाण नहीं है। आप केवल ये एलीगेशन्स लगा कर वातावरण बनाना चाहते हैं। यहां पर किसी एलीगेशन का निराकरण नहीं हो सकता। इस विधेयक द्वारा जो छोटे मोटे खर्च हुए हैं जो आवश्यक थे उनकी पूर्ति के लिये यह धनराशि मांगी गई है अत: इसे स्वीकार किया जाना चाहिये।

आगे भी नसीराबाद, जालोर आदि के बाई-इलेक्शन होने वाले हैं उसमें भी किसी न किसी की तो पराजय होगी। यह राज्य की ड्यूटी है कि वह देखे कि चुनाव निष्पक्ष हो। आपको कुछ प्रमाण मिला या सरकारी अधिकारियों की गड़बड़ी का पता चला तो आपको टेलीग्राम भेजना चाहिए था....

श्री फतेहसिंह : टेलीग्राम्स भेजे गये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उनमें कोई तथ्य नहीं होगा। नहीं तो चुनाव कमीशन फौरन एक्शन लेता..

श्री फतेहसिंह : इसमें पिटीशन करने की बात नहीं है सरकार द्वारा इन्क्वायरी बिठाने की बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की तरफ से संगीन आरोप लगाये जा रहे हैं वे बिल्कुल सही हैं। इस पर कहना कि पिटीशन की जा सकती है मेरा निवेदन है कि जब हाउस से मांग मन्जूर करवायी जाती है तो हमारा आरोप लगाने का हक है अधिकार है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह लगाइये। लेकिन यहां लगाने से क्या फायदा?

माननीय उपाध्यक्षजी, महाराज कुमार के विरुद्ध एक साधारण स्थिति का कांग्रेस का उम्मीदवार था। इन दोनों का वैसे कोई मुकाबला नहीं था। पर फिर भी वह जीत कर आया तो यह कांग्रेस की ही शानदार जीत हो सकती है। जनता ने कांग्रेस के हक में फैसला दिया। वैसे जोर तो दोनों ने लगाया, कौन इलेक्शन में पीछे रहता है।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकारी गाड़ियां और पूरी सरकारी मशीनरी चुनाव में इस्तेमाल की गई है, आपको यह मालूम होना चाहिये। नाजायज तरीके इस्तेमाल में लाये गये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अगर नाजायज तरीके इस्तेमाल में लाये गये हैं तो इनको आप अदालत में प्रूव करिये। इनको हम भी अच्छा थोड़े ही मानते हैं। अगर आप के पास इन सबके सुबूत हैं तो पिटीशन करनी चाहिए। कोर्ट से हमें सजा दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में अनेकों माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रक्खे। इसके द्वारा 668 हजार रुपयों में से लगभग ⅓ भाग दौसा-चौमू के चुनावों पर खर्च किया गया, इसलिये मांगे गये। इसलिये यह स्वाभाविक है कि इस पर बहस हो।

इस दौसा-चौमू उप-चुनाव में जिस तरह से सरकार ने सरकारी मशीनरी व सत्ता का चुनाव जीतने के लिये दुरुपयोग किया उसका अगर वर्णन किया जावे तो दिन भर की डिबेट में भी वह कार्य पूरा नहीं हो सकता। समय नहीं है इसलिये मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल और सरकार इसका औचित्य कहां तक ठहरा सकती है कि चौमू चुनाव के इन्चार्ज राजस्थान के गृह मंत्री दामोदरलालजी व्यास थे और सारे चुनाव के अन्दर अपने उम्मीदवार को विजयी बनाने के लिये किस प्रकार वे पोलिंग स्टेशनों और पोलिंग बूथों पर सरकारी गाड़ियों में बैठकर गृह मंत्री की हैसियत से पुलिस गार्ड को साथ लेकर धुंआधार दौरा कर रहे थे और वोटरों को आतंकित और प्रभावित कर रहे थे अपनी सत्ता और पुलिस गार्ड के बल पर। किस प्रकार न्याय और व्यवस्था के नाम पर कांग्रेस के पक्ष में मत डलवा रहे थे। मैं समझता हूं कि वे कहां तक इसको डिफेण्ड कर सकते हैं जो स्पष्ट ही तथ्य सामने हैं। एक दृष्टान्त देना चाहूंगा इसके लिये केवल कि दौसा-चौमू में ट्रांसफरों के हथकण्डे भी अपनाये गये। चपरासी, पटवारी, कानूनगो से लेकर तहसीलदार तक के तबादले किये गये। मैं समझता हूं ऐसा दृष्टान्त दूसरी जगह कहीं नहीं मिल सकता तो इन और ऐसे हथकण्डों और सत्ता के आंतक के आधार पर जीते गये इलेक्शन को कांग्रेस में जनता के विश्वास को जाहिर करने की बात कहना सरासर गलत होगा। कांग्रेस इस भ्रम में न रहे तो ही अच्छा है।

मैं कहना चाहूंगा माननीय सदन के सदस्यों से कि आज कांग्रेस पार्टी मर चुकी है, कांग्रेस पार्टी नाम की कोई चीज अब नहीं रह गई है। यह जो अपने को कांग्रेस पार्टी का नाम देते हैं वह केवल एक गिरोह है जो एक चुनाव लड़ रहा था अपने स्वार्थों का। इसमें कांग्रेस का कोई सिद्धान्त काम नहीं कर रहा था। जिन सिद्धान्तों को लेकर कांग्रेस का इस देश में जन्म और अभ्युदय हुआ क्या उन सिद्धान्तों का दर्शन इस गिरोह में हो सकता है ? संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा हिन्दी के बारे में इस दल को क्या कहना है, गो हत्या के बारे में क्या कहना है शराबबन्दी के बारे में क्या कहना है ? ये तीन नारे थे महात्मा गांधी के जिनके आधार पर कांग्रेस संस्था को उन्होंने जीवन दिया था, उसमें मन्त्र फूंका था और आगे चल कर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
इसी के बल पर आजादी हासिल की थी। क्या आज भी आजादी के बाद उन्हीं सिद्धान्तों को यह कांग्रेस मान रही है? नहीं। वह तो इनको कभी का दफना चुकी। अब तो यह एक दल मात्र रह गयी है, गिरोह बन कर रह गई है जो अपनी सता और शक्ति को बनाये रखने के लिये इस तरह के कार्य करती चली जा रही है इसलिये दौसा-चौमू में सिद्धान्तों के नाम पर वह जीती है यह कहना बिलकुल गलत है। वह तो संगीनों की नोक पर, अपने हथकण्डों के बल पर जीती है जो कि एक गिरोह ही ऐसा कर सकता है संस्था नहीं कर सकती। कांग्रेस के सिद्धान्तों को आधार बनाकर नहीं जीत पाये।

मैं इतना ही कहना चाहूंगा और बार बार कहता आया हूं कि लोकतन्त्र की दुहाई आसानी से दी जा सकती है लेकिन लोकतान्त्रिक प्रणालियों को मजबूत बनाने के लिये शासक दल कितना सक्रिय है यह विचार करना होगा। स्वामी रामेश्वरानन्द के चुनाव में क्या हुआ। मत गणना में बेइमानियां की गई। जीते हुए दूसरे पक्ष के आदमी को हटाकर सताधारी दल के आदमी को जिताया गया। आज मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसका दृष्टान्त है।

राजस्थान में भी माननीय नाथूरामजी मिर्धा का दृष्टान्त हमारे सामने आता है। उनके केस के लिये जो कोर्ट में चल रहा हूं, मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता। वह सब-जुडिस है। पर इसे भी हमें देखना और समझना पड़ेगा।

श्री सुखाड़ियाजी की चुनाव पिटीशन म कोर्ट का फैसला है कि बेईमान अधिकारियों को सजा देनी चाहिए। आपने कुछ कार्यवाही की उनके खिलाफ? आप लोकतन्त्र का नारा दे सकते हैं, बातें कर सकते हैं, पर केवल सत्ता को बचाने के लिये, अगर उससे सत्ता न बचे तो उसको तिलान्जलि देने में भी आप संकोच नहीं करते। ठीक है कि मामला अभी वह सुप्रीम कोर्ट में है। पर जिस प्रकार के रिमार्क्स अधिकारियों के विरुद्ध श्री जगतनारायणजी ने अपने फैसले में दिये हैं छेल बिहारीलाल को और टी० एन० चतुर्वेदी को जिस तरह से दोषी बताया है सरकार ने कोई कार्यवाही की उनके खिलाफ? अरे श्री नाथूरामजी मिर्धा का मामला! ए० डी०एम० रिटर्निंग अफसर था। ठीक है कि..

श्री शंकरलाल : यह मामला सब-जुडिस है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं उसमें नहीं जाऊंगा। केवल तथ्यों पर कहूंगा।

श्री शंकरलाल : That matter should not be raised. Definitely.

श्री कृष्णकुमार गायल : I agree इसमें केवल मैं यह कह रहा था कि जब नाथूरामजी की इलेक्शन पिटीशन पेश की गई, किसी साधारण व्यक्ति द्वारा नहीं की गई, राजस्थान की कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेन्ट हैं, भूतपूर्व मन्त्री रहे हैं, वे अपनी पिटीशन में चार्ज लगाते हैं रिटनिंग अधिकारी पर कि काउन्टिंग में बेईमानी की गई है। टेम्पर विथ किया है। जिस रिटर्निंग अफसर के ऊपर आपकी कांग्रेस के प्रधान और भूतपूर्व मन्त्री सरीखे महत्वपूर्ण व्यक्ति चार्ज लगाते हैं कि उसने बेईमानी की उस बेईमान बताये गये एस० डी० एम० को आपने प्रमोट किया और डी० एम० बनाया। आपने उल्टा उसे इनाम दिया। मेटर सब-जुडिस है, अधिक निवेदन नहीं करना चाहता।

श्री जसवन्तसिंह नाहर (भीलवाड़ा): एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस हो रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पेन्डिग हैं और राजस्थान हाई कोर्ट में मामला है नाथूरामजी का। तो इन मामलों पर बहस हमारे कोई नियम परमिट नहीं करते।

श्री कृष्णकुमार गोयल : I admit न मैं उन पोइन्ट्स पर जाऊंगा न मेरिट पर जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सब-जुडिस मेटर है क्या ? मैं जानता हूं। मैंने कहा नाथूरामजी मिर्धा पी० सी० सी० के अध्यक्ष ह, यह तथ्य है। भूतपूर्व मंत्री है, यह तथ्य है। उन्होंने इलेक्शन पिटीशन की है, यह तथ्य है। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी पर चार्ज लगाये हैं कि वोट काउन्टिंग के वक्त उसने वेईमानी की, वोटों को टेम्पर विथ किया है। तो मैं तो इन तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं और इन्हीं की वात कर रहा हूं। वह पार्टी, वह दल, उसके वे एक बड़े भारी नेता वे चार्ज लगावें एक अधिकारी पर उस अधिकारी को आप प्रमोट करके डी० एम० बनाते हैं। बहुत अच्छी परिपाटी आप कायम कर रहे हैं। इस परिपाटी के आधार पर लोकतन्त्र की दुहाई देकर दूसरों से वे जो कहना चाहते हैं उनसे हम कहते है कि आप जो अधिकारी इसके लिये जिम्मेदार है उसको सजा दें।

अन्त में केवल एक बात कहना चाहूंगा। ऐसी शेम की वात जो अब तक अपनाये गये हथकण्डों से एक अलग कहानी है इस दौसा चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया यह अलग है। पर इसमें मजदूरों का खून भी आपके सिर पर बोल रहा है। डी० सी० एम० के पिलिन्जर टावर की दुर्घटना हुई उसके लिये मालिक के खिलाफ जिस प्रकार से पुलिस में केस रजिस्टर हुआ 304 ताजीरात हिन्द का। जिस प्रकार तफतीश में बड़े बड़े व्यक्ति शिकंजे में आने लगे तो उस शिकंजे से बचने के लिये राजस्थान सरकार ने उच्च स्तर पर बैठकर षड़यन्त्र किया। और उस षड़यन्त्र के पीछे पीछे नेताओं के चुनाव में दो लाख रुपये खर्च कर दिये, उपाध्यक्ष महोदय, उस टावर को पिलिजर टावर कहते हैं। 5 अप्रेल को दुर्घटना होती है शाम को 4 बजे-4 बजे दुर्घटना होती है टावर का जो स्लेब्स का निर्माण होता है उसमें मजदूर दब जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, सांस नहीं ले पाते हैं और सरकार उद्योगपतियों की तरह कहना चाहती है केवल 13 मजदूर मरे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इस टावर के निर्माण के अन्दर 4 कम्पनियां काम कर रही थीं गेमन–इंडिया, हिन्दुस्तान डेकोरेटर्स, केबी मेहता और गेलन डंकरली। 4 कम्पनियों द्वारा जिस टावर का निर्माण हो रहा था जिसमें लगभग 350 मजदूर कार्य कर रहे थे इसके लिये सरकार यह कहे कि 13 आदमी मरे हैं, मैं समझता हूं यह सरासर झूठ है, धिक्कार है इस बात को और आज बहाना यह लिया जाता है जो बाकी लोग मरे हैं उनको लाओ, उनके रिश्तेदारों को लाओ। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं सरकार यह मानकर चल रही है कि 73 मजदूर उस पर काम कर रहे थे। जब सरकार के अनुसार 13 आदमियों की मौत हुई है और आपने वताया है कि 73 मजदूर दुर्घटना के रोज काम कर रहे थे तो वे बाकी के सब मजदूर कहां चले गये, वे कहां हैं सब मजदूर, उनकी झोंपड़ियां कहां हैं, उनके रिश्तेदार कहां हैं ? क्या सरकार ने उनके परिवारों का पता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लगाया है? 73 मजदूर हैं जिनमें केवल 13 मजदूर मारे जाते हैं 30 मजदूर घायल बताते हैं, बाकी 40 मजदूरों के ठिकाने कहां हैं? उनको कोई आज तक पूछने वाला नहीं है। सरकार पर्दा डालना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, 304 (1) ताजीरात हिन्द केस नं० 103 रजिस्टर किया गया। कम्पनी की फाइलें जब्त की गईं 9 फाइलें जब्त की गईं जिसके अन्दर जापान डी० सी० एम० की फैक्ट्री के साथ वार्ता हुई थी कि जो टावर बन रहा है इसके बीम और स्लेव दोनों साथ लगने चाहिए या अलग अलग यह झगड़ा चल रहा था। किसी कम्पनी ने कहा पहले बीम पड़े और बाद में स्लेव, दूसरे लोग कहते थे कि पहले स्लेव पड़े और बाद में बीम। उपाध्यक्ष महोदय, 23 दिन काम बन्द रहा इस झगड़े के अन्दर कि पहले बीम पड़े या पहले स्लेव या दोनों साथ साथ पड़ें। सारा पत्र व्यवहार हुआ। जिस प्रकार की लापरवाही से मजदूरों का खून किया गया है, जिस लापरवाही के लिये मनेजमेंट जिम्मेवार है वह सारी फाइलें दबा दीं। पुलिस ने टावर पर कब्जा कर लिया-9 फाइलें अपने कब्जे में कर लीं, तफतीश चल रही है। उद्योगपति छटपटा रहे थे कि 73 आदमियों के खून की पूर्ति, उनको क्षति पूर्ति, उनके परिवारों को राहत कितनी भयंकर है। दौड़ हुई दिल्ली और जयपुर की ओर अपने आंसू बहाने लगे। सरकार ने उसके अन्दर कमीशन की नियुक्ति कर दी। कमीशन की नियुक्ति होने से एन्क्वायरी सरेंडर हो गई, फाइलें लौटा दी गईं, कब्जा दे दिया गया मनेजमेंट को और आज, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के घंटों के समय में कहा गया कि जो वहां के कलेक्टर ? श्री सूद—आई विटनेस दर्ज किये गये हैं—इस कमीशन के वन आफ दी मेम्बर अपाइन्ट किये जाते हैं—क्या यह कमीशन, उपाध्यक्ष महोदय, उपयुक्त है? इस कमीशन पर इतना खर्चा किया जा रहा है। गवाहान के बयान करने के लिये सब-कमीशन अपाइन्ट कर देते हैं वह बयान ले रहा है। इन्क्वायरी करने के लिये ऐसे मामलों में सब-कमीशन अपाइन्ट कर सकते हैं, सारी इल्लीगल कार्यवाहियां चल रही हैं। अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं आरम्भ में जो कमीशन नियुक्त हुआ था, उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के आग्रह पर, पुलिस के कहने पर एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, उस कमेटी का निर्माण हुआ उधर कमीशन ने मैनेजमेंट के कहने पर आदेश दिया है कि मैनेजमेंट की फाइलें लौटा दी जायं जो टावर पर कब्जा किया गया है, उसको छोड़ दिया जाय। एक्सपर्ट कमेटी ने यह उपयुक्त समझा था कि फाइलें नहीं लौटाई जायं, कब्जा नहीं छोड़ा जाय क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी उस टावर को देखना चाहती थी कि मैनेजमेंट का नेगलीजेन्स कहां तक हुआ है लेकिन जैसे ही कमीशन को मालूम पड़ा कि एक्सपर्ट कमेटी ने कब्जा रख लिया है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है उस कमीशन ने उसी एक्सपर्ट कमेटी को बर्खास्त कर दिया। वह एक्सपर्ट कमेटी पुलिस के हाथ मजबूत करती है और उसी को यह कमीशन समाप्त कर देता है। मैं अन्त में यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा कमीशन इस दुर्घटना के सम्बन्ध में नियुक्त हुआ है वह गलत है और जो मामला रेफर किया गया है उसके अन्दर अभी तक यह बातें ह। वास्तव में इस दुर्घटना में कितने मजदूर मारे गये, आज तक कमीशन को यह मामला रेफर नहीं किया गया है। नेगलीजेन्स और दोष को बचा लिया जाय, इससे भी अधिक, उपाध्यक्ष महोदय, बुरी बात है कि इसको पुलिस के कोई डीवाई० एस०पी०,सी०आई० डी०, सिन्हा हैं वे कन्डक्ट कर रहे हैं। सिन्हा के तफतीश

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के कागजात लेकर कोटा जिले के हारे हुये कांग्रेसी उम्मीदवार श्री रामेश्वर दयाल को दिये हैं। ऐसे व्यक्ति को ये कीमती फाइलें दे दी जायं। उन सारी फाइलों को इधर उधर कर दिया गया है। आप, उपाध्यक्ष महोदय, उनका मुलाहिजा करें वे फाइलें सिन्हा से लेकर डी वाई०एस०पी० को लौटा दी हैं। आज कमीशन के हाथ में मजदूरों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। दो लाख रुपये दौसा और चौमू के चुनाव के लिये मांगे गये हैं। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दौसा और चौमू के चुनाव के रूप में आपने रुपया लिया, उस रुपये को खर्च किया है। पद्धति भी है कि खर्च होता है लेकिन चुनाव में प्रभावी हथकंडे अपनाये जायं, सौदेबाजी की जाय, इसका ठीक प्रकार संचालन न किया जाय तो देश का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। जिस प्रकार की देश की शक्ति है वह क्षीण हो जायगी। आज जनता को मौका मिलता है, अवसर मिलता है कि चुनावों के अन्दर गड़बड़ हुई है, उनको मौका मिलता है बोलने का कि लोकतन्त्र में ढकोसला है। ईश्वर के लिये ऐसी चीज को पनाह न दें, इतना ही मेरा निवेदन हैं। मोटर गाडियां डिप्टी मिनिस्टरों की सैर के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, उनके पास कोई काम नहीं है। उनकी बात कोई हैड आफ दी डिपार्टमेंट माने यह तो बहुत दूर की बात है, वे इनकी चिन्ता भी नहीं करते, इनको तो चक्रवाली तिरंगी झंडी चाहिए। दौरे करते रहें, लोग सलाम मारते रहें और चीफ मिनिस्टर की कार के पीछे मेरी कार न लगे तो बेइज्जती। थानेदार कह दे कि मुख्य मंत्री जी की कार के पीछे पुलिस की कार रहेगी, आप नहीं आ सकते हैं तो उस सी० आई० डी० इन्सपेक्टर का तबादला कर दिया जाय। ये हमारे रामचरण जी जो कोटा जिले से आये हैं इन्होंने बेचारे एक थानेदार को जिसने सी० एम० की कार के पीछे नहीं रहने दिया तो कहा, उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार ही मेरे पीछे बनी है।

अगर इनका चालान हो जाये एक्सीडेन्ट के कारण 279 और 387 ताजीरात हिन्द में गुमानपुरा पुलिस स्टेशन के अन्दर क्योंकि इन्होंने एक बच्ची के टक्कर मार दी तो कहते हैं कि तुमने मुकद्दमा दर्ज कैसे कर लिया, चलो तबादला उदयपुर करते हैं। इसलिये आज राजस्थान की कितनी ही समस्यायें हैं, अकाल से किस प्रकार से सारा राजस्थान पीड़ित है, सड़के नहीं हैं सफाखाने नहीं हैं, स्कूलें नहीं है, पानी नहीं है, त्राहि त्राहि मची है। सारी समस्यायें विद्यमान हैं और उसके बाद दौरों के लिए और एशोआराम के लिए 36 का मंत्रिमण्डल और गाड़ियों का खर्चा-यह किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है और इसी आधार पर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: (कुछ माननीय सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) एक सूचना है। इस विधेयक को पारित किये जाने के लिए पहले एक घन्टे का समय नियत किया गया था उसको बढ़ाकर आज पूरे दिन इसी पर चर्चा चलेगी और अंत में इसको पारित किया जायेगा। सरकार की ओर से उत्तर 4.30 बजे शुरू किया जायेगा और बोलने वाले माननीय सदस्यों को 15 से 20 मिनट तक का समय दिया जायेगा।

श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान विनियोग (संख्या 4)

(श्री शंकर लाल)
विधेयक, 1968 को लेकर और दौसा और चौमू के चुनावों पर चर्चा करते हुए अभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने अपनी बातें कहीं......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर के माननीय सदस्य को 10 मिनट का समय और दिया जाये। अगर व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है और यही विधेयक सारे दिन चलेगा तो माननीय सदस्य जो बोल चुके हैं उनको और समय दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : नियमों का उल्लंघन हो जायेगा। जिन माननीय सदस्यों ने अपना भाषण समाप्त कर दिया उन्हीं को उसी पर बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती।

श्री शंकरलाल : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि विरोधी दल के, स्वतंत्र पार्टी के और जनसंघ पार्टी के जिन माननीय सदस्यों ने इस सदन के समक्ष इस बात को रखने का कुप्रयत्न किया है कि दौसा और चामू के चुनावों में कांग्रेस दल के बलबूते पर नहीं बल्कि सरकारी बलबूते पर चुनाव हुए हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं स्वयं चौमू और चौमू के आसपास के क्षेत्रों में करीब 7 दिनों तक रहा था और मैं अगर थोड़ी सी बातें और कुछ उदाहरण इस सदन के समक्ष रखूं तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को मानेंगे और माननीय सदस्य भी मानेंगे कि दौसा और चौमू के चुनावों के अन्दर जो कांग्रेस की जीत हुई थी वह वास्तव में कांग्रेस पार्टी और जनता की सही जीत हुई थी और चुनावों में जब कांग्रेस जीतती है तो उस समय विरोधी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने दूसरे तरीके अपनाये और जब वह जीतते हैं तो समझते हैं वास्तव में जनता ने उनका साथ दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझता कि जो जनता का फैसला होता है और उस फैसले को लेकर यहां पर इस बात की चर्चा करें केवल इस बात को छुपाने के लिए कि वहां पर उनकी हार हुई है तो मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह उनके लिए अच्छा तरीका नहीं है। इससे जनता कभी आकृष्ट नहीं होती क्योंकि वहां की जो जनता है वह जानती है कि किसने क्या हथकंडे अपनाये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्वत्रंत पार्टी और जनसंघ पार्टी जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, जो चुनावों के अन्दर भ्रष्टाचार और शराब और पैसे के बलबूते के ऊपर जनता को गुमराह करती हैं उनको इस चौमू के चुनाव में नहीं आने दिया कांग्रेस पार्टी ने। आप कहते हैं कि यह कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं। आपने देखा होगा या जो भी लोग चौमू के चुनाव में गये उन्होंने देखा होगा कि कांग्रेस दल के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग गांव गांव में डेरा लगाये हुए थे। राजस्थान के कई हिस्सों से कांग्रेस पार्टी के आदमी आये थे....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : शराब की बोतलें भी थीं।

श्री शंकरलाल : और गांवों के अन्दर पांचपांच और सातसात दिन रह कर कांग्रेस पार्टी ने सही प्रचार किया था —

श्री श्रवणलाल : 26 मंत्री आसन लगाये बैठे थे।

श्री शंकरलाल : और वहां की जनता के मानस को उन्होंने जीत लिया और कांग्रेस

(श्री शंकरलाल)
का जनता ने समझकर साथ दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब मैं वह बातें बताऊंगा कि किस प्रकार से उनकी बातें वहां नहीं चलीं। वह जिस प्रकार से पैसे और शराब के बलबूते पर चुनाव जीतते हैं जब कि चुनाव के पहले सरकार की तरफ से पाबन्दी लगी कि एक दिन पहले कोई भी शराब की बिक्री नहीं करे तो उनके ऊपर जैसे पाला पड़ गया हो कि अब उनकी जीत होने वाली नहीं है क्योंकि उनकी जीत होती है शराब के बलबूते के ऊपर....

श्री विजयसिंह (मकराना) : यह बिलकुल गलत है।

श्री शंकरलाल : जब सरकार ने इसकी पाबन्दी लगा दी कि उस चुनाव के क्षेत्र में एक दिन पहले किसी प्रकार की शराब की बिक्री नहीं होगी तो आप चुनाव हार गए और आज कहते हैं कि वहां पर दुरुपयोग किया गया। अगर वहां पर शराब की बिक्री चालू रही होती तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जुल्म होते और यह लोगों को बहकावे में डालते। लेकिन सरकार का निर्णय था कि शराब की बिक्री को बन्द करके जनता को सही वोट देने का अधिकार दिया जाय। मैं निवेदन करूं कि चौमू के पास में ही कालाडेरा नाम की जगह है वहां पर इन लोगों ने किस प्रकार की बातें फैलाईं। इस बात का धार्मिक प्रचार किया गया कि किसी आदमी के त्यौहार पर वहां जीमन हो रहा था। वहां पर मोसर हो रहा था और वहां रामकिशोर जी पहुंचे और ताला लगवा दिया और पुलिस की मार्फत सारा माल जब्त करा दिया और यह कहा गया कि कांग्रेस वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को दबाना चाहते हैं लेकिन जब सही बात मालूम पड़ी कि रामकिशोर जी वहां गये ही नहीं, वहां जीमन हुआ ही नहीं और न कोई माल जब्त किया। यह भी कहा गया था कि स्वतंत्र पार्टी की महारानी ने जाकर ताला खुलवाया। इस प्रकार से जनता में धार्मिक प्रचार करके और बाहर के कई नेताओं को बुलाकर, महारानी सिंधिया को बुलाकर और हरियाणा से बुलाकर सारा झूठा प्रचार करवाया...

श्री विजयसिंह : महारानी गायत्री देवी ने अन्न बांटा था। आप सब पड़े पड़े खा जाते हैं।

श्री शंकरलाल : हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव गांव में जाकर जब सही तस्वीर गांव वालों के सामने रखी और जनता ने कांग्रेस का साथ दिया और महलों में रहने वालों के सामने झोंपड़ी में रहने वाले हमारे कार्यकर्ता सामने आये तो उनकी हार हुई...

श्री विजयसिंह : मोहनलालजी सुखाड़िया कौनसी झोंपड़ी में रहते हैं? 36 मिनिस्टर्स कौनसी झोंपड़ियों में रहते हैं? इस प्रकार की झूठी बातें कह कर सदन को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री शंकरलाल : इस तरह से कवितायें पढ़ने से और बीच में बोलने से काम नहीं चलेगा। आपमें भी क्षमता होनी चाहिए बातें सुनने की। बीच में कहने से मैं चुप होने वाला नहीं हूं। आपको मालूम होना चाहिये कि आपने किस प्रकार की कोशिशें कीं। मैं आपसे कह रहा था कि महलों में रहने वालों के मुकाबले जब जनता का साधारण आदमी नवलकिशोरजी जीते तो जनता ने कहा कि यह हमारे सही कार्यकर्ता हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सही कहना

(श्री शंकरलाल)

चाहता हूं कि अगर उनकी जगह कोई पूंजीपति होता कांग्रेस का उम्मीदवार तो कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्त्ता जाकर इतनी लगन से काम नहीं करते। लेकिन हमने समझा कि हमारा कार्यकर्त्ता है उसके लिए हमें जान देनी है और उसके लिए मरना है और यह कांग्रेस के कार्यकर्त्ताओं की ही लगन थी और वहां जाकर उनका पड़ाव था जिसने कांग्रेस पार्टी को जिताया। आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मर चुकी है वह मरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है जिसने आपको सबक दिया है और जब चौमू और दौसा के चुनाव में आपकी हार हुई है तो आप बौखला उठे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं जानना चाहूंगा..

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल : मैं यह कहना चाहूंगा कि एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि श्री दामोदरलाल जी व्यास वहां थे। वास्तव में मैं लोह पुरुष का नाम सुनता हूं। उन्होंने आपकी स्वतंत्र पार्टी की नेता महारानी गायत्री देवी को 9,000 वोटों से हराया है।

(3 म० प०)

मैं यह कहता हूं कि वहां पर हम लोग जगह जगह पोलिंग पर लगे हुए थे। आपका यह कहना गलत है कि वहां पर जनता की जीत नहीं है। कहां मोरीजा, कह मालपुरा सभी जगह हमारे कार्यकर्त्ता थे। पाली जिले से 11 कार्यकर्ता गये थे और रात-दिन उन्होंने कार्य किया। कहीं बिजली नहीं तो कहीं खाना नहीं पर उसकी परवाह किये वगैर ही उन्होंने रात-दिन काम किया है। आप कहते हैं कि सरकारी मशीनरी पर जीत गये ! उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग यह नाम लेते हैं कि सरकारी कर्मचारी कांग्रेस का साथ देते हैं तो चाहे वे कांग्रेस का साथ देते हों चाहे विरोधी पक्ष का साथ देते हों यदि किसी कर्मचारी को किसी चुनाव में काम करते हुए देख लेते हैं तो उसको दण्ड देना चाहिए। लेकिन हमारे सामने भी ऐसे उदाहरण आये हैं कि जहां पर सरकार के बड़-बड़े अधिकारियों ने स्वतन्त्र पार्टी का साथ दिया है....'

महारावल श्री लमक्ष्णसिंह (डूंगरपुर): मैं थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि सबसे बड़ी जो पूंजीपति पार्टी है वह कांग्रेस पार्टी है। विरोधी पक्ष भी दूध का धोया हुआ नहीं है, पर जहां पर विरोधी पक्ष 2 हजार खर्च करता है वहां पर कांग्रेस पार्टी 10 हजार खर्च करती है। माननीय सदस्य कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों का साथ कांग्रेस को नहीं है तो मेरे खयाल में वे खुद जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव जीत सकती है वरना जीतने की कोई आशा नहीं है।

श्री शंकरलाल : केवल नाम ले लेने से या यहां पर कह देने से जो चीज जनता के अन्दर है उसको छिपाया नहीं जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने चुनाव क्षेत्र के बारे में कहता हूं। स्वतन्त्र पार्टी के नेता जो कहते हैं उनको बताना चाहता हूं एक उदाहरण। मेरे खुद के चुनाव क्षेत्र के चुनावों के दिनों में 7 दिन की छुट्टी लेकर शीप एण्ड वल के डाइरेक्टर श्री ओंकारसिंह जो बंबोली के रहने वाले हैं आये....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । किसी अधिक.री का नाम नहीं लिय. जाय । बिना पूर्व सूचना के किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया जाय ।

श्री शंकरलाल : मैं उदाहरण बताना चाहता हूं सदन के समक्ष कि हमारे पर लांछन लगाते हैं तो हमारे सामने भी ऐसे उदाहरण आये हैं कि जिन्होंने जातिवाद के नाम पर और पैसे के बल पर सरकारी मशीनरी को खरीद कर उसका उपयोग करने का प्रयत्न किया है । इन्होंने कहा है इसलिए मैं उदाहरण देना चाहता था । उस अधिकारी के खिलाफ यह चार्ज है कि 7 दिन तक उसने खुल्लम खुल्ला स्वतन्त्र पार्टी का प्रचार किया है । वह एक नहीं जो दूसरा स्वतन्त्र उम्मीदवार था उसने इसकी शिकायत की है और इलेक्शन कमीशन को तार दिया है और उसकी जांच हो रही है । आज आप यह कहते हैं कि कांग्रेस सरकारी अधिकारियों के बलबूते पर चुनाव जीती है । चाहे इधर काम करें चाहे उधर काम करें यदि सरकारी अफसर है वह किसी चुनाव में देख लिया जाय काम करता हुआ तो उसको दण्ड मिलना चाहिए । इस बात से मैं इन्कार नहीं करता हूं । लेकिन यह वात आप नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस चुनाव जीती है तो सरकार की मशीनरी के बलबूते पर जीती है । स बात से मैं इन्कार करता हूं । यह आपका आरोप गलत है ।

चूंकि दौसा और चौमू के चुनावों में आपकी करारी हार हुई है उस हार से बौखला कर, उस हार को छिपाने के लि स सदन के अन्दर कांग्रेस को दोष देकर लांछन लगाना चाहते हैं । इस तरह से लांछन लगाने से लांछन नहीं लगता है । वहां की जनता जानती है, वहां के लोग जानते हैं कि चुनावों के अन्दर आप लोगों का क्या रोल रहा है ।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कह रहा था कि अभी अभी कोटा की किसी फैक्ट्री के एक्सीडेन्ट की बात बताई गई कि कांग्रेस को वहां से दो लाख का चन्दा दिया गया । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का किसी एक पार्टी पर आरोप लगाना उपयुक्त नहीं है । कितना चन्दा लिया, किसने लिया और क्यों लिया ? क्या आप चन्दा नहीं लेते हैं । कोई भी पार्टी इस लोकतन्त्र में जिन्दा रहती है तो वह चन्दे के बलबूते पर । वह चन्दा के कन्धे पर जिन्दा रहती है । कांग्रेस के चन्दा इकट्ठा करने का प्रोग्राम है । 1-1 रुपया किसानों से और गरीबों से जो कांग्रेस के साथ हैं, लेकर कांग्रेस का फण्ड जमा किया जाता है । पांच-पांच हजार रुपये हर एक पंचायत समिति में इकट्ठा करके थैलियां भेंट की जाती हैं । आपने देखा होगा कि जैतारण पंचायत समिति के अन्दर सरकारी अधिकारियों के बल पर नहीं बल्कि जनता के दिल के ऊपर चुनाव जीता है, वहां के लोगों ने 5-5 रुपया दिया है । आज राजस्थान के किसान और मजदूर कांग्रेस के साथ हैं । उसको दबाना चाहते हैं, पूंजीपति और राजा-महाराजा, पैसों के बलबूते पर आज चुनावों के अन्दर भ्रष्टाचार फैलाते हैं और कांग्रेस पर लांछन लगाते हैं, लेकिन जनता सब कुछ जानती है । कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री विजयसिंह के खड़े होने पर) माननीय सदस्य बीच में हस्तक्षेप नहीं करें ।

श्री शंकरलाल : यह जो चार्ज लगाया है वह बिलकुल गलत चार्ज लगाया है । जो

(श्री शंकरलाल)

बात कही जाय वह तथ्य के साथ कही जाय। आइये मैदान में और अपनी बात को रखिये। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता था कि केवल प्रचार की दृष्टि से आरोपों के आधार पर ही कोई बात नहीं कही जाय। जिस समय चौमू के अन्दर सभा हुई थी कांग्रेस की और उससे पहले जितनी भी सभाएं हुई थीं स्वतंत्र पार्टी की, जनसंघ की और इन सभाओं में जो बातें कही गई थीं तो चुनाव के एक रोज पहले आम सभा हुई थी, जिसमें हजारों की तादाद में लोग आये थे और जो सभाऐं इन पार्टियों की होती थीं उनसे दुगने आदमी इकट्ठे हुए और इस सभा के अन्दर सारी बातों का जवाब दिया गया। वीरेन्द्रसिंह की बातों का जवाब दिया गया, महारानी सिंधिया का जवाब दिया गया, महारानी गायत्री देवी की बातों का जवाब दिया गया और वहां पर इनके घृणित प्रचार का भंडाफोड़ किया गया और दूसरे रोज ही जनता ने सही फैसला किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं के बलबूते पर, किसानों और मजदूरों के बलबूते पर टिकी हुई है और उन्हीं के बलबूते पर टिकी रहेगी और जनता का नाम और कांग्रेस का न मरोशन करती रहेगी।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जल्दी समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप शुरू ही करदें।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने 60 लाख का एप्रोप्रियेशन बिल लाकर इस प्रकार से.. ..

श्री शंकरलाल : 60 लाख नहीं है। जरा पढ़िये और पढ़कर भाषण दें। 6 लाख का है।

श्री विजयसिंह : माफ करें गलती हो गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर 6 लाख रुपये आपको चाहिए तो आपको एक जगह से ही मिल सकते हैं और इस तरह से लोगों का पसीना निकाल कर उनका खून चूस कर .....

श्री शंकरलाल : एक जगह से नहीं लेना चाहते हैं आपकी तरह से।

श्री विजयसिंह : मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मकराना के अन्दर जिस प्रकार से सेल्स टैक्स की चोरियां होती हैं, रायल्टी की चोरियां होती हैं अगर दो चार मिनिस्टर थोड़े दिन के लिए वहां जाकर बैठ जायें तो 6 लाख रुपया सही ढंग से वसूल हो सकता है। इस प्रकार से 6 लाख रुपया वसूल करके राजस्थान के पैसे को फालतू के अन्दर खर्च करके यह 35 मंत्री जो राजस्थान की छाती पर बैठे हुए हैं उनके द्वारा लाखों रुपया बरबाद किया जा रहा है। वे कुछ भी काम नहीं करते हैं। यहां तक कि सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। राजस्थान के अन्दर केवल अपने साथियों को फालतू का प्रोत्साहन देकर एक गलत काम कर रहे हैं। इस प्रकार के गलत काम करने वाले मंत्रियों के ऊपर जो खर्च किया जाता है उन पैसों को बचाकर हम किसी तरह भी राज्य सरकार को दे सकते हैं।

(श्री विजयसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं को मालूम है और आपका दिल गवाह करता है कि राजस्थान के अन्दर किस प्रकार से भ्रष्टाचार फैल रहा है ? भ्रष्टाचार राजस्थान के कौने कौने में फैल गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस असेम्बली में आज भी इसके इर्द गिर्द 10-20 आदमी ऐसे बैठे हुए हैं जो कांग्रेस के मिनिस्टरों का काम करते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं और लोगों को प्रलोभन देकर लाते हैं कि मिनिस्टर साहब से मेरी जान पहचान है....

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपके शब्दों का विरोध करता हूं जो आपने कहा कि कांग्रेस में, असेम्बली में भ्रष्ट बैठे हुए हैं।

श्री दिग्विजयसिंह इन्होंने आप लोगों के लिए नहीं कहा।

श्री विजयसिंह : असेम्बली के बाहर के लिए कहा। आप लोगों के लिए नहीं कहा।

एक माननीय सदस्य : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री विजयसिंह : अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो वह मेरे साथ जाकर खुद देखें। कुछ लोग चार-पांच आदमियों को साथ में लेकर आते हैं। वह मंत्रियों को बताते हैं कि हम रामा-श्यामा करने के लिए आये हैं और उन लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे काम के लिए आये हैं। इस प्रकार के लोग भ्रष्ट काम करते हैं, इसमें कोई गलत हो तो रामनारायणजी जो कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि भ्रष्टाचार किस तरह आज फैल रहा है। आज भ्रष्टाचार गांधीजी के नाम पर फैल रहा है। गांधीजी के चेले उनके बताये हुए काम नहीं करते हैं। गांधीजी ने कहा था कि भारत को स्वर्ग बनाना है लेकिन उनके चेले भारत को स्वर्ग नहीं बनाना चाहते, वह तो गांधीजी के नाम से जिस प्रकार से पैसा खाते हैं इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहता हूं। एक व्यक्ति है, जो कांग्रेसी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं। कोई भाई चाहें तो मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। वह कहते हैं कि गांधीजी ने हमको यह कहा कि खूब पैसा लो। वह कैसे कहा गांधीजी ने....

श्री रामनारायण चौधरी : ऐसा कोई कहता है तो वह कांग्रेसी नहीं है।

श्री शंकरलाल : वह ऐसा कहता है तो कांग्रेसी नहीं है।

श्री विजयसिंह : वह कांग्रेसी है, धोली टोपी लगाता है, धोती पहनता है और उसने कांग्रेस का फार्म भर रखा है।

तो वह ऐसा कहता है तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि गांधीजी ने ऐसा कैसे कहा। तो वह कहता है, गांधीजी तो जिन्दा नहीं हैं उनकी मूर्ति है। तो वह मूर्ति के पास ले जाकर कहता है। वह कहता है, गांधीजी क्या कहते हैं। गांधीजी कहते है, गांधीजी के हाथ में किताब है, एक हाथ में बुढ़ापे का सहारा लाठी है। उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। तो गांधीजी एक हाथ से कहते हैं अहिंसा परमो धर्म:। लेकिन वह कांग्रेसी

(श्री विजयसिंह)

क्या कहता है। वह कहता है, गांधीजी कहते ह : पांच नोट ले लो। इसलिए ही यह पांच अंगुली दिखा रहे हैं। ज्यादा कोई लखपति हो तो वह कहते हैं कि पांच हजार ले लो, थोड़ा कम हो तो पांच सौ ले लो और कोई ऐसा ही हो तो पांच ले लो। दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं तो गरीब हूं, पांच नोट तो ज्यादा हैं। तो वह कहता है कि गांधीजी की एक अंगुली यों है, यह कहते हैं कि साढ़े चार ले लो। साढे चार से भी काम चलेगा। दूसरा व्यक्ति कहता है कि यह कब कहा कि साढ़े चार ले लो। तो वह कहता है कि गांधी जी कहते हैं कि लाठी के जोर से ले लो अगर कोई नहीं देता है तो। दूसरा व्यक्ति कहता है कि अगर वे इस प्रकार कहते हैं और मैं साढ़े चार दे देता हूं तो ....

श्री शंकरलाल : यह आपका इन्टर-प्रिटेशन है।

श्री विजयसिंह : तो काम किस प्रकार से होगा ? तो वह कहता है कि इस किताब में लिखा हुआ है। इस किताब के अनुसार सारा काम हो जाता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि पैसा लिया जाना चाहिए वह कैसे लें ? तो वह गांधीजी के चश्मे की ओर दिखा कर कहता है, गांधी जी की आंखें चश्मे में थोड़ी तिरछी है, वह कहते हैं कि कोने में ले लो।

तो इस प्रकार गांधीजी के नाम से आज लोग पैसा बटोरना चाहते हैं, भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। कौनसा ऐसा सदस्य है जो आज गांधीजी के आदर्शों पर चलता है। मैं पूछता चाहता हूं कि किसी सदस्य ने भी आज दिन तक उनके ऊंचे आदर्शों को जनता के सामने कभी रखा है ? कभी नहीं रखा और न रखने की हिम्मत है। अगर आप में हिम्मत है, तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनकी आप जांच करायें कि वह मिनिस्टर बनने के पहले क्या थे और अब क्या है ? लाखों रुपये बटोरने के लिए कहा था गांधीजी ने ? गांधीजी ने यह कहा था कि हिन्दुस्तान के अन्दर गरीब को अमीर बनाना है, गरीब को ऊंचा बनाना है लेकिन आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। आज साहू जैन की थैलियां भरती जा रही हैं इसलिए कि वह कांग्रेस का साथ देता है। साहू जैन का एक एजेन्ट है, जिसका नाम है राठी। वह राठी सवाई माधोपुर में हमारे एक एम०एल०ए० साहब को कहते हैं, आप कांग्रेस में आ जाओ। पैसे के बल पर आ जाओ। पैसे के बल पर नहीं आते हो तो हम पुलिस के बल पर ले लेंगे, यह कर देंगे वह कर देंगे। उन एम० एल० ए० साहब ने यह बात हमें बतलाई। वह बहुत भोले और सीधे सज्जन हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार राठी हमें कहता है। तो हमने कहा कि राठी इस प्रकार कहता है तो उसको लाठीजी दिखाओ ताकि राठीजी आयन्दा इस तरह कहने का नाम नहीं लें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चुनाव के अन्दर घोटाले किस प्रकार होते हैं। डीडवाना के अन्दर चुनाव के अन्दर गवर्नमेंट के कम से कम 20 लाख रुपये खर्च हुए हैं। बिजली वहां पर लगा दी गई क्योंकि अभी जो हमारे वित्त मंत्री हैं वे उस समय योजना मंत्री थे। उन्होंने पहले से ही योजना बना ली कि मुझे जहां से चुनाव लड़ना है वहां पर कहां कहां खर्च करना है और कैसे खर्च करना है। वहां पर जितनी सड़कें

(श्री विजयसिंह)

हैं वह चालू हो गई, बिजली की लाइन चालू हो गई, और लोगों को शराब की सप्लाई स्टार्ट हो गई। सारे शराब पिये हुए लोग गांवों में वोट मांगने जाते थे। वह बन्दूक और पिस्तौल लेकर वोट मांगने जाते थे श्री मथुरादास माथुर के लिए। उनकी ही एक गाड़ी से एक कायमखानी का एक्सीडेंट कर दिया गया। वह इसलिए कर दिया गया क्योंकि मथुरादास माथुर को उसने वोट देने से इन्कार कर दिया था। इसलिए ही उनके साथियों ने टक्कर मार कर उसको कुचल दिया और उनका कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से वोट न लेकर अगर सच्चे मायने में वोट लेना चाहते हैं तो फौजी आफिसरों के मुकाबले में चुनाव लड़िये। एक भी कांग्रेस-का आदमी नहीं आ पायेगा राजस्थान के अन्दर। आप इस प्रकार से ऊंचा ऊंचा बोलते हैं...

श्री शंकरलाल: फौजी ऑफिसरों की जिस तरह पाकिस्तान में सत्ता है उसी तरह यहां भी चाहते हैं क्या? यहां लोकतंत्र है!

श्री विजयसिंह: पाकिस्तान को तो हम खुद खत्म करना चाहते हैं और खत्म कर देंगे। ऐसी क्या बात है। पाकिस्तान को पनपाने वाले आप लोग हैं। जो पाकिस्तानी यहां बैठे हैं उनके खिलाफ आप कुछ नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि इनके खिलाफ कुछ कार्यवाही की नहीं कि अपने वोटों में गड़बड़ घोटाला हो जायगा। दो चार पाकिस्तानी यहां आकर जो हवा फैलाते हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्यवाही करके आप टिक नहीं सकते हैं। पाकिस्तानियों को प्रोत्साहन आप देते हैं न कि हम। पाकिस्तान के ऊपर तो अगर चाहते तो चौबीस घंटे के अन्दर कब्जा कर सकते थे। सरदार पटेल एक महान पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान को चौबीस घंटे में सरेन्डर कराना चाहते थे लेकिन आपकी गलत नीतियों ने और आपके कारनामों ने उन्हें ऐसा करने से रोका। वह लौह पुरुष थे और सबसे अधिक उन्हें इससे सदमा पहुंचा और इसके कारण ही उनकी मृत्यु हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस वालों ने इस प्रकार जनता को डरा कर और जनता को धमका कर वोट लेकर और जिस प्रकार से राजस्थान के अन्दर यह सरकार बनाई है, बन्दूकों और गोलियों के जोर के ऊपर। लेकिन इस प्रकार सरकार बना बना कर कब तक काम चलायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार कच्चे धागे के ऊपर लटक रही है, अब गिरी, कल गिरी, कभी भी गिर सकती है-इसमें कोई शक नहीं है। सुखाड़िया साहब को डर है, असेम्बली लम्बी चल गई, कहीं गिर न जाय, कहीं कुछ हो न जाय। वरना उनको डर क्या है, उनको स्पोर्टसमैन स्प्रिट से चलना चाहिए। हर बात को दो दो घंटे में लेकर असेम्बली को जल्दी खत्म किया जाता है, जैसे कोई तूफान मेल चल रहा है। इस प्रकार असेम्बली को खत्म नहीं करना चाहिए। उनको फेस करना चाहिए। जिस प्रकार से दो टीमें आपस में खेलती हैं, कोई हारे या कोई जीते। और हारे तब भी दूसरी टीम को फेस करती रहती है। इसी प्रकार असेम्बली को उन्हें फेस करना चाहिये। जिस काम के लिए मेम्बर चुने गये हैं, लेजिस्लेशन को बनाने के लिए तो बारह महीने में चार महीने असेम्बली चलानी चाहिए, लेजिस्लेशन का काम चार महीने होना चाहिए। एक महीने, दो महीने असेम्बली चलती है, चार

(श्री विजयसिंह)
चार सौ रुपये एम० एल० ए० को मिलते हैं और इस प्रकार लेजिस्लेशन के साथ बेगार टाल रहे हैं। मैं कहता हूं कि चार महीने असेम्बली होनी चाहिए, डट कर असेम्बली हो, सरकार जाय या न जाय, जनता का काम होना चाहिए। जनता के लोग खाने पीने के लिए तरसते हैं, बाढ़ और अकाल के कारण जनता के लोग खाने पीने के लिए तरसते हैं और इन्हें मौज और मजा मिल जाता है। कोई भी ऐसी बात हुई, बाढ़ आयी या अकाल पड़ा, या पाकिस्तान का अटेक हुआ, इनको पैसा लूटने का, मजा उड़ाने का मौका मिल जाता है, रक्षा कोष के नाम पर और स्वर्ण दान के नाम पर...

श्री उपाध्यक्ष : आप विचारणीय विषय से बहुत दूर चले गये हैं।

श्री विजयसिंह : मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं। मैं छः लाख रुपये के ऊपर ही बोल रहा हूं।

श्री शंकरलाल : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री विजयसिंह : बाढ़ आये तो बाढ़ के अन्दर आपको मजा आ जाता है। रुकने वाले रुक गये, आप गड़बड़ी और घोटाले करते रहें और गाड़ियां दौड़ाते रहें, और बाढ़ के नाम पर पैसा बटोर बटोर कर मजा उठा लें। कोई चीज हो, कोई गड़बड़ी हो सबसे ज्यादा कांग्रेस वाले ही उसका मजा लेते हैं। वह देखते हैं कि मजा उड़ाने का मौका मिला है। इनको किसी प्रकार भी हो मजा उड़ाने का मौका मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं और ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने आपका काफी समय ले लिया है। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री रामकिशन : आपत्ति कर दी है आपको समय जरूर मिलेगा।

श्री श्रवणलाल : शंकरलाल जी, यह बतायेंगे शराब के लिए।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब आज कल बच्चों की हड़तालों को देखता हूं तो मेरे मन में एक विचार आता है कि कांग्रेस का जब राज्य नहीं आया था तब हम कालेजों में जाकर लड़कों को हड़ताल के लिए उकसाया करते थे। उस वक्त नहीं सोचा था कि जब राज्य हमारे हाथ में होगा उस वक्त हमारी क्या स्थिति होगी। आज वह पत्थर हमारे ही सिर पर पड़ रहा है। अगर मैं हड़ताल पर जाने के लिए लड़कों को उकसाता हूं तो मुझे चिन्तन करना चाहिए कि कल राज्य हमारे हाथ में आयेगा तो यह पत्थर हमारे सिर पर पड़ने वाला है। यही बात मैं चुनाव के सिलसिले में कहना चाहता हूं, चूंकि आज सत्ता कांग्रेस वालों के हाथ में है अगर वह चुनाव के अन्दर दुरुपयोग करते हैं मशीनरी का तो उन्हें यह सोचना चाहिये कि जब दूसरे आदमियों के हाथ में ताकत आने वाली है तो इस मशीनरी का वह भी इसी तरह से दुरुपयोग करेंगे तो क्या स्थिति होगी? इसलिए राज्य की मशीनरी का उपयोग करने के पहले, सरकारी साधनों का उपयोग करने के पहले अगर आप लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं तो आपको अपने मन में यह चिन्तन करना चाहिए।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दूसरी बात मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह राज्य के व्यापार के सम्बन्ध में है। व्यापार के राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में हमको बहुत चिन्तन करना चाहिए। सारा व्यापारीवर्ग हमारे खिलाफ है, सब व्यापारी यह चाहते हैं कि ये लोग राजकीय व्यापार में असफल हों। वे नहीं चाहते कि राष्ट्रीयकरण हो। जब कभी हम जो भी व्यापार हाथ में लें और सब में घाटा हो जाय तो सोचिये क्या स्थिति होती है। मोटरों के व्यापार में जायं तो घाटा, एक मोटर वाला, एक मोटर से खब कमाता है, मकान बनाता है, अपने घर का सारा खर्चा चलाता है, पर आपके पास इतनी सारी मोटरें आई तो क्या हाल हुआ, घाटा ही घाटा। पंचायत समितियों में मोटरें आई थीं तो मैंने कहा था कि ये डाकणियां आ गई हैं ये हमारा सत्यानाश करके रहेंगी और वह बात सही निकली। याद रखिये मोटरों में बैठने से कभी नाम नहीं होता, चाहे आप 70 हजार की मोटर में बैठ जाओ, चाहे आप 80 हजार की मोटर में बैठ जाओ, उससे कोई नाम नहीं होता, नाम होता है काम से।

मोटर बंगला आदि का, सुणले रे सौकीन।
जग पूजा वींरी करे, जांरे ही कौपीन।

आज हम चाणक्य को याद करते हैं, क्योंकि वह कुटिया में रहता था, राम राज्य के भरत को इसलिये याद करते हैं कि वह नन्दीग्राम में रहा। तो 80 हजार की कार में बैठने से नाम नहीं होगा। आप थोड़ा चिन्तन करिये कि आज हम जा किस तरफ रहे हैं। आज देश की हालत बहुत खराब है। बात छोटी सी है पर चिन्तन करना चाहिये। राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि जो काम आम हाथ में लें उसी काम में घाटा होता है। दुर्भाग्य से राज्य के मंत्रियों को राज्य की मोटरों में जाने का मौका नहीं मिलता, हमें रोडवेज की मोटरों में जाने का मौका मिलता है, हम उनमें जाते हैं क्योंकि फ्री पास मिलता है। राज्य की गाड़ियों में जाते हैं तो रास्ते में गाड़ियां ठहर जाती हैं, उनके पास पंप नहीं, लाइट नहीं। तो यह क्या हालत है? लोग हंसते हैं, कहते हैं चलाओ व्यापार।

बीजोलिया से भीलवाड़ा बिजली लगी 13 लाख रुपया खर्च हुआ, उस पर 69 हजार ब्याज हर साल लग रहा है और 7 हजार की आमदनी हो रही है, यह है आपके राजकीय व्यापार की हालत। किस तरह से काम चलेगा? अगर नहीं कर सकते हो तो मत चलाओ, इससे लोगों के दिल में आपके प्रति क्या भावना पैदा होती है?

वणज छोड करबा लग्यो,
बाण्यो ऊंधा काम।
कै दिन पैंड़ी पे चले,
बता बाप को नाम।।

मैं कभी कभी मोटरों के बारे में कहा करता हूं, किसी भी महकमें में जाइये कितनी मोटरें हैं, कितनी कारें हैं। कृपा करके आप इन मोटरों का एक जलूस निकालिये। महारावल साहब ने डूंगरपुर में जलूस निकाला होगा, उदयपुर में महाराणा साहब ने जलूस निकाला होगा, आपके पास तो 22 रजवाड़े हैं, आप भी कृपा करके मोटरों का जलूस निकालिये, पहले तो 36 मंत्रियों की कारें, फिर दूसरे सब विभागों की कारें, उसके बाद पंचायत समितियों की मोटरें फिर देखिये कि अगला सिरा जायगा ब्यावर में और

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

दूसरा सिरा रहेगा जयपुर में, तब लोग कहेंगे कि इतना बड़ा जलूस हमने कभी नहीं देखा, तब आपकी आंखें खुलेंगी कि कितने करोड़ रुपयों का अपव्यय हो रहा है।

मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी खराबी अगर कोई है तो वह शराब है, इसे दूर करिये, शराब पीकर किस तरह से गाड़ियों को तोड़ते हैं, यह अगर देखना है तो भीलवाड़ा में चले जाइये वहां पब्लिसिटी की गाड़ी थी, ड्राईवर नहीं था तो अधिकारी स्वयं ही गाड़ी लेकर चल पड़ा, वह शराब पिया हुआ था, उस अधिकारी ने 30 हजार की गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। क्योंकि अधिकारी शराब के नशे में था।

इस अकाल के वर्ष में, जिसके लिये मैंने निवेदन किया पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर भी हमला करें तो उस समय भी स्थिति इतनी भयंकर नहीं होगी जितनी आज इस अकाल रूपी हमले से हो रही है। इसलिये आज सब मिलकर बिना एक दूसरे पर दोषारोपण किये, बिना एक दूसरे की आलोचना किये इसका मुकाबला करें। यही आपसे निवेदन करना है।

मांग इतनी छोटी है कि कितना ही वरोध करो, वह तो मंजूर होनी है। पर सोचना है कि हम जा किस तरफ रहे हैं? राजस्थान सबका मार्गदर्शन कर रहा है या उल्टा जा रहा है? राजस्थान आज भी सबका मार्गदर्शन करने की स्थिति में है।

इसलिये मैंने निवेदन किया कि सब मिलकर किस तरह इस संकट का मुकाबला करें। मोटरों का जो खर्चा है, उसको दूर करें। पुरुषोत्तम दासजी टंडन से एक उदाहरण तो कम से कम लीजिये कि वे असेम्बली से आये और बन्द हो जाती थी गाड़ी, उनके घर वाले भी उस गाड़ी का उपयोग नहीं कर पाते थे। आप भी इन गाड़ियों का दुरुपयोग बन्द करिये। काम करिये, काम से नाम होगा 80 हजार की गाड़ी में बैठने से नाम नहीं होने वाला है।

श्री परसराम मदेरणा : कहां है, 80 हजार की गाड़ियां? कोई नहीं बैठता, 70 हजार की, 80 हजार की गाड़ी में।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 80 हजार की नहीं 20 हजार की होगी, मैंने गलत कह दिया हो तो बता दीजिये मैं अपने शब्द वापिस ले लूंगा। मैं तो गांव का आदमी हूं, इतनी बढ़िया गाड़ियां देखता हूं तो आंखें चकाचौंध झंडों से ही हो जाती हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो नहीं फिरता........

श्री मनोहरसिंह मेहता : आपकी बात मैं नहीं कहता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुझारसिंह!

श्री जुझारसिंह (रामगंजमंडी) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक मांगों पर मैं अपने विचार व्यक्त करने खड़ा हुआ हूं। सरकार द्वारा 668 हजार की अनुपूरक मांगें सदन के सामने मंजूरी के लिये पेश की गई हैं। इनमें सबसे बड़ा आइटम मुख्य आइटम, जिस पर बड़ा खर्चा होने वाला है वह मोटर-कारों का आइटम है। 668 हजा की मांगों में से 354 हजार मोटरों का खर्चा बताया गया है। उसमें से 14 मोटरों की मरम्मत, दो मोटरों की खरीद और एक मोटर राज्य भवन के लिये है, जो आपने मांगी है

(श्री जुझारसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, इन मोटरों का जिस प्रकार दुरुपयोग होता है, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे जो लोग ट्रेजरी बैंचेज पर बैठे हैं उन पर कोई असर होने वाला नहीं है पर अभी एक मंत्री महोदय फर्मा रहे थे कि 70 हजार की, 80 हजार की मोटरें काम में नहीं ली जाती। मैं इस बात को दोहराता हूं कि आपके पास 70 हजार और 80 हजार की मोटरें हैं जो टूरिस्ट्स के नाम से, 65 में टूरिस्ट्स ट्रेफिक को बढ़ावा देने के लिये आपने मंगाई थीं। 6 कारें आई, उनका उपयोग अधिकतर मंत्रियों द्वारा किया जाता है। आज से 7 दिन पहले कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था और उसमें यातायात मंत्री के बारे में कहा था कि उन गाड़ियों में से 122 नं० की गाड़ी का कितना उपयोग मंत्री महोदय द्वारा किया गया है और टूरिस्ट्स के बारे में उस गाड़ी का कितना उपयोग किया गया है? मैंने उन आंकड़ों को जोड़ा है। जुलाई से अगस्त के महीने तक 12,500 माइल यह गाड़ी मंत्रीजी के उपयोग में आई और 484 माइल टूरिस्ट्स के काम में आई।

अब जो आप दो मोटरें खरीदने जा रहे हैं, मेरी सूचना है कि ये दोनों मोटरें टूरिस्ट्स ट्रेफिक के लिये आप खरीद रहे हैं। और ये जो दो मोटरें आप खरीद रहे हैं उनमें कोई 70 हजार की है कोई 80 हजार की है। आज आपकी मनोवृत्ति बिगड़ चुकी है, आप आज एक तरफ समाजवाद की बात करते हैं दूसरी तरफ छोटी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करते, जो यह दो नई मोटरें मांग रहे हैं उनमें से आप दिल्ली जाकर एक मोटर मुख्य मंत्री के लिये और दूसरी फाइनेन्स मिनिस्टर के लिये लायें। मेरे पास यह भी सूचना है कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के टरिस्ट्स डिपार्टमेंट ने राजस्थान सरकार को इस बात की सूचना दी कि टूरिस्ट्स गाड़ियां आपके पास पड़ी हुई हैं, उनका प्रोपर यूज, फोरेन एक्स्चेन्ज कमाने के लिये नहीं हो रहा है, इसलिये ये दो गाड़ियां विशेष तौर पर मांगी हैं वह नहीं मिलनी चाहिये। इसके बावजूद भी आप परस्यू करके दूसरे नाम से मोटरें लाना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि 60-70 हजार की मोटरों में नहीं बैठते, अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि 60-70 हजार की मोटरों को हम काम में नहीं लेते। दरअसल इन गाड़ियों का टूरिस्ट्स के लिये उपयोग नहीं होता, मंत्रियों के लिये उपयोग होता है। आज जो दूसरी दूसरी टूरिस्ट्स एजेंसीज हैं जो बड़ी गाड़ियां रखती हैं उनसे आप अपनी इन गाड़ियों का कम्पेरिजन कीजिये कि एक महीने में कितने माइल टूरिस्ट्स ट्रेफिक के लिये काम में ली जाती हैं। आपकी यह टरिस्ट्स ट्रेफिक के नाम पर ली गई गाड़ी एक महीने में कुल 484 मील टूरिस्ट्स के पर्पज के लिये दौड़ी जबकि उसी तरह की प्राइवेट गाड़ियां दस-दस, बीस-बीस हजार माइल टूरिस्ट्स ट्रेफिक को कवर कर रही हैं और फारेन एक्स्चेन्ज कमा रही हैं। पर आप टूरिस्ट्स ट्रेफिक के नाम से बड़ी गाड़ियां मंगायें और मंत्रियों के उपयोग में लें, जो फोरेन एक्स्चेन्ज इनसे कमाया जा सकता है, वह नहीं कमायें तो यह केवल धन का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है।

दूसरी गाड़ियां हैं मोटर गैरेज की जिनकी दशा यह है कि रिपेयर्स के नाम से उनके पुर्जे बाजार में बिकते हैं। उनका कोई हिसाब नहीं रखता। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रियों को जो गाड़ियां अलाटेड हैं उनके नाम से,

(श्री जुझारसिंह)

टूर पर भी उनको वे ही गाड़ियां ले जानी चाहिये। जयपुर में यूज के लिये एक गाडियां और जयपुर के बाहर के लिये दूसरी गाड़ियां, यह जो नियम है इसकी वजह से बहुत घोटाला होता है और भ्रष्टाचार बढ़ता है और लोग बाग इसका सदुपयोग नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि 10 हजार या 15 हजार मील चलने के बाद जो खराबी होगी वह राज्य सरकार पर पड़ेगी। इसलिये उनको बुरी तरह काम में लेते हैं और मिस यूज करते हैं। हमारे इलाके में, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया, एक उप-मंत्रीजी वहां पधारे बड़ी गाड़ी लेकर। अब उनको देहात में जाना था जहां पर कि वह बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी सरकारी गाड़ी तो वहां भवानीमंडी के एक सेठ के यहां छोड़ दी कि आप इसको यूज करें और सेठ के पास जो जीप थी वह आप लेकर देहात में पधारे। तो इस तरह सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग होता है। इससे राज्य सरकार को अनावश्यक खर्च करना पड़ता है, इसलिये मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

दूसरे माननीय सदस्यों ने चौमू के चुनाव के बारे में कई बातें कहीं लेकिन मैं मोटर गैरेज के बारे में इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि बड़ी गाड़ियों का दुरुपयोग होता है। पिछले दिनों माउन्ट आबू में मैंने खुदने देखा कि एक मंत्री महोदय की गाड़ी, जबकि उसमें मंत्रीजी खुद नहीं बैठे थे, दिन में दस बारह बार नक्की झील की तरफ आया जाया करती थी जैसे कि गाड़ी का प्रदर्शन हो रहा हो। यह प्रदर्शन करने की मनोवृत्ति आपके अन्दर बहुत बढ़ गई है। आप सामंतवाद के बारे में कहते हैं कि उनको प्रदर्शन करने की मनोवृत्ति थी, लेकिन आज सामंतवाद समाप्त होने के बाद आपके अन्दर यह मनोवृत्ति सामंतवाद से भी ज्यादा हो गई है। डिप्टी मिनिस्टर भी यही कोशिश करता है कि वह भी बड़ी गाड़ी लेकर घूमे। आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन यह मनोवृत्ति आपके अन्दर बढ़ रही है और जब तक आपके अन्दर यह मनोवृत्ति है तब तक समाजवाद नहीं आने वाला है। मुझे आपके बीच में बैठने का सौभाग्य कहिये या दुर्भाग्य कहिये 14 साल तक मिला है और मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि आपके अन्दर जो दिखावा करने की बात है, कहना एक बात और करना दूसरी बात, यह जो आपके अन्दर है, उससे समाजवाद कभी नहीं आने वाला है। समाजवाद की बात कह कर आप जिस तरह के काम करते हैं वह सामन्तवाद से किसी तरह से कम नहीं हैं। इतनी बात कह कर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान विनियोग विधेयक सदन में लाया गया है 6,68,000 रुपये का और जो कुछ देर बाद पारित होगा उसके सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे पहले तो मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि आज जो सबसे ज्यादा रुपया खर्च किया गया है वह है गाड़ियों की खरीद के ऊपर 3,54,000 रुपये का जो यह खर्चा है वह बहुत नाजायज है। नाजायज इसलिये कि राजस्थान प्रांत एक बहुत गरीब

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

राज्य है, और उसमें रहने वाले ज्यादातर मजदूर, हरिजन, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। उन लोगों को, किसी को रोजगार नहीं मिलता, किसी को खाने को नहीं मिलता और उन लोगों को जिनको अकाल राहत कार्यों में केवल चार आने और पांच आने मजदूरी दी जाती है, उनकी हालत देखते हुए भी आप इस तरह से गाड़ियां खरीद करें मंत्रियों के लिये और इस तरह से पैसों का दुरुपयोग करें, यह कहां तक जायज है ?

(3.35 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन गाड़ियों में बैठते समय कम से कम आप इस बात का तो अन्दाज करें कि यह लोकतंत्र किस लिये लाया गया था। यह गरीबों का पेट भरने के लिये लाया गया था या पुराने राजाओं की राजाई खत्म करके कांग्रेस के कुछ लोगों की नई राजाई स्थापित करने के लिये लाया गया था। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो पैसा खर्च किया गया है वह बिल्कुल नाजायज है और इस पैसे से, अगर सरकार चाहती तो, अकाल के समय में कम से कम 10 हजार लोगों को रोजगार मिल सकता था और वह रोजगार चार आने या पांच आने की मजदूरी देकर नहीं, एक रुपया प्रति आदमी दिया जा सकता था। इस तरह उन मजदूरों और गरीबों का पेट भर सकते थे।

मैं पिछड़े वर्ग का आदमी हूं और मुझे पता है कि मेरे भाई किस तरह रहते हैं, किस तरह से उनको रोजगार मिलता है और उनकी क्या परिस्थिति है। मैं बार बार सदन में निवेदन करता रहता हूं कि जितने भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वे बहुत पिछड़े हुए हैं और वे आज भी उसी स्थिति में हैं, आज भी वही काम करते हैं जो कि राजाओं की राजाई में करते थे और बादशाहों की बादशाही में करते थे। उनको इस बात का बिल्कुल अन्दाज नहीं होता कि स्वतन्त्रता मिली है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन पिछड़े हुए लोगों, इन गरीब लोगों की तरफ कुछ ध्यान दें जिन के लिये हम इन 20 वर्षों के अन्दर कुछ भी नहीं कर पाये हैं। इस तरह के नाजायज खर्चे को बन्द करके उनकी तरफ ध्यान दें।

दूसरी बात, दौसा चुनाव के लिये भी कुछ रुपये इस के अन्दर सैंक्शन कराये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो दौसा का पार्लियामेंट का चुनाव कराया गया है यह चुनाव जनतांत्रिक प्रणाली से न कराया जाकर एक लट्ठेबाजी का चुनाव कराया गया है। जैसे पहले जमाने में लोग मर्जी आये जहां आक्रमण कर दिया करते थे और मर्जी आये जहां लूट मार करते थे, उस तरह से यह चुनाव कराया गया। लोकतन्त्र को जहां तक मैं समझता हूं, लोकतन्त्र का सबसे बड़ा उसूल यह है कि व्यक्ति अपनी मर्जी से काम करे न कि किसी के दबाव में आकर। व्यक्ति स्वतः अपने दिल से जो चाहे वह करे, चाहे जिस को वोट दे और जो भी काम करे अपने दिल से करे, किसी के दबाव में आकर या किसी अधिकारी या सरकार के डर में आकर कोई काम नहीं करे, या किसी के प्रलोभन में आकर नहीं करे। किसी पर

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

सरकार की तरफ से दवाव डाला जाये और इस तरह की अनियमितताएं की जायें, यह जनतन्त्र के लिये अच्छी परम्परा नहीं है। तो इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस चुनाव के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखूं। कुछ बातें तो मेरे पहले के माननीय सदस्य ने आपके सामने रखी हैं, कि कितनी शिकायतें राज्य सरकार के पास आईं और कितनी शिकायतें दिल्ली भी भेजी गईं, लेकिन कुछ भी ऐक्शन नहीं लिया गया। उन सारी बातों के बाद चुनाव होना था वह हो गया। मगर उसके साथ ही अभी हमारे यहां रघुनाथजी विश्नोई ने कहा था कि अगर कांग्रेस ने गलत काम किया तो पिटीशन कर देनी चाहिए। अगर हम इसी तरह से करते रहें, गलत काम करते रहें और उन कामों को छिपाते रहें तो कहां तक उचित होगा। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो लड़ता रहेगा। तो सरकार को कम से कम यह सोचना चाहिए अपने दिल में मानकर चलना चाहिए कि गलत काम हमें नहीं करना है तो विरोधी दलों को भी मार्गदर्शन होगा और जो दूसरी सरकार बनेगी उसका भी मार्गदर्शन होगा इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा। और श्री विश्नोईजी ने कहा है वह बहुत बड़े अच्छे वकील हैं, उनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए कि कोई आदमी गलत काम करता है तो उसके विरोध में पिटीशन करनी चाहिए। तो फिर क्या जरूरत थी जनतंत्र लाने की। अगर हम गलत बात करते हैं तो सरकार के पीछे पीछे कहां कहां तक पहुंच सकते हैं। हम विरोधी दल वाले सरकार की कुछ ही गलतियों का पता लगा सकते हैं। सब का नहीं।

दूसरी बात और कहूंगा। हमारे शंकरलालजी और विश्नोईजी ने कहा, कि नवलकिशोर कमजोर उम्मीदवार था, महाराज कुमार साहब के मुकाबले में कुछ नहीं था, महाराज कुमार बड़ी हस्ती थे, उनके पास सब साधन थे। सबसे पहले मैं कहूंगा कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। मैं यह कह सकता हूं कि आज सुखाड़िया साहब और कांग्रेस सरकार का महारानी साहब मुकाबला कर सकती हैं। जिनका 20 साल पहले हमने राज्य छीन लिया है उनकी क्या शक्ति है कि सरकार का मुकाबला करें। इस तरह की बातें करना बिल्कुल मिथ्या है, गलत है और लोगों को भ्रम में डालने वाली बात है। जैसा आपने कहा कि यह कैंडीडेट बड़ा कमजोर था। मैं जनरल इलेक्शन और इस इलेक्शन का उदाहरण देना चाहता हूं। आम चुनाव में जिस समय कांग्रेस उम्मेदवार खड़ा हुआ था, जितने वोट कांग्रेस को उस समय प्राप्त हुए हैं, आज सारे राज्य की शक्ति लगाने के बाद भी राज्य सरकार ने जो वोट प्राप्त किए हैं उससे कम से कम पांच हजार वोट कम ही प्राप्त किए हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि कांग्रेस कैंडीडेट कमजोर था। आपने उन लोगों पर गलत तरीके से गलत दवाव देकर कि स्कूल खुलवायेंगे, सड़कें बनवायेंगे जितनी जमीनें हैं 2-2, 4-4 बीघा जो उनके खेत के साथ लगी हुई है उनके पट्टे देंगे-इस तरह से आपने वोट प्राप्त किए हैं। तो यह कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस कैंडीडेट कमजोर था। सरकार की ताकत के आगे महाराज कुमार की कुछ भी नहीं थी जो ताकत इस इलेक्शन में लगाई है।

जो बातें सरकारी अधिकारियों की

(श्री डूंगाराम राजोरिया)
तरफ से हुई हैं, वे बातें मेरे साथी ने मेरे से पहले बताई हैं। इसके अलावा कुछ मंत्रियों की ओर से या राजस्व मंत्री बहुत बड़े आदमी हैं उनकी तरफ से अनियमितता हुई हैं जोकि इन्सान के लिए, लोकतंत्र के लिए या आदमी के लिये खराब बात है। मेरी समझ में नहीं आता कि गलत काम ये लोग क्यों करते हैं। महारानी गायत्री देवी का एक टूर प्रोग्राम दौसा में रखा गया था। उस टूर प्रोग्राम को असफल बनाने के लिए, बहुत से लोगों को साथ लेकर राजस्व मंत्री वहां पहुंच गए, गावों में लोगों के जमीनों के काम ज्यादा होते हैं, इसलिए राजस्व मंत्री के

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दबाव में आना स्वाभाविक है। सभापति महोदय, अभी समय काफी है।

श्री सभापति : नहीं। संक्षेप में बोलें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : महारानीजी ने अपना टूर प्रोग्राम रखा। 3-4 दिन पहले ही मीटिंग की घोषणा हो गई। गांवों के लोगों ने खुद कह कर मीटिंग रखवाई टाइम तय किया गया कि फलां समय अमुक अमुक गांवों में महारानीजी पहुंचेंगी। इस बीच में राजस्व मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने अपना टूर प्रोग्राम रखा, उन्होंने वहां जाकर कह दिया कि मीटिंग नहीं होगी। 3-4 जगह उन्होंने झांसा दिया कि महारानी नहीं पहुंचेंगी इसलिए मीटिंग कैंसिल समझो। थली गांव में उन्होंने यही कहा। 12 बजे महारानी साहिबा पहुंचने वाली थीं, मीटिंग रखी गई थी। साढ़े ग्यारह या पौने बारह बजे बृजसुन्दरजी पहुंच जाते हैं और उन लोगों से कह देते हैं कि महारानी साहिबा की मीटिंग नहीं होगी। उन लोगों को धमकाया और दबाया और उसके बाद में जो बैठने की सुविधा थी, जाजम वगैरह बिछाई गई थी सब हटा दी और सामने तिबारे पर खुद बैठ गए। 15 मिनट के बाद जब हम वहां पहुंचते हैं तो देखा कि जो मीटिंग की सारी व्यवस्था थी वह सारी बृजसुन्दरजी ने खतम करवा दी थी। लोगों से कह दिया था कि महारानी की कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई प्रोग्राम नहीं है। जब महारानीजी के पहुंचने का समाचार गांव वालों को मिला तो जिन लोगों को बताया गया था कि वह नहीं आने वाली हैं, सारा गांव आ गया और मीटिंग हुई और बृजसुन्दरजी बैठे बैठे तिबारे पर से देखते रह गए। इस तरह से गलत काम मंत्रियों द्वारा हो और वह भी जनतंत्र में, यह कदापि उचित नहीं है। इस तरह से दूसरे गांवों में भी मीटिंग का प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया था। तो मंत्री इस तरह के हथकंडे अपनायें, चोर से कहें कि चोरी मत करो, डकैत से कहें डकैती मत करो, स्वयं गलत काम करें वे दूसरों को क्या सीख दे सकते हैं। यह गलत परम्परा है जो लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा घातक है।

एक प्रधान के बारे में मुझे कहना है। नागलबैरसी गांव में महारानीजी की मीटिंग रखी थी, कर्त्तव्य तो प्रधान का यह था कि वह संसद की सदस्या थीं, उनका स्वागत करना चाहिए था। लोग तो काफी ढाणियों के भी इकट्ठे हो गए। मीटिंग होने के बाद में कुछ लोग गाड़ी पर पहुंचे और पत्थरों से कांच तोड़ दिया। यह कहां तक कांग्रेस के लोगों के लिए अच्छी बात है? मतदान के समय भी मंत्रियों

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

को नहीं ठहरना चाहिए था। मत जो डलवाए गए, वह लोगों को गाड़ियों में ट्रैक्टरों में, ट्रकों में बिठाकर भर भर कर जबर्दस्ती वोट डलवाये। कौनसे कायदे में है कि वोटर को मोटरों में बिठाकर ले जायं? भीखाभाई 20-20 आदमियों को बिठाकर पोलिंग स्टेशन पर छोड़ने गए। इस तरह के काम जो किए जाते हैं जनतंत्र के लिए बहुत गलत बात है ....

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। दौसा डाक बंगला जो बना हुआ है उसमें संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य भी ठहर सकते हैं। मैं समझता हूं कि उसमें संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और मंत्री को बराबर की सुविधा उपलब्ध है। मैंने उस बंगले में 13 तारीख को महारानीजी के ठहरने के लिए एक कमरा बुक कराने की कोशिश की 15 तारीख के लिए, मैं एस०डी०ओ० साहब के यहां गया। एप्लीकेशन भी दी थी ताकि महारानीजी के लिए कमरा ले सकूं। लेकिन उन्होंने कमरा बुक नहीं किया, हालांकि खाली पड़े हुए थे कमरे, यह उचित बात नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ में सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ये बातें जनतंत्र के लिए घातक हैं इसलिए गलत कामों से आप लोग तो ऐश अशरत करके चले जायेंगे किन्तु आने वाली पीढ़ियों के लिए यह दूषित परम्परा है। आपने देश में जनतंत्र प्राप्त किया है, खुद का राज्य कायम किया है, अंग्रेजों को बड़ी मेहनत के साथ निकाला है। हमारे नेताओं ने बड़ी कुर्बानियां की हैं। फिर भी आप गलत काम करते हैं, दूषित काम करते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बुरा काम कर रहे हैं। वे पीढ़ियां कहेंगी इन लोगों ने गलत काम करके एक गलत तरीका डाला। यह तो आने वाली पीढ़ियों के लिए अभिशाप है। आपको तो आने वाली पीढ़ियों के लिये अच्छे कार्यों के द्वारा उदाहरण पेश करने चाहियें जिससे कि आने वाली पीढ़ियां समृद्धिशाली बनें। यह देश के लिये भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा दूषित प्रणाली सरकार अपनाती है वह उसको नहीं अपनानी चाहिये।

कई माननीय सदस्य : माननीय सभापति जी।

श्री सभापति माननीय जगन्नाथ !

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : मांग संख्या 13 की बात चल रही है। माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार बहुत कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। मैं भी मेरी भावनाओं को प्रकट करता हूं। वह इस माफिक रखना चाहता हूं। माननीय सभापतिजी, चौमू और दौसा के चुनावों की बात चल रही है। दोनों पार्टियों ने पक्षपात की बात बताई। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बातें बतायीं। माननीय सदस्यों ने तो बता दिया लेकिन मेरा निवेदन है इसी बात पर। महात्मा गांधीजी ने जनता को अपना राज्य दिलाने के लिये अपना बलिदान दे दिया और जनता पांच साल के लिये न्याय की तकड़ी में तोल कर लोक सभा और विधान सभा में भेजती है, न्याय करने के लिये भेजती है। उस वक्त जनता अपने हाथ में न्याय रखती है। न तो मंत्री महोदय के हाथ में है और न ही मुख्य मंत्री महोदय के हाथ में है। उस वक्त कांग्रेस, स्वतंत्र, जनसंघ सबके कैन्डीडेट खड़े होते हैं। वह जनता के

(श्री जगन्नाथ)

न्याय से ही जीतते हैं कि यह व्यक्ति मेरे लिये अच्छा करेगा तो वह उसको न्याय के लिये बैठाती है यहां पर। जनता को न्याय करने के लिये पांच साल में उसके पास भेजते हैं। वह केन्डीडेट यहां जीत कर आता है चाहे किसी पार्टी का हो वह तो यहां पर जनता की बात करता है। मंत्री बन जाओ, मुख्य मंत्रीजी बन जाओ जनता के न्याय से ही जीतकर आवेंगे चाहे करोड़ों रुपये खर्च कर दो। माननीय चेयरमैन महोदयजी, उस वक्त एक झोंपड़ी वाला और एक राजा बराबर होता है। मैं उन साहबान का नाम नहीं लेता जो मेरे सामने खड़े हुए थे। मैं तो मामूली आदमी था और वे करोड़पति थे लेकिन जनता ने मुझे चुन कर भेजा। जनता की भावना से केन्डीडेट यहां पर जीत कर आता है। यह फालतू आरोप लगाते हैं।

श्री सभापति : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत 6 लाख रुपयों की मांग रखी है। इसके सम्बन्ध में दौसा और चौमू के उप-चुनावों को लेकर कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की जो बातें कही हैं कि जनसंघ पूंजीपतियों की पार्टी है, मैं उन माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं कि जनसंघ न पूंजीवाद में विश्वास करता है न पूंजीवादियों की पार्टीयों में। जनसंघ गरीब और मध्यम श्रेणी ओर देश के सब तबकों के हितों की रक्षा के लिये है। भारतीय जनसंघ अपने मूलभूत इन्हीं सिद्धान्तों के अन्तर्गत आम चुनाव के बाद कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी के रूप में आया है। यह इस बात को सिद्ध कर रहा है कि जनसंघ को सभी तबकों का समर्थन प्राप्त है। मैं कहना चाहता हुं कि कांग्रेस जो सत्तारूढ़ है इसके विपरीत भी जनता का उसमें विश्वास न होने के कारण दौसा और चौमू के उप-चुनावों में पूंजीपतियों से, शाहू जैन से, जिन लोगों ने यहां पर विविध प्रकार के लघु उद्योग खोल रखे हैं, उनसे लाखों रुपयों का चन्दा लेकर राजस्थान सरकार ने जा बेजा लाइसेन्स देकर उनको यहां प्रोत्साहित किया है, अगर कांग्रेस की सरकार समाजवाद में विश्वास करती, गरीब को ऊंचे तबके में पहुंचाने की बात करती तो मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हैं उनको पूंजीपतियों के कारखानों के मुकाबले में परमिट दिये हैं? आंकड़े रखें तो, सभापति महोदय, मैं कह सकता हूं कि इन्होंने छोटे छोटे उद्योगों को, छोटे छोटे लोगों के उद्योगों को, हरिजन, लोहार, बढ़ई, जुलाहे, इन सबके धन्धों को समाप्त किया है और कोई इन लोगों को परमिट नहीं दिये हैं किन्तु पजीपतियों को चुनाव में उनसे पैसा लेने के लिय परमिट लाइसेन्स दिये हैं। चौमू और दौसा म कांग्रेस ने चुनाव जीता हम इसको स्वीकार करत हैं। मेरे दल की ओर से कोई भी उम्मीदवार नहीं था। कांग्रेस ने जो चुनाव जीता और जिन हथकन्डों से जीता यह सब दुनिया जानती है। सीमावर्ती जिलों में से सरकारी जीपों को जैसलमेर, बाड़मेर से मंगवा कर उनके नम्बर प्लेट बदल कर कांग्रेस के चुनाव में लेकर गये। कांग्रेस की हिम्मत होती तो सीमाओं को इस प्रकार असुरक्षित नहीं छोड़ कर अपने साधन से ही चुनाव के मैदान में आती। लेकिन आर० ए० सी० की बटालियनों को असुरक्षित छोड़ कर उनकी जीपों को लाया गया, पंचायत समितियां

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

अपने विकास का कार्य करती लेकिन उनकी जीपों का नाम नम्बर प्लेट बदल कर उनको दौसा और चौमू के चुनावों में लगाया गया। यह सरकार लोकतन्त्र की दुहाई देती है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय गृह मंत्रीजी से कि दौसा और चौमू में पांच सौ सी०आई०डी० के नौजवान सिविल ड्रेस में क्यों गये ? चप्पे में कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। लोगों को जा जाकर धमकाया गया कि तुमको तकावी दी है, दूसरे कर्ज दिये हैं, कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो कुर्की होगी। मुझे यह कहते हुए लज्जा आती है लेकिन गृह मंत्रीजी को यह करते हुए शर्म नहीं आयी। कांग्रेस के विरोधी थे आम चुनाव में उनके विरुद्ध फर्जी वारन्ट बनाये। उनके पास

(4 म० प०)

पुलिस की तामील की गयी। इस प्रकार अमुक स्थान के ऊपर चोरी का माल लेने का जुर्म है। उनको पीछे गिरफ्तार करने की धमकी देते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता गये और उनसे कहा, क्या बात है। वह गरीब व्यक्ति चाहे मुसलमान हों, हिन्दू हों या अन्य किसी तबके के हों उनको जाकर कहते यदि तुमको हथकड़ी से बचना है, जेल से बचना है, तो दामोदरजी के पास जाओ। गृह मंत्रीजी के पास जाओ। जो दौसा, चौमू उप-चुनाव में कांग्रेस के लोहपुरुष थे। सभापति महोदय, मैं कहूंगा दौसा और चौमू के उप-चुनाव में गृह मन्त्री लोहपुरुष नहीं थे वे उस समय औरंगजेब के पदचिन्हों पर चले गये थे। उसके पद चिन्हों पर चल कर उन्होंने गरीबों को सताया है। कांग्रेस के नेता विरोधी दलों के आदमियों को लेकर उनके पास जाते थे। दामोदरजी बड़ा नाटक रचते थे। गृह मन्त्रीजी कहते थे तुम कांग्रेस का प्रचार करना चाहते हो, कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाना चाहते हो? सभापति महोदय, यदि वह हिन्दू होता तो कहते गीता उठाओ। मुसलमान होता तो कुरान उठाओ। इस प्रकार से उन्हें धमकी देकर सौगन्ध खिलाते थे। इस प्रकार गृह मंत्रीजी ने चुनाव जीतने के लिये पुलिस मशीनरी का, सी० आई० डी० का दुरुपयोग किया। कांग्रेस का चुनाव में प्रचार कराया। उस चुनाव में एक सेल्स टैक्स आफिसर जो उस इलाके का था, जयपुर में था, उसको जयपुर से हटाकर वित्त मन्त्रीजी के द्वारा यह मौखिक आदेश मिला कि चौमू के अन्दर कांग्रेस का प्रचार करो, तुम्हारी तरक्की होगी। उसने इन्कार किया तो धमकी दी कि सरकारी नौकरी करनी है तो तुमको चौमू में जाना होगा। उसके रिश्तेदार कुछ दिनों पहले, पांच दिनों पहले कांग्रेस विरोधी थे। उन्होंने विरोधी दल का झण्डा लगा रखा था। उनका चुनाव प्रचार करते थे। सेल्स टैक्स आफिसर ने उनको जाकर कहा मेरी नौकरी पर रहम करो, मुझे तरक्की दिलाओ। यह सब बन्द करो। उन लोगों ने अपने एक रिश्तेदार की नौकरी बचाने के कारण, उसकी तरक्की के प्रलोभन के कारण से, मजबूरी के अन्दर कांग्रेस का प्रचार किया। पुलिस के बल पर, सरकारी मशीनरी के आधार पर और सरकार के साधनों के आधार पर कांग्रेस ने यह चुनाव जीता है। सभापति महोदय, कांग्रेस के नेताओं ने अपने 36 मन्त्रियों की की फौज के साथ वहां पर पड़ाव डाल दिया जैसे पिंडारी पड़ाव डालते हैं लूट खसोट के लिए। पिंडारी के रूप में वहां की जनता की अस्मत को लूटने के लिये सरकार नेअपने पद का दुरुपयोग किया है। इसके बलबूते पर गरीबों को धमकी देकर उनके ईमान को खरीदा। जिन लोगों ने विकास के लिये

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

तकावी ली थी, उनको धमकी देकर कि तुम्हारी कुर्की हो जायेगी, घर नीलाम होगा, मवेशी नीलाम होगी। इस आधार के ऊपर उनसे सौदा किया।

सभापति महोदय, राजस्थान के भूतपूर्व कृषि मन्त्री ने, जो स्वयं चुनाव में हार गये, यह उदाहरण दिया कि हमने महाराजकुमार के मुकाबले में एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्त्ता को जिताया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के भूतपूर्व उद्योग मन्त्री श्री धारीवालजी को जनसंघ के एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्त्ता ने 11000 वोटों से नहीं, 2,000 वोटों से नहीं बल्कि 7,000 वोटों से पराजित किया है। इतना ही नहीं आज के ये मन्त्री राजा महाराजाओं, शहन्शाहों की तरह बंगलों में रहते हैं। आज के समाजवाद के अन्दर गरीब को बीमार पड़ने पर सब डाक्टरों के कहने के बाद भी दूध नहीं मिलता है, कांग्रेस के मन्त्रियों के बंगले पर रहने वाले कुत्तों को दूध मिलता है। क्या आपका यही समाजवाद है? ये मन्त्री लोग नयी नयी बड़ी गाड़ियों में भ्रमण करते हैं। इसलिये नयी नयी कारें खरीदनी पड़ती हैं, छोटी छोटी गाड़ियों को रिप्लेस करके उनको बड़ी गाड़ियां दी जाती हैं। यदि यह कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर चलना चाहती है, तो उन्हें हरिजनों की कुटीर में रहना चाहिये, पैदल चलना चाहिये, साइकलों पर जाकर एक आदर्श उपस्थित करना चाहिये। कारों के नाम पर, पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर, जो खर्च किया जा रहा है, वह फिजूल है। इस सम्बन्ध में यह 6 लाख रुपये की मांग प्रस्तुत हुई है। सभापतिजी, आपके माध्यम से मैं इस सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। राजस्थान सचिवालय में एक सेन्ट्रल स्टोर पर्चेज डिपार्टमेन्ट है, वह वित्त विभाग के अन्दर में है। उसने कुछ टेन्डर आमन्त्रित किये हैं। टेन्डर इस बात के कि सारे राजस्थान के अन्दर प्रेस्टीसाइज फार्मुलेशन, डी० डी० टी० पाउडर, बी० एच० टी० पाउडर, एलड्रीन पाउडर सप्लाई करना है। इस सारे की खरीद 57 लाख रुपये की है। एक साल के अन्दर ही इसकी खरीद की जायेगी। इस प्रकार वित्त विभाग के सेन्ट्रल स्टोर पर्चेज डिपार्टमेन्ट के अन्दर एक बहुत बड़ा स्कैन्डल है। राजस्थान स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को सुविधा देने के नाम पर जितना माल खरीदा जायेगा, उसका 15 प्रतिशत ऊंची कीमत पर टेन्डर स्वीकृत किया गया। हिन्दुस्तान में कई स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं, उन्होंने अपने कोटेशन, टेन्डर दिये हैं। वे 10 प्रतिशत नीचे में माल देने को तैयार हैं। किन्तु सरकार स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को सुविधा देने के नाम पर 15 प्रतिशत ऊंची कीमत पर माल खरीद कर रही है। इसमें, सभापति महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा जो 57 लाख के माल की खरीद की जायेगी, उसमें 7 लाख रुपये का घाटा होगा। यदि यह पैसा बचा लिया जाय, राजस्थान के बाहर की इन्डस्ट्रीज, जिन्होंने बराबर टेन्डर दिये हैं, से माल खरीदें, करें तो राजस्थान सरकार को आज यह अनुपूरक मांगें, सप्लीमेन्ट्री बजट रखने की आवश्यकता नहीं हो।

सभापतिजी, मैं एक बात और कहूंगा। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमने एक एक रुपया इकट्ठा किया। यह बिल्कुल गलत है। मेरे दल के नेता, राजस्थान जनसंघ के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

अध्यक्ष ने इस सरकार को एक ज्वलंत उदाहरण दिया था। कांग्रेस के अधिवेशन के समय पर कांग्रेस को चंदा दिलाने के लिये कांग्रेस ने सारे अधिकारियों को कहा कि कांग्रेस को चंदा दिलाओ। लोगों से जबरन वसूली की गई थी। तहसीलदार, सेल्स टैक्स आफिसर, आर०टी०ओ० को एक एक हजार रुपया चन्दा एकत्रित करने के लिये कहा गया था। उन्होंने 1,000, 1,000 रुपया जबर्दस्ती इकट्ठा किया। लोगों को कहा कि चन्दा दो, वरना तुम्हारी बसों के परमिट कैन्सिल कर दिये जायेंगे। प्राइवेट बसों से चन्दा लिया। ट्रकों को काम में लिया। निःशुल्क बसों को चुनाव में काम में लिया गया यह धमकी देकर कि निःशुल्क बसें नहीं दीं तो तुम्हारी बसों का रूट कैन्सिल कर देंगे। लेकिन यह सरकार कहती है कि हमने निष्पक्ष रूप से, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव जीता है। यह बिल्कुल गलत है। सभापति जी, बम्बई, दिल्ली से जो फिएट कार चोरी में आयी थी, कांग्रेस ने उसको भी चुनाव में काम म लिया है। लोक सभा का चुनाव जीतने के बाद भी यह चोरी की हुई कार काम में आयी है। सरकारी अधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं के दबाव में आकर इस कार के फर्जी कागज तयार किये हैं। क्या यही लोकतन्त्र है। क्या यही आपकी जीत है ? कांग्रेस इस आधार पर अपना चुनाव जीतना चाहती है तो वह एक बार ही जीतेगी। सभापति जी, जनता समझदार हो गयी है। 67 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने भ्रष्टाचारी, दमनकारी राज्य के मुकाबले विरोधी दल का बहुमत बनाकर, विजयी बना कर भेजा था, किन्तु सरकार ने चुनाव के बाद गोली चलाकर, सदस्यों को खरीदकर अपनी सरकार कायम की। मुख्य मन्त्री ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में नौनिहालों का खून करके अपने राज्य को कायम किया है। इनका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है। जनता का विश्वास कांग्रेस को प्राप्त नहीं है। इसलिये मेरा विश्वास है कि सदन मेरा कटौती प्रस्ताव स्वीकार करेगा।

श्री सभापति : माननीय शिवनार्यसिंह।

श्री शिवनार्यसिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, इस एप्रोप्रियेशन बिल द्वारा 6 लाख रुपये के खर्चे की मांग की गई है इसमें मुश्किल से दो चार खास मुद्दे ह। बाढ़ के लिये टीन खरीदे गये। लेकिन जिस तत्परता से यह खर्च किया गया उसी तत्परता से सका उपयोग नहीं हो रहा है। इस रकम से जो टीन मंगाये गये हैं उनका लोगों में वितरण नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि बाढ़ से पीड़ित जो लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी वितरित कर दिये जावें।

दूसरा मोटर गैरेज की बाबत ह 13 गाड़ियों के रिप्लेसमेन्ट का सवाल है उसमें दो नयी गाड़ियों की खरीद का भी सवाल है। गाड़ी की जगह गाड़ी से ही काम चलेगा लेकिन मोटर गैरेज के अन्दर जो धान्धली हो रही है उस पर ध्यान दिया जाय। वहां मोटर पार्ट्स, पेट्रोल आदि बाहर जाकर बिकता है, उसको आप रोकिये। और जो मोटरों का उपयोग होता है उसको भी कन्ट्रोल कीजिये। मंत्रिमण्डल के सदस्य के लिये दो गाड़ी रिजर्व होती है एक घर के लिये और दूसरी दौरे के

(श्री शिवनाथसिंह)

लिये। इस बारे में अगर एक ही कार से काम चला सकें मंत्री लोग तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। फिर उनकी मरजी की बात।

मेरे बोलने पर विरोधी दल के सदस्य खुशी प्रकट कर रहे हैं। मैं अब तीसरे मुद्दे पर आता हूं। चौमू और दौसा के उप-चुनाव का जिक्र इसमें आया। इसके बारे में विरोधी सदस्यों में रोष होना चाहिये और वह स्वाभाविक है। उनकी कभी भी यह धारणा नहीं थी, चौमू और दौसा में हम चुनाव हार जायेंगे। उसके लिये आम आदमी सोचने लगा है। स्वतन्त्र पार्टी को यह विश्वास था कि वे चौमू और दौसा में हार नहीं सकते। उनको इतना विश्वास था कि चौमू और दौसा क्षेत्र में राजघराना आज तक हार नहीं सका है। आज से दो साल पहले जिस राजघराने को हमने मालपुरा में सबक सिखाया उस सबक से स्वतन्त्र पार्टी ने और राजघराने ने सीख नहीं ली। हमने आज से सात साल पहले मालपुरा में जो हार खाई उस हार को हमने हार माना और फिर हमारी हार न हो इस बारे में हम लगे रहे। आज चौमू और दौसा में हमारी जीत हुई उस जीत की आप आलोचना करते हैं। यह ठीक है उसकी आलोचना करना स्वाभाविक है लेकिन हमने जिस प्रकार मालपुरा की हार से सबक लिया उसी प्रकार आपने अपनी हार से, जो मालपुरा में ही हुई उससे राजघराने ने सबक नहीं लिया। हमने अपनी हार के कारणों को देखा और सोचा और विचारा। जिस जगह से महारानी निकलती थीं जनता उनके नाम से कांपती थी उनका इतना विश्वास था कि जिधर से महारानी निकल जायं उधर विजय विजय ही है। वहां पर महारानी को हमने 9 हजार वोटों से हराया। महारानी वहां हार गईं लेकिन इस दौसा के उप-चुनाव में अपने बेटे को लेकर सामने आयीं। क्योंकि स्त्री हठ होता है जिद् पकड़ बैठीं और अपने बेटे को खड़ा कर दिया। बेटे की भी हार हुई। इस तरह से मां भी हारी और बेटा भी हारा, वही बेटा जो पांच साल पहले जहां से 90 हजार वोटों से जीता था वहां से वह पांच छः हजार मतों से हारा।

मैं खास तौर से स्वतंत्र पार्टी को निवेदन करना चाहता हूं वे इस चीज को देखें कि उनकी हार के पीछे क्या कारण थे और हमारी जीत किन कारणों से हुई— दोनों का मुकाबला कीजिये। स्वतन्त्र पार्टी द्वारा एक कमेटी बिठायी गई जो इस बात को देखेगी वहां क्यों हारी। इसका कारण उनमें जो गलतफहमी थी वह उनकी हार का मुख्य कारण रहा है। उनको यह विश्वास था कि जिधर से महारानी जयपुर और महारानी सिंधिया निकलेंगी उस एरिया के वोट हमारे ही होंगे। महारानी का जो आकर्षण था वह बुड्ढा हो गया अब उस आकर्षण के पीछे वोट नहीं गिरते। वह अपने आकर्षण से काम लेना चाहती थीं वह आकर्षण अब फीका पड़ गया, राजघराने की जो एक धाक थी वह गिर रही है। जो यह कहती थीं कि मैं तुम्हारी माता हूं, तुम्हारी रक्षिका हूं आप लोग राजघराने की इज्जत बचाइये, जनता इस भुलावे में आने वाली नहीं थी। फिर महारानी घर घर गईं। वहां लोगों

(श्री शिवनाथ सिंह)

ने पूछा पहले आपके कंवर साहब को 90 हजार वोटों से जिताया उन्होंने पांच साल म हमारे लिये क्या किया। कांग्रस के वर्कर थ उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था, राजघराने की जो छाप जमी थी उस राजघराने को सबक सिखाना चाहिये। यही हर वर्कर ने ठान रखी थी और इसी जोश के साथ उसने काम किया। सदस्यों ने कहा कि मिनिस्टर लोग वहां थे। ठीक है वे वहां गये। वे पहले कांग्रेस मेन है उसके बाद मिनिस्टर हैं। अत जहां भी कांग्रेस का काम पड़ता है उनको पहले वहां जाना चाहिये।

यह भी कहा गया कि मंत्री पद का दुरुपयोग किया और राजकीय मशीनरी का दुरुपयोग किया, यह मैं कहना चाहता हूं, यह गलत है और तथ्यहीन है। एक कांग्रसमेन वहां गये और रात दिन एक होकर काम किया।

अब भी मैं आपको कहना चाहता हूं आप हार को हार मानकर चलें और उसके कारणों में जायें तो आप अपना और अपनी पार्टी का भविष्य सुधार सकते हैं। गलती कहां हुई, ऐसे केन्डीडेट को खड़ा किया गया जो स्वतंत्र पार्टी का चवन्नी मेम्बर भी नहीं था। विधान सभा के लिए ऐसे व्यक्ति को फुसलाया गया जो कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता थे उनको भी राजनीति के क्षेत्र में डुबो दिया और आप भी डूब गये। जो आप यह विश्वास करके चलते थ कि राजघराने की छाप सब जगह है वह गलत साबित हुआ।

दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपकी हार के कारण आपकी आपसी फूट थी। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं आपके सतीशचन्द्रजी का भाषण मैंने सुना, वे कह रहे थे, हमारे केन्डीडेट श्री रामकिशोर व्यास की तुलना उन्होंने खोटे रुपये से की। उन्होंने कहा कि इस खोटे रुपये को ऐसा जोर से हमने फेंका कि हरमाड़ा की घाटी से वापस आगया। चौमू के मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि इस रुपये को इतना जोर से फेंकें कि वह जयपुर में जाकर पड़े। जनसंघ का कार्यकर्त्ता बड़ा समझदार होता है, उसने सतीशचन्द्रजी की मनोभावना को समझ लिया और रामकिशोरजी को यहां जयपुर में जिताकर भेजा ताकि ये विधान सभा के तीन-चार साल तक सदस्य रह जायं। अन्य पार्टियां भी यही चाहती थीं, पी० एस० पी०, एस० एस० पी० और जनक्रान्ति दल कि यदि राजघराने की यहां हार हो जाय तो यह क्षेत्र हमारे लिये खुल जायगा। और यही हाल हुआ राजघराने की इज्जत यहां मिटटी में मिल गई। राजघराने की इज्जत मिट्टी में मिलती है तो जनसंघ, एस० एस० पी० और स्वतंत्र पार्टी को पनपने का मौका मिलता है। मैं फिर आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, आपने आल इन्डिया बेसिस पर जो कमेटी बनाई है उसके सामने सही प्रमाण दीजिये ताकि वे कारणों की जांच करें। अखबारों के माध्यम से हमें यह भी पता चला है कि जो व्यक्ति आपका साधारण सदस्य भी नहीं था उसके लिये आपने वोट मांगा। मेरा तो यही निवेदन है कि आप इस हार से सबक लीजिये, आप जनता को ज्यादा दिन भुलावे में डाल नहीं सकते, आप हार के कारणों को देखेंगे तो भगवान आपकी मदद करेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, जो मांगें सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं उनमें चौमू और दौसा के उप-चुनाव के दरम्यान जो खर्च हुआ, चुनाव विभाग का खर्चा हुआ वह भी सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स के रूप में आया है। इसके अलावा मोटर गैरेज और दूसरे डिपार्टमेन्ट आदि की तीन तरह की मांगें पेश हुई हैं।

सभापति महोदय, इस बहस में दौसा और चौमू के उप-चुनाव की काफी चर्चा हुई। दोनों ओर से, स्वतंत्र पार्टी और कांग्रेस, दोनों की तरफ से लोकतन्त्र के पुनर्स्थापन की दुहाई दी गई। यह दावा किया गया। इन चुनावों में अपने अपने रूप में कांग्रेस की तरफ से और स्वतंत्र पार्टी की तरफ से लोकतन्त्र की अपनी अपनी तौर से मर्यादाओं का पुनर्स्थापन किया है। और जब कि स्वतन्त्र पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने शासन का दुरुपयोग करके लोकतन्त्र की मर्यादाओं को भंग किया है। सभापति महोदय, हम जिस दृष्टि से इन चुनावों को देखते हैं और जो रुख हमने इन चुनावों के बारे में अपनाया किसी भी दल का समर्थन नहीं करने का और न्यूट्रेलिटी का वह उचित ही साबित हुआ। जिस तरीके से यह चुनाव लड़ा गया और जो तरीके दोनों तरफ से अपनाये गये, सभापति महोदय, हमें यह कहना पड़ेगा कि राजस्थान की आम जनता, गरीब लोग, यह उम्मीद करते हैं कि हम प्रान्त का शासन अपने हाथ में सम्भालेंगे, वे दांतों तले अंगुली दबाकर रह गये। हमें इस चुनाव प्रणाली में कुछ बुनियादी परिवर्तन करने पड़ेंगे। चुनाव के तरीकों में सिस्टम में, कुछ न कुछ बुनियादी तरीके से तबदीली करनी पड़ेगी, तब सामान्य लोग सामान्य तरीके से वास्तव में जनता के प्रतिनिधि जन भावनाओं का सही प्रतिनिधित्व करने वाले लोग यहां पहुंच सकेंगे अन्यथा तो बड़ी मुश्किल है।

यह लड़ाई दरअसल पुराने राजाओं में और नये राजाओं में थी। अपने अपने साधन जितने पुराने राजाओं के पास जो भी थे, जो अपने पुराने राजाओं के रिश्तेदारों को बुला सकते थे, जो भी उनके पास थे सब को उन्होंने दांव पर लगा दिया और इधर कांग्रेस वाले भी नये राजा चुप नहीं रहे। मैं यह साफ तौर से कह रहा हूं। चाहे पाप हो या धर्म हो, उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करें। उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, सिद्धान्तों को कुचल देना पड़े या मर्यादाओं को समाप्त करना पड़े, उनको किसी भी तरह ईमानदारी से बेईमानी से सत्ता के बल से, आतंक से, पैसे से इन चुनावों में हारना नहीं है। किसी न किसी तरह हम जीतें। और इस अपनी बात को पूरी तरह अमल करके इन नये राजाओं ने बताया भी। पूरे तरीके से जिस तरह शासन का, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, जिस तरीके से सर्विस को डिमोरेलाइज करके तमाम प्रकार के निकृष्ट हथकण्डे अपनाये गये वह भी सब लोगों के सामने देखने को मिला।

इसलिये, सभापति महोदय, आज देश के चिन्तक मनीषि लोग यह अनुभव करने लग गये हैं कि इस डेमोक्रेसी के बारे में कुछ बुनियादी खामियां हमारे संविधान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में रह गई हैं और इसके लिये वे संशोधन संविधान में करने होंगे जिससे कि सामान्य आदमी में और जो साधन सम्पन्न वर्ग है या जिसके हाथ में सत्ता है उनमें किसी न किसी तरह से बराबरी कायम की जा सके। यह सब लोगों क सोचने की बात है।

मैं समझता हूं कि इसमें सन्देह नहीं कि ग्राज चाहे कांग्रेस हो और चाहे स्वतन्त्र पार्टी हो, ग्राज दोनों यह समझ रहे हैं कि हम ग्रपनी पुरानी शासन सत्ता के रौब से या नये राजा अपनी सत्ता के रौब से ग्रौर ग्रातंक से जनता को ग्रपने साथ रख सकेंगे, यह उनका दिवास्वप्न होगा, वह थोड़े अर्से की बात हो सकती है, टेम्प्रेरी हो सकती है। चाहे उस तरफ से महारानी ग्रायें या महाराजा महारानी सब जगह के ग्रावें, ग्रौर दूसरी तरफ से चाहे कोई ग्रपने को लोह पुरुष कहे या मिट्टी पुरुष कहें उनको भी यह अनुभव करना पड़ेगा जिस तरह चन्द्र महलों में रहने वाले राजा रानी सदियों से अपने को यह समझने लग गये थे कि वे जगत के माता पिता बन गये हैं इसलिये लोगों को उनको वोट देने चाहियें, उन्हीं के पद चिन्हों पर ग्राज की यह सरकार ग्राज के ये नये राजा भी चलने लग गये हैं। ये कहते हैं हमें वोट दो, हम तुम्हारे लिये स्कूलें बना सकते हैं, सड़कें बना सकते हैं, हम नुकसान पहुंचा सकते हैं ग्रौर हमें आंखें बताईं तो हम तुम्हारा ट्रान्सफर कर सकते हैं, तुम्हारे पर मुकद्दमें चला सकते हैं, हम तुम्हें डाकुग्रों से मरवा सकते हैं। इस राज्य में इस रौब में ग्राज कांग्रेस सतारूढ़ पार्टी इस तरह से वोट बटोरने की कोशिश कर रही है ग्रौर मैं समझता हूं कि इन तरीकों से चाहे कांग्रस हो, चाहे राजा रानी हों लोकतन्त्र नहीं पनप सकता, यह लोकतन्त्र के हित में नहीं है। लोकतन्त्र को मजबूत करने का यह तरीका नहीं है। लोकतन्त्र को समाप्त करने का तरीका है।

हमारे देश की जो बुनियादी शक्तियां हैं, ग्राम जनता, मजदूर, किसान, सामान्य मध्य वर्ग के लोग वे सब सशंक हो चुके हैं। वे सोचते हैं कि ग्राखिर यह लोकतन्त्र किधर जा रहा है। इसलिये ग्राज देश में सर्वत्र विचारक लोक विचार कर रहे हैं कि बुनियादी तौर से इस प्रकार के इन चुनावों के तरीके में इस डेमोक्रेटिक रिप्रेजेन्टेशन के तरीके में तब्दीली करें जिससे सही तरीके का प्रतिनिधित्व आ सके। मेरे पास इतना समय नहीं कि इन सुझावों को विस्तार से ग्रापके सामने रख सकूं। पर दुनियां में कितने ही परीक्षण हो रहे हैं, उनके अनुरूप हमें भी नये तरीके सोचने होंगे।

जो तरीके 67 के आम चुनावों में हारने के बाद कांग्रेस ग्रपने ग्रापको सत्ता में बनाये रखने के लिये ग्रपना रही है वे लोकतन्त्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों के लिये गम्भीर चेतावनी के रूप में ग्राकर सामने खड़े हो गये हैं। ग्राज तो स्थिति यहां तक ग्रा गई है कि ग्रसेम्बली को लम्बा चलाने में कांग्रेस सत्तारूढ़ दल को खतरा महसूस हो रहा है। हर वक्त उनको ग्रपने ही दल के एम० एल० ए० से डर लग रहा है। किसी डाके में चम्बल घाटी में अगर रूपा डाकू पकड़ा जावे तो उसकी मिनिस्टर साहब मदद को आवेंगे यह कहते हुए कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसको क्यों पकड़ा, यह तो हमारा बहुत बड़ा समर्थक है। इसके बिना हम चुनाव कैसे जीत सकेंगे। इसके खिलाफ मुकद्दमा न चलावें। आप डाकुओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते। भ्रष्टाचारी कोई अफसर पकड़ा जावे। उसके खिलाफ विजिलेन्स कमीशन एन्क्वायरी करावें, एन्टी-करप्शन विभाग दोष को साबित हुआ पावें और आपके हेड आफ दी डिपार्टमेन्ट कहें कि इसे सस्पेण्ड करो, डिबार करो पर चूंकि एक एम० एल० ए० का उसके सिर पर हाथ है और आपको उस एम० एल० ए० से खतरा है, आपकी घिग्घी बन्ध जावेगी। आप उसका बाल बांका नहीं कर सकते। असेम्बली खतम होने से पहले डाक्टर को हटाया तो खतरा हो जावेगा इसलिये मुख्य मंत्री कहते हैं इसको मत छेड़ो। कल ही मेरा आर० एन० शुक्ला के बारे में प्रश्न था, फेमिली प्लानिंग का डाक्टर है, इन्चार्ज है। इसके खिलाफ झूठी रसीदें बनाना साबित हो गया, आपरेशन हुए नहीं। झूठी रसीदें उसकी पकड़ी गईं, साबित हो गईं, जिसके नाम से बनाया उन्होंने गवाहियां दे दीं अदालत में जाकर। इसके बाद सरकार ने उनको धमकाया। एम० एल० ए० साहब का हाथ उसके सिर पर है। उसका कुछ नहीं बिगड़ा। उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उस के पीछे छुट्टनलालजी का हाथ है। सुखाड़ियाजी को कह दिया इसको हिला नहीं सकते सुखाड़ियाजी उसे हिलाने से मजबूर हैं। यही हालत जगह जगह पर हो रही है।

इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा कोष जो डिफेन्स से ताल्लुक रखता है, लोगों में भावना पैदा करने के लिये सुरक्षा के लिए पैसा इकट्ठा करता है उसमें भी जो गबन करे चाहे वह बृजमोहनलालजी ब्यावर वाले हों, चाहे डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स एल० टी० राम्जे हों, चाहे उदयपुर के पास के लोग हों। गबन हो गया। पैसा सरकारी खजाने में जमा नहीं हुआ। प्रूव हो गया। पर चूंकि वे आपके सहायक हैं एम० एल० ए० उनकी कृपा पर निर्भर हैं। आप उनके खिलाफ एक्शन लेना नहीं चाहते।

सभापति महोदय, पिछले साल इसी सदन में मैंने इस पर प्रकाश डाला। डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं एक एल० टी० राम्जे। पहाड़ी की स्कूल से नेशनल डिफेन्स फण्ड में पैसा लिया, नगर, नदबई और राजगढ़ की स्कूलों से पैसा लिया। स चीज से किसी मिनिस्टर ने इन्कार नहीं किया। कहा कि प्रूव्ड हैं। पर नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उन मिसेज एल० टी० राम्जे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ बल्कि उसे प्रोमोट करके हायर सेकण्डरी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बनाकर भेज दिया। और जिस बेचारे आडिट पार्टी के क्लर्क श्री जगदीशचन्द्र गोड ने सारी बातों को सामने रक्खा, व राष्ट्रीय सुरक्षा के फण्ड को बचाने के लिये कागजात पकड़वाये उसको उठा कर जैसलमेर ट्रान्सफर कर दिया। तुमने इस तरीके से यह बात कह करके गवर्नमेन्ट की इज्जत खराब की है, तुमने पुलिस में यह रिपोर्ट क्यों की। सभापति महोदय, अगर वह बेचारा रिपोट न करे तो ये तमाम कच्ची रसीदें थी उनको फाड़ा जा सकता था लेकिन अफसोस यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की रक्षा में जिन्होंने उचित कदम उठाया उन तमाम लोगों को

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक्सप्लाइट किया जा रहा है, किसी को बाड़मेर भेजा जा रहा है, किसी को जैसलमेर भेजा जा रहा है, किसी को कहां भेजा जा रहा है......

श्री बी० एन० जोशी : पाईन्ट ऑफ आडर सर, जो शिड्यूल्ड टाइम है उसके अनुसार 4-30 बजे गवर्नमेंट का जवाब आरम्भ होने का था।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह कोई जरूरी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं भी ज्यादा लम्बा समय नहीं लूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री बृजप्रकाशजी के मामले में विजिलेन्स कमीशन को रिपोर्ट आखिर में तब दी गई जब सदन आने वाला था और मिसेज एल० टी० रेम्जे पर कोई कार्यवाही न करके उसको प्रमोट कर दिया गया और जो निम्न श्रेणी के गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट थे, जो यह बात नोटिस में लाये उनको पैनेलाईज किया गया। गवर्नमेन्ट अपने को पॉलिटिकली वीक समझकर एन्टी-सोशियल एलीमेन्ट्स को बनाकर जो इनकी इलेक्शन में मदद करें उनकी ये पूरी इमदाद करती हैं यही वजह है कि कल श्री परसरामजी कह रहे थे कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया पर हमारा अधिकार नहीं है। उन पर एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन इसलिये नहीं लिया गया कि जितने एजेन्ट मुकर्रर हुये थे वे सब के सब कांग्रेस के व्यापारी थे। 25-25 लाख रुपया जिन्होंने दो महीने में कमा लिये जिनके पास 10 हजार की पूंजी थी, उन्होंने 25-25 लाख रुपया कमा लिया।

(4.32 म० प०)

(श्री पुनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े सेठों से पैसा कैसे लेते हैं, इसी तरह उनसे चुनावों के लिये पैसा लेते हैं। अखबारों में सारी जगह छपा है। 43 लाख में से 35 लाख के करीब कांग्रेस अकेले को मिले अलबत्ता दूसरा नम्बर स्वतन्त्र पार्टी का है। कोई भाई भतीजे उनकी केटेगरी के हैं। कहां से आपको ये इन्सपाईरेशन मिलता है। स्वतन्त्र पार्टी मुकाबले में होने से आपको बड़ी प्रोग्रेस मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय इस संबंध में........

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : भ्रष्टाचार की मूर्ति और पूंजीपतियों को अपनाने वाले तो ये लोग हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कारों का यहां जिक्र आया इस सदन में कि गवर्नमेन्ट नई कारें खरीद रही है। पिछले सदन में आपने खद न बताया कि श्री हरिदेव जोशीजी की कार चोरी चली गई, उसका क्या हुवा? आपने उसके इधर उधर से आज तक भी ईस सदन के सामने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पूरे तथ्य नहीं रखे कि वह कार कहां गई ? कार की एन्क्वायरी करके उसको ट्रेस कर पाये या नहीं कर पाये ? जैसे ऐलीगेशन थे उसके अन्दर कि तस्कर व्यापारी, श्री हरिदेव जोशी के रिश्तेदार थे, मिलकर उस कार को ले गये । इस सदन में यह भी आरोप था कि वह कार पाकिस्तान चली गई है और यह भी आरोप था कि उस कार को गंगानगर जिले में देखा गया है । मैं नहीं समझता कि माननीय श्री जोशी के बारे में कोई असत्य बात सामने आये लेकिन इसके ऊपर पर्दा डाला जा रहा है । उसको सदन में बताना चाहिये । उसकी एन्क्वायरी में 5 कारें पकड़ी गई, आपके इलेक्शन में काम आई । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की कार कहां गई इसका आज तक पता नहीं चला ।

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, कार तो ये नई नई मंगवाते हैं लेकिन ड्राईवरों को सुबह 6 बजे पकड़ते हैं, न उसकी दिन की ड्यूटी का ख्याल है न उसकी रात की ड्यूटी का ख्याल है । वह बेचारा 24 घंटे की ड्यूटी पर रहता है जब कि आपको 8 घंटे काम लेना चाहिये बाकी का ओवर टाईम पे करते हैं आप ? आप उनके दिलों से पूछिये क्या उनको महसूस होता है । आज वे बोल नहीं सकते । यूनियन बनाई तो उनको क्रश करना चाहते हैं । मैं यह निवेदन करूंगा आप इतनी मंहगी मंहगी कारें खरीदते हैं उनके ड्राईवरों का भी ख्याल रखें जैसे कि आप कारों का ख्याल रखते हैं जिनके हाथ में आपकी जिन्दगी है, आप की जान है । आप अपनी जिन्दगी उनके हाथों में सौंपते हैं लेकिन उसके मुताबिक आप उनको पेमेन्ट नहीं कर रहे हैं । औरों के लिये तो आप कहेंगे कि कानून लागू है तो वह कानून मिनिस्टरों के लिय भी लागू है मिनिस्टर सवारी करते हैं तो उन पर ट्रान्सपोर्ट कर नहीं लगे यह भी कोई कानून नहीं है । आपके छोटे कर्मचारी आपकी मालिक की हैसियत से जिनाईन तरीके से काम करते हैं । मैं मंत्री महोदय, जो इसके इन्चार्ज हैं से निवेदन करूंगा कि इस बात को वापिस करके जो लीगल राईट्स बनते हैं और इससे अधिक जो उनको फैसिलिटीज दी जानी चाहियें वह उनको फैसिलिटी देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री बी० एम० जोशी (राज्य मंत्री वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, केवल 5 मिनट के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनिट से ज्यादा नहीं दिये जायेंगे ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने कृपा पूर्वक 5 मिनिट का टाइम दिया इसके लिये धन्यवाद । अभी अभी सरकार की ओर से एक वक्ता बोल रहे थे और उन्होंने दौसा और चौमू के चुनावों पर प्रकाश डाला है । उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं जो बात उन्होंने कहीं वे कतई असम्भव हैं और गलत हैं ? जहां तक विरोधी दल

(श्री जयनारायण सालोदिया)
और स्वतन्त्र पार्टी का सम्बन्ध है वह जनता के सामने है कि किस प्रकार विरोधी दल के प्रत्याक्षी के रूप में आपके महत्वपूर्ण आदमियों के सामने मामूली आदमी जीतकर आये। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। जनता का मनोबल स्वतन्त्र पार्टी की और है। कांग्रेस से वे पीछे हटते जा रहे हैं, अगर कोई कांग्रेस को वोट देता भी है तो दबी हुई जबान से। मैं इसके उदाहरण पेश कर सकता हूं। गत आम चुनावों में आपके दिग्गज आदमी एक मामूली आदमी से हार खा गये। आपके वित्त मंत्री एक मामूली आदमी श्री विजयसिंह से हार खा गये, आपके डांगी साहब एक पटवारी से हार खा गये, आपके नाथूरामजी दिग्गज एक मामूली वनिया से हार खा गये, जो प्रत्यक्ष है उसको आप छिपा नहीं सकते। इन वातों से प्रतीत है कि........

श्री रोशन लाल (सलूम्बर) : ये तीन बहुत कम हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : बनिया कौन सा है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आपकी तरफ दिग्गज थे वे सब हार गये। इस तरह कह कर आप स्थिति को छिपाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे टाइम में से ये इस तरह खर्च कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अगर आप सत्यता और लोकप्रियता के आधार पर कोई बात करना चाहते हैं तो मैं आज भी चैलेन्ज करता हूं कि आप सत्ता को त्याग कर एक तरफ महारानी जयपुर को और एक तरफ आपके कांग्रेस की बड़ी से बड़ी शक्ति को खड़ा कर दें तो प्रमाणित करके बता सकता हूं। यह चैलेन्ज है आपको लेकिन आप सत्ता के ऊपर जीतते हैं। पहले जब वह महारानी थीं तो उनके पास भी ताकत थी और अब उनकी ताकत उनके शासन के साथ खत्म हुई। आप शासन कर रहे हैं इसलिए आपमें ताकत है। इसलिये मैं कहूंगा कि आप महारानीजी का और कांग्रेस का कम्पिटीशन करो यह बात गलत है। मेरा चैलेन्ज है कि एक तरफ आप सत्ता से अलग होकर चुनाव लड़िये, राष्ट्रपति शासन में चुनाव लड़िये, मंत्रिमण्डल से त्याग-पत्र देकर चुनाव लड़िये, एक तरफ हम महारानी गायत्री देवी को खड़ा करते हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस की बड़ी से बड़ी शक्ति इन्दिरा गांधी को खड़ी कर दीजिए। अगर उनकी महारानीजी के मुकाबले में जमानत जब्त नहीं हो तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उसके लिए इन्दिराजी को क्यों बुलाते हो हमारे दामोदरजी ही बहुत हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह भी सब जानते हैं कि उनके बेटों से हार चुके हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी गाड़ियों के संबंध में भी निवेदन कर देना चाहता हूं। मुझे यह समझ में नहीं आता कि जो साधारण आदमी होते हैं, गाय चराने वाले होते हैं, खेतों में काम करने वाले होते हैं, चाहे वे किसी भी तरफ से जीत कर आये हों, चाहे वह दल बदल कर या गलत काम करके मंत्रिमण्डल के सदस्य बन गये हों या उप-मंत्री हो गये हों तो उनको शौक हो जाता है कि वह अच्छी से अच्छी गाड़ी में बैठे। वह हिन्दुस्तानी गाड़ी

(श्री जयनारायण व्यास)

में बैठना पसन्द नहीं करते। एक तरफ आप समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो लोग टूटी पकड़कर डोलते थे और खेतों में काम करते थे आज मंत्रिमण्डल में आते ही उनके सुरखाब के पर लग गये। आप मजदूरों को तो 20 पैसा प्रति दिन देते हैं, दूसरी तरफ अकाल पड़ा हुआ है और इधर आप इस तरह की नयी नयी गाड़ियों के खरीदने की बात करते हैं। मुख्य मंत्रीजी के लिए एअर कन्डीशन्ड गाड़ी चाहिए। क्यों नहीं वह देशी गाड़ियों में चलते? सोचने को यह चीज जनता को मजबूर करती है। कांग्रेस का समाजवाद दूसरा है और जो नारा है समाजवाद का कांग्रेस का वह झूठा है। कांग्रेसी जो सत्ता में हैं वह राजाओं, महाराजाओं और जागीरदारों से ज्यादा बनते जा रहे हैं। उनके हर काम में लग्जरी है और पैसा खर्च होता है। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको कुछ करना है तो आप स्कूल खुलवायें, शफाखाने खुलवायें। लेकिन सड़कों के लिए कहते हैं तो उसके लिए पैसा नहीं है, स्कूलों के लिए पैसा नहीं है, दवाखाने के लिए पैसा नहीं है और मंत्रियों की फौज बढ़ाने के लिए पैसा है। बना दीजिए सब ही मंत्री और सब को रिक्शा दे दीजिए। लेकिन इनको तो कारें चाहिये और वह भी बड़ी कारें हों, छोटी नहीं हों और फिर इनमें तो कम्पिटीशन है कि किसकी गाड़ी अच्छी है और किसकी गाड़ी बड़ी है और किसकी गाड़ी ज्यादा चमकती है····

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सबको मंत्री बना दीजिए और एक एक रिक्शा दे दीजिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो आप समाजवाद से दूर हटते जा रहे हैं। समाजवाद का नाम लेकर जनता के पैसे की होली खेल रहे हैं। यह बात आपकी गलत है। यह आपको खत्म करने वाली है, राष्ट्र को खतम करने वाली है और समाजवाद के बिलकुल विपरीत बात है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं····"

श्री गिरधारीलाल व्यास : उड़ीसा में तो एक एक रिक्शा दिलवा दो पहले।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं निवेदन करूं कि उड़ीसा गवर्नमेन्ट जो स्वतंत्र पार्टी की गवर्नमेन्ट है उसने हिन्दुस्तान की किसी भी गवर्नमेन्ट से लाखों दर्जा अच्छा शासन दिया है उसने टैक्स खतम कर दिये। फिर उसके बाद भी सबसे अच्छा शासन दिया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उड़ीसा गवर्नमेन्ट के खिलाफ कोई देश भर में अंगुली उठाने वाला नहीं है। आपकी 36 की पलटन है उससे ज्यादा अच्छी गवर्नमेन्ट है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रवणलाल संक्षप में अपनी बात पांच मिनट में ही कह दें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डोन स०): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एप्रोप्रियेशन बिल के उपर इस ओर और उस ओर बैठने वाल दोनों पक्षों के विधान सभा के सदस्यों ने अपने अपने विचार यहां पर रखे। दौसा और चौमू के चुनावों का जहां तक संबंध है सभी माननीय सदस्यों ने यहां पर उसकी चर्चा की है वोटों को लेने के लिए वोटर्स को धमकाया गया और दी हुई तकावियों को वसूल करके या सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर या पुलिस द्वारा डण्डों के

(श्री श्रवणलाल)

वल पर गरीव हरिजनों को और मजदूरों को धमकाया गया है। यह सब इस गवर्नमेन्ट की नीति के खिलाफ है। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब बातों की ओर न जाते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं कि चुनावों के संबंध में जिस प्रकार से वोटों के लिये जैसा ढोंग रचा गया हमारे कलयुगी भगवान जिनकी 36 की जमात है ये एक एक ग्राम पंचायत में जाकर अपना कलयुगी भगवान का रूप धारण करके वहां पर बैठ गये और वहां की जनता को इन्होंने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिये। वहां पर अनेक प्रकार के ढोंग रचे गये और अनुदान के रूप में, तकावी के रूप में जो लैण्ड मार्टगेज बैंक है उसके द्वारा कितना उस समय में किसानों के लिये ऋण दिया है अगर इसके आंकड़े देखे जायं तो यह क्लियर है कि इस प्रकार के जनता को प्रलोभन दिये हैं। चाहे नल और बिजली के रूप में पैसा दिया हो, चाहे सड़कों के लिये दिया हो, कहने का मतलब है कि जो भी तरीके ये अपना सकते थे इन्होंने अपनाये। आज इसी प्रकार से ढोंग रच कर यदि कांग्रेस वाले अपनी जीत मानते हैं तो मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता। क्योंकि आज जनता के लिये इस प्रकार का वातावरण बनाया और वोटों को खरीदकर कहा कि हम कामयाब हुए हैं, यह सही नहीं है। जो गाड़ियों की खरीद के लिये 6.68 लाख रुपया इस बिल में रखा गया है वहां हम देखें कि राजस्थान के अन्दर हमको किस प्रकार के अकाल का सामना करना पड़ रहा है, बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा पहले बताया गया था कि मजदूरों को 20 पैसे प्रतिदिन मिलता है और दवाइयों का अभाव हास्पिटल में है, जहां मिक्सचर के नाम पर पानी मिलता है जहां गोलियों की व्यवस्था नहीं है, इन्जेक्शन्स केवल पानी के दिये जाते हैं। तो आप जनता के लिए खर्च नहीं करके फालतू का पैसा जो मोटरों पर खर्च कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आज आप चाहते हैं कि आपके पास मोटरें हों और बड़ी बड़ी हों, ऐयर कन्डीशन्ड कारें चाहिए यह सब फिजूलखर्ची है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस होता है कि जब हमारे कांग्रेस के बन्धु ढोल पीटते थे ब्रिटिश शासन में कि इस शासन को हटाकर हम स्वतन्त्रता लायेंगे वे कहते थे कि हम गरीब और अमीरों में समानता लायेंगे। हम अगर देखें तो मालूम होगा कि गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं। आज कहां गये उनके वह नारे।

समाज कल्याण विभाग के ऊपर भी लाखों रुपया खर्च किया है। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जबकि हमारे मन्त्री के इस प्रकार के शब्द हम सुनते हैं जो कि शिड्यूल्ड कास्ट के वरिष्ट मंत्री कहलाते हैं श्री अमृत लालजी यादव, वह कहते हैं कि हमें तो कमरा भी थर्ड क्लास दे रखा है, कूलर मेरे यहां पर नहीं है, पर्दे भी फटे पुराने हैं, अगर इस प्रकार का भेदभाव बरता जाता है तो यह भी शर्म की बात है ....

श्री गिरधारीलाल व्यास: आपको क कहा था यह ?

श्री श्रवणलाल: जिस समय आप नहीं थे। हमारी माउन्ट आबू में बैठक हो रही थी उस समय कहा था। मैं यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार की

(श्री श्रवणलाल)

फिजूलखर्ची को रोका जाना चाहिए । हम जनता के लिए पीने का पानी मुहैय्या नही कर पा रहे हैं, जानवर हमारे प्यासे मर रहे हैं, घास की और अनाज की व्यवस्था नहीं है । लेकिन इनको किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है । जानवरों को बचाने की चिन्ता नहीं है, इनको चिन्ता है तो सिर्फ एशो-आराम की । इनको चिन्ता इस बात की है कि हमें ऐयर कन्डीशन्ड गाड़ियां कैसे मिलें और किस प्रकार से हम उनमें सफर करें । तो, माननीय उपाध्यक्षजी, इस प्रकार से यह खर्चा यहां पर इस बिल से पारित करवाया जा रहा है । इस प्रकार का अनधिकृत खर्चा करने के लिए यह जो बिल लाया गया है । यह अनुचित है ।

और उसी के साथ साथ में यह कहूंगा आपके द्वारा मंत्री महोदय से कि जिस प्रकार से इन्होंने इस खर्चे कि बात कही थी कि छोटी गाड़ियां रखेंगे और इतनी कम गाड़ियां रखेंगे । जिनकी जरूरत नहीं है आज यहां पर 40 मन्त्रियों को फौज खड़ी कर रखी है पर मैं अपने क्षेत्र के अन्दर देखता हूं कि आगे न आये दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि 2–3 मन्त्रियों के दौरे के प्रोग्राम नहीं पहुंचते हों ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, उससे कितना खर्चा होता है उनके जान के बाद अधिकारियों पर उनको अटेन्ड करने के लिये ? पहले हो सकता था कि वे उनकी कद्र करते हों लेकिन आजकल तो वे कद्र नहीं करते हैं । उसका कारण है । उसका मुख्य कारण यह है कि इनकी लिन्क लगी हुई है कि आज मंत्री साहब आ रहे हैं तो आज डिप्टी मिनिस्टर आ रहे हैं तो आज पार्लियामेन्ट्री सेक्रेट्री आ रहे हैं । इस प्रकार से वे हेबिचुएट हो गये हैं ।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

जनता के खून पसीने के पैसे का दुरुपयोग होता है, और किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है, और उसके साथ साथ अधिकारियों पर टी० ए० व डी० ए० का खर्चा हो जाता है । तो इसको बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि मन्त्री महोदय को जितनी गाड़ियां दी जाती हैं वे सिर्फ जयपुर के अन्दर के लिए हों और जयपुर के बाहर न दी जायं । किसी भी प्रकार से उनकी यह व्यवस्था हो कि बंगले से असेम्बली और असेम्बली से बंगले आयें और जायें । उसके बाद में कोई गाड़ी काम में न लाई जाय । आज इसके अन्दर बड़े बड़े घोटाले होते है माननीय सदस्यों ने बहुत से प्रश्न आपके सामने रखे । मोटर गेराज के अन्दर से स्पेयर पार्ट्स की चोरियां होती हैं, डिजल की चोरियां होती हैं, यहां तक, उपाध्यक्ष महोदय, हमने चार्ज लगाया है कि हरिदेवजी जोशी ...

श्री उपाध्यक्ष : आपने 5 मिनिट के लिए कहा था । यह अच्छा नहीं लगता है कि सब सदन के सामने कहें कि 5 मिनिट का समय लूंगा और उसके बाद दो मिनिट····

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खत्म कर रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिवल्लभ शर्मा ।

श्री श्रवणलाल : एक मंत्री के बंगले से गाड़ी चोरी चली जाय और उसमें

(श्री श्रवणलाल)

उसके लड़के का हाथ हो और वह गाड़ी पाकिस्तान के अन्दर जाय और उस पर किसी प्रकार का एक्शन न लिया जाय। गाड़ियों का इस प्रकार से दुरुपयोग हो और गाड़ियां चोरी चली जायं और उनकी रक्षा नहीं कर सकें······

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। मंत्री महोदय!

श्री विशम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्षजी, राजस्थान विनियोग (संख्या 4)······

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे 5 मिनिट का समय दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनिट में पूरी बात कहना चाहते हैं लेकिन उसमें पूरी नहीं करते हैं। इसलिए समय हो गया है। मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : ····विधेयक, 1968 के सम्बन्ध में ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर या बजट पर आम बहस हो रही है। मैं आपके द्वारा सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा सदन के माननीय सदस्यों से कि इस विनियोग विधेयक, 1968 के द्वारा जिस धनराशि की स्वीकृति इस विधान सभा से चाही गई है वह केवल 6,67,000 रु० की है, और सदन के माननीय सदस्यों ने करोड़ों की बात कही और उसमें जो 52,000 रु० का आइटम है उसके बारे में 53 लाख की बात कही। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 6,67,000 रु० का सवाल है। इसमें चौमू और दोसा के बाई-इलेक्शन पर जो 2 लाख रुपये खर्च हुए हैं उसमें से एक लाख से भी ज्यादा की रकम भारत सरकार से रिएम्बर्सेबल है। इसलिए कुल मिलाकर राजस्थान के खजाने से करीब साढ़े पांच लाख जायगा जिसका कि खर्चा हमारे कन्टिजेन्सी फण्ड से राजस्थान सरकार को लेना पड़ा। अतएव भारतीय संविधान के आर्टिकल 204 और 205 के तहत जो प्रावधान दिया हुआ है उसके अनुसार यह तो आवश्यक है कि इस सदन, से जिसमें कि राजस्थान की सार्वभौम सत्ता निहित है, के सामने आये, इसकी मांग को रखे और इसकी स्वीकृति प्राप्त करके इसको रेग्युलेराइज किया जाय। इसलिए विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1968 को सदन के सामने पेश किया गया है। इसमें 3,01,000 रु० गाड़ियां खरीदने के लिए हैं—····

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री महोदय बार बार आंख···क्या फर्मा रहे हैं?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : क्या?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्री महोदय बार बार आंख क्यों मारते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो डिफेक्ट है आंख का।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि 3,01,016 रु० गाड़ियों की खरीद के लिए स्टेट गैराज को दिये। यह खर्चा बहुत जरूरी था इसलिए खर्च करना पड़ा।

1,00,000 रु० जी० सी० शीट्स डिफेन्स डिपार्टमेंट से बाढ़-पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए तकसीम करने के लिए खरीदने की जरूरत थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोटा एलॉट किया था। अगर यह खर्चा

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)
नहीं किया जाता तो 500 टीन खरीदने थे वह खरीद नहीं सकते थे और बाढ़-पीड़ित लोगों को राहत पहुंचाने में असमर्थ रहते ।

दौसा और चौमू की सीटें खाली हुई तो सरकार को चुनाव की व्यवस्था करनी पड़ती है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चुनाव की व्यवस्था होती है तो सैंकड़ों की तादाद में पोलिंग स्टेशन कायम करते हैं पालियामेंट के बाइ-इलेक्शन में काफी पोलिंग पार्टियां भेजनी पड़ती हैं और सुरक्षा के लिए पुलिस को देहातों में भेजते हैं । इसके अलावा आने जाने के लिए और राज्य कर्मचारियों के लिए टी०ए०डी०ए०की व्यवस्था करनी पड़ती है, मोटर गाड़ियों पर खर्चा करना पड़ता है, जिसमें एक पैसे की कमी करना सम्भव नहीं है। जो एक प्रेस्क्राइब्ड स्केल है उसके अनुसार खर्च किया जाता है। तो यह व्यवस्था करना राज्य सरकार का कर्त्तव्य था इसलिए यह हमारे सामने आया कि यह खर्चा हुआ है और यह उचित था ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 52,000 रु० राजभवन के लिए गाड़ी खरीदने के लिए और गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए हैं । यह राशि केवल 52 हजार की है जो कि एक वोटेड आइटम नहीं है बल्कि चार्ज्ड आइटम है । राजभवन को उसकी आवश्यकता थी इसके लिय इसको उचित समझा गया और इसको खर्च कर दिया गया ।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 14,000 रु० केवल इसलिए हैं जो डिक्रीटल एमाउन्ट है राज्य के विभिन्न विभागों के खिलाफ न्यायालयों द्वारा जो डिग्रियां दी गई हैं उसकी राशि और व्याज वगैरह मिलाकर उसका भुगतान करना था। इनमें कइ केसेज में अपील भी की गई तो अपील में वह कन्फर्म हो गया है तो डिक्रीटल एमाउन्ट का पेमेन्ट करना जरूरी था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मान गये ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इस तरह से कुल मिलाकर 6,67,000 रु० की रकम सदन के सामने आई है ।

अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि बाइ-इलेक्शन जो दौसा और चौमू के अन्दर था........

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय 15 मिनिट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : दौसा और चौमू के बाई-इलेक्शन के सम्बन्ध में बहुत से आरोप माननीय सदस्यों ने लगाये....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आगे चलिये आप ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक चुनावों का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों ने यह बतलाने को कोशिश की है कि दौसा और चौमू में जो कांग्रेस जीती है वह केवल राज्य के अधिकारियों के बल पर ही जीती है और सरकारी अधिकारियों के जरिये वोट लेकर जीती है और उसने स्वतन्त्र पार्टी और सारों को मिलाकर हराया है ।

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

(5 म०प०)

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अव्वल तो भारतवर्ष के चुनावों के बारे में इस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों के अन्दर भी बड़े बड़े स्टेट्समेन और पोलिटिकल आब्जर्वर है उन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर चुनावों का तरीका बड़ा निष्पक्ष है और फेयर है और सारे विश्व के अन्दर भारत के अन्दर सबसे ज्यादा......

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान के हाई कोर्ट ने क्या कहा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह किसकी रिपोर्ट का हवाला है, यह कौन सज्जन हैं, क्या नाम है ?

श्री विशभरनाथ जोशी : एक नहीं बीसियों हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक का नाम बतायें ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं मिस्टर सेन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि यू० एन० ओ० जो संसार की सबसे बड़ी संस्था है, आर्गेनाइजेशन है उसने भी हिन्दुस्तान के निष्पक्ष चुनावों के कारण यहां के चुनाव कमिश्नर को योग्यतम् समझा है । (शोरगुल)...बात सुनिये । यू० एन० ओ० में होने वाले चुनावों को कराने के लिए मिस्टर सेन को उन्होंने बुलाया है और उनको भेजा गया है । यू० एन० ओ० के जितने एक सौ ग्यारह देश मेम्बर हैं उनमें से भारत के चुनाव कमिश्नर, मिस्टर सेन को सूडान में चुनाव कराने के लिए यू० एन० ओ० ने चुना है....

श्री दिग्विजयसिंह : राजस्थान का हाई कोर्ट क्या कह रहा है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुखाडियाजी का विकल्प मिल गया है ।

श्री दिग्विजयसिंह : राजस्थान के हाई कोर्ट ने टेम्पर्ड बेलट के लिए क्या कहा है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : एक बात कही गई कि मिनिस्टरों ने जाकर कैम्प लगा दिये और सारा काम किया । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम 1968 में रह रहे हैं । बीता हुआ जमाना आज कहां से कहां आगे बढ़ गया है । आज बेलट प्रणाली से गुप्त मतदान होता है उसमें किसी को डरा कर, धमका कर, दबा कर वोट नहीं लिया जा सकता । कोई भी डर कर और धमकी में आकर वोट नहीं दे सकता । अगर मिनिस्टरों के बल पर चुनाव जीते जाते तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले आम चुनाव में मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हारते क्यों ? सवाल यह है कि बहुत से राज्यों में 1967 के चुनाव में कितने ही मिनिस्टर हारे हैं और चीफ मिनिस्टर हारे हैं और वहां पर विरोधियों की सरकार बनी है....

श्री विजयसिंह : आप इस्तीफा देकर चुनाव लड़ो फिर देखो ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मेरा माननीय सदस्यों को निवेदन है कि हमारे यहां की चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता और सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत क्या यह चुनाव नहीं हो सकते जो चुनाव 1967 में हुए....

श्री दिग्विजयसिंह : यह नाथूराम जी कह रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : तभी तो प्रदेश कांग्रेस का उनको अध्यक्ष बना रखा है।

श्री दिग्विजयसिंह : वह नाथूरामजी कह रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गाड़ियों की बात बताइये। छोड़िये छोड़िये। उसमें ऐसा है, चुरू और दौसा के चुनाव के सम्बन्ध में चुनाव कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई है उसको पढ़ लेना।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आपने जो कहा····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राजभवन की गाड़ियों का जो सवाल आया उसके बारे में कहें।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : माननीय सदस्यों ने इतनी बौछार की है आरोपों की, उसका जवाब सुनने का सब्र और पेशन्स होने चाहिएं। सुनिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वैसे हैं तो नहीं इस लायक आप।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : कम्प्लेन्ट्स का जहां तक सवाल है, मैं एक एक करके डील करता हूं, आप सुनिये।

माननीय सदस्य ने भाषण के दौरान में कहा कि 16 तारीख को श्री महाराज कुमार पृथ्वी राज ने शिकायत की थी कि ब्लॉक की जीप नवल किशोर के चुनाव में काम में लाई गई। मैं इस सम्बन्ध में कहूंगा कि इस सम्बन्ध में जांच कराई है, महाराज कुमार ने कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं दिया था कि किस गांव में, किस तारीख को, किस समय ब्लॉक की जीप का दुरुपयोग किया गया। स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं होने की वजह से चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि आपने स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं दी हैं इसलिए इस शिकायत को बेबुनियाद माना गया है. . . .

श्री भैरोंसिंह : नाम आ गया, इससे ज्यादा क्या चाहते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उन्होंने तारीख समय और मुकाम नहीं बताया है।

श्री श्रवण लाल : आप अपने ईमान धर्म से कहिये कि आपकी जानकारी में नहीं था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हरिदेव जोशी का क्या हुआ ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फर्माया और डी०एस०पी०, श्री संतराम, एस०डी०ओ०, सुन्दर लाल, तहसीलदार, श्री जगदीश एस०एच०ओ०, नीम के थान वगैरह के बारे में कहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स नहीं था इसलिए कोई रेस्पान्सिबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकी है और इसे फायल कर दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हरिदेव जोशी के लिए ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दूसरी बात कही थी, उन्होंने फर्माया था, महारानी गायत्री देवी को दौसा के डाक बंगले में क्यों एकोमोडेशन नहीं दो····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बहुत छोटी बात है। आगे बढ़िये ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उसकी जानकारी देना चाहता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई बात नहीं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : दौसा के डाक बंगले में चार कमरे हैं उनमें से दो कमरे दूसरे लोगों ने रिजर्व करा रखे थे और दो कमरे खाली थे । वह दो खाली कमरे उनको आफर किये गये कि इनमें आप ठहर सकती हैं । लेकिन महारानी गायत्री देवी ने यह समझते हुए कि वह जयपुर की महारानी हैं इसलिए उन दो कमरों में ठहरना अपना अपमान समझा और उन्होंने वहां ठहरना पसन्द नहीं किया और उन्होंने एक पूंजीपति के मकान पर जाकर लंच लेना ज्यादा अच्छा समझा। वह उनके यहां कमरे छोड़ कर चली गई·····

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह भी में डिनाई करता हूं ।

श्री श्रवणलाल : आपने मुख्य मंत्री के लिए चिट्ठी लिखी उसके बारे में बताये ।

श्री फतेहसिंह : क्या आपके आदेश के अनुसार दौसा के डॉक बंगले के कमरे महारानी साहब को नहीं किये गये ? क्या आपका यह आदेश नहीं था कि महारानी साहब को कमरे न दिये जाय ? मैं आपके स्टेटमेंट को चेलेंज करता हूं ।

श्री गिरधारीलाल व्यासः यह गलत बात है ।

श्री फतेहसिंह : बिल्कुल सही है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : दो कमरे रिजर्व कर दिये थे । इसके बावजूद भी उन्होंने वहां आकर ठहरना पसन्द किया । एक बात और बताऊं, एक कमरा चांद बाई के नाम से एक सप्ताह तक रिजर्व रहा । यह बात मैं आपको बता देना चाहता हूं । अभी महारावल साहब ने फरमाया, विरोधी दल के नेता महोदय ने कि वह इस बात को डिनाई करते हैं । वैसे यह उनकी मर्जी है लेकिन मैं नाम बता सकता हूं, दौसा में जो उद्योग पति है मिस्टर गोलछा, उनके बंगले पर जाकर उन्होंने लंच लिया था ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह डिनाई करता हूं ।

यह सब आपका ओछापन है महारानी साहब के लिए ऐसा कहना ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : और आप लोगों ने जो आरोप लगाये वह आपका बड़प्पन था ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : बड़प्पन नहीं था, लेकिन आपने जो कुछ कहा है यह आपका ओछापन है और अशोभनीय है ।

श्री विजयसिंह : हमने भी मुख्य मंत्री के लिए पंचायत का धर्मशाला के अन्दर कमरे रिजर्व कर रखे हैं । वह बड़े बंगले में क्यों रहते हैं ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा, दौसा के चुनाव के बारे में असलियत क्या है वह मैं आपको बतादूं । महाराजा और महारानी के नाम का जादू जो 1962 के चुनाव में था वह 1967 के चुनाव में नहीं रहा, यह जयपुर के नतीजे ने बताया है और थोड़ा बहुत जादू जो 1967 में बाकी था वह 1968 में खत्म हो गया है, साफ हो गया है । असलियत तो यह है । यह सारा ट्रेन्ड है इसका आप साइन्टीफिकली एनलेसिस करें

(श्री विश्म्भरनाथ जोशी)
तो इस नतीजे पर पहुचेंगे कि काठ की हांडी एक बार चढा करती है बार बार नहीं चढ़ा करती है । महाराजकुमार पृथ्वीसिंह जनता के वोट लेकर चुने गये लेकिन पांच साल तक महराजकुमार पृथ्वीसिंह ने अपनी आठ नी तहसीलों में कभी आकर अपनी शक्ल नहीं दिखलाई, यह कहने के लिए नहीं आये कि जिन्दा हो या मरे हो, क्या कर रहे हो ? जहां जहां भी जिस जिस गांव में महारानी गायत्री देवी और महाराजकुमार गय वहां उनको यही जवाब दिया गया कि आज आप वोट लेने के लिए राजमहल के झरोखे से आये हैं, पांच साल तक कहां थे, कहां सो रहे थे ? इसलिए यह हार आपके अपने कारनामों और गफलत के कारण है । अब इसमें यह कहें मशीनरी को काम में लिया गया और उसका दुरुपयोग किया गया तो मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री एक पार्टीमैन होता है ..

श्री रामकिशन : आपकी जानकारी के लिए कहदूं । यह राजा रानियों का जादू समाप्त हो रहा है, यह सही है लेकिन आपके ऊपर से उनका जादू समाप्त नहीं हुआ है । अब भी पृथ्वीसिंह को महाराज कुमार कह रहे है, श्री पृथ्वीसिंह नहीं कह रहे हैं । इससे कैसे मामलें कि आपके संस्कार बदल गये हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह जादू तो समाप्त हो गया लेकिन आपको जलन इसलिए होती है कि आपने कमरे आफर किये और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किये दौसा डाक बंगले के । आपको जलन इस बात की है । ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप यह बतादें कि आपका 1947 में जो जादू था वह आज भी है क्या ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जी ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका जादू 1947 के अन्दर था वह आज भी है क्या ? वह आज नहीं है और 5 वर्ष बाद क्या होगा यह आप जान सकते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इससे ज्यादा जादू होगा।

श्री नाथूराम करोल (जमुवा रामगढ़): आपका जादू था तो आप बांदीकुई में कैसे हारे थे ?

श्री दिग्विजयसिंह : बांदीकुई में तो आप इन्चार्ज थे वहां कैसे हाते 62 में ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : 1962 में काठ की हांड़ी चढ़ी और 1967 में साफ हो गई।

श्री दिग्विजयसिंह: 1967 में आप हारे इन्चार्ज होते हुए भी हार गये ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : बड़े जोर शोर से यह कहना चुनाव में मोटरों का दुरुपयोग किया, सरकारी मशीनरी को काम में लिया, यह किया, वह किया-जितनी भी जनरल अनियमिततायें हो सकती हैं वह आपने बयान कर दीं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की अनियमितताओं के आधार पर किसी भी चुनाव को रद्द कराया जा सकता है। विपक्ष के उम्मीदवार थे वह राजघराने से सम्बन्धित हैं, इनके पास मुगलों के जमाने से लेकर अब तक ढेर सारा सोना, चांदी और जवाहरात उनके

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)

तहखाने में जमा है। तो क्या उनके पास इलेक्शन पिटिशन के लिए पैसे नहीं थे जिसके आधार पर वह चुनाव को चैलेंज कर सकते। आप कहते हैं कि इतनी अनियमित्तायें कीं। इतने घोटाले किये तो क्यों नहीं किसी ने चुनाव याचिका की दौसा और चूरू के इलेक्शन के बारे में····

श्री विजयसिंह : आपके पास तो हराम की कमाई है उनके पास हराम की कमाई नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप शासनारूढ़ दल हैं। आपने शासनारूढ़ दल के नाते अनियमितताये की हैं। बीस वर्ष के बाद, राज्य चले जाने के बीस वर्ष के बाद आप उनसे मुकाबला करते हैं—आपको शर्म नहीं आती है ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : Why don't you have the courage to challenge that ? You should be able to take the defeat like a good sportsman.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक तरफ तो कहते हैं कि सामन्तवाद को खत्म किया, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम शासनारूढ़ दल होने के नाते इतने बड़े महाराजकुमार, इतनी बड़ी महारानी का मुकाबला करते हैं। महारानी का मुकाबला करने में आप हारते हैं, आपको शर्म नहीं आती ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : हम तो जीते हैं, शर्म तो आपको आनी चाहिये कि इतना शराब और इतना पैसा बहा कर भी हारते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम स्पोर्टसमेन हैं, हम अपनी हार को हार मानते हैं, आप अपनी हार को भी हार नहीं मानते। सारी गवर्नमेंट मशीनरी का सहारा लेकर जीतने की कोशिश करते हैं आपमें शऊर नहीं है स्पोर्टसमेन वाला, आप हार को भी हार नहीं मानते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह ज्यादा श्रेयस्कर होगा। स्पोर्टसमेन स्प्रिट रखना, हार जीत तो होती रहती है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : पॉइन्ट आफ आर्डर सर, मंत्री महोदय जीभ को बार बार फेरते हुए यों यों करते हैं और पेंट को यों यों करते है, यह क्या बात है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी नक्ल कर रहे हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : The Hon. member is going from sublime to ridiculous.

माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे आध घंटे का समय दिया था, मैं 15 मिनिट और बोलूंगा विरोधी दल के सदस्यों को अपनी हार को स्पोर्टसमेन की तरह मानना चाहिये, सफाई नहीं देनी चाहिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम हार स्वीकार करते हैं पर इस पर आप सोचिये कि आप कैसे जीते हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : भारत की जुडिशियरी में सारा संसार विश्वास करता है, आपको यदि जुडिशियरी के प्रति फेथ नहीं है तो फिर संविधान के प्रति भी फेथ नहीं है। अगर आपके पास कोई सबूत थे और

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)
वजनदार दलीलें थीं तो आपके लिये लाजमी था कि इलेक्शन पिटीशन से चैलेंज करते, पर आप में चैलेंज करने की हिम्मत नहीं थी इसलिये आपके सारे आरोप तथ्यहीन और बेसलैस हैं।

श्री नाथूराम करोल : आपके जैसे को खड़ा कर देते तो जरूर हारते वह वर्कर था इसलिये जीता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह आप बिलकुल सही कह रहे हैं, वह वर्कर थे इसलिये जीते।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले सांस ले लो।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जहां तक गाड़ियों की खरीद का सवाल है मैं माननीय सदस्यों को आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय प्यासे हैं इनके लिये पानी मंगा दिया जाय।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : आप अपनी चिन्ता कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय 15 मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता है।

श्री विजयसिंह : कोई मुद्दे का तो जवाब दिया नहीं, जीभ को लपर लपर कर रहे हैं।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय यह 16 गाड़ियों की खरीद आवश्यक समझी गई, उस पृष्ठभूमि को माननीय सदस्य समझने की कोशिश करें। 32 गाड़ियों की आवश्यकता राजस्थान के स्टेट गैरेज को महसूस हुई, 14 की मंजूरी पहले दी जा चुकी थी 18 की और जरूरत थी, 16 मिनिस्टर्स ने तो कार लोन के लिये एप्लाई किया, तो हमने 15 कारें खरीदना आवश्यक नहीं समझा इसलिये केवल दो गाड़ियों की खरीद की आवश्यकता रही। आज जो स्टेट गैरेज में गाड़ियां चल रही हैं, उनमें 24 गाड़ियां ऐसी हैं जो प्रेसक्राइब्ड माइलेज से ज्यादा चली हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं मन्त्री महोदय के जवाब से पहले कह देना चाहता हूं ताकि इसका उत्तर भी साथ में आ जाय। मैंने कल के भाषण में आरोप लगाया था कि राजस्थान के एक डिप्टी मिनिस्टर जो उस समय संसदीय सचिव थे हरियाणा के उप-चुनाव में सरकारी गाड़ी लेकर गये, एलजाबाद मंडी में मैंने उनका सरकारी गाड़ी के साथ फोटो खिचवाया था ....

श्री उपाध्यक्ष : यह मंत्री महोदय के ध्यान में है।

श्री रामचन्द्र आर्य : मंत्री महोदय ने खंडन किया.....

(शोरगुल)

यह हरिदेवजी जोशी की गाड़ी नहीं चोरी जाती तो एक कम गाड़ी खरीदनी पड़ती, उसका भी अभी तक पता नहीं है। ये मंत्री महोदय मेंढ़क की तरह कूदते हैं, इसका जवाब दें....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर....

श्री रामचन्द्र आर्य : इस सफेद चादर पर धब्बे पड़े हुए हैं, उनको धोने के लिये बार बार कूदते हैं पर ये दाग धुल नहीं सकते। अगर आपमें हिम्मत है तो इन आरोपों की एन्क्वायरी करवाइये, जो आरोप लगाये गये हैं उनके लिये कमीशन बैठा कर जांच करवाइये, हम साबित करेंगे।

उप-मंत्री करारोपण द्वारा सरकारी गाड़ी के उपयोग सम्बन्धी स्पष्टीकरण

श्री बृजप्रकाश गोयल : (उप-मंत्री, करारोपण): आन ए पॉईन्ट ऑफ एक्स्प्लेनेशन सर जो मेरे उपर आरोप....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई भी स्टेटमेन्ट का हक ये बोल जायं, तब होता है, बीच में नहीं होता...

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके लिये तो होता है, इनके लिये नहीं होता।

श्री बृजप्रकाश गोयल : जो हरियाणा चुनाव में सरकारी गाड़ी द्वारा प्रचार करने का आरोप लगाया है, यह बिलकुल गलत है....

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप कहेंगे तो माननीय सदस्य आवेश में आजायेंगे।

श्री बृजप्रकाश गोयल : मेरे उपर जो इल्जाम लगाया गया है वह कतई झूठ है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस सदन के सामने शपथ ली थी कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं, गंगाजली उठाइये कि दस दिन तक उस सरकारी गाड़ी को उप-चुनाव में नहीं रखा।

श्री रामकिशन : मैं एक जानकरी लेना चाहता हूं, आप जरूर मना ही करेंगे क्योंकि आपमें वह ताकत नहीं है कि सही बात कह सकें। मैं चर्खी दादरा में था तो माननीय लक्ष्मी कुमारीजी आई हुई थीं मुझे बताया गया कि मेरे दल की महिला आई हुई हैं, मालूम किया तो पता चला कि लक्ष्मी कुमारीजी आई हुई हैं, चीफ मिनिस्टर भी थे तो जिस गाड़ी में आये वह सरकारी गाड़ी थी या गैर सरकारी थी ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : किराये की गाड़ी।

श्री रामकिशन : उस दिन जिसमें आये थे वह ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इस प्रकार के आरोपों और प्रत्यारोपों का तो कहीं अन्त नहीं हो सकता।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक जानकारी मैं चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, टिन शीट्स का काम पड़ा तो डिफेन्स रक्षा विभाग से....

(शोरगुल)

श्री विशम्भरनाथ जोशी : I am sorry, it is not Question Hour.

मैं माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि नये मुद्दों का जवाब नहीं दूंगा...

श्री रामचन्द्र आर्य : जवाब है ही नहीं सिवाय लीपा पोती और पापों पर पर्दा डालने के और कुछ नहीं है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : कोई राजस्थान सरकार की गाड़ी ले कर नहीं गया ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि........

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, कृपया स्थान ग्रहण करें, डिबेट में नये मुद्दे को इन्ट्रोड्यूस नहीं करें ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : नया नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : नया है, मैं मानता हूं ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : दूसरा प्रश्न मैं और पेश करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब नहीं दिया जायेगा ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : मैं सदस्यों को जानकारी देना चाहता हूं कि इन 14 गाडियों को रिप्लेस करने की जरूरत समझी गई । एक गाड़ी है डाज 1956 मोडल न० आर० जे० एल० 4899, वह 4-3-57 को खरीदी गई, वह प्रेस्क्राइब्ड माइलेज 80 हजार मील चलने के बाद इसको कन्डेम करना चाहिए था लेकिन वह 1,96, 904 मील चल चुकी है । इसका मतलब 1,16,904 मील ज्यादा चल चुकी है । दूसरी गाड़ी है डाज नं० 4901 वह 7-3-67 को खरीदी गई है । वह 2,38,537 मील चल चुकी है याने 1,52,537 मील ज्यादा । इसी तरह में डिटेल में न जाकर निवेदन करूं कि 14 गाड़ियों में हरेक गाड़ी ऐसी है जो प्रेस्क्राइब्ड माइलेज से ज्यादा चल चुकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को विरोधी पक्ष भी स्वीकार करता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी प्रेस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा चल चुके है, आपकी गाड़ी भी कन्ज्यूम हो चुकी है ।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : यह जो कहा जाता है कि मंत्रियों के आराम के लिए एयर कन्डीशन्ड, टूरिस्ट गाड़ियां खरीद रहे हैं, यह सही नहीं है । ये 16 गाड़ियां जो ले रहे है उनमें एक भी लग्जीरी कार नहीं है, एक भी टूरिस्ट गाड़ी नहीं है, एक भी एयर कन्डीशन्ड कार नहीं है । 16 ही गाड़ियां एम्बैसेडर्स हैं जो राजस्था गैराज के लिए खरीदी जा रही हैं ।

श्री भैरोंसिंह : पिछले दिनों में ब्यावर गया था, वहां कुछ सरकारी ड्राइवर मिले । उन्होंने एक बात बताई कि जिस समय पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरी थे जिनको झंडी लगाने की इजाजत नहीं थी वे जब ब्यावर, अजमेर या बाकी शहरों में घुसते थे तो ड्राइवर को 5-10 रुपये देकर झंडी लगवाते थे । मैं जानकारी करना चाहता हूं कि उन ड्राइवर्स की इन्कम का क्या कर रहे है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप ड्राइवर्स पर क्यों आक्षेप करते हैं ?

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसका मुझसे ताल्लुक नही है, माननीय सदस्य की आदत है मजाक करने की । तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन 14 गाड़ियों को रिप्लेस करने की जरूरत थी । अगर रिप्लेस नहीं की जातीं और बाद में बेची जातीं तो बिल्कुल स्क्रेप हो जातीं और जो रीसेल वेल्यू मिलने वाली थी वह नहीं मिलती । आजकल उन पर खर्चा ज्यादा आ रहा है । एक तरफ जो इसमें टूट फूट का खर्चा बढ़ेगा और बेचेंगे तो कुछ न कुछ कम

(श्री विशम्भरनाथ जोशी)
कीमत मिलेगी-अगर 6 महीने बाद बेचते और तब तक बिल्कुल कूड़ा हो जाता और रीसेल वेल्यू निल हो जाती। इसलिए किफायत के हित में रिलेस करना बहुत जरूरी है।

एक बात और कही गई थी कि ज्यादा रेट्स पर खरीदी गई हैं। राजस्थान गैराज में पहले भी जितनी गाड़ियां खरीदी गई हैं, और जो अब खरीदी गई हैं, डाइरेक्टर ऑफ डिस्पोजल्स की जो प्रेस्काइब्ड रेट्स हैं उन पर खरीदी गई हैं, इसलिए फिजूलखर्ची का सवाल पैदा नहीं होता।

एक लाख की जी० सी० शीट्स बाढ़ के विक्टिम्स की राहत के लिए गवर्नमेंट एजेंसी के जरिए कोटा लिफ्ट किया गया। 14 हजार का जो जिक्र किया गया वह डिक्रीड अमाउन्ट का था। मैं एक एक केस की डिटेल्स दे सकता हूं। यह सरकार की लीगल लाइबिलिटी थी, पेमेंट करना जरूरी था......

श्री रामानन्द अग्रवाल : ए मंत्रीजी, जोशीजी की गाड़ी के बारे में क्या कहना है?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह परम्परा गलत है कि किसी मंत्री को 'ए' मंत्री कहकर संबोधित किया जाय।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : For payment of decretal amount to Shri Bishnu Datt Ojha Payment of rent of house to Shri Gopinath गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स का जो खर्चा था जरूरी था इसलिए खरीदे गए।

श्री दौलतराम सारण : इनका प्रोमोशन होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : हरिदेवजी की गाड़ी का पता क्यों नहीं लगाया? राज्य कमजोर है। ये पैसे उनसे ही वसूल किए जायें क्योंकि उनके बंगले से गाड़ी गई है यह सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : इसका विनियोग विधेयक 1968 से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए रिलेवेन्सी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यदि चोरी नहीं होती तो एक गाड़ी कम रीदनी पड़ती।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : जो रकम हम राज्य के कान्टीजेन्सी फंड से निकाल रहे है, वह सही काम के लिए है, वाजिब था, सरकार के लिए लाजमी था। इसलिए 6,68,000 रु० की मन्जूरी राजस्थान विनियोग, विधेयक 1968 द्वारा इस सदन को सर्वसम्मत प्रदान कर देनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : सर्वसम्मत नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 4), 1968 को पारित किया जाय।

ध्वनि मतदान के पश्चात

हां पक्ष जीता..

श्री रामचन्द्र आर्य : हां पक्ष नहीं जीता है।

श्री विशम्भरनाथ जोशी : Yes have it.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाषण से काफी रिलेक्सेशन हो गया, पास कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दुबारा पूछता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग विधेयक (संख्या 4). 1968, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात 5.27 पर शुक्रवार दिनांक 13 सितम्बर 1968 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची)

क्र० सं०	नाम अभियुक्त	दिनांक गिरफ्तारी	समय गिरफ्तारी	केस नं०	स्थान	मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश किया	तारीख चालान
1.	श्री शंकरलाल सारस्वत	8-12-67	करीब 1-30 बजे दिन ह० द० 151 जा० फौ०	89 व 90 थाना रतनगढ	उत्तरादा बाजार रतनगढ	दि० 9-12-67 को 1 बजे दोपहर	7-1-68
2.	श्री अभिमन्यू	,,	2 बजे दिन ह० द० 151 जा० फौ०	,,	थाना रतनगढ के सामने	,,	,,
3.	श्री जगन सिंह	,,	,,	,,	,,	,,	,,
4.	श्री रामसिंह	,,	,,	,,	,,	,,	,,
5.	श्री मूलचन्द सिन्धी	23-12-67	2-30 बजे दिन	89 व 90	बाजार रतनगढ	,,	,,
6.	श्री पूनमचन्द गहलोत	,,	,,	89/67 ह० द० 147/336/440 452/379 भा० दं० संहिता	,,	,,	,,
7.	श्री मूलचन्द सुनार	,,	,,	,,	,,	,,	,,

नोट :—केस नं० 89/ 8-12-67 ह० द० 147-336-440-452-379 भा० दं० सं०
केस नं० 90/ 8-12-68 ह० द० 147-336-114 भा० दं० सं० ।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 356 की सूची)

क्र० सं०	नाम जिला	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	वर्ष 67-68 में सड़कों व पुलियों के निर्माण व मरम्मत पर किया गया व्यय
1.	अलवर	अलवर	86,699
2.	अलवर	राजगढ़	1,54,863
3.	अलवर	थाना गाजी	1,10,998
4.	अलवर	बहरोड़	1,08,070
5.	अलवर	बानसूर	1,05,942
6.	अलवर	तिजारा	1,78,659
7.	अलवर	मण्डावर	41,662
8.	अलवर	कठूमर	34,068
9.	अलवर	खैरथल	1,00,121
10.	अलवर	रामगढ़	88,901

परिशिष्ट 3
(तारांकित प्रश्न संख्या 361 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE OUTSTANDING DUES IN RESPECT OF VARIOUS CATEGORIES AND CONSUMERS AS ON 31-3-1968.

No.	Categories of consumers.	Jaipur Circle.	Bikaner Circle.	Kota Circle	Jodhpur Circle	Total
1.	Rulers	16,640.68	92,657.62	11,083.14	7,29,980.32	8,50,361.76
2.	Railways	1,60,086.45	10,27,783.44	1,64,826.12	35,555.57	13,88,251.58
3.	Central Government Deptt.	32,931.69	10,889.93	18,037.75	9,29,564.66	9,91,424.03
4.	State Government Deptt.	8,01,738.89	4,85,092.35	10,75,638.94	16,65,599.31	40,28,069.49
5.	Municipalities	13,60,838.12	10,69,030.44	7,18,956.06	13,03,015.70	44,51,840.32
6.	Private Bodies/Consumers	29,59,881.56	9,33,736.16	30,27,950.93	31,15,718.86	1,00,37,287.51
	Total :	53,32,117.39	36,19,189.94	50,16,492.94	77,79,434.42	2,17,47,234.69

Note:—The figures of outstanding dues against various categories of consumers as on 31-3-1968 in respect of Jaipur, Jodhpur, Bikaner & Kota circle are based on the statement (Form No. 16) furnished by each of the circles.

Sd/—
SUPERINTENDENT (ACCOUNTS)

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

भारत-पाक संघर्ष के दौरान एवं उसके पश्चात् पाकिस्तान गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

362. **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1965 में भारत-पाक संघर्ष के समय और उसके पश्चात् कौन कौन व्यक्ति पाकिस्तान चले गये ? इन व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें ।

(2) इन व्यक्तियों में से कौन कौन व्यक्ति कब कब वापिस भारत में आ गये और इनके विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई है ? कृपया तालिका प्रस्तुत करें ।

(3) पाकिस्तान से पुन : भारत में ऐसे व्यक्तियों का आगमन किसकी गफलत से हुआ और इस सम्बन्ध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिका, पाली द्वारा प्रीतिभोजों पर व्यय

363. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान नगरपालिका पाली ने अपने अवधिकाल में कितन प्रीतिभोज या खाने किस किस अवसर पर किन किन को और कब कब दिये और उन पर कितनी कितनी धनराशि खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सत्य है कि इन भोजों की स्वीकृति बोर्ड द्वारा नहीं ली गई न बोर्ड का प्रस्ताव पास किया गया ? यदि हां, तो सरकार उसके लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम झंझेऊ में डाकुओं द्वारा हत्याएं

364. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा-मु०): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम झंझेऊ, पुलिस स्टेशन डूंगरगढ़, जिला चूरू के 15 हरिजन परिवारों को डाकुओं द्वारा हत्याएं करके व लूटमार करके गांव से बेदखल कर दिया गया ? यदि हां, तो किन किन हरिजनों की हत्याएं हुई और कितने के गोलियां लगने के बावजूद भी जिन्दा हैं ? उन व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) ग्राम झंझेऊ के हरिजन परिवार जो डाकुओं द्वारा बेदखल कर दिये गये वो परिवार इस समय किस जगह पर हैं ?

(3) क्या जिन हरिजन परिवारों की हत्याएं हुई हैं व जो घायल हुए हैं उनके परिवारों को कोई सहायता दी गई है ? अगर हां, तो किस किस परिवार को व कितनी कितनी धनराशि ?

(4) क्या यह सत्य है कि डाकू बहादुर सिंह व उनके साथी डाकुओं ने श्री कालूराम इन्दलिया की हत्या की ? यदि हां, तो कालूराम के परिवार को राज्य सरकार ने कितनी सहायता दी ?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(5) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार के तत्कालीन गृह मन्त्री न श्री कालूराम की धर्मपत्नी को सहायता दी थी ? यदि हां, तो कब ? क्या राजस्थान सरकार भी इस परिवार को सहायता देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(6) क्या यह सत्य है कि श्री कालूराम जो इन्दलिया के शहीद स्मारक का अनावरण राजस्थान क मन्त्रियों ने किया था ? अगर हां, तो कौन कौन मंत्री उस वक्त वहां थे ?

(7) क्या यह सही है कि उस अवसर पर समाज-कल्याण मन्त्रीजी ने घोषणा की थी कि श्री कालूरामजी क परिवार को 100 रु० माहवार सहायता दी जायेगी ? अगर हां, तो आज तक सहायता क्यों नहीं दी गई ?

(स्थगित किया गया)

मंत्रियों की संख्या

365. **श्री विजयसिंह** (मकराना), **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर), **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजस्थान की गिरी हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी 36 मंत्रियों का होना अतिआवश्यक है ?

(2) क्या सर्वदलीय समिति की सिफारिश है कि मंत्रियों की संख्या सदस्य संख्या की केवल 10 प्रतिशत ही होनी चाहिये ? अगर हां, तो क्या राजस्थान सरकार इस ओर पहल करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) आवश्यकता समझकर ही मंत्री-मंडल बनता है ।

(2) अभी यह संसद के समक्ष विचाराधीन है। राजस्थान में मंत्री इस समय कम करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है ।

रामगंज मंडी नल योजना

366. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रामगंज मंडी वाटर वर्क्स स्कीम कब से सरकार के विचाराधीन है और इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि सन् 1956 में प्रथम बार, सन् 1967 जनवरी में दूसरी बार व अगस्त, 1967 में तीसरी बार मुख्य मंत्रीजी ने सार्वजनिक सभा में रामगंज मंडी नल योजना को सन् 1967 में ही चालू कर देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या यह इस साल चालू कर दी गई ?

(3) सन् 1956 से 1967 तक किन किन ऐसे स्थानों पर नल योजनाएं शुरू की गई हैं जिनकी आबादी व महत्व रामगंज मंडी एस. डी. एम. हैडक्वार्टर से कम है ? कृपया इस बीच में चालू की गई नल योजनाओं के स्थान मय आबादी के बताने की कृपा करें।

(4) रामगंज मंडी नल योजना अब कब तक चालू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सन् 1965 में योजना स्वीकृत हो चुकी है और धन की उपलब्धि पर कार्य शुरू किया जा सकेगा ।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, 1967 में ऐसा आश्वासन दिया था। चूंकि एल०आई० सी० लोन मिलने में विलम्ब हुआ, इस कारण से यह योजना अभी तक शुरू नहीं की जा सकी। अब एल० आई० सी० से जैसे ही लोन मिल जायेगा यह योजना हाथ में ले ली जायगी और चालू कर दी जायेगी।

(3) एक भी नहीं।

(4) शीघ्र ही, धन की उपलब्धि पर।

चित्तौड़गढ़ जिले में सड़कों के निर्माण एवं सुधार के लिये स्वीकृत राशि

367. श्री **रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) इस वर्ष चित्तौड़गढ़ जिले में सड़कों के निर्माण व सुधार हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई ?

(2) यह धनराशि किस किस सड़क हेतु कितनी कितनी स्वीकृत की गई है और उसमें कितनी धनराशि डामर रोड के लिये है और कितनी धनराशि मेटल्ड रोड के लिए व कितनी राशि अन्य कार्यों हेतु स्वीकृत की जाकर आवंटित की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) धनराशि आवंटन करने में क्या आधार अपनाया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ आवश्यक छोटे कार्य इस वर्ष लिए जाने का विचार है ? यदि हां, तो ये कौन कौन से रोड हैं ?

(5) क्या चित्तौड़गढ़ क्षेत्र के शम्भुपुरा रोड से गिलूण्ड-माताजी की पान्डोली से धीसुण्डा-संग्रामपुरा से पाल तक रोड बनाए जाने की भी योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? यदि हां, तो कब तक इसका कार्य पूरा किया जावेगा ?

उत्तर

(1व2) वर्ष 68-69 में सड़क मरम्मत के लिये 8 लाख तथा योजना में स्वीकृत चालू कार्यों के लिये 30,15,000) रु० स्वीकृत हुए है। 40,000) रु० डामर रोड्स के लिये तथा 2,61,500) रु० मैटल रोड्स हेतु एलाट किया गया है। सूची (अ) संलग्न है।

(3) कार्य को प्राथमिकता के अनुसार आवंटन धनराशि आवंटित की जाती है।

(4) जी नहीं।

(5) योजना नहीं है। अर्थाभाव के कारण।

तारांकित प्रश्न संख्या 40 सूची (अ) सड़कों पर अलॉट की धनराशि का ब्योरा।

1.	मैटल्ड रोड चित्तौड़-कपासन	10,000
2.	मन्दसोरा से कपासन	25,000
3.	निम्बाहेड़ा से प्रतापगढ़	90,000
4.	डामर रोड चित्तौड़-कपासन	20,000
5.	मैटल्ड रोड भदेसर से होदा	20,000
6.	स्टूनधिना वैडमाइल चित्तौड़–निम्बाहेड़ा-नीमच रोड	23,500
7.	डामर कुदी-चित्तौड़ रोड	20,000
8.	मैटल्ड कपासन-सेकोराई वाया गालूण्ड	20,000
9.	कपासन-राशमी-कासड़ नेज	3,000
10.	पोटलन से गिलूंड	20,000
11.	मैटल्ड मगलावत से डूपला	15,000
12.	बड़ी सादड़ी से बोहरा	15,000
13.	प्रतापगढ़-पीपलोदा वाया अरनोद	5,000
14.	प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा	15,000
	योग ..	3,01,500

जोधपुर शहर की पानी की समस्या

368. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा जोधपुर): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर नगर में इस गर्मी के मौसम में पानी का भयंकर अभाव रहा ? अगर हां, तो इसका क्या कारण था ?

(2) क्या जोधपुर नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या, उद्योग धन्धे व सैनिक केन्द्रों इत्यादि को देखते हुए पर्याप्त मात्रा में पानी प्रदान करने हेतु अन्य योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या जोधपुर में पूंजला व बासनी क्षेत्रों में पेय जल प्रदान करने हेतु लाखों रुपये व्यय करने के पश्चात् भी पानी नागरिकों को उपलब्ध नहीं हो रहा है ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां ।

(3) पूंजला क्षेत्र में पानी दिया जा रहा है बासनी क्षेत्र में जोधपुर जल प्रदाय योजना द्वारा अतिरिक्त पानी उपलब्ध न होने की वजह से पानी का वितरण नहीं किया जा रहा है । विचाराधीन योजना के स्वीकृत होने पर एवं अतिरिक्त पानी उपलब्ध करने के पश्चात् बासनी क्षेत्र को भी पानी दे दिया जायगा ।

विदेशी विशेषज्ञों पर खर्च

369. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने ऊन वर्गीकरण व विक्रय का प्रशिक्षण देने के लिये कोई विदेशी विशेषज्ञों को यहां रख रखा है ? यदि हां, तो कब से कितने विशेषज्ञ रखे गये हैं तथा उन पर आज तक कितने रुपये खर्च हो चुके हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विदेशी विशेषज्ञों का इतना खर्चा उठाकर यहां रखने के बाद भी इस विभाग के कुछ कर्मचारियों को इसी विषय की ट्रेनिंग लेने के लिये सरकार द्वारा विदेशों में भेजा गया है ? यदि हां, तो किन किन को कब कब विदेशों में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया है और उन पर कितना कितना खर्चा हुआ ? तथा उनके ट्रेनिंग में जाने से पूर्व वे किस पद पर नियुक्त थे तथा ट्रेनिंग पाकर आने पर किस पद पर नियुक्त किया गया तथा उनके ग्रेड में ट्रेनिंग से पहले और बाद में क्या अन्तर आया तथा सरकार को इनसे क्या क्या लाभ हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य में इस समय कोई विदेशी विशेषज्ञ ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं । पूर्व में रखे गये विशेषज्ञों के खर्चे का ब्यौरा प्रपत्र (अ) में दे दिया है ।

(2) विदेशी विशेषज्ञों के ट्रेनिंग देने के उपरान्त भी विशेष प्रशिक्षण हेतु कुछ कर्मचारियों को विदेशों में ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा गया । जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

सीमेन्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर क्षेत्र

370. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सीमेण्ट फैक्ट्री सवाई माधोपुर किस स्वायत संस्था अथवा पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो ऐसा होने के क्या कारण हैं और इसे सवाई माधोपुर नोटिफाईड एरिया कमेटी क्षेत्र के अन्तर्गत लिए जाने में राज्य सरकार को क्या आपत्ति है ?

(स्थगित किया गया)

कृषि उत्पादन का लक्ष्य

371. **श्री केशरीसिंह हाड़ा** (हिण्डौली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार का 1967-68 के उत्पादन का क्या लक्ष्य था और वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति में कहां तक कामयाब हुई ?

(2) सन् 1968-69 में उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या सरकार ने छः सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया है ? यदि हां, तो वह क्या है और इसके द्वारा सरकार किस प्रकार पैदावार जिलेवार बढ़ाना चाहती है ?

(3) क्या सरकार ने अधिक उपज देने वाला बीज राष्ट्रीय बीज निगम से प्राप्त किया है ? यदि हां, तो कितना और किस भाव पर ?

(4) काश्तकारों को यह बीज किस भाव से दिया गया ?

उत्तर

(1) सन् 1967-68 में उत्पादन का लक्ष्य 60 लाख टन था तथा वास्तविक उत्पादन 65.72 लाख टन हुआ ?

(2) विभाग द्वारा कोई छः सूत्रीय कार्यक्रम नहीं बनाया गया । अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत सभी जिलों में कृषि उत्पादन का कार्य लिया गया है जिसमें उत्तम बीज, खाद, पौध संरक्षण आदि पर जोर दिया गया है ।

(3) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) विभिन्न बीजों की रेट निम्न थी :—

संकर बाजरा	8.00 प्रति किलो ग्राम
संकर ज्वार	7.50 प्रति किलो ग्राम
संकर मक्का	3.00 प्रति किलो ग्राम

सूची

(1) जी हां, विभाग में राष्ट्रीय बीज निगम से निम्न मात्रा में निम्न दर पर बीज खरीदते आये हैं :

1. संकर बाजरा 1222 क्विन्टल—8.50 रु० प्रति किलो की दर से ।

2. ज्वार 287 क्विन्टल—7.50 रु० प्रति किलो की दर से ।

3. मक्का 564 क्विन्टल—2.95 रु० प्रति किलो की दर से ।

रेल भाड़ा व बोरी की कीमत अलग से है ।

कुए से बरामद लाश

372. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अप्रेल सन् 68 में पुलिस स्टेशन बाबचा सर्किल छबड़ा

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
जिला कोटा, क्षेत्र में कुए से एक धोबी की लाश बरामद हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इसी संबंध में एक हरिजन का डाइंग डिक्लेरेशन भी रिकार्ड हुआ था ? अगर हां, तो प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले से संबंधित एक घायल खाती पुलिस हेड कान्सटेबल के मकान से बरामद किया था ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त कांड में पुलिस के कर्मचारियों का हाथ था ? अगर हां, तो कौन कौन थे व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मचारियों ने उक्त अपराध एक जघन्य अपराध को छुपाने के लिये किया था ?

(6) क्या यह सही है कि मृतक धोबी, हरिजन व खाती कई अपराधों के चश्मदीद गवाह हैं ? अगर हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) श्री मिश्रीलाल पुत्र पन्ना हरिजन निवासी कोटडापार के बयान लिये गये हैं जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(3) यह सत्य नहीं है।

(4) यह सत्य है। इस सारे मामले में सर्वश्री मुखराम उप-निरीक्षक, बृजमोहन मुख्य आरक्षी सं० 783, राजेन्द्र सिंह आरक्षी संख्या 789, अजीत सिंह आरक्षी संख्या 708, गोपाल आरक्षी संख्या 838 जमाल खां आरक्षी संख्या 61 एवं जंगबहादुरसिंह आरक्षी संख्या 948 का हाथ था। इनके विरुद्ध अपराध संख्या 23 दिनांक 12-4-68 धारा 304/342/348/330/114/34 भा० दं०सं० के अन्तर्गत चालान न्यायालय प्रथम श्रेणी दण्डनायक, छबडा में पेश कर दिया गया है।

(5) दोषी मुलजिमान के खिलाफ केस अदालत के विचाराधीन है अतः इस प्रश्न पर कुछ नहीं कहा जा सकता।

(6) यह सही है। मृतक धोबी श्री पन्ना, सर्वश्री मिश्री हरिजन एवं मंगू खाती अपराध संख्या 7, सन् 68, धारा 435 भा०दं०सं०, थाना बावचा एवं अपराध सं० 5 सन् 68, धारा 435 भा० दं० सं० थाना बावचा में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं। उपरोक्त दोनों ही अपराधों के चालान न्यायालय में किये जा चुके हैं। न्यायालय में यह केसेज विचाराधीन हैं।

बयान की प्रतिलिपि

मुकाम अस्पताल छाबड़ा
दि० 12-4-68।

मिश्री पुत्र पन्ना कौम भंगी उम्र 30 साल पेशा काश्तकारी व जाति धंधा सा० कोटडापार परले दिन की बात है कि मैं अपने गेहूं के खलियान में रात को बसने गया था दो थाना जेपला के पुलिस के सिपाही जिनमें एक मुसलमान था और दूसरा हिन्दू होगा व क्या है उसको मैं नहीं पहचानता यह दोनों पुलिस के सिपाही खलीयान पर परले रोज आधी रात को गांव के पटेल प्रभू के साथ आये थे, साथ में दो पांच गांव वाले और थे।

Page No. 158

(गृह मंत्री)
पन्ना धोबी का खलीयान मेरे खलीयान के पास ही था। पन्ना धोबी के खलीयान में पुलिस वाले और गांव वाले पहले गये थे पन्ना धोबी को पकड़ कर ले गये खलीयान में कुछ दूर जाकर खेजड़ी के पास प्रभू पटेल ने कहा कि एक तो रह ही गया उसे पकड़ कर लाओ एक पुलिस का सिपाही प्रभू पटेल और कुछ गांव वाले मेरे खलीयान पर आये सिपाही मुझे बुलाकर ले गया सिपाही का नाम नहीं जानता मुझको पन्ना के पास ले गये पन्ना के साफे से मेरे और पन्ना के दोनों के हाथ बांध दिये मेरे घर के सामने आये तब खाना खेड़ी का पठान बोला कि रास्ते में खतरा है गांव में से एक या दो बन्दूक ले चलो प्रभू पटेल ने कहा कि एक बन्दूक इसके पास अच्छी है उसे मंगवालो पठान मेरे घर गया और मेरे घर से बन्दूक मांग लाया फिर काटेड़ा गांव में गये और गंगोलया कराड़ को पकड़ा तीनों को थाने में ले गये थाने जाकर हाथ खोल दिये और कहा कि सो जाओ हम सो गये सुबह उठे तो थानेदार सा० जेपला ने मुझे और पन्ना को और मंगू खाती को पीटा हमको डंडों से पीटा लाठियां कमर में पैरों और गर्दन पर मारी हमको थानेदार सा० व सिपाहियों ने पीटा और कह रहे थे कि छीतर की कत्ल हुई लाश बताओ घंटा डेढ़ घंटा तक हमको मारा सुबह कोटडा से बैलगाडी थाने में आई थी मुझको, पन्ना को व मंगू खाती को गाडी में पटक कर कोटड़ा ग्राम के पास होकर हमको जंगल में ले गये तीन बोतल शराब माखन चन्द जोधा सा० कोटड़ापार ले गया थानेदार स.० ने पुलिस वालों ने गाव वालों ने शराब पी और शराब पीकर हमको लकड़ियों से मारा पन्ना कि कांछ खोलकर लकडी हैड सा० ने डाल दी लकड़ी उसकी गांड में डाल दी पन्ना बेहोश हो गया पन्ना को खड़ा किया गया तो उससे खड़ा नहीं हुआ गया और थानेदार सा० ने उसके दो डंडे और मार दिये और पन्ना को घसीट कर देवलाल की बड़ के पेड़ के नीचे छाया में ले गये वहां पर मुझ लकडियों से पीटा खाना खेडी के पठान ने कहा कि धोबी तुम्हारा बाप मर गया मत पीटों पन्ना धोबी को दोराडी में लपेट कर जगन्नाथ की गाड़ी में पटक दिया।

मैं बेहोश हो गया मुझको मेरे घर पटक गये जब मुझे होश आया तब मैंने अस्पताल में चलने को कहा मेरा भाई मुझे अस्पताल छबडा ले आया।

ह० दीपसिंह दि० 12-4-68 2.30 बाद दोपहर नि० अ० मिश्री।

जहाजपुर तहसील में आयुर्वेदिक औषधालय

373. **श्री कल्याणमल** (जहाजपुर-सु०): क्या आयुर्वेदिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जहाजपुर तहसील में लगातार तीन वर्ष से आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खोले गये ? यदि हां, तो क्या उस क्षेत्र की मांग नहीं थी ? यदि थी, तो क्यों नहीं खोले गये ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील जहाजपुर में टीकड़, गाड़ोली, तीटोड़ा, सरसिया, बीलेठा, ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का सरकार इरादा रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि इन ग्रामों में आदिवासी एवं सैनिक परिवार रहते हैं और उनके नजदीक चिकित्सा केन्द्र नहीं है ?

(जन स्वास्थ्य मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, सत्र 67-68 में मांग आने पर क्षेत्र की मांग औचित्य के आधार पर भी प्राथमिकता में नहीं आने पर नहीं खोले गये ।

(2) इस वर्ष 1968-69 के खोले जाने वाले औषधालयों के प्रस्ताव में जिला परिषद से प्राप्त प्रस्ताव ग्राम गाडोली, सरसिया, बीलठा को सम्मलित कर लिया गया है ।

(3) यह हो सकता है किन्तु इसकी विशेष जानकारी नहीं है ।

ग्राम सांडवा की जल प्रदाय योजना

374. **श्री रावत राम (छापर-सु):** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सांडवा, जिला चूरू के लिए जल प्रदाय योजना सरकार ने स्वीकार की है ? यदि हां, तो इस योजना की अब क्या प्रगति है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सांडवा ने इस सम्वन्ध में सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ? यदि हां, तो प्रस्तावों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(3) निश्चित तौर से यह बताया जाय कि उक्त योजना कब तक प्रारम्भ करदी जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ ।

(3) यह योजना अभी तक बनाई ही नहीं गई है, इसलिए प्रारम्भ किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

किरायेदार की परिभाषा

375. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय दिनांक 9-4-66 द्वारा राजस्थान भू-गृहादि किराया एवं वेदखली नियंत्रण अधिनियम, 1950 में किरायेदार की परिभाषा की व्यवस्था में किरायेदार के उत्तराधिकारियों का नहीं आना करार दे दिया है ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 26-9-66 को विधान सभा में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर इस सम्बन्ध में बहस हुई थी जिसमें तत्कालीन विधि मन्त्री ने इस पर शीघ्र विचार करके संशोधन करने का आश्वासन दिया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिनियम में किरायेदार की परिभाषा में उसके उत्तराधिकारियों को शामिल करने का कोई संशोधन नहीं किया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान स्थिति में प्रत्येक किरायेदार या उसके उत्तराधिकारी के रूप से वेदखली का खतरा पैदा हो गया है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त कानून में संशोधन करके किरायेदारों को संरक्षण देगी ?

(गृह मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, ऐसा निर्णय उच्च न्यायालय ने दिनांक 7-4-66 को दिया था।

(2) आश्वासन यह दिया गया था कि सारी स्थितियों पर विचार करते हुए राज्य सरकार शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लेने वाली है। आपकी भावनाओं के आधार पर और तथ्यों के आधार पर सेक्शन 13 में कोई अमेन्डमेन्ट हो सकता है या नहीं इस सारी स्थिति को लीगली एग्जामिन कराऊंगा।

(3) जी हां, अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(4) किरायेदारान की बेदखली केवल राजस्थान भू-गृहादि बेदखली अधिनियम कानून में बताई गई सूरतों में हो सकती है, इस कानून के अन्तर्गत उत्तराधिकारियों की स्थिति हाई कोर्ट के फैसले से स्पष्ट करदी गई है।

(5) यह मामला अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है। निर्णय होने पर ही स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकता है।

ग्राम विरलोका में राहत कार्यों के अन्तर्गत हुए कार्यों की जांच

376. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि जिला परिषद्, नागोर द्वारा ता० 14 व 15 अप्रेल, 1967 को पारित प्रस्ताव नं० 36 के अनुसार जिला भू-संरक्षण अधिकारी, नागोर ने ग्राम विरलोका, तहसील नागोर में राहत कार्यों के अन्तर्गत हुए कार्यों की जांच कर ता० 3-10-67 को जिला परिषद् की बैठक में यह बताया था की इस सम्बन्ध में विभागीय जांच हो रही है? यदि हां, तो क्या यह जांच पूरी हो गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या ग्राम विरलोका में किये गये कार्यों के लिये कोई अधिकारी दोषी पाया गया है? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) यह सच है कि जिला भू-संरक्षण अधिकारी, नागोर ने दिनांक 3-10-67 को बताया था कि विरलोका तहसील नागोर में राहत कार्यों के सम्बन्ध में जांच हो रही है। सम्बधित भू-संरक्षण सहायक दिनांक 15-8-68 तक एक लम्बे प्रशिक्षण में चले गये थे अतएव जांच पूर्ण नहीं हो सकी। अब वे दिनांक 22-8-68 को वापस आगये हैं व जांच शीघ्र पूर्ण की जायेगी।

(2) किसी अधिकारी के दोषी होना या न होना जांच पूरी होने पर ही मालूम हो सकेगा।

झुन्झुनू जिले की जल प्रदाय योजनाएं

377. **श्री सूरजमल** (सूरजगढ़–सु०): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला झुन्झुनू में किन्हीं गांवों में विभाग की ओर से कोई जल प्रदाय योजना चालू की गई है? यदि हां, तो किन किन गांवों में इस प्रकार की योजनाएं हैं?

(2) क्या झुन्झुनू जिले की तहसील चिड़ावा के वरी गांव में इस प्रकार की योजना

(श्री सूरजमल)

हैं ? यदि हां, तो वहां के हरिजन मोहल्लों में पानी देने की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या उक्त गांव में समाज कल्याण विभाग की ओर से 1968 में कोई राशि इस ग्राम के हरिजन मोहल्लों में पानी देने के वास्ते आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो क्या अब तक उस राशि से काय चालू कर, उक्त मोहल्लों में पानी की व्यवस्था कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या भविष्य में सरकार की कोई योजना इन परिवारों को पानी पहुंचाने की विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) जी हां, मालसीसर, चिराना एवं बेरी ग्राम में।

(2) जी हां, हरिजन मोहल्ले के लोग पानी सार्वजनिक टूटियों से प्राप्त करते हैं।

(3) जी नहीं, इस कार्य के लिए कोई धनराशि का आवंटन नहीं किया गया था केवल प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, वह भी 30-3-68 को ही प्राप्त हुई थी अतः उस वित्तीय वर्ष में कार्य किया जाना सम्भव नहीं था। इस वष के लिए जो कार्य हाथ में लिए जाने हैं उसके लिए सूचना समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है। सूची प्राप्त होने पर कार्य हाथ म लिया जायगा।

(4) जी हां।

भेड़ ऊन प्रशासन कार्यालय कोटपुतली पर व्यय

378. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भेड़ ऊन प्रशासन कार्यालय, कोटपुतली का वार्षिक व्यय कितना है और वर्तमान में इसमें कितनी भेड़ें हैं ?

(2) इस केन्द्र में पाली गई भेड़ों का कोई रिकार्ड है ? यदि हां, तो कितनी कितनी भेड़ें कितने कितने रुपये में कहां कहां से खरीदी गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस केन्द्र में स्टाफ कितना है ? प्रत्येक का नाम व क्या क्या तनख्वाह दी जाती है, बताने का कष्ट करें ?

(4) क्या यह सही है कि इस केन्द्र में राज्य सरकार का जितना व्यय होता है उसके मुकाबले में आमदनी नहीं होती और राज्य सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है।

उत्तर

(1) इस केन्द्र का वार्षिक औसतन व्यय लगभग रुपये 13 हजार है। केन्द्र पर ब्रीडिंग भेड़ें नहीं रखी जा रही हैं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) वांछित सूचना प्रपत्र 'क' में सदन की मेज पर रखदी गई है।

(4) केन्द्र का मुख्य कार्य प्रसार कार्य करना है। अतः लाभ हानि का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रपत्र 'क'

कर्मचारी का नाम	पद	वेतन	भत्ता	योग
1 श्री आदित्य शर्मा	पर्यवेक्षक	160/-	114/-	274/-
2 श्री ओम प्रकाश गुप्ता	लेखालिपिक	135/-	91/-	226/-
3 श्री लक्ष्मी सिंह	स्कन्ध सहायक	110/-	91/-	201/-
4 श्री सेडूराम खटीक	,,	102/-	65/-	167/-
5 श्री प्रह्लाद लाल पारीक	मडरिया	60/-	65/-	125/-
6 श्री हरिराम गूजर	,,	49/-	65/-	114-/
	योग ..	616/-	491/-	1,107/-

श्री गंगानगर में लाठी चार्ज

379. **श्री रामचन्द्र आर्य** (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री गंगानगर शहर में तारीख 3-7-68 को पुलिस द्वारा लाठी चार्ज करने से काफी आदमी घायल हुए हैं ? यदि हां, तो कुल कितने ?

(2) क्या यह सही है कि निर्दोष कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमें बना कर उन्हें भारी परेशान किया गया है ?

(3) कुल कितने आदमियों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज हुए हैं व कितनों का चालान हुआ है ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा कर ।

(4) क्या इस मामले की अदालती जांच करवाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) कुल 86 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीवद्ध हुए हैं । चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया है । सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(4) अदालती जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हुई है उचित प्रतीत होती है ।

Page No. 163

1. पढ़ा नहीं गया
2. महादेव प्रसाद
3. निरंजनसिंह
4. सजन सिंह
5. रामसिंह
6. सुशील कुमार
7. श्रीराम
8. पालसिंह
9. सेवा सिंह
10. योगेन्द्रनाथ हाडा
11. छिन्दा
12. हेतराम
13. भीम
14. कोडा
15. ज्ञान
16. सरजनसिंह
17. सुवाज उर्फ जगदीश
18. संतोष
19. सरदारसिंह
20. जनकराम
21. प्रीतमसिंह
22. मनोहर खां
23. नरेन्द्र कुमार
24. वीतसिंह
25. प्रेम
26. कम्पू
27. भगताराम
28. असमराम
29. जगदीशसिंह
30. कुमार
31. मेवासिंह
32. बलविरेन्द्रसिंह
33. पढ़ा नहीं गया
34. रूपसिंह
35. डूंगरमल
36. शंकरलाल
37. चन्द्रसिंह
38. बालू राम
39. प्रेमलाल
40. रामजीलाल
41. नन्दलाल
42. पतराम
43. बीबल
44. लिखमाराम
45. खैराती
46. कानचन्द
47. तवर
48. कानसिंह
49. बाल[illegible]
50. बाबूलाल
51. विरेन्द्र कुमार
52. कोडा उर्फ दर्शन
53. सुभाष उर्फ जगदीश
54. मोहन महाजन
55. हेतराम
56. सरदार सिंह
57. कोडा उर्फ दर्शन
58. हिन्दा
59. सुमायं उर्फ जगदीश उर्फ बाबूलाल
60. सन्तोष
61. राधा
62. कस्तूरीलाल
63. सत्यपाल
64. सख्तीसिंह
65. राजकुमार डोलापी
66. पढ़ा नहीं गया
67. सुखपाल
68. विनेय कुमार पान्डे
69. कोडा
70. भगतराम
71. मनोहर
72. कर्म
73. मोडराम
74. ज्ञानसिंह
75. चिन्दा उर्फ सुरेन्द्रसिंह
76. कस्तूरीलाल अरोड़ा
77. जगरूप सिंह
78. बालविरेन्द्र सिंह
79. ओम प्रकाश
80. अमरजीतसिंह
81. महेन्द्रसिंह
82. राधा किशन
83. कस्तूरी
84. बान्त उर्फ बलवन्तसिंह
85. महेन्द्र सिंह सैतिया
86. तिलक राम

बूंदी-लाखेरी रूट पर चलने वाली गाड़ियां

380. **श्री नन्दलाल बैरवा** (केशोराय-पाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बून्दी से पाटन कापरेन होकर लाखेरी के रूट पर कितनी गाड़ियां के परमिट किन किन व्यक्तियों के नाम है ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त परमिट होल्डरों ने परमिट लेकर इस रूट पर गाड़ियां चलाई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने गाड़ियां नहीं चलाने के लिए परमिट होल्डर्स से कारण पूछा है ? यदि हां, तो उन्होंने क्या कारण बताया ?

(4) क्या सरकार नियमों का पालन नहीं करने वाले परमिट होल्डरों के परमिट कैंसिल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) इस रूट के लिए अब तक किन किन पार्टियों के प्रार्थना-पत्र आ चुके हैं ? और क्या सरकार जनता की सुविधा के लिए नये परमिट देने का विचार रखती है ?

(6) क्या यह सही है कि 20 सालों में सभी रूट्स पर गाड़ियां बढ़ाई गई हैं लेकिन इस रूट पर एक भी गाड़ी नहीं बढ़ाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रूट पर और ज्यादा परमिट देने का विचार रखती है ?

उत्तर

1. आर० जे० आर० 3655-मेसर्स कैलाश बस सर्विस बूंदी।

(2) गाड़ी चलाई है मगर बीच बीच में यात्री कर अधिकारी द्वारा वाहन पकड़ लिये जाने पर बन्द भी रही है।

(3) हां पूछा है। पैसेन्जर टैक्स ओथेरिटी द्वारा गाड़ी का जब्त होना ही कारण बतलाया है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) इस मार्ग पर परमिट प्राप्त करने हेतु दो निम्न व्यक्तियों ने प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं :—

(1) लाखेरी कौलियान ट्रा० को० सोसाइटी, बूंदी।

(2) श्री नजर मोहम्मद, बूंदी।

(6) हां यह सही है क्योंकि इस मार्ग पर बूंदी से तालेड़ा 11 मील तक राष्ट्रीयकरण मार्ग है।

थाना नगर में गिरफ्तार व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मामले

381. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 28-1-68 को थाना नगर, जिला टोंक, तहसील देवली में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो किस जुर्म में और वे व्यक्ति कौन कौन थे ?

(2) इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या श्रीनिवास नाम के व्यक्ति ने पुलिस में दरख्वास्त दी थी ? यदि हां, तो कब कब और पुलिस द्वारा कब दर्ज की गई ? और उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

(श्री दिग्विजय सिंह)

(3) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा उक्त एफ० आई० आर० पर फाइनल रिपोर्ट दे दी गई थी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अब तक पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि गृह मंत्रीजी द्वारा ऐसे आदेश श्रीनिवास की दरख्वास्त पर एस० पी०, टोंक के नाम सीधे दिए गए थे कि उक्त मुल्जिमों का फौरन चालान किया जावे ? यदि हां, तो कब ? कृपया आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा इस मामले में फाइनल दे देने के बाद भी इसे फिर से दुबारा खोला गया ? यदि हां, तो किन आदेशों से ?

उत्तर

(1) जी हां, यह बात सही है कि ता० 28-1-68 को थाना नगर, जिला टोंक में अपराध संख्या 10, ता० 2-5-67, धारा 379 ता० हि० में निम्नलिखित व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

1. श्री कल्याणसिंह पुत्र श्री धूलसिंह राजपूत ।

2. श्री छत्तरसाल सिंह पुत्र श्री धूल सिंह राजपूत ।

3. श्री भगवत सिंह पुत्र श्री मोतीसिंह राजपूत ।

4. श्री मुंशी खां पुत्र श्री भूरे खां मुसलमान ।

5. श्री कल्लू पुत्र श्री भूरे खां मुसलमान ।

6. श्री मोती पुत्र भूरा गूजर ।

7. श्री सुख देवा पुत्र श्री धन्ना गूजर साकीनान नगर, जिला टोंक ।

(2) जी हां, श्री श्रीनिवास पुत्र धूली लाल ब्राह्मण, सा० नगर, जिला टोंक ने ता० 1-5-67 को उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ अदालत मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, टोंक में इस्तिगासा पेश किया गया । अदालत से यह इस्तिगासा जेर दफा 156 (3) सी० आर० पी० सी०, ता० 2-5-67, पुलिस थाना नगर, जिला टोंक की तफ्तीश हेतु भेजा गया इसी पर उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध किया जाकर तफ्तीश प्रारम्भ की गई ।

(3) जी नहीं, अदालत में कोई फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं की गई । चालान पेश किया गया है ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं । स्थिति यह है कि एस० एच० ओ०, थाना नगर द्वारा दिनांक 6-10-67 को इस मामले में तफ्तीश के पश्चात् एफ० आर० का केस बनाकर सर्कल अफसर को भेजा था किन्तु सर्कल अफसर ने अपने रहबरी के साथ तफतीश की कुछ कमियों को पूरी कर चालान पेश करने के आदेश दिये थे ।

सवाई माधोपुर में सार्वजनिक नलों पर पानी

382. **श्री चुन्नीलाल जेलिया** (खण्डार सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका, सवाई माधोपुर ने शहर सवाई माधोपुर में घरों में जो नल हैं उनमें पानी दिया है और सार्वजनिक नलों म पानी नहीं दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है जिससे जन साधारण को सार्वजनिक नल से पानी मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ?

(श्री चुन्नीलाल जेलिया)

(2) नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक नलों में अब तक पानी नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) घरों में एवं सार्वजनिक नलों दोनों द्वारा ही पानी दिया जा रहा है ।

(2) सार्वजनिक नलों द्वारा पानी दिया जा रहा है ।

ग्राम पडिहारा में बिजली

383. **श्री लाभचन्द बंद** (सुजानगढ़) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चूरू जिला स्थित पडिहारा ग्राम में बिजली के कम वोल्टेज के कारण कई मोटरें जल चुकी हैं व कई खराब हो चुकी हैं ?

(2) क्या यह सही है कि वोल्टेज सुधारने हेतु दो सौ किलोवाट का नया ट्रान्सफार्मर बैठाने के लिये लाइन खींची गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कार्य को बंद कर दिया गया है ?

(4) क्या यह सही है कि बिजली के कम वोल्टेज के कारण एक सौ एकड़ भूमि में खड़ी फसल को भारी नुकसान का खतरा है ? क्या सरकार शीघ्र ही कदम उठाकर फसल बचाने की चेष्टा करेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पडिहारा में मोटर जलने की शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई । मोटरें ठीक प्रकार स्टार्टर न होने के कारण भी जल सकती है ।

(2) जी हां, 11 के० वी० की लाईन सिस्टम को ओग्मेंट करने के लिये खेंची गई थी लेकिन रेलवे आथोरिटीज के अनुमोदन के अभाव में रेलवे क्रोसिंग का भाग छोड़ दिया गया ।

(3) जी नहीं । कार्य समाप्त हो चुका है । रेलवे आथोरिटीज के क्रासिंग की इजाजत दे दिये जाने के बाद यह लाईन चालू कर दी जावेगी ।

(4) क्षेत्र व फसल जलने के विषय में इस विभाग को जानकारी नहीं है । यदि कृषकगण रात्रि में विद्युत का उपयोग करें तो उनको वोल्टेज की दिक्कत नहीं है । धन प्राप्ति के अनुसार ट्रान्समीशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ओग्मेन्ट की जा सकेगी ।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 395 की सूची)

प्रतिलिपि शिकायत, सरदारशहर क्षेत्र के नागरिकों की दिनांक मिल

श्री मुख्य मन्त्री महोदय,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय:—उप-खण्डाधिकारी (श्री सुमेर सिंह भण्डारी), चूरू के दलगत एवं एक पक्षीय प्रशासन के विरुद्ध जांच हेतु।

संदर्भ:—1. नगर क्षेत्रीय वार्ड सीमा निर्धारण में एक पक्षीय एवं दलगत राजनैतिक भावना से अन्याय पूर्ण निर्णय।

2. नगरीय भूमि कर निर्धारण पंजिका संबंधी कार्य में जनता के साथ अभद्र एवं तानाशाही व्यवहार।

3. गृह कर संबंधी निर्णय स्थान के विरुद्ध बदले की भावना से ओतप्रोत रहना।

4. राज्य कार्य एवं विशेष कर न्यायीक कार्यों में बिला वजह देरी करना एवं कार्यकाल में कार्यालय से अनुपस्थित रहना।

5. अल्प बचत योजना के नाम पर भोली भोली जनता को परेशान करना।

मान्यवर,

हम सरदारशहर क्षेत्र के जागृत नागरिकगण ऊपर वर्णित मुख्य स्तंभों के संबंध में कर बद्ध एवं आत्मीय प्रार्थना करते हैं कि:—

सरदारशहर क्षेत्र, चूरू जिला, चूरू उप खण्ड के क्षेत्राधिकार में हैं। वर्तमान में उप-खण्डाधिकारी, श्री सुमेर सिंह भण्डारी जनतंत्र के इस प्रगतिशील युग में आज भी तानाशाही बने हुए हैं और जहां हम सब और हमारी सरकार जनता को अधिकाधिक जागृत एवं अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने का आह्वान करती हैं वहां हमारे उप-खण्डाधिकारी महोदय इस सिद्धान्त को मसौल कर सर उठाने से पहले ही कुचल देने की भावना एवं विश्वास से कार्य करते हैं। सौभाग्य या दुर्भाग्यवश श्री सुमेर सिंह भण्डारी को सरदारशहर नगर के नगरपालिका का प्रशासन भी कुछ समय पहले मनोनीत किया गया और उन्होंने इस पद एवं उप-खण्डाधिकारी पद का दुरूपयोग करके इस क्षेत्र की जनता को अपने पिछले चुनाव निर्णय के फलस्वरूप परेशान करने की भरसक कोशिश की एवं अब भी कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से श्री सुमेर सिंह भण्डारी ने गृह कर जिसे हमारी स्थानीय पालिका ने आज तक लागू नहीं किया बिला वजह शीघ्रातिशीघ्र थोप देने की हर संभव कोशिश की, मगर किसी तरह जनता की रोष पूर्ण ओजस्वी आवाज राज्य सरकार तक समय रहते पहुंचने से श्री भण्डारी की चेष्ठा ही रह गई।

राज्य सरकार के इस न्यायपूर्ण फैसले के विरुद्ध कोई शक्ति नहीं चलने से श्री भण्डारी ने इस कार्यवाही को अपना व्यक्तिगत अपमान समझकर जनता से बदला लेने की भावना का रूख अपना लिया है। इसी भावना से नगरीय भूमि कर निर्धारण में भूमि मूल्यांकन एवं कर निर्धारण में बिला आधार नियमों व तथ्यों के खिलाफ ही कर निर्धारण करके जनता के साथ अन्याय किया है तथा जनता द्वारा अपनी सही बात रखने, प्रार्थना करने एवं गिड़गिड़ाने के बावजूद जनता के साथ बड़े अभद्र तरीके से दुर्व्यवहार किया है जो प्रजातन्त्र में अक्षम्य है। इसी दरमियान मुख्य पदाधिकारी होने के नाते श्री सुमेर सिंह भण्डारी को नगर क्षेत्रीय वार्ड सीमा निर्धारण के उजरात का अन्तिम निर्णय का भी अवसर उपलब्ध हो गया और श्री भण्डारी ने इस बेमौके के अवसर से ही अपनी बदले की भावना निकालने में जागृत समाज को छिन्न भिन्न करने एवं जन बल को कमजोर करने के उद्देश्य से एक दो पिठुओं की सलाह मात्र से काली रात्रि को वार्डों की सीमा निर्धारण करके निर्वाचन के आधारभूत सिद्धान्तों कानून नियमों की अवहेलना करते हुए सरदारशहर की जनता के मनोभावनाओं को चोट पहुंचाई है। श्री भण्डारी ने वार्ड सीमा निर्धारण में मुख्य सड़कों रास्ता आदि का व भौगोलिक स्थिति का और अंकित मत संख्या की समानता आदि आधार भूत बातों का कतई ख्याल नहीं रखा बल्कि केवल पूर्व निर्धारित सीमा को तोड़ने बदलने की भावना में ही गलत निर्णय दिया है। ऊपर लिखित विशेष अवसरों के अलावा श्री भंडारी दैनिक कार्यक्रम एवं राज्य सेवा के संबंध में जनता को आम तौर पर असन्तोष है और जनता श्री भंडारी के व्यवहार, निर्णय और कार्य विधि से पूर्णतय तंग व परेशान हैं। श्री भंडारी जनता की सुगमता के नाम पर सरदारशहर में केम्प रखते हैं लेकिन यहां कार्य करने की बजाय उल्टा जनता के कार्यों में विलम्ब करते हैं और स्वयं कार्यकाल में स्थानीय विश्राम गृह में आमोद प्रमोद में व्यस्त रहते हैं, जिससे शहरी एवं विशेष कर ग्रामीण जनता को भारी दुख व क्षति उठानी पड़ती है और न्याय नहीं मिलता है, जोकि प्रजातन्त्र को खुली चुनौती है।

जहां श्री भंडारी अपने मौजूदा अधिकारों से ही जनता को कुचलने परेशान करने में कसर नहीं रखते वहां दुर्भाग्यवश अल्प बचत योजना का नया डंडा भी उनके हाथ आ गया है और जब वह इसके नाम पर गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित सभी नागरिकों को एक ही रास्ते चला रहे हैं। अपने नाम और कमीशन हेतु जबरदस्ती पैसा ज्यादा से ज्यादा जमा करवाने, सर्टिफिकेट खरीदने हेतु मजबूर किया जाता है। और इससे बचने की चेष्टा करने वाले गरीब नागरिकों को शासन का भय दिलाया जाता है। श्री भंडारी का इस संबंध में सीधी अंगुली घी नहीं निकलता मैं निकालना जानता हूं तकिया कलाम हो गया है।

इस तरह श्री भंडारी जनता के रोष के पात्र हैं और इस पिछड़े क्षेत्र की अशिक्षित भोली जनता इस दमनकारी अधिकारी के दुखों से पीड़ित है और पुरजोर से छुटकारे की प्रार्थना करती है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 398 की सूची)

SCHEDULE I

CLASS IV SERVICE

1. Bhishtis.
2. Binders and Asstt. Binders.
3. Bundle Lifters.
4. Cartmen.
5. Chaukidars.
6. Cleaners (Vehicles).
7. Daffedars.
8. Daftries.
9. Farrashes.
10. Gardeners (Halis, Malis, Chaudharies etc.).
11. Gate Pass Checkers.
12. Gate Keepers and Gate Servants.
13. Guards.
14. Jamadars.
15. Khallasies.
16. Mechanics (not attached to Technical Estt. Power Houses, Workshops and Sub-Stations).
17. Orderlies.
18. Poons.
19. Records Lifters.
20. Sowars such as Cycle Sowars.
21. Sweepers.
22. Caretaker.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 399 की सूची)

List of Pending Applications of Power of Baran.

S. No.	Name of applicant	Date of receipt of application	Load applied for	Purpose	Action taken and present position
1	2	3	4	5	6
1.	Mrs. Kanchan Bai.	5-12-66	7½ H. P.	Flour Mill.	Amount deposited but 'L' & Test report not received.
2.	M/s. Narander Singh & Co.	16-1-67	5 H. P.	Kutti Machine.	—do—
3.	M/s. Saboo Oil Mills.	24-1-67	90 ,,	Oil Mill.	—do—
4.	Shri Tej Karan Gothwal.	30-3-67	7½ ,,	Flour Mill.	—do—
5.	Shri Ganpat Lal Soni.	28-4-67	10 ,,	Wire M/c.	—do—
6.	Shri Krishan ji Sharma.	2-5-67	12½ ,,	Kutti M/c.	Pending due to shortage of transformer.
7.	Smt. Kesra Bai.	3-5-67	10 ,,	Flour Mill.	—do—
8.	Shri Girdhar Gopal.	26-5-67	10 ,,	—do—	—do—
9.	Shri Ram Gopal Davi Lal.	19-5-67	10 ,,	—do—	—do—
10.	Shri Lakh Rajji.	23-6-67	15 ,,	—do—	—do—
11.	Shri Mohan Lal.	17-7-67	10 ,,	—do—	—do—
12.	Shri Harnath Bruk Mohan.	26-7-67	5 ,,	—do—	—do—
13.	Shri Chaturbhuj S/o Moti Lal.	21-7-67	7½ ,,	—do—	—do—
14.	Shri Ram Kishan Khatri.	5-8-67	10 ,,	—do—	—do—

15.	Shai Jagdish Chandra Vyas.	5-8-67	10	,,	—do—	—do—
16.	Shri Ram Chandra Ram Karan.	8-8-67	10	,,	—do—	—do—
17.	Shri Ram Lal Khatri.	9-8-67	20	,,	—do—	—do—
18.	Shri Ram Lal Payara Lal.	16-8-67	10	,,	—do—	—do—
19.	Shri M/s. Jeewan Oil Mills.	4-9-67	100	,,	Dall Plant.	—do—
20.	Shri Ratan Singh Kesar Singh.	4-9-67	10	,,	F/M	—do—
21.	Shri Ram Roop S/o Chidi Lal.	4-9-67	5	,,	—do—	—do—
22.	Shri Neery Dyani.	11-9-67	40	,,	Industrial	—do—
23.	Shri Mohd. Ishaque.	11-9-67	10	,,	F/M.	—do—
24.	Shsi Ramdayal Baragi.	16-9-67	10	,,	—do—	—do—
25.	Shri Nand Kanwai Laxmi Chand.	20-9-67	10	,,	—do—	—do—
26.	Shri Mahesh Chandra Amarnath.	26-9-67	20	,,	—do—	—do—
27.	Shri Zaffar Ahmad.	3-10-67	7½	,,	—do—	—do—
28.	Shri Girja Nand.	3-10-67	20	,,	Oil Mills.	—do—
29.	Shri Ramjani Mohd.	3-10-67	5	,,	W/S. Welding.	—do—
30.	Shri Sh. Ram & Co.	3-10-67	25	,,	Industrial.	—do—
31.	Shri M/s. Qurishi Motor Works.	5-10-67	3	,,	—dc— Motor.	—do—
32.	Shri Kailash Chandraji.	5-10-67	15	,,	Saw M/C.	—do—
33.	Shri Tajinder Prakashji.	5-10-67	10	,,	Flour Mills.	—do—
34.	Shri Mool Chandji.	5-10-67	10	,,	—do—	—do—
35.	Shri Brij Mohan Madan Lal.	16-10-67	5	,,	Cutti M/C.	—do—
36.	Shri Harnathji.	16-10-67	5	,,	—do—	—do—
37.	Shri Lal Chand Saxena.	28-10-67	10	,,	F/M.	—do—
38.	Shri Ramesh Chandraji.	4-11-67	10	,,	—do—	—do—
39.	Shri M/s. Chotan Oil Mills.	4-11-67	20	,,	Saw & F/M.	—do—
40.	Shri Fool Chand Madhu Lal.	6-11-67	10	,,	F/M.	—do—
41.	Shri Ram Narain Rawat.	8-11-67	5	,,	—do—	—do—
42.	Shri Juggal Kishoreji.	15-11-67	10	,,	—do—	—do—
43.	Shri Rajendra Kumarji.	15-11-67	10	,,	Flour Mills.	—do—
44.	Shri M/s. Shiv Shakti Works.	15-11-67	3	,,	Lath/M.	—do—

1	2	3	4	5	6
45.	Shri M/s. Dayal Industries.	15-11-67	40 H.P.	Oil Mills.	Pending due to shortage of transformer.
46.	Shri Om Prakash Tiwari.	16-11-67	10 ,,	Flour Mills.	—do—
47.	Smt. Shiv Davi Adatia.	23-11-67	25 ,,	Oil Mills.	—do—
48.	Shri Chhagan Lal Rajendra K.	24-11-67	20 ,,	Saw M/C.	—do—
49.	Shri Khem Raj Dhanna Lal.	4-12-67	25 ,,	Expeller.	—do—
50.	Shri Dulli Lal Shiv Narain.	5-12-67	10 ,,	F/M.	—do—
51.	Shri Prakash Chand Hari Mohan.	5-12-67	3 ,,	Printing Press.	—do—
52.	Shri Bafati Bhai S/o Sh. Yaseen.	5-12-67	10 ,,	Industrial.	—do—
53.	Shri Prabhu Lal Gupta.	5-12-67	20 ,,	—do—	—do—
54.	Shri M/s. Daya Industries.	12-12-67	25 ,,	Oil Mills.	—do—
55.	Shri Jamil Mohd.	13-12-67	10 ,,	F/M.	—do—
56.	Shri Dwarka Lalji.	13-12-67	10 ,,	Flour Mills.	—do—
57.	Shri Mohd. Ibrahim.	19-12-67	10 ,,	—do—	—do—
58.	Shri Bhana Ram Lal Chand.	23-12-67	10 ,,	Industrial.	—do—
59.	Shri Shiv Narain Bhatnagar.	23-12-67	10 ,,	Flour Mills.	—do—
60.	Shri Sushil Kumar Bhatnagar.	23-12-67	10 ,,	—do—	—do—
61.	Shri Manohar Lal S/o Topan.	23-12-67	5½ ,,	Elec. Welding.	—do—
62.	Shri Karam Chand & Co.	1-1-68	50 ,,	Expeller.	—do—
63.	Shri Birdhi Lal Yadav.	3-1-68	10 ,,	Flour Mills.	—do—
64.	Shri Shanti Lal Kanhiya Lal.	5-1-68	20 ,,	Industrial	—do—
65.	Shri Mukain Ahmed Bag.	12-1-68	10 ,,	Flour Mill.	—do—
66.	Shri Hazi Ahmed Bag.	12-1-68	10 ,,	—do—	—do—
67.	Shri Jumna Lalji.	19-1-68	25 ,,	Oil Mills.	—do—
68.	Shri Kalyan Malji.	25-1-68	2 ,,	Industril.	—do—
69.	Shri Mehesh Chanderji Adv.	1-2-68	25 ,,	Ice Factory.	—do—
70.	Shri Ghanshyam Lalji.	1-2-68	10 ,,	Flour Mill.	—do—
71.	Shrimati Lalita Devi.	5-2-68	15 ,,	—do—	—do—

72.	Shri Mohd. Khan.	5-2-68	5 ,,	—do—	—do—
73.	Shri Bhagwan Lalji.	12-2-68	10 ,,	Dal Mills.	—do—
74.	Shri Rama Flour Mills.	22-2-68	10 ,,	Flour Mills.	—do—
75.	Incharge, Hospital, Baran.	2-3-68	4 Kw.	Power Plug.	—do—
76.	Shri Mohan Lal Gupta.	2-3-68	20 ,,	Industrial.	—do—
77.	Shri Kesri Lal Pancholi.	7-3-68	10 ,,	—do—	—do—
78.	Shri Karam Chand Manohar Lal.	7-3-68	1 ,,	Power Plug.	—do—
79.	Shri Tej Bhan Walya Ram.	21-3-68	30 ,,	Oil Mills.	—do—
80.	Shri Sabu Oil Mills.	23-3-68	75 ,,	Industries.	—do—
81.	Shri Shiv Prasad.	27-3-68	10 ,,	Flour Mills.	—do—
82.	Shri Mohd. Kasim.	2-4-68	10 ,,	—do—	—do—
83.	Shri Bithal Mohd. S/o Mohd. Ali.	2-4-68	10 ,,	—do—	—do—
84.	Shri Shri Lal Dhiv Shanker.	18-4-68	40 ,,	Industries.	—do—
85.	Shri Sita Ram Lal Chand.	25-4-68	10 ,,	Flour Mills.	—do—
86.	Shri Khem Chand Panjabi.	25-4-68	10 ,,	—do—	—do—
87.	Shri Ganpat Lal Moti Lal.	10-6-68	25 ,,	Dal Plant.	—do—
88.	M/s. Sunder Oil Mill.	13-6-68	25 ,,	Oil Mill.	—do—
89.	Shri Chiranji Lal.	22-6-68	10 ,,	Flour Mill.	—do—
90.	Shri Pratap Chand Tenaja.	4-7-68	25 ,,	Ice Factory.	—do—
91.	Shri Hem Raj Duli Lal.	20-7-68	10 ,,	Industries.	—do—
92.	Shri Braan Co-operative Society.	2-8-68	10 ,,	Industries.	—do—
93.	Shri Bharat Bhusan S/o Sh. Sundar Prasad.	26-7-68	10 ,,	Flour Mill.	—do—

Sd/-
Assistant Engineer,
R.S.E.B., Bundi.

Sd/-
Junior Engineer,
R.S.E.B., Baran.

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 403 की सूची)

सूची

राजस्थान में 6 राजकीय कुक्कुटशालाओं पर पक्षियों (मुर्गे-मुर्गियों) की संख्या तथा उनका वर्ष 1967-68 का आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	वर्ष	कुक्कुटशाला	पक्षियों की संख्या	खर्च	आय
1.	1967-68	जयपुर	17,668	2,86,507.00	2,77,369.00
2.	,,	अजमेर	9,963	1,56,451.00	1,44,303.00
3.	,,	जोधपुर	6,554	91,923.00	68,311.00
4.	,,	अलवर	2,069	90,743.00	74,180.00
5.	,,	टोंक	6,451	66,735.00	49,293.00
6.	,,	कोटा	4,324	50,081.00	33,714.00

सूची

राजस्थान में 6 राजकीय कुक्कुटशालाओं पर पक्षियों (मुर्गे-मुर्गियों) की संख्या उन पर हुए आय-व्यय का विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	कुक्कुटशाला	पक्षियों की संख्या	खर्च	आमद
1.	जयपुर	17,668	2,86,507	2,77,369
2.	अजमेर	9,963	1,56,451	1,44,303
3.	जोधपुर	6,554	91,923	68,311
4.	अलवर	2,069	90,743	74,180
5.	टोंक	6,451	66,735	49,293
6.	कोटा	4,324	50,081	33,714

पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे 12 केन्द्रों पर 1,339 पक्षी रखे गए, एवं इन पर 1,24,075 रुपये व्यय किया गया। ये केन्द्र 1-4-68 को खोले गये थे।

प्राईवेट पशु पालक उनके निजी केन्द्रों के पक्षियों का विवरण, आय-व्यय के आंकड़े आदि वे विभाग को प्रेषित नहीं करते।

सहकारी समितियों का एक भी कुक्कुटपालक केन्द्र राज्य में नहीं चल रहा है। अतः आय-व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

सूची

यह सही नहीं है कि मुर्गी पालन केन्द्र अधिकतर कागजों तक ही सीमित हैं। उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों की सूची निम्न प्रकार है :—

क्र० सं०	कुक्कुटशाला	केन्द्र का नाम	कर्मचारियों की संख्या
1.	कुक्कुटशाला	जयपुर	18
2.	कुक्कुटशाला	अजमेर	17
3.	कुक्कुटशाला	जोधपुर	7
4.	कुक्कुटशाला	अलवर	6
5.	कुक्कुटशाला	टोंक	6
6.	कुक्कुटशाला	कोटा	8
7.	कुक्कुट पालन केन्द्र	बडगांव	3
8.	कुक्कुट पालन केन्द्र	गिर्वा	3
9.	कुक्कुट पालन केन्द्र	गढ़ी	3
10.	कुक्कुट पालन केन्द्र	तिलोनिया	3
11.	कुक्कुट पालन केन्द्र	श्रीनगर	3
12.	कुक्कुट पालन केन्द्र	बीकानेर	3
13.	कुक्कुट पालन केन्द्र	मण्डोर	3
14.	कुक्कुट पालन केन्द्र	सवाई माधोपुर	3
15.	कुक्कुट पालन केन्द्र	कोटा	3
16.	कुक्कुट पालन केन्द्र	जंगवारामगढ़	3
17.	कुक्कुट पालन केन्द्र	झोटवाड़ा	3
18.	कुक्कुट पालन केन्द्र	सांभर	3

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 406 की सूची)

TERMS OF AGREEMENT BOND

(a) The trainee shall, well and faithfully pursue his studies at the said institution and qualify himself for the said course.

(b) The trainee after completing his studies at the said institution and if he is not already in service of the Government then, if called upon to do so within 6 months of the passing of the said course shall serve the Government in the Sheep and Wool Department for a period of not less than 3 years, upon such conditions as the Government may specify and shall during the whole of the said period of three years deligently and efficiently do all acts and discharge all duties which may be required to be done in his capacity as an employee of that department.

(c) During the period of training at the said institution if the trainee is considered by the head of the institution guilty of illness, negligence, failure to attend duty, insubordination of misconduct of any kind, the head of the said institution shall be at liberty to stop his training and expel him from the said institution.

(d) If the trainee is expelled from the said institution or in the trainee fails to take up employment as agreed herein before or after having taken such employment quits service for any reason except incapacity due to sickness or is removed from service by competent authority before the expiry of the said term of 5 years, the traine shall is called upon by the competent authority under the Government pay to the Government the whole amount of stipend received by him and other training expenses calculated proportion not exceeding Rs. 1,000/- @ 6% per annum up to the date of expulsion, failure to join employment, resignation or removal from service, as the case may be.

(e) (i) The sureties shall be jointly and severally liable to pay the Government all amounts that the trainee may become liable to pay to the Government in virtue of these presents and

(ii) Any forgiveness or forbearance on the part of the Government towards the trainee in respect of any act, omission, neglect or default of the trainee shall not in any way release or exonerate the sureties from their liability under this bond.

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 408 की सूची)

सूची

गबन की तफ्तीश इस प्रकार है:—

1. 101 मन 10 सेर कोयला	कीमत	270.66
2. 74 फुट गटर	कीमत	287.86
3. 2 मन 20 सेर 5 छटांक शक्कर	कीमत	231.17
4. 24 मन 16 सेर गेहूं	कीमत	463.47
5. 2,689 खाली बोरी	कीमत	2016.75
	कुल कीमत ..	3,269.91

———

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 419 की सूची)

क्र०सं०	नाम अभियुक्त	दिनांक गिरफ्तारी	समय गिरफ्तारी	केस नं०	स्थान	मजिस्ट्रेट के सामने कब पेश किया	तारीख चालान
1.	श्री शंकरलाल सारस्वत	8-12-67	करीब 1.30 बजे दिन, हु० द० 151 जा० फौ०	89 व 90, थाना रतनगढ़	उत्तरादा बाजार, रतनगढ़	दि० 9-12-67 को 1 बजे दोपहर	7-1-68
2.	श्री अभिमन्यू	,,	2 बजे दिन हु० द० 151 जा० फौ०	,,	थाना रतनगढ़ के सामने	,,	,,
3.	श्री जगनसिंह	,,	,,	,,	,,	,,	,,
4.	श्री रामसिंह	,,	,,	,,	,,	,,	,,
5.	श्री चलचन्द सिन्धी	23-12-67	2.30 बजे दिन	,,	बाजार, रतनगढ़	,,	,,
6.	श्री पूनमचन्द गहलोत	,,	,,	89/67 हु० द० 147/336 440/452/379 भा० द० सं०	,,	,,	,,
7.	श्री मूलचन्द सुनार	,,	,,	,,	,,	,,	,,

नोट:—केस नं० 89 (8-12-67) हु० द० 147—336—440—452—379 भा० द० स०

केस नं० 90 (8-12-67) हु० द० 147—336—114 भा० द० स०

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 420 की सूची)

राजस्थान में आर० ए० सी० की आफीसर्स मेस की सूची

क्र० सं०	नाम बटालियन मय मुख्यालय के			बटालियन खड़ी होने एवं मेस चालू होने का दिनांक
1.	प्रथम बटालियन आर० ए० सी०		जैसलमेर	1-9-50
2.	8वीं	,, ,,	अलांग नेफा	1-11-62
3.	9वीं	,, ,,	जयपुर	1-11-62
4.	10वीं	,, ,,	अगरतल्ला	1-12-62
5.	11वीं	,, ,,	जयपुर	1-4-64
6.	12वीं	,, ,,	धौलपुर	1-12-64
7.	13वीं	,, ,,	जोधपुर	1-9-65
8.	14वीं	,, ,,	बीकानेर	1-9-65

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 422 की सूची)

प्लोटों के वार्षिक किरायेदारों की सूची सन् 1966-67

क्रमांक 1	नाम किरायेदार 2	रुपये 3	विशेष विवरण 4
1.	हुसैना सुलतान कूंजड़ा	12.00	प्लोट नं० 11
2.	नथू अहमद कूंजड़ा	24.00	,, 12 व 13
3.	मदन दीना कूंजड़ा	24.00	,, 14 व 15
4.	अहमद पुत्र सकूर कूंजड़ा	24.00	,, 16 व 17
5.	गनी पुत्र नथू कूंजड़ा	12.00	,, 18
6.	दीना उमरदीन कूंजड़ा	36.00	,, 19, 20 व 21
7.	गफूर पुत्र अलावक्स कूंजड़ा	24.00	,, 22 व 23
8.	नथू कादर कूंजड़ा	36.00	,, 24, 25 व 26
9.	गफूर पुत्र हुसैना कूंजड़ा	24.00	,, 27 व 28
10.	मामदीन कूंजड़ा पुत्र हुसैना	12.00	,, 29
11.	इब्राहिम पुत्र अलावक्स कूंजड़ा	12.00	,, 30
12.	अहमद हुसैना कूंजड़ा	12.00	,, 31
13.	नौजी पत्नी लिछमणराम	12.00	,, 35
14.	मूली पत्नी गणपतराम माली	12.00	,, 40
15.	हुलासी पत्नी डाबाराम माली	12.00	,, 41
16.	चनणी पत्नी नानूराम माली	12.00	,, 42
17.	सुगनी पत्नी मोहनराम माली	12.00	,, 43
18.	प्रतापजी माली	12.00	,, 44
19.	कुनणी पत्नी गणेशराम माली	12.00	,, 45
20.	हीराराम कुम्हार पुत्र किशनराम	24.00	,, 46 व 47
21.	धापी पत्नी मूलाराम माली	12.00	,, 48
22.	जीवनी पत्नी धन्नाराम माली	12.00	,, 49
23.	बांकेलाल, चन्दाराम कुम्हार	12.00	,, 51
24.	चैनसुख केशरीमल प्रजापत	12.00	,, 50
25.	हनुमानमल ग्यानराम कुम्हार	12.00	,, 52
26.	मालचन्द मेघाराम कुम्हार	12.00	,, 53
27.	डालूराम हीराराम कुम्हार	12.00	,, 54
28.	रोबाराम कुम्हार	24.00	,, 55 व 56

1	2	3	4
29.	उमाराम, दुलाराम कुम्हार	12.00	प्लोट नं० 57
30.	लिखमाराम अनुमानमल कुम्हार	12.00	,, 58
31.	अमरी कानाराम माली	12.00	,, 59
32.	पूनी जवाराराम माली	12.00	,, 60
33.	तनसुखराम ज्ञानाराम माली	12.00	,, 61
34.	धापी हनुमान माली	12.00	,, 62
35.	सूबटी मेदाराम माली	12.00	,, 64
36.	राधातनसुख माली	12.00	,, 65
37.	किस्तूरी मांगीलाल माली	12.00	,, 66
38.	सूवटी तनसुखराम माली	12 00	,, 67
39.	जुहारी हीरालाल माली	12.00	,, 69

(क्रमांक 11 से 69 तक के बीच में रिक्त प्लाटों के नम्बर अंकित जो नहीं हैं वह प्लॉट खाली पड़े हुए हैं)

निलामों की सूची

उत्तर 1 के अन्तर्गत अवधि 1-4-1967 से 31-3-1968 तक

क्रमांक	नाम	पति का नाम	प्लॉट नं०	रकम बोली
1.	श्रीमती केसर देवी	श्री जुहाराराम	55	100.00
2.	,, ,,	,,	56	100.00
3.	श्रीमती नौजा	श्री लिछमणराम	19	24.00
4.	,, ,,	,,	50	70.00
5.	,, लिछमा	श्री डूंगरराम	18	24.00
6.	,, ,,	,,	58	58.00
7.	,, हुलासी	श्री डाबाराम	57	24.00
8.	,, धापी	श्री सुजाराम	20	50.00

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 428 की सूची)

आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं की सूची

निम्न 8 उपभोक्ताओं द्वारा आवेदन-पत्र दिये गये:—

(1) केदाररूप
(2) विरद रूप राय
(3) गेहरा लाल
(4) दुलेराज
(5) पुश्पति नाथ
(6) गहरा लाल
(7) मोहन लाल नेपालिया
(8) प्रकाश चन्द

इनमें से शुल्क निम्न चार व्यक्तियों ने जमा कराया:—

उपभोक्ता का नाम	शुल्क जमा होने की तारीख
(1) श्री मदन मोहन परिहार	92,937.20 दि० 3-4-68
(2) श्री मोती लाल	92,980.34 दि० 10-6-68
(3) श्री गेहरे लाल	92,980.33 दि० 10-6-68
(4) श्री ओम प्रकाश परिहार	1,04,823.92 दि० 2-8-68

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 432 की सूची)

सूची (अ)

नेशनल हाईवे के अलावा जिलेवार सड़कों की सूची 21-3-68 तक

क्रम सं०	नाम जिला	सड़कों की लम्बाई किलो मीटर में
1.	अजमेर	1,474
2.	अलवर	1,245
3.	बांसवाडा	723
4.	बाड़मेर	1,343
5.	भरतपुर	1,313
6.	भीलवाड़ा	1,128
7.	बीकानेर	1,029
8.	बूंदी	767
9.	चित्तौड़	1,008
10.	चूरू	763
11.	डूंगरपुर	671
12.	गंगानगर	1,328
13.	जयपुर	1,069
14.	जैसलमेर	923
15.	जालोर	720
16.	झालावाड़	922
17.	झुंझुनू	529
18.	जोधपुर	1,917
19.	कोटा	1,703
20.	नागौर	1,717
21.	पाली	1,494
22.	सवाई माधोपुर	914
23.	सीकर	672
24.	सिरोही	696
25.	टौंक	629
26.	उदयपुर	2,900
	योग ..	29,597

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 444 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 95 ता० 30-7-68

द्वारा श्री हरजीराम बुरड़क (174)

नागौर–सुजानगढ़–लाडनू–वियाला व लाडनूं रोल एकीकृत मार्ग पर के वाहनों की सूची

क्र० सं०	नाम बस मालिक	हस्तान्तरण करने वाले का नाम जिसके नाम यह वाहन पहले थी।	कारण वाहन बैठक,	मेक मोडल व रिमार्क
1	2	3	4	5
1.	श्री गणेशनारायण पुत्र मघाराम सुजानगढ़	—	– आर जे आई 195	21 फोर्ड 1942
2.	श्री लालचन्द पुत्र रिखबचन्द सुजानगढ़	—	– आर जे आई 171	27 सेवरलेट 1944
3.	श्री जेठाराम पुत्र जानकी लाल, सुजानगढ़	—	– आर जे आई 121	22 सेवरलेट 1943
4.	श्री मोहनलाल पुत्र शिव राज, नागौर	—	– आर जे एल 206	35 फोर्ड 1944
5.	श्री सत्यानारायण पुत्र मघाराम, सुजानगढ़	—	– आर जे आई 124	20 सेवरलेट 1949
6.	श्री रामकुमार पुत्र मघा राम, नागौर	—	– आर जे एस 270	22 डिस्पोजल
7.	श्री उम्मेदसिंह पुत्र गुलाबसिंह, सुजानगढ़	—	– आर जे वी 409	34 सेवरलेट 1951
8.	श्री भीमराज पुत्र गणपत राम, सुजानगढ़	—	– आर जे आई 490	27 सेवरलेट 1952
9.	मे० पदम ट्रांसपोर्ट क० नागौर	नन्दलाल घनश्याम दास सुजानगढ़	– आर जे एफ 1081	32 सेवरलेट
10.	,,	नन्दलाल रामेश्वर लाल शर्मा	– आर जे आई 367	26 सेवरलेट 1940
11.	मे० दधीच ट्रांसपोर्ट क० सुजानगढ़	—	– आर जे एग 442	40 सेवरलेट 1952
12.	श्री त्रिभुवनसिंह पुत्र जगनाथसिंह, जोधपुर	—	– आर जे क्यू 1299	28 डोज 1955

1	2	3	4	5
13.	श्री विरेन्द्रसिंह पुत्र भोपसिंह, मेड़ता	—	– आर जे ओ 972	36 स्टूडीबेकर 1951
14.	श्री प्रेमराज पुत्र मिलापचन्द, कुचेरा	—	– आर जे एफ 1037	27 „
15.	मे० जसराज नंदकिशोर, सालासर	—	– आरजे वी 175	30 सेवरलेट 1950
16.	मे० चन्दनमल रामेश्वर, प्रसादजी, जोधपुर	—	– आर जे आई 181	20 „ 1938
17.	श्री सुखदेव सिंह पुत्र, रघुनाथसिंह, पाली	—	– आर जे आई 868	20 डोज 1955
18.	श्री कानीराम चोथमल, सुजानगढ़	—	– आर जे वी 697	24 स्टूडीबेकर 1955
19.	श्री रूपसिंह पुत्र शेरसिंह, गोराड	—	– आर जे एस 299	28 सेवरलेट 1949

नोट:—टैक्स बकाया की जांच चालू है इसलिये इस समय अलग 2 वाहन पर कितना बकाया है सही तौर पर नहीं कहा जा सकता है ।

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 446 की सूची)

जयपुर से कोटा

1. जयपुर सेन्ट्रल बस स्टेशन
2. अजमेरी गेट
3. चाकसू
4. निवाई
5. टौंक
6. देवली
7. बून्दी
8. हिन्डोली
9. तालेरा
10. कोटा

अजमेर-कोटा

1. अजमेर
2. नसीराबाद
3. केकडी
4. देवली
5. बून्दी
6. हिन्डोली
7. तालेरा
8. कोटा

कोटा-अकलेरा

1. कोटा
2. कोटा छावनी
3. सूकेत
4. झालावाड़
5. पाटन
6. अकलेरा

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 447 की सूची)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
माह के अन्दर किये गये स्थानान्तरों की सूची

क्रम सं० 1	नाम 2	पद 3	कहां से 4	कहां को 5	आदेश सं० 6	दिनांक 7	विशेष विवरण 8
1.	श्री मोहनलाल	क० ल०	उदयपुर	जयपुर	178	2-2-68	स्वयं की इच्छा पर
2.	श्री इकरामअली खां	टि० पि०	भरतपुर	जयपुर	115	25-1-68	,,
3.	श्री हरचरणसिंह	टि० पि०	जयपुर	भरतपुर	115	,,	,,
4.	श्री गुलाबचन्द	चपरासी	ओ.एसडी	ओएसडी द्वितीय	122	29-1-68	प्रशासनिक आधार पर
5.	श्री हरिश्चन्द्र शर्मा	व० लेखक	जोधपुर	ओ.एसडी प्रथम	196	14-2-68	स्वयं की इच्छापर
6.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	,,	कोटा	मु० जयपुर	196	,,	,,
7.	श्री श्यामबिहारी भटनागर	,,	भरतपुर	कोटा	259	20-2-68	प्रशासनिक आधार पर
8.	श्री नन्दकिशोर गुप्ता	,,	जयपुर	मु० जयपुर	308	29-2-68	स्वयं की इच्छा पर
9.	श्री महेन्द्रसिंह	,,	अलवर	कोटा	340	4-3-68	प्रशासनिक आधार पर
10.	श्री राजेन्द्र मोहन जैन	टि० पि०	अलवर	कोटा	340	17-3-68	स्वयं की इच्छा पर
11.	श्री बंशीधर सोनी	व० लेखक	कोटा	अलवर	340	4-3-68	,,
12.	श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा	टि० पि०	कोटा	अलवर	341	5-3-68	प्रशासनिक आधार पर
13.	श्री मोहिन्दरनाथ माथुर	,,	जयपुर	अजमेर	372	23-1-68	स्वयं की इच्छा पर

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	श्री लालसिंह	टि० वि०	अजमेर	जयपुर	372	23-1-68	स्वयं की इच्छा पर
15.	श्री प्रेमचन्द	व० लेखक	आबूरोड़	जयपुर	485	18-4-68	स्वयं की इच्छा पर
16	श्री श्यामलाल बैरवा	टि० वि०	सिरोही	जयपुर	422	29-3-68	स्वयं की इच्छा पर
17.	श्री मिलखराव	टि० वि०	कोटा	जयपुर	422	29-3-68	स्वयं की इच्छा पर
18.	श्री प्रेमनारायण माकन	क० ले०	कोटा	जयपुर	677	28-5-68	स्वयं की इच्छा पर
19.	श्री मांगीलाल बरवा	क० ले०	जोधपुर रीजन	जयपुर आगार	679	21-5-68	स्वयं की इच्छा पर
20.	श्री मोहनलाल शर्मा	क० ले०	जयपुर आगार	जोधपुर रीजन	679	21-5-68	स्वयं की इच्छा पर
21.	श्री शरणलाल	कि० ले०	भरतपुर	कोटा	796	20-6-68	प्रशासनिक आधार
22.	श्री कैलाश शर्मा	कि० ले०	जोधपुर रीजन	अलवर	721	11-6-68	स्वयं की इच्छा पर
23.	श्री मिशालसिंह	मुख्य लिपिक	जोधपुर रीजन	जयपुर रीजन	879	29-6-68	स्वयं की इच्छा पर
24.	श्री मोहन्द्रपालसिंह	मुख्य लिपिक	जयपुर रीजन	जोधपुर रीजन	879	29-6-68	प्रशासनिक आधार पर
25.	श्री मूलचन्द वर्मा	शीघ्र लि०	ओएसडी	आबूरोड आगार	899	9-7-68	प्रशासनिक आधार पर
26.	श्री बंशीधर सोनी	व० लेखक	अलवर	आबूरोड आगार	1037	9-8-68	प्रशासनिक आधार पर
27.	श्री एच० एम० जोहर	प० लेखक	जोधपुर रीजन	जयपुर रीजन	1038	9-8-68	प्रशासनिक आधार पर
28.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	प० लेखक	जयपुर रीजन	सिरोही आगार	1039	9-8-68	प्रशासनिक आधार पर
29.	श्री हरगोविन्द	कनिष्ठ ले०	कोटा	जयपुर आगार	1043	24-7-68	स्वयं की इच्छा पर
30.	श्री चन्द्रप्रकाश शर्मा	कनिष्ठ ले०	कोटा	जयपुर आगार	966	24-7-68	स्वयं की इच्छा पर
31.	श्री परमेश्वरलाल माथुर	कनिष्ठ ले०	जयपुर	मु० जयपुर	1088	27-8-68	स्वयं की इच्छा पर
32.	श्री ओमप्रकाश रेगर	टि० वि०	आबूरोड	जयपुर आगार	1093	29-8-68	स्वयं की इच्छा पर
33.	श्री बजरंगलाल	परिचालक	कोटा	जयपुर आगार	1099	4-9-68	प्रशासनिक आधार पर

Page No. 189

6 माह म किये गये स्थानान्तर कर्मचारियों की सूची निम्न प्रकार है ।

क्र०	नाम	पद	कहां से	कहां को
1.	श्री एस० के० पुरोहित	यातात० नि०	दूदू	केकड़ी
2.	श्री हेमराज शर्मा	„ „	केकड़ी	फ्लाईंग स्क्वाड, जयपुर
3.	श्री मोहनलाल शर्मा	स्टेशन इन्चार्ज ग्रेड द्वितीय	सिरोही	आबूरोड
4.	श्री रघुवीर सिंह	यातायात नि०	अलवर	जयपुर (मुख्यालय)
5.	श्री ऋषिराज शर्मा	स० याता० नि०	जयपुर (मु०)	गुडगांव (अलवर)
6.	श्री यू० सी० भट्ट	स० आ० प्रबन्धक	जोधपुर	अजमेर
7.	श्री आर० एन० सिंह	„ „	अजमेर	जोधपुर
8.	श्री एम० एम० पारीक	यातात० नि०	अजमेर	जयपुर (मुख्यालय)
9.	श्री आई० डी० माथुर	स्टेशन इन्चार्ज ग्रेड द्वितीय	ब्यावर	गंगानगर
10.	श्री रघुवीर सिंह	यातायात निरीक्षक	जयपुर (मु०)	गंगानगर
11.	श्री ए० के० पारीक	„ „	वैर	„ एस० ए० डी०
12.	श्री ए० पी० शर्मा	स्टेशन इन्चार्ज ग्रेड द्वितीय	कूटर पुर	एम० ब्यावर
13.	श्री बी० एस० झाला	स० याता० नि०	भरतपुर	जोधपुर रीजन
14.	श्री एस० एस० झाला	आगार प्रबन्धक	आबू रोड	अजमेर
15.	श्री एल० पी० गौड	स० याता० नि०	मेहलान	भरतपुर
16.	श्री एम० एस० चौहान	याता० नि०	जयपुर (मु०)	जोधपुर
17.	श्री ओ० पी० शर्मा	ए० डी० एम०	कोटा	जयपुर
18.	श्री जैशंकर	स्टेशन इन्चार्ज प्रथम, ग्रेड द्वितीय	टोंक	जयपुर
19.	श्री एम० सी० लम्बा	स० याता० नि०	केसरी	जोधपुर
20.	श्री एस० एस० माथुर	डी० एम०	अजमेर	गंगानगर

क्रमांक	नाम	पद	कहां से	कहां को	आदेश सं० एवं दिनांक	कारण
1.	श्री निहाल सिंह	कार्यालय अधीक्षक	मुख्यालय	जोधपुर	178/ 7-3-68	प्रशासनिक
2.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	वरिष्ठ लेखक	„	जयपुर रीजन	708/ 24-5-68	„
3.	श्री एच० एम० जोहरी	„	„	जोधपुर रीजन	850/ 29-6-68	„
4.	श्री रामसिंह	कनिष्ठ लेखक	„	जयपुर रीजन	407/ 24-5-68	„
5.	श्री गिरीज प्रसाद पंवार	„	प्रादेशिक यान्त्रिक अभियन्ता	मुख्यालय	894/ 12-7-68	„
6.	श्री प्रकाश नारायण शर्मा	„	„	जयपुर रीजन	753/ 1-6-68	„
		„	जयपुर आगार	मुख्यालय	79/ 15-6-68	„

परिशिष्ट

(अ० प्रश्न संख्या 404 की सूची)

पशु मेला, तिलवाड़ा की आय का विवरण

पशु मेला, तिलवाड़ा की विगत दस वर्षों की आय का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं०	वर्ष	आय
1.	1958	1,12,323.50 पैसे
2.	1959	1,50,777.00 पैसे
3.	1960	1,40,068.00 पैसे
4.	1961	99,142.50 पैसे
5	1962	1,35,662.00 पैसे
6.	1963	1,21,252.00 पैसे
7.	1964	1,16,520.00 पैसे
8.	1965	2,27,721.98 पैसे
9	1966	1,82,591.69 पैसे
10.	1967	1,37,631.30 पैसे

पशु मेला, तिलवाड़ा में किये गये व्यय का विवरण

पशु मेले, तिलवाड़ा में सन् 1958 से 1967 तक निम्नांकित व्यय यात्रियों की सुविधार्थ किया गया है:—

क्र०सं०	वर्ष	जल एवं रोशनी	इनाम	प्रचार	सफाई	खेद कूद	प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
1.	1958	2,561.62	1,247.34	216.12	691.52	200.00	149.50
2	1959	2,500.00	3,000.00	275.00	700.00	200.00	1,000.00
3.	1960	2,810.32	2 887.50	40.60	634.81	220.69	
4.	1961	4,112.25	2.82[illegible].00	..	568.54	200.00	169.00
5.	16 62	3,293.00	4,047.00	325.00	744.50	120.00	
6.	1963	4,051.25	2,649.25	370.00	499.50	200.00	
7.	1964	3,827.64	2,372.39	338.75	990.52	149.05	
8.	1965	6,260.12	4,001.28	516.00	530.75	180.87	..
9.	1966	4,393.87	3,723.93	384.00	380.00	200.00	..
10.	1967	3,970.36	3 700 90	1,887.29	247.00	175.42	146.00

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1968)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	3	म० पर्व	म० पूर्व
,,	4	ाजा	वजे
10	12	म	में
11	2	देखगे	देखेंगे
15	अन्तिम से 7 व 9	म	में
23	4	मत्री	मन्त्री
31	17	समझता कि	समझता हूं कि
34	अन्तिम से 7	श्री भरोंसिह	श्री भैंरोंसिह
45	,, 16	म	में
46	,, 4	चहता	चाहता
47	1	कितन	कितना
54	अन्तिम से 5	लटमार	लूटमार
57	9	श्री लाभचन्द वद	श्री लाभचन्द वैद
60	अन्तिम से 5	श्री लाभचन्द वैद	श्री लाभचन्द वद
61	,, 12	(जिलाघोश)	(जिलाधीश)
67	,, 8	ंचायत	पंचायत
69	,, 12	म	में
70	शीर्षक	सिाम्बर	सितम्बर
71	अन्तिम से 13	उपलघ	उपलब्ध
72	,, 2	भजते	भेजते
73	शीर्षक	प्रश्न ा	प्रश्नोत्तर
74	,,	श्र ांकित	अतारांकित
,,	अन्तिम से 9	अि शासी	अधिशासी
82	,, 3	श्री विरधीचन्द्र जैन	श्री वृद्धि चन्द्र जैन
88	,, 3	रोक	रोकड़
92	,, 9	म	में
94	,, 4	उटों	ऊटों
95	11	को	की
97	4	थ	थे

2

1	2		3	4
97		13	लाइसैंनस	लाइसेंस
,,		17	श्री सताशचन्द्र अग्रवाल	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
,,	अन्तिम से	11	ग	गई
9,		7	तालि ा	तालिका
,,		16	बतान	बतान
100	अन्तिम से	2	ह	है
,,	अन्तिम		संशोयन	संशोधन
101	अन्तिम से	2	ोई	कोई
103		8	व ीय	वर्णीय
,,	अन्तिम से	15	ठकेदार	ठेकेदार
104		18	फाडोल	झाडोल
,,	अन्तिम से	2	प्लट	प्लाट
105		9	दकर	देकर
106		7	नथूमल	नन्नूमल
,,		11	भमि	भूमि
109		18	गी	देगी
111	शीर्ष		(श्री हरजीराम वरडर्क)	श्री हरजीराम बुरड़क
,,	अन्तिम से	7	योजना आय-व्यय	योजना का आय-व्यय
112		15	जमा	दें
113		9	चाडावास	चाड़वास
,,	10 व	13	श्रृ ोत	श्रोत
,,		18	कस्ब म	कस्में में
,,	अन्तिम से	12	का नल याजना	की नल योजना
,,	,,	6	निर्वायार्थ	निवारणार्थ
,,	,,	5	उसम	उसमें
114	,,	9	चकि	चूंकि
118		18	अवधि का सदन की मेज पर रखन की कृपा करें।	अवधि का रखने की कृपा करें।
125		2	खरीदन	खरीदने
129		5	जह निगम के वकिंग	जहां निगम के वुकिंग
,,		9	कती	रुकती
,,	अन्तिम से	12	ह	है
,,	,,	11	म काय	में कार्य

1	2	3	
129	अन्तिम से 6	कमचारियों	कर्मचारियों
,,	,, 2	अवहलना	अवहेलना
,,	,, 1	घ।ष।त	घोषित
,,	,, 7	रेलेशन	रेगुलेशन
131	,, 8	समिति नें न	समिति ने
135	,, 10	लाटीज	अलाटीज
145	,, 11	श्रोत	स्रोत
148	,, 5, 11 व 15	उपस्थित	उपस्थापित
149	5	,,	,,
150	18	में	वे
160	अन्तिम से 8	कैतमाली	कहतसाली
161	,, 4	का कितन	ने कितने
164	,, 16	उसको	उसको
165	14 व 16	ह	है
,,	अन्तिम से 13	म	में
,,	,, 7	।वधान	प्रावधान
,,	,, 4	खती	खेतो
170	,, 11	श्रा	आशा
173	,, 18	लैटरा	लेटर
174	,, 6	अक्रमण्यता	अकर्मण्यता
181	,, 4	जोट	जोत
183	7	तब यही	तब तक यही
183	अन्तिम से 15	प्रस्ताविक	प्रस्तावक
186	,, 10	विचाराथ	विचारार्थ
187	शीर्षक	रा० विनियोग (संख्या 47) विधयक	रा० विनियोग (संख्या 4) विधेयक
189	17	श्री देवकी नन्द	श्री देवकीनन्दन
190	अन्तिम से 3	बठे	बैठे
191	शीर्ष	(श्री ते सिंह)	(श्री फतेह सिंह)
198	अन्तिम से 5	अपन	अपने
,,	,, 2	प्रफ	प्रूफ
199	शीर्ष	(ी रघुनाथ विश्नोई)	(श्री रघुनाथ विश्नोई)
206	13	4 बजे 4 बजे	4 बजे

1	2		3	4
207	अन्तिम से	6	सस्ोंड	सस्पेंड
219	,,	10	न मरोशन	नामरोशन
223		11	य	यह
231	अन्तिम से	9	वरोध	विरोध
232	,,	5	हजा	हजार
239	,,	6	चाहि	चाहिये
240		9	साहव	साहिवा
248		2	करान	कुरान
,,		7	स	इस
252		15	ह	है
,,		17	सका	उसका
255		16	दुहायोग	दुरुपयोग
260		2	कांग्रस	कांग्रेस
261		5	चलाव	चलावें
262		16	स	इस
263	अन्तिम से	12	स ोंन्ट	सर्वेंट
,,	अन्तिम		व्यारी	व्यापारी
264		7	वड़-वड़	वड़े-बड़े
265	अन्तिम		उनतो डाईवरों	उन पर तो ड्राइवरों
266	अन्तिम से	15	श्री वी० एन० जोशा	श्री वी० एन० जोशी
269	शोर्ष		(श्री जयनारायण व्यास)	(श्री जयनारायण सालोदिया)
270		13	उने	उसने
,,	अन्तिम से	12	संक्षप	संक्षेप
,,	,,	8	वाल	वाले
272		13	समानना	समानता
278	अन्तिम से	7	चुनवों	चुनावों
279	,,	4	मारत	भारत
284		3	रिजव	रिजर्व
285	शीर्षक		(श्री विश्म्भर नाथ जोशी)	(श्री विशम्भर नाथ जोशी)
286		5	जाद	जादू
,,		15	हाते	हारे
289	अन्तिम से	5	वठक	वैठक
296		6	रीदतो	खरीदती

1	2		3	4
300	अन्तिम से	3	फितन	कितने
306		3	रक्या	क्या
307		1	बतान	बताने
318		9	काय	कार्य
320		3	पर्यवेशक	पर्यवेक्षक
328		4	क्य	क्या
,,		9	करण	कारण